खण्ड-339, अंक-8
सोमवार, 7 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(28 मई, 1979 ई0)

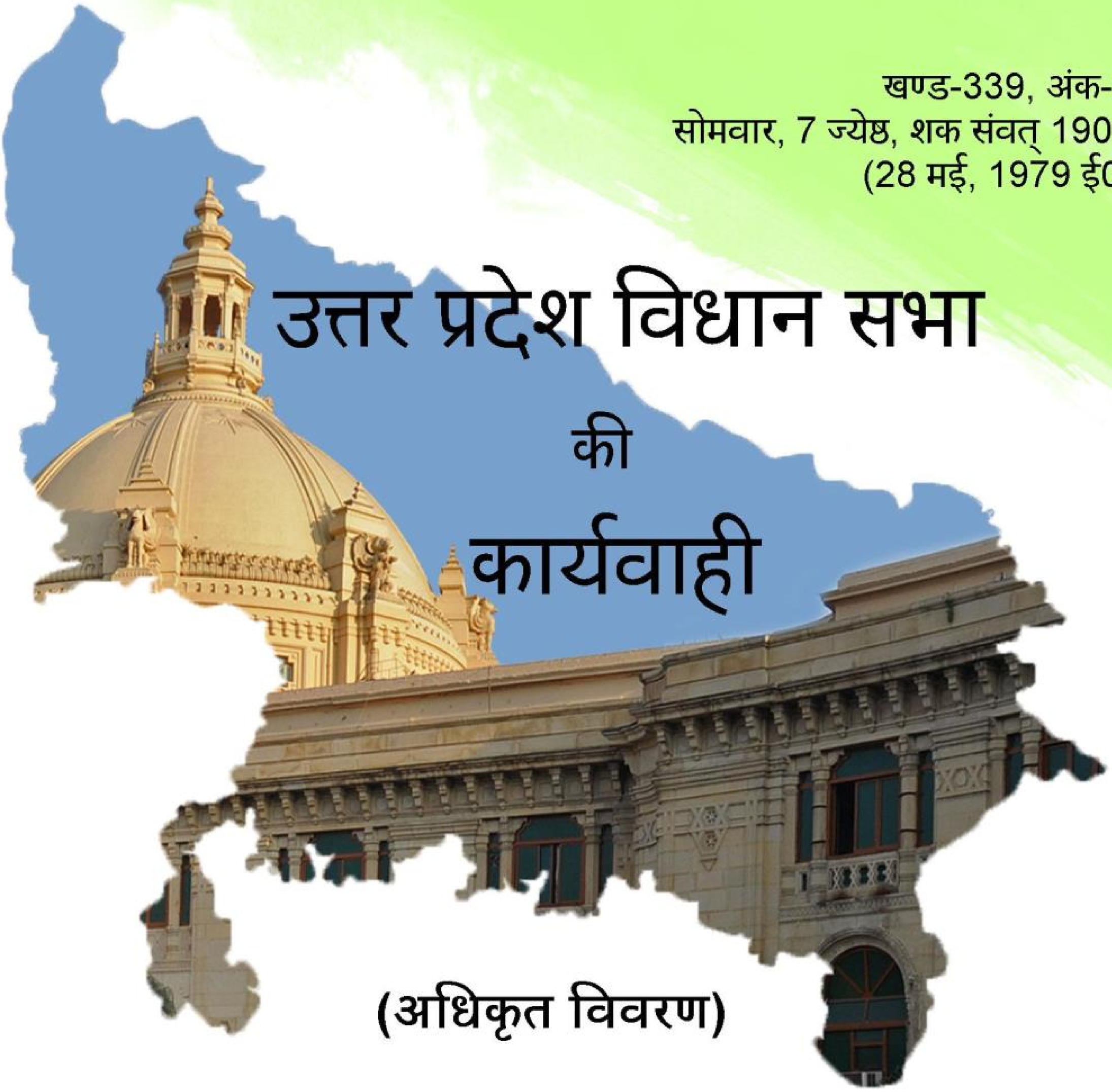

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, 1978 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	708
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 . (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	708
श्री दौलत सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री पी0 सी0 जंग, अतिरिक्त फोरमैन श्री अजयपाल सिंह व रणवीर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	708–709
21 मई, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री राज मंगल पाण्डेय के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	709–710
अमीनाबाद, लखनऊ में व्यापारियों एवं बिक्री-कर सर्वेक्षण दल के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	710–716
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 72—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 73—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	716–738
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 63—पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 65—मत्स्य विभाग, अनुदान संख्या 102—पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 125–पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	738–757
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	757–758
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	758–760
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 (पारित)	760–764
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	765
अमीनाबाद, लखनऊ में व्यापारियों व बिक्री-कर सर्वेक्षण दल के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में चर्चा	765–791
नत्थियाँ	792–807

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 28 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--231

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कौशल किशोर; श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव; श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारीलाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय' श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री

दीना नाथ सेवक, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुवाँठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबूलाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिशुन दयाल, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
भगवती चरण निर्मोही', श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
मगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री

राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर वीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—हरिजन समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 28 मई, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल) —कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष --

है।

सदस्य, विधान सभा, श्री सन्त बक्श रावत द्वारा एग्रो के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच रिपोर्ट

**1—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनाँक 27 मार्च, 1979 को माननीय सदस्य श्री सन्त बक्श रावत द्वारा एग्रो में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सिलसिले में जो प्रश्न उठाया गया था उसके प्रत्येक बिन्दु पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या आरोपों की गुप्त जाँच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

दिनाँक 27 मार्च, 1979 को माननीय सदस्य श्री सन्त बक्श रावत द्वारा एग्रो में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में नियम 301 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया गया था, उसके प्रत्येक बिन्दु पर प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से रिपोर्ट प्राप्त कर समुचित उत्तर माननीय सदस्य को भेजा जा रहा है। एग्रो से प्राप्त रिपोर्ट को जाँच कर देख लिया गया है कि उक्त बिन्दुओं में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिस पर सर्तकता अधिष्ठान से गुप्त जाँच कराने की आवश्यकता हो।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

इसका उत्तर सदन में आना चाहिए था क्योंकि 301 में जब वह आया है तो वह सदन की प्रापर्टी बन गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मै किस आधार पर प्रश्न पूछूं क्योंकि उसका उत्तर तो माननीय सदस्य के पास जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन-कौन से बिन्दुओं पर जाँच हो रही है, आप यह पूछ सकते है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि 17 लाख रुपए के उर्वरक के डबल पेमेन्ट की स्वीकारोक्ति पहले ही एग्रो ने की है। इसके अलावा कर्मचारियों की भविष्य निधि में भी गड़बड़ी है, ट्रस्ट की ओर से कोई बैलेन्स-शीट नहीं बनी है, इन तमाम अनियमितताओं का जब पर्दा खुलता है तो वहाँ के एक कर्मचारी के खिलाफ हैरेस्टमेंट की नीति अपनाई जाती है, जो मुख्य लेखाधिकारी है, उनके द्वारा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचना दी थी, उसमें अलग-अलग बिन्दु क्या थे और अलग-अलग बिन्दु पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जो मुख्य बिन्दु हैं, उनको मैं सदन में पेश करता हूं।

1—निगम के कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड के बारे में मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इम्प्लाइज कन्ट्रीब्यूटरी फण्ड ट्रस्ट जो है, वह 73 में स्थापित हुआ था, ट्रस्ट की बैलेन्स-शीट अभी तक नहीं बनी है क्योंकि वर्ष 75 तक ट्रस्ट में एक ही लेखाकार कार्यरत था। दिसम्बर, 75 में एक लेखाकार और दो लेखा लिपिक इसमें नियुक्त किए गए थे। अब ट्रस्ट के 1976–77 के सारे खाते इसमें पूर्ण करा लिए गए हैं और बैलेन्स-शीट का कार्य भी आरम्भ कराया जायगा। जहाँ तक अग्रिम का सवाल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। अग्रिम प्रत्येक कर्मचारी को मिल रहा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं पैदा होती है।

2—25,25,895.81 पैसे के दोहरे भुगतान का मामला प्रकाश में लाया गया। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यह दोहरा भुगतान फूड कारपोरेशन आफ इंडिया ने एक दुबारा बिल बनाकर निगम के बैंकों से भुगतान सीध प्राप्त कर लिया और उस दोहरे भुगतान की रोकथाम हेतु प्रणाली निर्धारित कर दी गयी है, एवं फूड कारपोरेशन आफ इंडिया को वसूली हेतु पत्राचार प्रगति में है। रकम वापस हो जायगी। इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है।

3—वहाँ के ज्येष्ठ लेखाकार को इस प्रकार के नीचे कारणों से तरह-तरह से तंग किया जा रहा है। वह पिछले तीन महीने से अधिक समय से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, परन्तु उन्हें न तो अभी अवकाश स्वीकृत किया है, न वेतन चिकित्सा अग्रिम ही दिया गया है, जिसके कारण उनका परिवार भूखों मरने की हालत में हो गया है। इस प्रकार की औपचारिकता पूरी करने के बाद भी अभी तक उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। यह बात सही नहीं है, बल्कि आर0 एस0 शुक्ला, ज्येष्ठ लेखाकार, इन्होंने जब पहला आवेदन पत्र दिया था, उसके साथ स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं दिया था। उसके अभाव में उनकी जो दरख्वास्त थी, वह उस समय मन्जूर नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने चिकित्सा प्रमाण-पत्र लिखा कर भेज दिया और वह दरख्वास्त जो उनकी मन्जूर हो गयी। उसके बाद जब जब उन्होंने अप्लाई किया, उनको स्वीकृति दी जा रही है। उस समय से जितने भी अवकाश का वेतन था, वह भी सब दे दिया गया। 1,835.80 उनको चेक द्वारा दे दिया गया है, जिसमें वर्ष 1977–78 का शेष बोनस भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 1 हजार रुपए प्राविडेंट फण्ड ट्रस्ट से अग्रिम एवं 300 रु0 वेतन के विरुद्ध अग्रिम चिकित्सा हेतु दिया गया है। दिनाँक 23 जुलाई, 1979 के पश्चात् श्री शुक्ला न नियमानुसार प्रार्थना अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं किया है और जिसके लिए उन्हें सूचित कर दिया गया कि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र लिखा कर भेजें ताकि उनका प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया जाय।

इस सन्दर्भ में मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई गलत व्यवहार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

चौथा था, सचिव हैं वहाँ एग्रो में श्री पाठक, इनके विरुद्ध स्टाफ कार के प्रयोग का मामला कहा था। इस सम्बन्ध में, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बहुत से जिलों में उनको दौरा करना पड़ा था, जिसकी अनुमति प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त कर ली थी। इसी सम्बन्ध में एक और प्रश्न था जिसके बारे में कहा गया है कि श्री पाठक ने अपनी कार खरीदी थी। कर्मचारियों में बड़ा क्षोभ है, तो जब कार ही नहीं खरीदी तो क्षोभ का प्रश्न ही पदा नहीं होता। एक बिन्दु इसमें यह है सचिव के विरुद्ध, राजनीतिक प्रभाव का। उसमें श्री मुलायम सिंह यादव, माननीय सदस्य हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में जो नियुक्ति की थी उनमें संशोधन करने के लिए तत्कालीन मन्त्री श्री राजेन्द्र सिंह को पत्र प्रेषित किया था। यह चीज है कि नियमों के अन्तर्गत इस तरह के प्रपत्र प्राप्त होने पर किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने का मसला पेश हो जाता है, इस सम्बन्ध में मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सम्बन्धित जो लेखाकार हैं, उनको हैरेस करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, यह शासनादेश संख्या 9336/5–7–1149/76, दिनाँक 27 जनवरी, 1977 के अनुसार सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक 500 रुपए से अधिक तथा 1000 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकारी चुने गए हैं, फिर भी जब सम्बन्धित लेखाकार न अधीक्षक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र को भेजा, उसको रिजक्ट करने का क्या कारण है और क्या यह सही है कि जो मुख्य लेखाधिकारी हैं उन्होंने 16 फरवरी को एक पत्र इस तरह का लिखा कि मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजा जा रहा है। चिकित्साधिकारी, बलरामपुर अस्पताल संलग्न है 5 सौ से लेकर एक हजार तक वेतन पाने वाले कर्मचारी को प्रमाण-पत्र देने में उसके बाद भी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा काउन्टर साइन करने के लिए कहना क्या हैरेसमेंट नहीं है।

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिए जो नियम एक विभाग में है वही दूसरे में इस तरह से कोई हैरेसमेंट की सूचना मुझे नहीं मिली। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवेदन-पत्र, जो था वह बाद में स्वीकार हो गया।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपके माध्यम से यह फोटो स्टेट कापी माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं जो इसका सबूत है।

श्री उपाध्यक्ष—

भेज दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, दोहरा पेमेन्ट हुआ है और दोहरे पेमेन्ट ऐग्रो के किसी अधिकारी के जरिए हुआ होगा, तो वह कौन सा अधिकारी है, जिसने इस तरह का दोहरा पेमेन्ट करवाया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह गड़बड़ी एफ0सी0आई0 द्वारा हुई और डबल बिल उन्होंने भेज दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, गड़बड़ी एग्रो में हुई है। किसी अधिकारी के पास बिल गया होगा, उसने मन्जूर किया होगा, तो जिसने दोबारा मन्जूर किया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

ऐसी कोई गड़बड़ी की सूचना मुझे इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जब बिल की चेकिंग होती है, अगर कोई डुप्लीकेटिंग हो जाती है, तो क्लेरिफिकेशन कर लिया जाता है, तो इसमें ऐसी बात नहीं है।

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के भूतपूर्व सचिव, श्री के० एन० घोष द्वारा प्रोजेक्ट मनी का दुरुपयोग

**2—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के भूतपूर्व सचिव श्री के0 एन0 घोष के कार्यकाल में लगभग 18 लाख रुपए (प्रोजेक्ट मनी) के दुरुपयोग तथा उसके परिणामस्वरूप लगभग 48 लाख रुपए का उनके कार्यकाल में नुकसान होने के बारे में श्री डी0 एस0 बग्गा, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0डी0एफ0 ने 7 मार्च, 1979 को श्री घोष से जवाब तलब किया है और मिल्क कमिश्नर श्री सिन्हा ने इस पूरे मामले की जाँच

और आडिट का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और अब तक की जाँच से कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

यह सही है कि श्री के0 एन0 घोष, भूतपूर्व सचिव, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के कार्यकाल में 32.70 लाख रुपए (प्रोजक्ट मनी) के दुरुपयोग के सम्बन्ध में श्री घोष से दिनाँक 6 मार्च, 1979 के दो पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया, परिणाम स्वरूप हुई सम्भावित क्षति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा गया। मिल्क कमिश्नर ने जाँच तथा विशेष आडिट के आदेश दिए हैं। अभी जाँच पूरी नहीं हुई है। जाँच पूरी होने पर ही सही स्थिति ज्ञात हो जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित मेरा 20-4-79 का एक पत्र माननीय मन्त्री जी को मिला है, जिसमें इस मामले पर तथा प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में चल रही साकेत दुग्ध शाला, फैजाबाद में मन्त्रियों द्वारा पद के दुरुपयोग और मिसयूटीलाइजेशन आफ फंड्स की शिकायत है और कई उदाहरण दिए गये हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी ने सभी मामलों की जाँच कराने का आदेश दिया है ? अगर हाँ, तो जाँच कौन कर रहा है और क्या विधान सभा के सत्र समाप्त होने के पूर्व जाँच पूरी हो जायगी और सही स्थिति इसी सत्र में रखने का आश्वासन देंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

यह बात सही है कि माननीय सदस्य का एक पत्र, जो मुख्य मन्त्री को लिखा गया था, मुझको मिला। उस पर जाँच का आदेश कर दिया गया है और जितने प्वाइंट्स उसमें उठाए गए हैं, उन सभी बिन्दुओं पर जाँच कराई जा रही है। मुझे यकीन है, मैं कह सकता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसी सेशन में इसकी जाँच मुकम्मिल करके माननीय सदन को अवगत करा दूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि श्री डी0 एस0 बग्गा ने जो श्री घोष से जवाब तलब किया और श्री घोष ने जो जवाब दिया, वह क्या है और अभी तक जाँच से मेरे पत्र 20-4-79 की कौन-कौन शिकायतें सही पाई गयीं और किन-किन की जाँच बाकी है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

श्री घोष के खिलाफ आपके पत्र में था कि 18 लाख रुपए का दुरुपयोग उन्होंने किया। एक प्रोजेक्ट मनी का दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, तो देखने से पता चला कि 32.70 लाख रुपए की रकम है, जो एक प्रोजेक्ट की है, दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गयी। इसके ऊपर मिल्क कमिश्नर की जाँच कराने के आदेश दिए गए हैं और स्पेशल आडिट का हुक्म दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और जो प्वाइंट्स आपके पत्र में हैं, जिसके ऊपर जाँच मैनेजिंग डाइरेक्टर पी0सी0डी0एफ0 कर रहे हैं। मैं चाहता था कि रिपोर्ट 27 तक मिल जाय लेकिन किन्हीं हालात से नहीं मिली। जैसा मैंने बताया तमाम चीजों की जाँच मुकम्मिल करके मैं इसी सत्र में इसकी जानकारी दे सकने की कोशिश करूंगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्य ने जो पत्र लिखा है, उसमें 32.70 लाख रुपए भूतपूर्व सचिव, श्री घोष द्वारा घपला करने तथा हड़प करने के आरोप हैं, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सी0आई0डी0 द्वारा इसकी जाँच करायेंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

असल में दुरुपयोग का लफ्ज टेक्निकल तरीके पर इस्तेमाल किया गया है। इस पर कोई गबन नहीं है बल्कि हुआ यह है कि आई0 डी0सी0 ने कोई रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए मन्जूर किया लेकिन पी0सी0डी0एफ0 के सचिव ने उसको दूसरी जरूरत के तहत इस्तेमाल किया इसलिए जब तक जाँच न हो जाय, उसमें यह कहना कि कोई गबन है मैं ठीक नहीं समझता। माननीय तिवारी जी के रिपोर्ट पर जाँच हो रही है और यदि साबित हुआ कि कोई घपला या गबन हुआ है, तो दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय सदस्य श्री तिवारी ने 48 लाख रुपए का आरोप लगाया है, जिसमें मन्त्री जी ने कहा कि 48 लाख नहीं 32.70 लाख रुपए हैं, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस रुपए की जानकारी प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के बाद हुई या पहले से जानकारी थी? यदि पहले से थी, तो क्या कार्यवाही की गयी थी?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि उनके पत्र में 48 लाख रुपए के दुरुपयोग की बात है बल्कि श्री तिवारी ने अपने प्रश्न में 18 लाख रुपए के दुरुपयोग की बात कही है लेकिन कागज देखने से 32.70 लाख रुपए की बात मिली। 48 लाख रुपए का जो जिक्र श्री तिवारी ने किया है, उसमें उनका कहना है कि एक प्रोजेक्ट का रुपया दूसरे प्रोजेक्ट में प्रयोग किया गया, जिसके कारण 48 लाख रुपए की उस प्रोजेक्ट को हानि हुई। इस सवाल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई फाइनेंशियल इक्सपर्ट नहीं हूं किन्तु इसकी जाँच मैं करा रहा हूं और जाँच के बाद ही कह सकता हूं कि उससे कोई हानि किसी प्रोजेक्ट को हुई कि नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी बतायगें कि जो 32 लाख रुपए की अनियमितता हुई है, यह किस काल में हुई है। क्या इसके पहले कोई आडिट हुआ और उसमें इस अनियमितता के बारे में कहा गया है?

श्री अब्दुल हलीम खां—

कोई आडिट पहले नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे आई0डी0सी0 ने 50 लाख लखनऊ डेरी को दिया और उसमें 40 लाख रुपया लखनऊ डेरी में इस्तेमाल किया गया और 10 लाख रुपया दूसरी फैक्टरी में इस्तेमाल कर लिया गया, तो यह टेक्निकल चीज है कि एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया। इसलिए आडिट में आने का सवाल नहीं था। मिल्क कमिश्नर को जब यह मालूम हुआ, जिस पर उन्होंने पी0सी0डी0एफ0 को लिखा कि यह रुपया गलत इस्तेमाल किया गया। इस पर श्री घोष से जवाब माँगा गया था। यह पहले का रुपया है, तो यह तमाम बातें श्री तिवारी के पत्र में हैं। इसलिए जब तक जाँच पूरी न हो जाय तब तक यह कहना कि गबन किया गया, ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट है कि जाँच अभी पूरी नहीं हुई लेकिन प्राग्दर्शन में उस अधिकारी का दोष सिद्ध हो गया है तभी जाँच की घोषणा किया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब प्राग्दर्शन में अपराध सिद्ध हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, मैंने बताया कि जब एक प्रोजेक्ट का रुपया दूसरे में लगा, तो पी0सी0डी0एफ0 को लिखा गया कि यह गलत बात हुई है। इसमें फाइनेंशियल अनियमितता है,

इसलिए पूरे आडिट के आदेश दिए गए लेकिन इसके पहले कि रिपोर्ट सामने आये किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, श्री तिवारी ने अपने प्रश्न में लिखा है कि साकेत डेरी में 26 ऐसे कर्मचारियों की सूची उन्होंने दिया है जिनका न चयन समिति ने साक्ष्य लिया और न लोक सेवा आयोग ने भेजा और न उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र ही दिया। तो इसके बारे में क्या मन्त्री जी को कोई जानकारी मिली है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह साकेत कहाँ से आ गया है . . . .

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

20–4–79 के पत्र में दिया है माननीय तिवारी जी ने 26 व्यक्तियों की सूची दी है जो न चयन समिति से चुने गए . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला श्री के0 एन0 घोष, भूतपूर्व सचिव के बारे में है ?

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मन्त्री जी से पूछ लीजिए। उनको जानकारी होगी। इस पत्र में सूची दी है जिन का चुनाव न चयन समिति से हुआ, न सेवा योजन कार्यालय में नाम भेजा, न प्रार्थना-पत्र दिया बल्कि यह कहा गया है कि उन्हें मन्त्री के ख्वाहिश के आधार पर रख लिया गया। मन्त्री जी से पूछ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अलग से सूचना माँगिए. . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के तहत ही साकेत डेरी चलती है। मैंने कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन का मामला उठाया है। उसी पत्र में उसकी तमाम अनियमितताओं की बात की थी, जिनको मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि 20–4–79 का पत्र मिला और उस पर जाँच कर रहे हैं। चूंकि वह डेरी कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के तहत चलती है इसलिए यह सवाल उठता है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पशुधन मन्त्री जी, इसके बारे में जानकारी हो, तो दे दें।

श्री अब्दुल हलीम खाँ—

इसी सम्बन्ध में 6 और 7वीं आइटम पर तिवारी जी का प्रश्न जब आएगा तब मैं जवाब दे दूंगा।

साधन सहकारी समितियों के ऋण और अग्रिम ब्याज के साथ कलेक्शन चार्ज की वसूली

**3—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में समस्त साधन सहकारी समितियों द्वारा बकाएदारों से मूल ऋण पर कलेक्शन चार्ज न लेकर मूल ऋण तथा सूद एवं कलेक्शन चार्ज पर भी कलेक्शन चार्ज लिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार केवल मूल ऋण पर ही कलेक्शन चार्ज लिए जाने हेतु आदेश करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जी नहीं। केवल मूलधन एवं ब्याज पर ही कलेक्शन चार्ज लिया जाता है। कलेक्शन चार्ज पर कलेक्शन लिए जाने की पद्धति नहीं है। मूलधन और ब्याज पर कलेक्शन चार्ज लेना ऋण की वसूली के व्यय को वहन करने हेतु आवश्यक है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि कलेक्शन चार्ज पर कलेक्शन चार्ज लिया जा रहा है, इसकी जाँच अपने विभाग द्वारा करायेंगे ? दूसरा मान्यवर, बैंक से भी किसानों को ऋण मिलता है, उसके मूल धन पर सूद लिया जाता है क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि केवल मूल ऋण पर कलेक्शन चार्ज लिया जायगा. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की शिकायतें हैं कि कलेक्शन चार्ज पर ही दुबारा कलैक्शन चार्ज लिया जाता है इसके बारे में बता दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा माननीय चतुर्वेदी ने बताया मेरी जानकारी अभी तक यह है कि कलेक्शन चार्ज केवल मूल धन और ब्याज पर लिया जाता है। यदि कलक्शन चार्ज पर भी कहीं लिया गया हो और उनकी जानकारी में हो, तो मुझे बतावें मैं उसकी जाँच करा लूंगा। दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि जब वसूली होती है, तो ब्याज और मूल धन दोनों की ही वसूली होती है और इनकी वसूली के लिए अमीन रखने पड़ते हैं और तमाम खर्च होता है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नियम यह है कि साधन सहकारी समिति जब बकाएदारों से बकाया वसूली करने में असमर्थ होती है, तो 95 (क) के तहत प्रस्ताव पास कर कार्यवाही करने का आदेश देती है। यह देखा जाता है कि जो साधन सहकारी समिति का सचिव है बिना इस प्रकार के प्रस्ताव की स्वीकृति के ही वसूली की कार्यवाही का नोटिस जारी कर देता है। जिनसे पैसा मिलता है उनसे कलेक्शन चार्ज नहीं लेता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये यह स्पष्ट करेंगे कि 95 (क) के अन्तर्गत समिति द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद ही कार्यवाही के लिए आदेश जारी किये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अगर माननीय सदस्य की नोटिस में इस तरह के सवाल आये हैं, तो उसकी जाँच करा ली जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मूल पर ब्याज आपने लिया। [illegible] चार्जेज मूल तथा ब्याज दोनों पर लगाये। इस तरह से यह चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री करेंगे कि कलेक्शन चार्जेज केवल मूल पर ही वसूल किये जायं, ब्याज पर नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में काफी विचार विमर्श किया गया। राजस्व परिषद भी जब कोई वसूली करती है, तो कलेक्शन चार्जेज ब्याज तथा मूलधन दोनों पर लगाये जाते हैं। वसूली करने में काफी खर्च करना पड़ता है। जीप का इस्तेमाल होता है जिसमें पेट्रोल खर्च होता है। कलेक्शन चार्जेज ब्याज पर भी लगाना जरूरी हो गया है वर्ना कुर्क अमीन का खर्चा निकालना मुश्किल है। इसलिये यह संभव नहीं है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

जो कलेक्शन चार्जेज लिये जाते हैं उनका कुछ अंश क्या अमीन को भी मिलता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अमीन को केवल तनख्वाह मिलती है। कोई कमीशन नहीं मिलता है।

सहकारी परिषद् के गठन पर विचार

**4—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारिता परिषद् गठित करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा एवं यह किस प्रकार से गठित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, सहकारी परिषद गठित करने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके कार्यक्षेत्र तथा गठन का स्वरूप विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नया बाजार, लालबाग, लखनऊ के विरुद्ध गबन संबंधी शिकायती-पत्र

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नया बाजार, लालबाग, लखनऊ में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1966–67 से 1976–77 तक लगभग 2 लाख 32 हजार 386 रुपयों के गबन सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र कर्मचारीगण की ओर से 5 मार्च, 1979 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि जिन कर्मचारियों पर गबन सम्बन्धी आरोप लगाये गये, उनको प्रोन्नति भी दी गई। यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

गबन से सम्बन्धित किसी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गयी।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित नये बाजार में सर्वश्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, क्षमा नारायण मेहरोत्रा, अयोध्या प्रसाद, आई० पी० सिंह, तुलसी राम तिवारी, रामनाथ शर्मा, विनय कुमार जैन, ओम प्रकाश सक्सेना तथा अवधेश कुमार पर कुल मिला कर 2,32,386 रु० 72 पैसे का गबन का आरोप है फिर भी इनकी पदोन्नति की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकी पदोन्नति नहीं की गयी। केवल दो कर्मचारी आई० पी० सिंह तथा क्षमा नारायण को कुछ एडीशनल काम दिया गया था, जिसकी वजह से इनको एलाउन्स दे दिया गया था। इसका समय दो महीने निश्चित किया गया था जो अब समाप्त हो गया। किसी की बहरहाल पदोन्नति नहीं की गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब 2,32,386 रुपये के गबन के बारे में कुछ कर्मचारियों का पत्र प्राप्त हो गया था और उसे प्राप्त किये हुए महीने भर से ज्यादा हो गया, तो उस पत्र पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

9 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये लिखा गया है। एक के खिलाफ तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गयी है। एक के खिलाफ जाँच हो रही है

और जाँच होने पर अगर उसके खिलाफ तथ्य पाये गये, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जबसे नया बाजार खुला है उस समय सीलिंग फैन, अलमारी, मेज, कुर्सी, बर्तन, कूलर आदि की संख्या कितनी थी और इस समय उनकी संख्या क्या है तथा किन-किन कर्मचारियों के पास यह चार्ज अब तक रहा है और अगर उसमें कमी है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इन सारे तथ्यों की जाँच जारी है और निश्चित रूप से तभी बताया जा सकता है जबकि जाँच पूरी हो जाय।

न्यौली शुगर फैक्टरी, एटा के कर्मचारियों की हड़ताल

*2--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा की न्यौली शुगर फैक्टरी के मजदूर दिनांक 28 मार्च, 1979 से हड़ताल पर हैं ? जिससे किसानों का गन्ना खेत में सूख रहा है ? यदि हाँ, तो फैक्टरी के श्रमिकों की माँगे क्या हैं और फैक्टरी चलाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जनपद एटा की न्यौली शुगर फैक्टरी के मजदूर दिनाँक 29 मार्च, 1979 के प्रातः से अपनी माँगों के सम्बन्ध में हड़ताल पर थे, परन्तु दिनाँक 9-4-1979 को उक्त फैक्टरी के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच में एक समझौता हो जाने के फलस्वरुप मजदूरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है।

श्रमिकों की प्रमुख माँगों का विवरण संलग्न है। हड़ताल के कारण मिल बन्द हो जाने पर मिल के सुरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की पिराई की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 792 पर)

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हड़ताल के कारण मिल बन्द हो जाने के कारण मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की पिराई की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ? किसानों को न्यौली शुगर फैक्टरी में क्या मूल्य मिलता था और नयी जगह पर क्या मूल्य दिया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

न्यौली शुगर फैक्टरी में आफर्ड गन्ना 16 लाख कुन्तल था जिसमें 12.37 लाख कुंतल की पिराई हो चुकी थी। 1.30 लाख गन्ना अवशेष रह गया था। 60,500 कुंतल गन्ना कायमगंज और बदायूं की मिलों पर डाइवर्ट कर दिया गया था।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या समझौते की शर्त नं0 2 के अनुसार किसी भी श्रमिक के खिलाफ कार्यवाही न करने और विक्टीमाइज न करने की बात भी की गयी थी और यदि हाँ, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजकों ने 9 अप्रैल के समझौते के बाद 10 अप्रैल, 1979 से ही 200 कर्मचारियों को काम पर क्यों नहीं लिया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

माननीय सदस्य का प्रश्न श्रम मंत्री जी से संबंधित है। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र आया भी नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो माँग पत्र संलग्न है, उसकी तालिका के नं0 1 में लिखा है कि मिल द्वारा निकाले गये 23 कर्मचारियों को वापस लिया जाय। नं0 1 में लिखा है कि फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार वेतन दिया जाय और इसी तरह नं0 8 में लिखा है कि श्रमिकों को अवशेष वेतन आदि तथा ग्रेचुटी दिलाये जायं। इन माँगों के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था, तो उसके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

इसकी कोई प्रगति रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माँगों का उल्लेख उत्तर में दिया हुआ है कि क्या-क्या माँगें थीं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि समझौता हो गया। मेरा निश्चित प्रश्न है कि समझौता हुआ होगा, तो बीच में वार्तालाप हुआ होगा। समझौते के सम्बन्ध में मिल-मालिकों का दृष्टिकोण क्या था ?

श्री शिव मंगल सिंह—

समझौते की जो प्रमुख शर्तें हैं वह उपलब्ध है। उसमें जो प्रमुख है वह इस प्रकार हैं। हड़ताल में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायगी। 3—वर्ष 1978–79 की पेराई समाप्ति, जो 6-4-79 को हो गयी है, उसे 12-4-79 को बंद माना जाय।

4—श्रमिकों की माँगें मानी जायेंगी और जिन पर समझौता नहीं हो सकेगा, वे उप श्रम कमिश्नर, आगरा के समक्ष रखी जायेंगी उनके समक्ष भी तय न होने वाले मामले श्रम न्यायालय द्वारा तय किये जायेंगे।

5—20 केन क्लर्क, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं, सीजन 1979–80 के प्रारम्भ होने पर वापस ले लिया जायेगा।

6—हड़ताल की अवधि का श्रमिकों को वेतन देय नहीं होगा।

7—श्रमिक श्री वी0 आर0 तथा श्री पी0 आर0 दुबे के संबंध में अपनी माँग समाप्त कर देंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 9 अप्रैल, 1979 को जो समझौता हुआ था श्रमिकों और शुगर मिल मालिकों के बीच, उसमें एक शर्त यह भी थी कि प्रारम्भिक बातों के बाद 25 अप्रैल को दोनों पक्ष बैठेंगे और आगे की शर्तों पर विचार कर तय करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जो एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, उस एग्रीमेंट की नकल मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसको लिखकर भेज दें।

फैजाबाद क्षेत्र के अकबरपुर बस डिपो में टिकट की कमी के फलस्वरूप रद्द की गयी बस सेवा

*3—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रोडवेज के फैजाबाद रीजन में टिकटों की कमी के कारण दिनाँक 16 अप्रैल, 1979 से आज तक अकबरपुर डिपो की कई गाड़ियों को रद्द करना पड़ा अथवा आधे मार्ग से वापस करना पड़ा ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ? पूरा विवरण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है ?

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

फैजाबाद क्षेत्र के अकबरपुर डिपो में दिनाँक 16–4–79 से 4–5–79 तक की अवधि में केवल 17–4–79 एवं 23–4–79 को एक-एक सेवा रद्द हुई तथा दिनाँक 17–4–79 से 23–4–79 की अवधि में केवल 4 ऐसी सेवायें थीं जो रास्ते से लौट आयीं। इसका कारण टिकटों की कमी नहीं थी, अपितु संबंधित लिपिक की लापरवाही के कारण टिकट जारी न हो सकने के कारण यह हुआ। दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरी निश्चित सूचना है कि रोडवेज हेड क्वार्टर्स के टिकट जिस प्रेस में छपते हैं, न तो समय से कागज जाता है और न पूरा एलाटमेंट होता है, जो टिकट छपते हैं, उनकी छपाई का पेमेंट भी नहीं मिलता। इसीलिये टिकट की कमी है। अकबरपुर डिपो के फोरमैन ने काफी समय पहले इस कमी के बारे में अधिकारियों को लिखा था और अब बड़े अधिकारी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिये छोटे कर्मचारियों पर दोष मढ़ रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी पूरे मामले को फिर से जाँच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार टिकट वहाँ पर उपलब्ध थे। ऐसा नहीं था कि टिकट उपलब्ध नहीं थे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उस लिपिक की लापरवाही के कारण टिकट नहीं मिल सके। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह लापरवाही किस तरह की थी ? माननीय तिवारी जी ने जो पूछा है कि अकबरपुर डिपो के फोरमैन ने बहुत पहले रोडवेज के चेयरमैन को लिखा था कि टिकट का अभाव है, क्या वह पत्र आपके पास है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, फोरमैन ने कोई पत्र लिखा था, इसकी जानकारी मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

गोरखपुर, सिसवा बाजार चीनी मिल क्षेत्र के गन्ने का पडरौना, रामकोला आदि मिलों को एलाटमेन्ट

*4—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना परिषद्, सिसवा बाजार, गोरखपुर के गन्ना काश्तकारों का गन्ना पडरौना, रामकोला, आनन्दनगर एवं कप्तानगंज मिल को क्रय करने हेतु वर्ष 1978–79 में एलाट किया गया है ? पडरौना मिल में दिनाँक 17 अप्रैल, 1979 को लाखों कुन्टल गन्ना रहते हुए मिल बन्द करने की प्रथम सूचना शासन को दी है। प्रश्नकर्त्ता द्वारा अप्रैल, 1979 में इस विषय पर सूचना दिये जाने पर भी अभी तक मिल-मालिकों को एलाटेड गन्ना बिना क्रय किये मिल बन्द न करने का आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1978–79 में सिसवा बाजार चीनी मिल क्षेत्र का गन्ना पडरौना, रामकोला (पी), आनन्दनगर तथा कप्तानगंज मिलों को क्रय करने हेतु एलाट किया गया। पडरौना मिल को आदेश दिये गये थे कि बिना क्षेत्र की उपलब्ध गन्ना समाप्त किये अंतिम रूप से गन्ना पिराई बन्द न करें। पडरौना चीनी मिल दिनाँक 30–4–79 को बन्द हो गई उस समय सिसवा बाजार मिल के बहुआ क्रय केन्द्र का लगभग 10 हजार कुन्टल गन्ना शेष था जिसे पडरौना मिल द्वारा ही खरीद करके रामकोला (पी), सरदार-नगर, खड्डा एवं पिपराइच मिलों की पूर्ति कर दिया गया।

गोंडा जिले के विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा बन्द किया गया सीमेन्ट का परमिट

*5—श्री छेदी लाल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद गोंडा के समस्त ब्लाकों के बी0 डी0 ओ0 ने ग्रामीण क्षेत्रों की सीमेन्ट की परमिटें काटना बन्द कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में अब क्या व्यवस्था की गई ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति एवं गन्ना विकास समिति, हरदोई के ए० जी० एम० की धनराशि

*6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनाँक 21 दिसम्बर, 1978 को जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, हरदोई तथा दिनाँक 30 दिसम्बर, 1978 को गन्ना विकास सहकारी समिति, हरदोई में ए0 जी0एम0 मद के अन्तर्गत कितना पैसा किसके आदेश से किस हेतु खर्च हुआ ? क्या यह खर्च आडिट आब्जेक्शन के बाद किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

दिनाँक 21–12–78 को नहीं, अपितु दिनाँक 29–12–1978 को जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति लि0, हरदोई तथा दिनाँक 30–12–78 को गन्ना विकास समिति लि0, हरदोई के ए0 जी0 एम0 में रु0 4281.28 पै0 तथा रु0 3,965.30 पैसे क्रमशः प्रशासक (जिला गन्ना अधिकारी, हरदोई) की स्वीकृति से व्यय किया गया। व्यय से पूर्व आडिट आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का स्वभाव है, बुराइयों से समझौता करना। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 29–12–1978 को जो पैसा व्यय किया गया है 4,281.28 और 3,965.30 रु0 खर्च किया गया, लेकिन कितनी धनराशि वापस की गयी थी ? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो धनराशि वापस की गयी वह कब वापस की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कितना पैसा निकाला गया और खर्च कितना पैसा किया गया ? जो पैसा बचा वह कब जमा किया गया ? क्या यह मेरे प्रश्न करने के बाद जमा किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह तो ए0 जी0 एम0 मद के अन्तर्गत जो खर्च हुआ उसके बारे में है। कब जमा हुआ, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि आडिट में 319 रुपये की गड़बड़ी पायी गयी थी और यह 319 रुपया जब मेरा प्रश्न आ गया, उसके बाद जमा किया गया, इसकी जाँच करायेंगे और दोषी कर्मचारियों को दंडित करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नहीं मान्यवर, जो आडिट ने 319 रुपये की गड़बड़ी पायी, वह किसी कर्मचारी की जेब में चली गयी थी, जमा नहीं हुई थी। जब राम आसरे वर्मा ने असेम्बली में सवाल किया तब मैं समझता हूं कि यह धनराशि जमा की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारी या कर्मचारी को दंडित करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, वार्षिक साधारण सभा दिसम्बर, 78 में हुई थी और उसमें जो खर्चा हुआ था उसका भुगतान जनवरी, 79 में हुआ और उसका आडिट अभी मार्च, 79 से शुरू हुआ है, तो गलत भुगतान का प्रश्न पैदा नहीं होता। फिर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी माननीय सदस्य की जानकारी में हो तो वे मुझे लिखकर दे दें। मैं जाँच करा लूंगा और यदि कोई दोषी पाया जायेगा, तो मैं अवश्य उसे सजा भी दिलवाऊंगा।

श्रम मंत्री, श्री क्रान्ति कुमार के विरुद्ध विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता की जांच

*7—श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वर्तमान श्रम मन्त्री के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 की कोआपरेटिव सेल कोई गबन के आरोपों की जाँच कर रही है तथा उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हाँ, तो आरोप क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री क्रान्ति कुमार, वर्तमान श्रम मंत्री के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना विशेष अनुसन्धान शाखा, सहकारिता द्वारा की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार श्री क्रान्ति कुमार के विरुद्ध सहकारी बैंक के रुपयों के दुरुपयोग, स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पद के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध कार्य करके बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप हैं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं नश कार किया है कि श्री क्रान्ति कुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है और उसमें कहा है कि उनके विरुद्ध सहकारी बैंक के रुपयों के दुरुपयोग, स्वार्थ सिद्धि के लिये अपने पद के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध कार्य करके बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कब दर्ज हुई, उनके ऊपर कितने रुपये के गबन के आरोप हैं और किन-किन दफाओं में यह रिपोर्ट दर्ज है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है उसमें मैंने यह स्वीकार नहीं किया है कि उनके ऊपर ये आरोप हैं। मैंने कहा है कि एक रिपोर्ट दर्ज की गयी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, स्वार्थ सिद्धि के लिये नियम विरुद्ध कार्य किया है। यह रिपोर्ट है जिसकी अनुसंधान शाखा जाँच कर रही है। दूसरी रिपोर्ट जो की गई है कि महेन्द्र पाल सिंह और होरी सिंह वर्मा ने 25–3–76 को तत्कालीन सहकारिता मंत्री को लिखा था उसी में यह आरोप लगाये गये थे, तो उसी के आधार पर 20–4–76 को थाना कोतवाली बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या यह सच है कि माननीय क्रांति कुमार जी के खिलाफ 128/177-ए 20–4–77 दो और इलजाम 128/बी, 128/सी दिनांक 12–2–78 को धारा 409 में दर्ज किये गये थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह उन्होंने जो पूछा है, उसमें 25-3-76 को रिपोर्ट दर्ज की गयी उसी के आधार पर वह 128/77 थाना कोतवाली बिजनौर में दर्ज की गयी है, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरी रिपोर्ट जो हुई है उसकी तारीख की जानकारी मेरे पास निश्चित रूप से इस समय नहीं है। वह उसी दरख्वास्त के आधार पर दर्ज की गई। निश्चित तारीख के लिए सूचना की जरूरत है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कितने रुपये के गबन की शिकायत है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, गबन का मामला है ही नहीं, अभी तो जाँच चल रही है, उसके बाद मालूम होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा आपको याद होगा इसी प्रश्न पर पहले भी चर्चा हो चुकी थी और उसमें जो तथ्य प्रकाश में आये थे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने वैमनस्य के कारण मुकदमा दर्ज किया और इधर से कहना था चूंकि आपकी सरकार पावर में आ गई है, लिहाजा आपकी वजह से इस मामले को दबाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि इस माननीय सदन की इस बारे में कोई समिति गठित करें, तो मैं उसके सामने जाने के लिये तैयार हूं, तो कृपा करके वह इस बात पर विचार करेंगे कि इस माननीय सदन की समिति गठित कर दी जाय जो इस मामले की पूरी जाँच करे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा नेगी जी ने कहा, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया कि सदन की समिति गठित की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन माननीय क्रांति कुमार जी का वक्तव्य हुआ था, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने वैमनस्य के कारण उन पर मुकदमा चलाया। लेकिन यहाँ से कहा जा रहा है कि मुकदमा सही है। चूंकि आप शासन में आ गये हैं, लिहाजा गोल माल किया जा रहा है। इस पर क्रांति कुमार जी ने स्वयं कहा था कि वह इस बात के लिये तैयार हैं कि यदि इस माननीय सदन की समिति गठित की जाय, तो समिति के सामने जाँच के लिए तैयार हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्रांति कुमार जी के आश्वासन के बाद क्या माननीय मंत्री जी इस सदन की समिति द्वारा जाँच करवाने के लिए तैयार हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, पहला तो सवाल क्रांति कुमार जी से संबंधित है, उन्होंने जो कहा हो उनसे संबंधित है। दूसरे प्रश्न के संबंध में अनुसंधान शाखा जो है इस मामले की पूरी तरह से जाँच कर रही है, जो सबसे बड़ी विश्वसनीय एजेंसी है, विश्वसनीय अधिकारी हैं, तो जब वह जाँच कर रहे हैं, तो सदन की समिति बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, मैं सहकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं उनके उत्तर से संबंधित कि रिपोर्ट करने वाले एक जो श्री होरी लाल सिंह वर्मा, वह काँग्रेस (आई) के जनरल सेक्रेटरी थे और दूसरे जो व्यक्ति कहा गया है वह महेन्द्र पाल। वह कभी सहायक निबंधक रहे नहीं। श्री होरी लाल का इस एफ0 आई0 आर0 में झूठे नाम से कराया है और उन्होंने तुरन्त बयान

हल्फी दिया कि गलत दर्ज किया गया है। और उसने वह बयान हल्फी आपको दिया है, तो उसमें क्या सत्यता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो रिपोर्ट में लिखा था वह किसी प्रकार गल्ती में था। महेन्द्रपाल सिंह जिला परिषद् के सदस्य थे, जो कि किसी प्रकार से लिखा गया कि जिला सहायक निबन्धक अधिकारी थे। दूसरे होरी सिंह ने बाद में एक हलफनामा दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मान्यवर, यह जो रिपोर्ट दर्ज करायी गई है, वह मैंने गलती से की है, क्रान्ति कुमार बहुत ही भले और सम्मानित आदमी हैं, और उन्होंने किसी प्रकार से सहकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

यह जो लाखों रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज है, वह स्वयं एक मंत्री के खिलाफ दर्ज है, तो क्या मंत्री जी इसकी गम्भीरता को देखते हुए इनकी जाँच कोआपरेटिव सेल से न कराकर किसी न्यायाधीश या सी0 बी0 आई0 द्वारा कराने को तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में तो पहले सवाल आ चुका है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

चूंकि एक सदस्य के प्रश्नोत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि एक शिकायतकर्त्ता ने बयान हलफी दिया है कि इन्होंने धन का गबन नहीं किया है, लेकिन धन के अलावा उसमें अपने पद के दुरुपयोग का भी अभियोग है और यह भी सब जानते हैं कि प्रभावशाली लोग, मंत्री आदि ऐसे मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर, उनको फंसा कर, उन्हें बयान हल्फी देने के लिए विवश कर दिया करते हैं, तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक इस मामले में जाँच पूरी न हो जाय, उनको पद-मुक्त रखने की कृपा की जाय ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

विकास खण्ड, सिद्धौर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को मिलने वाली सहायता

*8—श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर क्षेत्र में कितने निर्धन व्यक्तियों का चयन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत किया गया है ? इनमें से कितने गरीबों को अब तक सहायता प्रदान की गयी है ? और कितने को नहीं ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड सिद्धौर में 845 अंत्योदय परिवारों का चयन अंत्योदय योजना के अन्तर्गत किया गया है। अभी तक किसी भी अन्त्योदय परिवार को सहायता नहीं दी जा सकी है क्योंकि इस विकास खण्ड के अन्त्योदय के अन्तर्गत चयन किये गये परिवार अधिकतर भैंस लेने के इच्छुक हैं, परन्तु अच्छी भैंसें उपलब्ध न होने के कारण ऋण स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही है।

श्री राम सागर—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 845 लोगों में से कितने लोगों ने भैंस के अतिरिक्त उद्योगों के लिए सहायता माँगी है, और उनको सहायता देने में सरकार के पास क्या रुकावट है ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम सागर—

भैंस के अतिरिक्त, दूसरे उद्योगों के लिए-जिन लोगों ने सहायता माँगी है, मैं उनकी संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना उनके पास नहीं है, यह उन्होंने कह दिया है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

अन्त्योदय योजना में विकास खण्ड सिद्धौर ही नहीं, सारे जनपद बाराबंकी में मेरी जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने शिथिलता बरती है, तो क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती होगी, उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया कि 8 सौ कुछ परिवार चयनित किए गए, उनमें अधिकाँश ने भैंसें माँगी हैं, तो जो कुछ लोग बचे हैं, उनको सामान न दे पाने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने बतलाया कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त—

इसमें सूचना की क्या जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि 845 में ज्यादातर लोगों ने भैंसों के लिए अनुदान माँगा, उनको छोड़कर कुछ और लोग होंगे, जो दूसरे कामों के लिए अनुदान माँगें होंगे, उनको अनुदान देने में क्या दिक्कत है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने कहा सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम सागर—

यह सवाल स्थगित किया जाय । सरकार की इतनी अच्छी योजना है, अधिकारियों की लापरवाही से गरीब लोगों को कहीं कोई सहायता नहीं की जा रही है । उसके बारे में सूचना माँगी । मैंने प्रश्न पूछा । उसका सही जवाब नहीं आ रहा है । यह प्रश्न स्थगित किया जाय । माननीय मन्त्री जी जवाब नहीं दे सके हैं, तो दूसरे दिन जवाब दें । इसी तरह से प्रदेश में हर जगह गरीबों के साथ लापरवाही बरती जा रही है । कहीं पर सहायता नहीं दी जा रही है । सहायता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अग्रेत्तर प्रश्न कर लीजिए ।

नोट:—नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल का समय समाप्त हो गया ।

फर्रुखाबाद जिले में श्रम हेतु खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत गेहूं का आवंटन

*9—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद को काम के बदले अन्न की योजना में इस वर्ष मार्च, 1979 तक कितना गेहूं आवंटित किया गया था ? उसमें से कितना गेहूं मिला और कितना शेष रह गया ? समय से गेहूं न मिलने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि मजदूरों की मजदूरी अन्न न मिलने के कारण अभी तक शेष है ? निर्माण कार्य के लिए किन-किन विभागों को और कितना गेहूं आवंटित हुआ था ? और कितना मिला है ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की कथित बन्दी

*10—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कृष्णस्वरूप तथा श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? पढ़ाई सामान्य रूप से चालू करने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं।

के० एम० शुगर मिल, मसौधा, जिला फैजाबाद के क्षेत्र का अवशेष गन्ना

*11—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल प्रस्तावित गन्ने की खरीद के बिना कौन-कौन सी मिलें बन्द कर दी गयीं हैं ? क्या शासन ने स्पष्ट आदेश के बावजूद फैजाबाद जनपद की के0 एम0 शुगर मिल बगैर पूरा गन्ना खरीदे ही बन्द कर दी गयी ? यदि हाँ, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश की 88 चीनी मिलों में से 20–5–79 को प्राप्त सूचना के अनुसार 62 चीनी मिलें अपने क्षेत्र के पूर्ति हेतु उपलब्ध गन्ने को पेर कर पेराई सत्र 1978–79 के लिए अन्तिम रूप से बन्द हो गयी हैं। इन 62 चीनी मिलों में 51 चीनी मिलों को प्रस्तावित मात्रा से कम गन्ना उपलब्ध हुआ एवं 11 चीनी मिलों को प्रस्तावित मात्रा से अधिक गन्ना उपलब्ध हुआ।

कुछ चीनी मिलों में पर्याप्त दिनों तक गन्ने की मुक्त खरीद करने के उपरान्त भी अत्यन्त अल्प मात्रा में गन्ना पूर्ति होने से रह गया जिसमें निकटवर्ती चीनी मिलों को पूर्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

के0 एम0 शुगर मिल्स, मसौधा, जिला फैजाबाद को वर्तमान सत्र 1978–79 में 2–02 लाख टन आफर के विरुद्ध 1–48 लाख टन गन्ने की आपूर्ति हुई। यह मिल 3 से 10 दिनों की मुक्त खरीद करने के उपरान्त 8–4–79 को वर्तमान सत्र 1978–79 के लिए अन्तिम रूप से बन्द हुई। इस मिल के जनपद गोंण्डा में स्थित केवल मैजाफर क्रय केन्द्र पर लगभग 0–20 लाख कुन्तल गन्ना मिल बन्द होने के उपरान्त पूर्ति होने से रह गया। इस अवशेष गन्ने की पूर्ति नवाबगंज तथा बलरामपुर चीनी मिलों को करवा दी गयी।

*12—श्री बेनी माधव तथा श्री उदय नारायण सिंह—

[21–5–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, लखनऊ के उपखण्ड द्वितीय के वर्क चार्ज सुपरवाइजरों का वेतन

*1—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, लखनऊ के उपखण्ड द्वितीय के पाँच वर्क सुपरवाइजरों की सेवायें दिनाँक 15 नवम्बर, 1978 से समाप्त कर दी गयी थीं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त पाँचों सुपरवाइजरों को कार्य करने को कहा गया और यह आश्वासन मौखिक रूप से दिया गया है कि फण्ड्स उपलब्ध होने पर उनको वेतन दे दिया जायेगा ? यदि हाँ, तो फण्ड्स उपलब्ध होने पर किन-किन को वेतन दिया गया और किन-किन को नहीं, जिनको नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड लखनऊ के उपखण्ड द्वितीय के अन्तर्गत पाँच वर्क्स सुपरवाइजरों की सेवाओं की स्वीकृति 15–11–1978 तक थी। स्वीकृत अवधि समाप्त होने पर उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो गयीं। उनको कार्य करते रहने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उक्त तिथि के बाद उनमें से केवल निम्नलिखित 3 वर्क चार्ज सुपरवाइजरों को आवश्यकतानुसार उपयुक्तता के आधार पर उनके नामों के सामने अंकित तिथियों तक कार्यरत रखा गया तथा इन्हीं तीनों को वेतन भुगतान किया गया—

नाम	वेतन भुगतान की तिथि
1—श्री राज कुमार दीक्षित	18—11–78 से 29–12–79 तक
2—श्री जितेन्द्र कुमार	.. 16–11–78 से 27–1–79 तक
3—श्री मरगूब अहमद	.. 16–11–78 से 31–3–79 तक

शेष दो सुपरवाइजरों सर्वश्री ललित प्रसाद जोशी तथा उदित नारायण को 15–11–78 के बाद न तो कार्यरत रखा गया तथा न ही कोई आश्वासन दिया गया। अतः उनको वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा रोगोर की खरीद

*2—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा ने 16,000 लीटर रोगोर 30 ई0 रेलीज इण्डिया 21, अशोक मार्ग, लखनऊ से 1978 में अल्मूनियम पैक में सरकार तथा कम्पनी के बीच 48.00 रु0 प्रति लीटर अल्मूनियम पैक (250 मि0ली0) खरीदने का सौदा किया था, परन्तु उपरोक्त रोगोर 1,000 लीटर अल्मूनियम पैक में तथा 15,000 लीटर टिन पैक में खरीदी गयी विषय विशेषज्ञ के ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी कीमत टिन पैक की अदा की गयी ? यदि हाँ, तो टिन पैक की कीमत अल्मूनियम पैक के समान अदा करने का क्या विशेष कारण था ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 793 पर)

विकास खंड, वजीरगंज, गोंडा के बी० डी० ओ० के विरुद्ध श्रम हेतु खाद्यान्न वितरण योजना संबंधी जांच

*3—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वजीरगंज, ब्लाक गोंडा के बी0 डी0 ओ0 ने गत वर्ष निर्बल वर्गों को अनाज तथा खाद्य वितरण कार्य-क्रम में गम्भीर अनियमिततायें की हैं और फर्जी नामों से वितरण दिखाकर हजारों रुपया गलत तरीके से कमाया है ? यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्य-वाही करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

श्रम के बदले खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत जाँच कराई गयी, कोई अनियमितताएं नहीं पाई गयीं। इसलिए कठोर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

[दिनाँक 28 मई, 1979 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ के वरिष्ठ लेखाकार श्री आर० एस० शुक्ला के वेतन व मेडिकल एडवांस का भुगतान

*1—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ में वर्ष 1977-78 में लाखों रुपए के डबल पेमेन्ट का मामला तथा अन्य अनियमितताएं वरिष्ठ लेखाकार (श्री आर0एस0 शुक्ल) द्वारा प्रकाश में लाई गई हैं ? फलस्वरूप उन्हें वेतन, छुट्टियाँ तथा मेडिकल एडवान्स नहीं स्वीकृत किया जा रहा है जबकि वह पिछले तीन माह से गम्भीर रूप से बीमार हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर अविलम्ब उचित कार्य-वाही करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

(अ) जी नहीं। वरिष्ठ लेखाकार श्री आर0 एस0 शुक्ला द्वारा किसी प्रकार के डबल पेमेन्ट का मामला तथा अनियमितताएं प्रकाश में नहीं लाई गई है। यह तथ्य उस समय प्रकाश में आया जबकि मण्डलीय लेखाकारों द्वारा मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय के लोगों का मिलान किया गया।

(ब) श्री राम शंकर शुक्ला को दिनाँक 8–1–1979 तक का वेतन तथा 9–1–79 से 22–3–1979 तक का अवकाश वेतन का भुगतान किया जा चुका है। दिनाँक 23-3-1979 के पश्चात् अवकाश के लिए स्पष्ट प्रार्थना प्राप्त न होने के कारण अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकी है। श्री शुक्ला ने दिनाँक 23-3-1979 से आठ सप्ताह की छुट्टी हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवश्य प्रेषित किया है।

श्री शुक्ला को रु0 1,000 का ई0पी0एफ0 एडवान्स एवं रु0 300 का वेतन अग्रिम चिकित्सा हेतु जनवरी, 1979 में दिया जा चुका है।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री मित्रसेन—

[21-5-79 को अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

*3—श्री देव बहादुर सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

अकबरपुर, किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों से काटी गयी अंश पूंजी की धनराशि

*4—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, फैजाबाद का गन्ना किसानों की परचो के गत दो वर्षों में हो रहे भुगतान के समय एक रुपया बीस पैसा प्रति कुन्टल कटौती उक्त मिल के शेयर के रूप में की गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों का पैसा तत्काल वापस करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अकबरपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 (फैजाबाद) के शेयर के रूप में गत दो वर्षों (1977–78 एवं 1978–79) में गन्ना मूल्य भुगतान के समय पर्ची से केवल एक रुपया प्रति कुन्तल की कटौती की गयी, न कि एक रुपए बीस पैसे प्रति कुन्टल।

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की कुल लागत लगभग 6 करोड़ रुपए आती है। इस धनराशि को जुटाने के लिए कृषकों को 10 प्रतिशत धन अंशदान के रूप में देना है जैसा कि चीनी मिल समिति की उपविधि (Byelaws) में भी प्राविधान है। वित्तीय संस्थाओं को ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र भेजने की यह शर्त है कि कृषकों का कम से कम अंश-पूंजी के रूप में 20 लाख रुपए अवश्य एकत्र हो जावे।

अकबरपुर की सहकारी चीनी मिल का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निरस्त कर देने के कारण कृषकों की एकत्रित अंशपूंजी को वापस करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजकीय कृषि फार्म, जमुनाबाद जिला खीरी की आडिट रिपोर्ट में पायी गयी अनियमिततायें

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म, जमुनाबाद (गोला), जनपद खीरी के अभिलेखों में विभागीय आडिट के दौरान वर्ष 1974–75, 1975–76 एवं 1976–77 में क्रमशः एक लाख, साढ़े पाँच लाख तथा साढ़े सात लाख (कुल 14 लाख) रुपए की गम्भीर अनियमितताएं एवं गोलमाल प्रकाश में आए ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी और इसके लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

साकेत दुग्धशाला, फैजाबाद में कर्मचारियों का चयन

*6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र (1979) के तीसरे सोमवार (दिनांक 26 मार्च, 1979) के नत्थी (ख) पर तारांकित प्रश्न संख्या (2) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनाँक 16 और 17 जनवरी, 1979 को चतुर्थ श्रेणी समेत हर वर्ग के कर्मचारियों के चयन हेतु चयन समिति के सामने कुल कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे तथा उनमें से कुल कितने लोगों की नियुक्तियाँ दिनाँक 7 मार्च, 1979 के पूर्व की गयी थीं और नियुक्त किए गए लोगों में से कितने जनपद फैजाबाद के हैं ? क्या साकेत दुग्धशाला, अयोध्या में हो रही अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 26 मार्च, 1979 के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेजा गया पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हाँ, तो उसके आधार पर जाँच कराकर क्या कार्यवाही की गयी और जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

साकेत दुग्धशाला फैजाबाद में दिनाँक 16 व 17 जनवरी, 1979 को चतुर्थ श्रेणी समेत हर वर्ग के कर्मचारियों के चयन हेतु समिति के सामने कुल 123 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। उनमें से 20 अभ्यर्थियों को दिनाँक 7–3–79 के पूर्व नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। उनमें से 13 लोग जनपद फैजाबाद के हैं।

जी हाँ। जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं। जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

*7—श्री बाबू लाल वर्मा—

[7–5–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

*8—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

छाता शुगर कम्पनी लि०, जिला मथुरा द्वारा गन्ने की पिराई

*9—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छाता शुगर मिल (मथुरा) के क्षेत्राधिकार में जितने गन्ने का उत्पादन हुआ है वह सब पिराई के लिए ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में इस मिल की क्षमता बढ़ाने का शासन के सामने विचार है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री शिव मंगल सिंह—

चालू सीजन में छाता शुगर कम्पनी लि0 छाता (मथुरा) के सुरक्षित क्षेत्र में 89.04 लाख कुन्टल गन्ने का उत्पादन अनुमानित है। इस मिल द्वारा 18 लाख कुन्टल गन्ने के आफर के विरुद्ध 7–5–1979 तक 13.84 लाख क्विन्टल गन्ने की पिराई की जा चुकी है। अभी पिराई कार्य चालू है। इस मिल की पिराई क्षमता बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

राजकीय कृषि बीज भण्डार, सेमिरियावां बाजार, जिला बस्ती के कामादार एवं इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*10—श्री राजनरायन (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भण्डार, सेमिरियावां, बाजार, विकास क्षेत्र सेमिरियावाँ, जनपद बस्ती पर कार्यरत कामदार एवं इन्चार्ज के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित संयुक्त शिकायती-पत्र दिनाँक 12 अप्रैल, 1979 को प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री जी के कार्यालय में उक्त तिथि को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कथित संयुक्त शिकायती-पत्र कृषि विभाग में प्राप्त नहीं है। पर मुख्य मन्त्री जी के कार्यालय में भी इस पत्र की प्रतिलिपि अभी तक पलब्ध नहीं हो पायी है। फिर भी इसकी खोज की जा रही है।

*11—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

बदायूं जिले में अन्त्योदय परिवारों को दी गयी सहायता

*12—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जनपद में कितने अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया एवं उनमें से विकास खण्ड के अनुसार कितनों को कितना-कितना धन आवंटित कर किस-किस कारोबार से लगाया गया ?

श्री जमुना प्रसाद—

बदायूं जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 7065 परिवारों का चयन किया गया। विकास खण्डवार परिवारों की संख्या और उन्हें स्वीकृत एवं वितरित धनराशि तथा उन कार्यों/मदों का विवरण जिनके लिए उन्हें धन दिया गया है, संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 794 पर)

ग्रामीण पेयजल योजना के लिये स्वीकृत धनराशि

*13—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण पेय-जल योजना पर वित्तीय वर्ष 1977–78 तथा 1978-79 में कुल कितना-कितना धन का प्राविधान किया गया था और उपरोक्त वर्षों में इस योजना पर कुल कितना धन व्यय किया गया है? क्या सरकार इस योजना के सफल कार्यान्वियन के लिए पुनः इसे हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को सौंपने पर विचार कर रही है?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्रामीण पेय-जल योजना पर वित्तीय वर्ष 1977–78 में मैदानी क्षेत्र हेतु रु0 2 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु रु0 3 लाख 75 हजार का प्राविधान किया गया था। दिनाँक 31–3–78 तक मैदानी क्षेत्र में रु0 58,16,982.16 पैसा तथा पर्वतीय क्षेत्र में रु0 3,62,905.00 व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 1978–79 में मैदानी क्षेत्र हेतु रु0 6.80 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु रु0 10 लाख का प्राविधान किया गया था। दिनाँक 31–3–79 तक मैदानी क्षेत्र में रु0 2,77,66,498.32 पैसे तथा पर्वतीय क्षेत्र में रु0 4,75,813.88 पैसा वास्तविक व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 1978–79 में ही भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 6 बाढ़ प्रभावित मैदानी जिलों आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच के लिए 48 लाख रुपया तथा उत्तर काशी के लिए 2 लाख रु0 कुल 50 लाख रुपया स्वीकृत हुआ। इस धनराशि से कोई भी व्यय 31–3–79 तक नहीं हुआ क्योंकि उक्त धनराशि वित्त विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाँक 16–3–79 द्वारा स्वीकृत हुई।

ग्रामीण हरिजन पेय-जल योजना को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को सौंपने का मामला विचाराधीन नहीं है।

*14–20—[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

*21—श्री देव बहादुर सिंह—

[7–5–79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

कोआपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल

*22—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कोआपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों द्वारा दिनाँक 24 जून, 1978 को 1 घन्टे तथा दिनाँक 25 जून, 1978 को 2 घन्टे का प्रत्येक जनपद में प्रदर्शन तथा दिनाँक 28 व 29 जून, 1978 को पूरे दिन की हड़ताल एवं दिनाँक 30 जून, 1978 को प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सामूहिक भूख-हड़ताल रही? यदि हाँ, तो किस यूनियन के निदेश पर यह आन्दोलन हुआ और यूनियन की क्या माँगें थीं और इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? क्या विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं पर उनके नेताओं से कोई वार्ता की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 55 जिला सहकारी बैंकों में से केवल 25 बैंकों में 24 जून, 1978 को एक घण्टे तथा 26 जून, 1978 को दो घण्टे का प्रदर्शन किया गया तथा फैजाबाद बैंक को छोड़कर इन्हीं बैंकों में दिनाँक 28 व 29 जून, 1978 को पूरे दिन की हड़ताल एवं 30 जून, 1978 को प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सामूहिक भूख-हड़ताल की गयी। शेष 30 बैंकों में न कोई प्रदर्शन हुआ और न ही हड़ताल अथवा भूख हड़तालें हुईं।

उपरोक्त आन्दोलन कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन के निर्देश पर हुआ था। यूनियन की निम्न माँगें थीं :—

1—सेवा मण्डल के गठन के बाद नियुक्त कर्मचारियों के निष्कासन, छटनी सम्बन्धी आदेशों/कार्यवाहियों को तुरन्त वापस लिया जाय।

2—प्रतिनियुक्ति पर लिए गए सरकारी कर्मचारियों को तुरन्त वापस लिया जाय।

3—निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश के स्टाफिंग पैटर्न सम्बन्धी परिपत्र दिनाँक 18-12-76 को लागू न किया जाय।

4—उच्च पदों पर सीधी भर्ती अविलम्ब रोकी जाय।

5—बोनस भुगतान हेतु आपातकालीन के पूर्व की स्थिति लागू की जाय।

बैंक कर्मचारियों की एक अन्य यूनियन भी है जिसको यू0पी0 बैंक इम्प्लाइज यूनियन के नाम से जाना जाता है। उक्त माँगों का समर्थन इस यूनियन द्वारा नहीं किया गया था और न हड़ताल में भाग ही लिया गया था। माँगों का औचित्य न होने से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

बैंक कर्मचारियों की समस्याओं पर जानकारी होते ही अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार-विमर्श किया गया था।

*23—श्री राम आसरे वर्मा—

[21-5-79 को अल्प सूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित]

बांदा जिले के गुन्टा बांध तथा बरदहा बांध के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*24—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग के डी0पी0ए0पी0 योजनान्तर्गत बाँदा जिले में गुन्टा बाँध तथा बरदहा बाँध के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में कोई पत्र मय भ्रमण रिपोर्ट पत्रांक 4253/78, दिनाँक 26 अक्तूबर, 1978 (कार्यालय क्षेत्रीय विकास) प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपयों के बाँध में की गयी अनियमितताओं, गबन व कृषकों को उजाड़ने तथा मुआवजा न देने की शिकायतें की गयी थीं? यदि हाँ, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? तथा अधिकारियों के विरुद्ध जाँच रिपोर्ट क्या है?

श्री शिवमंगल सिंह—

बाँदा जनपद में गुन्टा बाँध तथा बरदहा बाँध के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में पत्र संख्या 4253/78, दिनाँक 26-10-78 भ्रमण रिपोर्ट के साथ प्राप्त नहीं हुआ था। अत: उसमें उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच करवाने तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों तथा पत्रकारों को स्कूटर का आवंटन

*25—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों, पत्रकारों तथा डाक्टरों को स्कूटरों के आवंटन के बारे में शासन की क्या नीति थी ? क्या यह सही नहीं है कि प्रश्नकर्ता समेत बहुत से विधायकों, पत्रकारों तथा डाक्टरों को स्कूटर नहीं आवंटित किये गये थे और नियमों के विपरीत कानपुर के कपड़ा व्यापारी तथा बरेली के जिलाधिकारी समेत अन्य कई लोगों को स्कूटर आवंटित किये गये थे ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

भारत सरकार से प्रति तिमाही मिलने वाले स्कूटर के कोटा में से 25 प्रतिशत विधायकों तथा 5 प्रतिशत पत्रकारों को दिये जाते थे। डाक्टरों के लिए शासन द्वारा अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया था। यह सही है कि प्रश्नकर्ता समेत बहुत से विधायकों, पत्रकारों तथा डाक्टरों को स्कूटर आवंटित नहीं किए गए। जिलाधिकारी, बरेली को स्कूटर का आवंटन नहीं किया गया है, लेकिन अन्य व्यक्तियों को स्कूटर का आवंटन किया गया जो नियमों के विपरीत नहीं था, परन्तु कानपुर के किसी कपड़ा व्यापारी को स्कूटर दिया गया यह तभी बताया जा सकता है जब उसका नाम दिया जाय।

*26—श्री कृष्ण स्वरूप—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

2—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गैरसरकारी सहकारी डेरियों को दी जाने वाली सहायता

3—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में डेरी विकास की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके लिए वर्ष 1979-80 में कितनी धनराशि रक्खी गयी है और गैर-सरकारी जो डेरियाँ चल रही हैं उनको क्या सहायता दी जाती है तथा उनको ऋण अथवा अनुदान देने की क्या योजना है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हाँ। डेयरी विकास की समस्त योजना गैर-सरकारी क्षेत्र में है। यह कार्य सहकारिता के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रदेश में 37 सहकारी दुग्ध संघ निबन्धित हैं।

वर्ष 1979–80 में दुग्धशाला विकास हेतु 105 लाख रु0 का व्यय प्रस्तावित है।

चल रही सहकारी डेरियों को निम्न सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं :—

1—सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन एवं विस्तार हेतु वर्ष 1979–80 से यह सहायता 50 प्रतिशत अनुदान 50 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रस्तावित है।

2—दुग्ध संघों के कार्य क्षेत्र में प्रारम्भिक सहकारी दुग्ध समितियों को 7,800 रु0 की सहायता दी जाती है।

निजी क्षेत्र में किसी प्रकार की सहायता ऋण या अनुदान नहीं है।

गैर-सरकारी डेरियों से शंकर नस्ल की गायों के विकास की योजना

4—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में शंकर नस्ल की गायों के विकास की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके लिए वर्ष 1979–80 में कितनी धनराशि रखी गयी है और गैर-सरकारी जो डेरियाँ शंकर नस्ल की गायों का विकास कर रही हैं उनको क्या सहायता ी जाती है ? तथा उनको ऋण अथवा अनुदान देने की क्या योजना है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

गैर-सरकारी क्षेत्र में पी0सी0डी0एफ0 द्वारा शंकर प्रजनन सम्बन्धी निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं—

(1) रायबरेली में जर्सी शंकर प्रजनन कार्य स्थापित है जिसके द्वारा प्रजनन का कार्य हो रहा है ।

(2) फ्रीडम फ्रामहंगर कम्पेन के अन्तर्गत मुरादाबाद तथा रामपुर जनपदों में गायों की नस्ल का सुधार शंकर प्रजनन द्वारा किया जा रहा है ।

(3) फैजाबाद जनपद में सघन पशु विकास योजना द्वारा नस्ल सुधार का कार्य किया जायेगा ।

(4) वाराणसी तथा मेरठ के आपरेशन फ्लड क्षेत्र में एन0डी0डी0सी0 को स्पेयर हेडगार्डिटीम के मार्ग दर्शन में शंकर प्रजनन का कार्य चल रहा है । फ्रीडम फ्राम हंगर कम्पेन के अन्तर्गत 1979–80 में मुरादाबाद हेतु 4.110 लाख का प्राविधान रखा गया है । शंकर नस्ल की गायों के विकास में कार्यरत निजी डेरियों को आवश्यकता पड़ने पर पशुपालन विभाग द्वारा प्राविधिक राय उपलब्ध कराई जाती है तथा निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं:—

(1) शंकर बछियों के पालन हेतु लघु/सीमान्त कृषकों को विभाग दारा आहार व्यय का 50 प्रतिशत तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों को आहार व्यय का 66 2/3 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । ऋण देने की कोई योजना नहीं है ।

(2) कृत्रिम गर्भाधान को प्रजनन सीपेन द्वारा सुविधा उपलब्ध की जाती है ।

(3) बीमारियों के रोकथाम तथा रोग की चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है ।

(4) गायों को स्वस्थ्य चारे के लिए विभाग द्वारा चारे का बीज उपलब्ध कराया जाता है ।

जिला सहकारी बैंक लि०, बस्ती द्वारा क्रय किये गये फर्नीचरों की जांच

5—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि दिनाँक 23 मार्च, 1979 को सदन में नियम 301 के अन्तर्गत सचिव, जिला सहकारी बैंक के भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री, जिला सहकारी बैंक, अरोरा इंडस्ट्रीज द्वारा सप्लाई किये गये फर्नीचर की लकड़ी तथा मूल्य की जाँच उसी फर्म द्वारा दिये गये बस्ती मण्डी समिति के फर्नीचर के बिल तथा लकड़ी को देखकर किसी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

नियम 301 के अन्तर्गत सदन में जो सूचना दिनाँक 23–3–79 को दी गयी थी उसके सम्बन्ध में जिला सहायक निबन्धक से प्राप्त विवरण के अनुसार जिला सहकारी बैंक लि0 बस्ती की 19 शाखाओं के लिए अरोड़ा इंडस्ट्रीज द्वारा फर्नीचर आदि की जो आपूर्ति की गयी

थी उसकी लकड़ी की क्वालिटी तकनीकी परीक्षण के लिए जिला सहायक निबन्धक ने जिला उद्योग अधिकारी, बस्ती से अनुरोध किया था। अब तक दो शाखाओं की जाँच के आधार पर 'टीक उड' का प्रयोग फर्नीचर में किया जाना पाया गया है। फर्म ने बैंक को रैक 280 रु0 की दर से सप्लाई किया है। मण्डी समिति से सहायक निबन्धक द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है।

बैंक में बिना हाथ के आर्मगार्ड के पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है और जिला सहकारी बैंक, बस्ती के भूतपूर्व सचिव, श्री राम अभिलाख त्रिपाठी के विरुद्ध अपराध संख्या 422 दिनाँक 4-9-78 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। और वे निलम्बित चल रहे हैं। मण्डलीय उप निबन्धक गोरखपुर को भी इस सम्बन्ध में विस्तृत जाँच हेतु आदेशित कर दिया गया है।

बस्ती जिले के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, श्री नन्द कुमार सिंह की नसबन्दी एवं नकदीकरण अवकाश

6—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद के किन-किन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों ने आपातकाल के दौरान 11 अक्तूबर, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक नसबन्दी कराने के बाद कौन-कौन लोग कितने-कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे? उनमें से किन-किन लोगों को नगदीकरण अवकाश दिया गया और किन-किन को नहीं? जिनको नहीं दिया गया, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री शिव मंगल सिंह—

बस्ती जनपद में आपातकाल के दौरान 11 अक्तूबर, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 में केवल एक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, श्री नन्द कुमार सिंह ने अपनी नसबन्दी कराई थी। हाईड्रोसील एवं नसबन्दी कराने के लिए श्री सिंह 1-10-76 से 10-11-76 तक जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती रहे। किसी को नकदीकरण अवकाश नहीं दिया गया।

श्री सिंह को भ्रमवश सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नकदीकरण की सुविधा नहीं दी गई जिसके लिए शासन द्वारा आवश्यक निर्देश गन्ना आयुक्त को दे दिए गए हैं।

गन्ना आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की गन्ना संघ में डेपुटेशन पर नियुक्ति

7—श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी ऐसे कार्यरत हैं जो गन्ना संघ में डेपुटेशन पर हैं और काम वही करते हैं जो सरकारी पद पर रहते हुए करते थे? क्या मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उन डेपुटेशन वाले कर्मचारियों को उनके नियुक्ति के स्थान पर काम करने हेतु कब रिलीज किया जा रहा है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

गन्ना आयुक्त कार्यालय में इस समय तीन ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जो गन्ना संघ में डेपूटेशन पर हैं तथा गन्ना संघ से सम्बन्धित कार्य गन्ना आयुक्त कार्यालय में बैठकर सम्पादित करते हैं। इन कर्मचारियों को बाह्य सेवा पर भेजते समय ही राजकीय सेवा के कार्यभार से मुक्त किया चुका है अतः नियुक्ति के स्थान पर काम करने हेतु पुनः रिलीव करने का प्रश्न नहीं उठता है।

गन्ना आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध फील्ड कर्मचारी

8—श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त के कार्यालय में इस समय कौन-कौन से फील्ड कर्मचारी कार्यालय में सम्बद्ध हैं क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फील्ड कर्मचारियों से फील्ड का काम न लेकर कार्यालय का क्यों काम लिया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

गन्ना आयुक्त के कार्यालय में इस समय निम्नलिखित फील्ड कर्मचारी कार्यालय से सम्बद्ध है :—

(1)	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	1
(2)	गन्ना विकास निरीक्षक	3
(3)	पर्यवेक्षक	6
(4)	गन्ना ग्राम सेवक	3

उपर्युक्त कर्मचारियों से फील्ड कार्य से सम्बन्धित सूचनाओं के परीक्षण, अखिल भारतीय गन्ना प्रतियोगिता, गन्ना रक्षा, प्राविधिक, गन्ना समितियों के वाद के प्रतिवाद का परीक्षण, विकास व शेष योजनाओं के कल्याण एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराया जाता है। पर्यवेक्षकों एवं गन्ना ग्राम सेवकों से लखनऊ जनपद की जुग्गौर एवं ऐशबाग गन्ना समितियों के क्षेत्रों में विकास, गन्ना रक्षा, प्रचार एवं वाणिज्य का भी कार्य सम्पादित कराया जाता है।

मिर्जापुर जिले के कतिपय विकास खण्डों में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण

9—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी, म्योरपुर, बभनी ब्लाक के अन्तर्गत सन् 1975–76, 1976–77, 1977–78 में सरकार द्वारा हरिजन एवं अनुसूचित जातियों की बस्तियों में पेय जल की समस्या समाधान हेतु कूपों के निर्माण के लिए कितना रुपया प्रति ब्लाक को अनुदान के रूप में दिया गया है ? उस रुपए से कितने कूपों का निर्माण हुआ ? प्रति कूप पर कितना रुपया खर्च हुआ ? तथा अनुदान के रुपए से निर्मित कूप किन-किन ग्राम सभाओं में हैं ?

जमुना प्रसाद—

वर्ष 1975–76 में जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड दुद्धी, म्योरपुर तथा बभनी के लिए कूप निर्माण हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया।

वर्ष 1966–67 में विकास खण्ड दुद्धी के लिए हरिजन पेय-जल योजना के अन्तर्गत कोई कूप स्वीकृत नहीं हुआ। केवल भूमि विकास कर मद के अन्तर्गत रु0 30,000 पाँच ग्राम सभाओं के लिए पाँच कूप निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ जिनमें से दो कूप ग्राम सभा दुम्हान एवं सलय्या डीह में पूर्ण हो गये हैं। शेष तीन कूप क्रमशः ग्राम सभा पिपरडीह, फ्लावर व दुद्धी में निर्माणाधीन है। पूर्ण दो कूपों पर प्रति कूप क्रमशः रु0 4,800 तथा रु0 6,000 खर्च हुआ है।

वर्ष 1976–77 में विकास खण्ड म्योरपुर में हरिजन पेय-जल योजना के अन्तर्गत एक ग्राम सभा सुवा चुआ में एक कूप निर्माण हेतु रु0 5,000 स्वीकृत किया गया। कूप का निर्माण कार्य हो गया।

वर्ष 1976–77 में विकास खण्ड बभनी भूमि विकास कर मद से 8 कूपों के निर्माण रु0 38035 ग्राम सभा चपकी नं0–1, बखाटोला नं0–1, बखा टोला नं0–2, सेमरिया

(बढ़ोर) लपहरी, सेमरिया (विछियारी), शिव टोला तथा चपकी नं0–2 के लिए कुल आठ ग्राम सभाओं को स्वीकृत किया गया परन्तु वर्ष 1976–77 में स्वीकृत धनराशि से कोई व्यय नहीं हुआ। रुपया 16,000 वित्तीय वर्ष 1977–78 में व्यय हुआ। 8 कूपों में से दो कूप पूर्ण हो चुके हैं शेष कूपों का कार्य प्रगति पर है। पूर्ण कूपों में प्रति कूप क्रमश: रु0 4000 व रु0 3000 व्यय हुआ है।

वर्ष 1977–78 में विकास खण्ड दुद्धी में हरिजन पेय-जल योजना अन्तर्गत 9 कूपों के लिए रु0 77500 स्वीकृत हुआ। यह नौ कूप क्रमश: ग्राम सभा जलपानी, मेदनीखाड, धरती डोलवा, बधमनवा सुईचट्टान, कहरिया, महुवरिया, पिपरडीह तथा शाह पुखसरडीह में है। अभी एक भी कूप पूर्ण निर्मित नहीं हुआ है। इसी विकास खण्ड में वर्ष 1977–78 में भूमि विकास कर मद से 7 ग्राम सभाओं (कादल, झारी कला, झारी खुर्द, बीड़र, बाबाड, आमदार तथा नगवा) में 7 कूप निर्माण हेतु रु0 45,539 स्वीकृत किया गया। अभी तक कोई भी कूप पूर्ण नहीं बना है पर आधे से अधिक कार्य सभी में हो चुका है।

वर्ष 1977–78 में विकास खण्ड म्योरपुर में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सभाओं (रानीताली, राजासरई, कूड़ैपान, धार, पाकर, परासी, कहरिया तथा जरहा) में 7 कूपों के निर्माण हेतु रु0 40,800 स्वीकृत हुआ। अभी केवल एक कूप ग्राम सभा राजासरई में पूर्ण हुआ है। शेष में आधे से अधिक कार्य हो चुका है। इसी वर्ष में इसी ब्लाक में भूमि विकास मद के अन्तर्गत दस ग्राम सभाओं (म्योरपुर, बनमहरी, बड़हरा, (खजुरा) ललमहा (नफिरा), झापर (सिसवा), झरिया, आरंग पानी, महुली, नेमना तथा राजमेलान) में 10 कूप निर्माण हेतु रू0 58,000 की धनराशि स्वीकृत की गयी है। कूपों का कार्य निर्माणाधीन है।

वर्ष 1977–78 में विकास खण्ड बभनी में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 10 ग्राम सभाओं [बभनी (रभई टोला), बभनी (गड़बड़वा), बभनी (दरनखांड), बभनी धनबाँट), बभनी (निधियाडंड), चैनपुर (चोरवा टोला), चैनपुर (पूरवा बास), वेना, कोंगा तथा बरवें] में 10 कूप निर्माण हेतु रु050,000 स्वीकृत हुआ। अभी कूप निर्माणाधीन है।

क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर में सीमेन्ट की चोरी

10––श्री हरिकेवल प्रसाद––

क्या परिवहन मन्त्री, कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर से दिनाँक 15 फरवरी, 1979 को देवरिया जा रहे 280 बोरी सीमेंट में से 60 बोरी सीमेंट बेच देने का मामला पकड़ा गया? दिनाँक 22 फरवरी, 1979 को कार्यशाला के गेट से चोरी से 25 बोरी सीमेन्ट बाहर ले जाते हुए पकड़ा गया और दिनाँक 30 दिसम्बर, 1978 को क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर में ही नये आटोमाइजर के स्थान पर पुराना लगाकर नये को बेच देने का मामला पकड़ा गया? यदि हाँ, तो चोरी से सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर से दिनाँक 15–2–79 को देवरिया जा रही 280 बोरी सीमेन्ट में से 60 बोरी बेचने तथा 30–12–78 को क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर में नये आटोमाइजर के स्थान पर पुराना लगाकर नए को बेचने के मामले पकड़े गये और इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में दो कर्मचारियों श्री मारकण्डे नाथ श्रीवास्तव, सहायक मेकेनिक तथा श्री निवास दुबे, क्लीनर को दिनाँक 30–12–78 को निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी है।

जहाँ तक 22–2–79 को क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के गेट से 25 बोरी सीमेन्ट बाहर ले जाते समय पकड़े जाने का प्रश्न है, वह सही नहीं है।

11—श्री राम आसरे वर्मा—
[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले की पूरा बाजार दिलासीगंज सड़क का निर्माण

12—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा पूरा बाजार के मड़ना, रामपुर—पुआरी होते हुए दिलासीगंज तक सड़क निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इस योजना का कार्यान्वियन कब तक पूरा हो जायगा ? क्या सामुदायिक विकास मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में कौन-कौन सी सड़कें निर्माणाधीन थीं तथा कौन-कौन सी पूरी हो गयी हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

पूरा बाजार से दिलासी गंज मार्ग के प्रथम एक किलोमीटर के निर्माण की योजना स्वीकृत है जिसके मार्च, 1980 तक पूर्ण होने की आशा है।

सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 795–796 पर)

फैजाबाद दुग्ध डेयरी परियोजना से सम्बद्ध समितियों को दिया गया ऋण

13—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में दुग्ध डेरी परियोजना अयोध्या, फैजाबाद में दूध देने के लिए सहकारिता के आधार पर कितनी समितियों का गठन हुआ है और कितनी समितियों से दुग्ध डेरी परियोजना, अयोध्या, फैजाबाद दूध लेती है ? कितनी समितियों को बैंकों द्वारा ऋण मिला है ? और कितनी समितियाँ ऋण के लिए विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक ऋण दिया जायगा ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

फैजाबाद दुग्ध डेरी परियोजना के मिल्क शेड में कुल 138 समितियों का गठन हुआ है। वर्तमान समय में 46 समितियों से दुग्ध डेरी परियोजना अयोध्या, फैजाबाद दूध लेती है। अब तक केवल एक समिति को दुधारू पशु खरीदने हेतु बैंक से ऋण मिला है और 8 समितियाँ ऋण के लिए बैंक में विचाराधीन हैं और उन्हें ऋण देने की तिथि का निश्चय बैंक द्वारा किया जायगा।

बाराबंकी जिले के कतिपय विकास खण्डों के भवनों का त्रुटिपूर्ण निर्माण

14—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड, पूरे डलई और विकास खण्ड, बनी कोडर के विकास खण्डों की इमारतें निर्माण होने के समय से ही टपकती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सम्बन्धित एजेन्सी जिसने इनका निर्माण किया, के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

विकास खण्ड पूरे डलई एवं बनी कोडर, जनपद बाराबंकी का निर्माण कार्य क्रमशः माह जुलाई, 76 तथा अगस्त, 76 में पूर्ण हुआ था। उस समय छतों के टपकने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। कालान्तर में छतों में सीलन आई तथा दीवारों के सहारे पानी आया। इसका कारण लाइम टरेसिंग का त्रुटिपूर्ण होना था। इस त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा त्रुटिपूर्ण कार्य को पुनः करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

जिला गन्ना अधिकारी, गोंडा द्वारा कांटा बांट की खरीद

15—श्री मित्रसेन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976–77 व 1977–78 में काँटा बाँट की खरीद, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर और ऊंची दरों पर जनपद,गोरखपुर देवरिया के किसी फर्जी फर्म से की गयी है ? जब कि निकटवर्ती बाजार में काँटा बाँट की कीमत काफी कम थी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जनपद गोण्डा में वर्ष 1974–75 व 1975–76 में किसान इंडस्ट्रीज, गोरखपुर से क्रमशः 23 सेट व 5 सेट तथा वर्ष 1977–78 में उदय इंजीनियरिंग स्टोर्स, कचहरी रोड, देवरिया से 5 सेट बाँट, तराजू व तिपाई (लोहे) की खरीद उप गन्ना आयुक्त (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के निर्देशानुसार उक्त फर्म के न्यूनतम स्वीकृत दरों पर की गयी, परन्तु स्थानीय बाजार से कोई टेंडर या कोटेशन प्राप्त नहीं किए गए। फर्जी फर्म होने की कोई जानकारी नहीं है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके परीक्षण के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

परिवहन निगम की बसों और प्राइवेट बसों पर प्रति किलोमीटर खर्च

16—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों पर तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा ली गयी प्राइवेट बसों पर प्रति कि0मी0 पर कितना खर्च आता है ? सरकारी तथा प्राइवेट बसों में कौन-सी बसें सरकार को सस्ती पड़ती हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर प्रति कि0मी0 लगभग 2.00 रुपए तथा निगम द्वारा ली गयी प्राइवेट बसों पर लगभग 1.78 रुपए प्रति कि0मी0 व्यय आता है। प्राइवेट बसों पर लगभग 22 पैसे प्रति कि0मी0 कम व्यय आता है।

लखनऊ मण्डल के बस डिपो तथा रोडवेज वर्कशाप के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारी

17—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ मण्डल के कैसरबाग, चारबाग तथा सीतापुर बस डिपो तथा रोडवेज वर्कशाप में इस समय कितने कर्मचारी स्थायी तथा अस्थायी कार्यरत हैं ? कार्यरत सभी कर्मचारियों में कितने हरिजन, पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

लखनऊ मण्डल के कैसरबाग, चारबाग तथा सीतापुर बस डिपो तथा रोडवेज वर्कशाप में कुल 661 स्थायी तथा 1320 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 163 हरिजन तथा 413 पिछड़ी जातियों के कर्मचारी हैं।

अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, स्वर्गीय श्री बल्देव सिंह, जिला पीलीभीत के जी० पी० एफ० आदि का भुगतान

18—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत (श्री बल्देव सिंह) की मृत्यु दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 को बीमारी की वजह स्वरूप रानी चिकित्सालय में हो गयी ? यदि हां, तो उनका जो पावना सी0पी0एफ0, जी0पी0

एफ0, जीवन बीमा तथा अवकाश का बकाया वेतन अब तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी की स्त्री श्रीमती चन्द्रावती देवी, ग्राम बड़ारी, पोस्ट गजरिया, जिला प्रतापगढ़ ने कृषि निदेशक, कृषि मन्त्री एवं सरकार को तब से लेकर, अब तक बीसों प्रार्थना-पत्र दिया है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

स्व0 श्री बल्देव सिंह, भूतपूर्व अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत, जिनकी मृत्य दिनाँक 22 दिसम्बर, 1970 को हुई थी, के पावनों के सम्बन्ध में उनकी पत्नी के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। जी0पी0एफ0 के भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा जारी किए गये अधिकार पत्र पर भुगतान समय से प्राप्त न करने के कारण उसका भुगतान न हो सका। अधिकार-पत्र को रिवैलिडेट कराने के लिए महालेखाकार को दिनाँक 11 अप्रैल, 1978 को लिखा जा चुका है। महालेखाकार से रिवैलिडेटेड अधिकार पत्र प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायगा।

जीवन बीमा के बारे में विभाग में कोई अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

छुट्टी स्वीकृत करने हेतु अनुपस्थिति की पूरी अवधि के लिए स्व0 श्री बल्देव सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र न दिए जाने के कारण छुट्टी स्वीकृत नहीं की गयी है।

19—श्रीमती रामरति देवी—

[26-3-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 18 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद जिले का डाक्टर विहीन मकरही का अस्पताल

20—श्रीमती रामरति देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जिला परिषद् के मकरही स्थित चिकित्सालय में नियुक्त डाक्टर (श्री शोभा सिंह) को हटाकर एक दूसरे एम0बी0बी0एस0 डाक्टर की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस समय नव नियुक्ति एम0बी0बी0एस0 डाक्टर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

डाक्टर शोभा राम सिंह को हटाकर मकरही चिकित्सालय में एक एम0बी0बी0एस0 डाक्टर की नियुक्ति जिला परिषद् द्वारा की गयी थी। इस समय नव नियुक्त एम0बी0बी0एस0 डाक्टर कार्यरत नहीं हैं। क्योंकि उनके चयन में जिला परिषद सेवा नियमावली 1970 के नियम–22 का पालन न किए जाने के कारण उनको परिषद् द्वारा कार्य-मुक्त कर दिया गया।

21—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

विकास खंड, बेलसर, जिला गोंडा के सहायक विकास अधिकारी, कृषि के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

22—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि विकास खण्ड बेलसर, जिला गोण्डा के सहायक विकास अधिकारी, कृषि के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र फर्जी व अनियमित टी0 ए0 चार्ज करने; हार्टीकल्चर की नर्सरी बनवाने के नाम पर फर्जी बिलों व वाउचरों को सत्यापित करके लगभग सौ रुपए धन का अपहरण व दुरुपयोग करने, खरीफ अभियान में धान की नर्सरी के लिए प्राप्त 2,400 रु0 के अनुदान का दुरुपयोग करने तथा गोबर गैस सन्यन्त्र लग जाने का गलत व फर्जी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र देकर फर्जी अनुदान दिलाने से सम्बन्धित कोई शिकायती पत्र जिला अधिकारी, गोण्डा को माह जुलाई, 77 में प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो क्या उसकी जाँच की गयी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ।

जाँच विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 797–798 पर)

फैजाबाद जिले में गन्ने का उत्पादन

23—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में कुल कितने एकड़ भूमि में गन्ना की खेती इस वर्ष की गयी है और उसका सम्भावित उत्पादन कितना टन है तथा उसमें सरकार कितने टन गन्ने की खरीद करवा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1978–79 में फैजाबाद जनपद में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में कुल 45,215.46 एकड़ भूमि में गन्ना का उत्पादन किया गया जिसकी उपज 6.034 लाख टन आँकी गयी है। जिसमें से चीनी मिलों द्वारा 1.425 लाख टन गन्ने की खरीद की गयी।

आम के बौर के संरक्षण हेतु किये गये उपाय

24—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आम के बौर के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए ? क्या मन्त्री को यह सूचना है कि देशी आमों के बौरों के गिरने के कारण उनके उत्पादन में निरन्तर ग्रास होता जा रहा है ? यदि हाँ, तो इस उत्पादन को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

आम के बौर के संरक्षण के लिए कृषि रक्षा सेवा उपलब्ध है, जो पेड़ों पर कीट नाशक दवाओं का छिड़काव उद्यान पतियों की माँग पर दवा का मूल्य प्राप्त होने पर करती है। जो उद्यानपति समय से पौध रक्षा उपाय करा लेता है उसकी फसल नष्ट होने से बच जाती है। यह सही है कि देशी आम के बौरों के गिरने के कारण उत्पादन में कमी होती है। इसका कारण यह है कि देशी आमों के वृक्ष बहुत पुराने तथा बड़े हैं और तितर-बितर हैं। देशी आमों के उद्यानपति दवाओं का छिड़काव बहुत कम कराते हैं। वर्ष 1978–79 में 15,10,000 वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव कराया गया। कीटों एवं व्याधियों से कृषकों को सावधान करने हेतु समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा निरन्तर प्रचार किया जाता है जिसमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव कराने का सुझाव दिया जाता है।

फैजाबाद जिले में गन्ने के क्रय हेतु निर्धारित योजना

25—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ने के क्रय के सम्बन्ध में इस साल कोटा कम किया गया है जिससे गन्ने की पर्चियाँ किसान को कम मिल रही हैं और उनका गन्ना सूख रहा है। फैजाबाद जनपद में विगत वर्ष में गन्ने के क्रय का क्या कोटा था और इस वर्ष कितना कोटा निर्धारित किया गया है और उसके कारण क्या हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश में सत्र 1977–78 के 212 लाख टन गन्ने के सटटे के विरुद्ध इस सत्र में गन्ना पूर्ति हेतु कोटा 195 लाख टन निर्धारित हुआ है। गन्ना समितियों द्वारा किसानों को गन्ना पूर्ति हेतु पर्चियाँ कलेन्डर में अंकित सट्टे की मात्रा के अनुसार जारी की गयी हैं। चीनी मिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध गन्ना पेरकर ही पिराई बन्द करें।

फैजाबाद जनपद में गत सीजन में 34 लाख कुन्टल गन्ने का सट्टा था और इस वर्ष 17·23 लाख कुन्टल का सट्टा हुआ है।

सीजन 1978–79 में चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति हेतु प्रत्येक क्रय केन्द्र पर विगत तीन वर्षों (1977–78 छोड़कर) की औसत पूर्ति के आधार पर सट्टे कराए गए हैं।

26—श्री शंकर सिंह—
[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर-गोला मार्ग पर बसों का आकस्मिक निरीक्षण

27—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर–गोला मार्ग पर होने वाली अनियमितता के विषय में परिवहन मन्त्री को कोई शिकायती-पत्र अप्रैल, 1979 में मिला है ? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नगत तथ्यों की जाँच कराई गयी ? जाँच किसने किया तथा क्या तथ्य प्रकाश में आए और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ।

उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर परिवहन आयुक्त ने स्वयं दिनाँक 16 अप्रैल, 1979 को जाकर गोरखपुर—गोला मार्ग का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा अनेक बसों को रोक कर चेक किया। इन सभी बसों में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियाँ थीं, अतः नका नियमानुसार चालान किया गया। तकनीकी दृष्टि से ऐसी कोई गाड़ी नहीं पाई गयी जो संचालन के लिए असुरक्षित हो और उसे फिटनेस प्रमाण-पत्र न दिया जा सके तथापि इन पर कड़ी नजर रखने के लिए क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, वाराणसी को निर्देश दे दिया गया है।

अवैध टैक्सियों व प्राइवेट बसों टैक्सियों की जांच

28—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध टैक्सियों के चलने प्राइवेट बसों-टैक्सियों द्वारा मनमाने ढंग से अधिक सवारी बैठाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आय प्रभावित हो रही है ? यदि हाँ, तो इसे समाप्त करने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह सही है कि टैक्सियों तथा प्राइवेट बसों के अवैध संचालन के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आय प्रभावित होती है। अवैध परिचालन को रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं तथा समय पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, निगम के अधिकारी तथा पुलिस द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संयुक्त चेकिंग भी की जाती है। सितम्बर, 78 से फरवरी, 79 तक 6 महीनों में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के 8,198 चालान हुए। विभाग इसमें और चुस्ती लाने में प्रयत्नशील है।

जिला सहकारी बैंक, आगरा, फिरोजाबाद के श्री बृजेन्द्र सिंह, मैनेजर व श्री रघुबीर सिंह कान्दिल आदि का निलम्बन

29—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री बृजेन्द्र सिंह, मैनेजर, श्री रघुवर सिंह कान्दिल, खजान्ची तथा श्री कुंवर लाल यादव, लिपिक, जिला सहकारी बैंक, आगरा की फिरोजाबाद शाखा के सन् 1972 में सेवा से निलम्बित किए गए थे, परन्तु उनको आरोप-पत्र अब तक नहीं मिला है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें बहाल करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आगरा जिला सहकारी बैंक, लि0 आगरा की फिरोजाबाद शाखा में सन् 1971 में सेवा से श्री बृजेन्द्र सिंह, मैनेजर तथा सन् 1972 से श्री रघुबीर सिंह काण्दिल तथा श्री कुंवर लाल यादव को मुकदमा इल्जाम नं0 अ0सं0 92, धारा 409 भा0दं0वि0, थाना फिरोजाबाद (उत्तरी) तथा रिपोर्ट एस0आई0बी0 को आ0विंग सी0आई0डी0, आगरा के आधार पर निलम्बित किया गया था। श्री बृजेन्द्र सिंह, मैनेजर तथा श्री रघुबीर सिंह काण्दिल को आरोप-पत्र दिया जा चुका है तथा श्री कुंवर लाल यादव, लिपिक को आरोप-पत्र अभी नहीं दिया जा सका है जो अब दिया जा रहा है। उपरोक्त निलम्बित कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने पर ही बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जिले में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण के विरुद्ध शिकायती पत्र

30—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि वर्ष 1978–79 में बस्ती जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया? क्या कतिपय सम्पर्क मार्गों के गड़बड़ी की शिकायतें जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता द्वार की गयी थीं? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जमुना प्रसाद—

वर्ष 1978–79 में बस्ती जनपद में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 95 स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में से संलग्न सूची में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों पर कार्य पूर्ण हो गया है। शेष मार्गों पर कार्य चल रहा है। विकास खण्ड, नाथनगर एवं हैसर बाजार में निर्माणाधीन कतिपय सम्पर्क मार्गों में गड़बड़ी के सम्बन्ध में केवल एक जन-प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गयी थी। खण्ड विकास अधिकारी, नाथनगर, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं सम्पर्क मार्ग पर कार्यरत ग्राम सेवक का स्थानान्तरण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी, हैसर बाजार का भी स्थानान्तरण बस्ती से अन्य जनपद को हो गया है। जाँच चल रही है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 799–800 पर)

जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को दिया गया विज्ञापन

31—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जुलाई, 1977 से 9 फरवरी, 1979 तक जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा ज्यादातर विज्ञापन गैर मान्यता प्राप्त समाचार-पत्रों को ही दिए गए हैं जिसके कारण विज्ञापनों पर बहुत अधिक धनराशि खर्च की जाने लगी है? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ।

जुलाई, 1977 से 9 फरवरी, 1979 तक जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों का विवरण संलग्न है। इसमें से अधिकाँश विज्ञापन गैर मान्यता प्राप्त समाचार-पत्रों को दिए गए। निर्धारित सीमा से अधिक विज्ञापनों पर व्यय की स्वीकृति हेतु अध्यक्ष, जिला परिषद् ने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से अनुरोध किया है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 801–802 पर)

सीतापुर जिले में पचायत सचिवों का चयन एवं अनुसूचित जाति एव पिछड़े वर्ग का आरक्षण

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1979 में सीतापुर जिले में पंचायत सचिवों का जो चयन किया गया, उसमें आरक्षण कोटि में आने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, अपंगों, अनुसूचित वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के चयनित व्यक्तियों की संख्या क्या-क्या है ? क्या आरक्षण नियमानुसार दिया गया है ? यदि नहीं, तो आरक्षण मिल जाय इस हेतु क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

माह अप्रैल, 1979 में सीतापुर जिले में जो चयन किया गया था उसमें अनुसूचित वर्ग के 6 तथा पिछड़े वर्ग के 12 व्यक्ति चुने गये। इस प्रकार इन दोनों श्रेणियों का आरक्षण कोटा पूर्ण है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा अपंगों का कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं था। अतः इन दोनों श्रेणियों का आरक्षण कोटा पूर्ण न हो सका। भविष्य में इस श्रेणियों से भरने का प्रयास जारी रखा जायगा।

सीतापुर जिले में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

33—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78, 1978–79 में जनपद सीतापुर में कितनी सड़कें खाद्य योजना के अन्तर्गत निर्माण कराई गयी हैं ? यह सड़कें कितने किलोमीटर हैं तथा किन-किन निर्वाचन क्षेत्रों में कितने किलोमीटर निर्माण कराई गयी हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

136 सड़कों का निर्माण कराया गया। इनकी कुल लम्बाई 328.439 किलोमीटर हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित मार्गों की सूचना निम्न प्रकार है :—

निर्वाचन क्षेत्र	निर्मित मार्गों की लम्बाई (कि0मी0 में)
1—बेहटा	36.490
2—बिसवाँ	23.600
3—महमूदाबाद	34.075
4—हरगाँव	50.151
5—हरहरपुर	41.748
6—सीतापुर	25.927
7—महरेहटा	36.595
8—मिश्रिख	51.023
9—सिधौली	27.930
योग	328.439

34—श्री राम नरायन वर्मा—

[12-3-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

विकास खण्ड पहला व महमूदाबाद रामपुर-मथुरा में बीज गोदाम व खाद गोदाम का निर्माण

35—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पहला, महमूदाबाद तथा रामपुर—मथुरा में प्रत्येक सहकारी समिति में बीज गोदाम तथा खाद गोदाम बनाने की योजना वर्ष 1977-78 में स्वीकृत की गयी थी ? यदि हाँ, तो अब तक कितने गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1977-78 में विकास खण्ड पहला में एक तथा विकास खण्ड रामपुर—मथुरा में दो ग्रामीण गोदामों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विकास खण्ड महमूदाबाद में कोई गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ।

उल्लिखित तीन गोदामों में से विकास खण्ड पहला और रामपुर—मथुरा में एक-एक गोदाम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

सर्वोन्मुख ग्राम्य विकास योजना हेतु गोविन्दनगर बनवासी आश्रम मिर्जापुर को दिया गया अनुदान

36—श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि गोविन्द नगर बनवासी आश्रम, मिर्जापुर को सरकार द्वारा 5 ग्रामों के सर्वोन्मुख विकास के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में गत 2वर्षों में दी गयी है ? उस धन से कौन-कौन से कार्य किए जा रहे हैं ? तथा अभी तक कार्य की क्या प्रगति है ? क्या वहाँ आडिट की भी कोई व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर, जनपद मिर्जापुर को 5 ग्रामों की सर्वोन्मुख ग्राम्य विकास योजना 1 जनवरी, 1978 को हस्तान्तरित की गयी थी। उन्हें वर्ष 1977-78 में 2,96,000 रु0 तथा वर्ष 1978-79 में 2,78,000 रु0 कुल 5,74,000 रु0 अनुदान के रूप में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 64,107 रु0 सूखोन्मुख विकास परियोजना अभिकरण, मिर्जापुर, जो यह कार्यक्रम पहले चला रहा था, उसे हस्तान्तरित हुआ है।

इस कार्यक्रम में लघु सिंचाई, भूमि सुधार बीज और कृषि निवेश, कृषि सन्यत्र, उद्यान विकास, पशुधन विकास, बन्धक मूम को मुक्ति, ग्राम उद्योग तथा व्यवसाय प्रस्तावित है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 1978 तक के कार्य के प्रस्तावित लक्ष्य एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण संलग्न है।

लेखा के सम्परीक्षकों के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से अनुरोध किया जा चुका है। अभी सम्परीक्षण हुआ नहीं है अतः रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 803 पर)

37—श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के फलस्वरूप निरस्त]

श्री बाबू सिंह तेवतिया, भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध आरोपों की जांच

38—श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम आसरे वर्मा—

दिनाँक 12 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जाँचोपरान्त सिद्ध-दोषों के प्रति शासन द्वारा सम्बन्धित भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा को दण्ड दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि निदेशक द्वारा श्री बाबू सिंह तेवतिया, भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध सभी सिद्ध आरोपों के सम्बन्ध में आरोप-पत्र का आलेख तैयार कराया जा रहा है। उसके प्राप्त होने पर शासन द्वारा श्री तेवतिया के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मत्स्य पालन विभाग के जलाशयों के फर्जी निर्माण की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

39—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से बने मछली पालन के सौ फार्म (1977 व 1978 के बीच) बेकार हो गये हैं तथा विभाग द्वारा नए जलाशयों का सृजन फर्जी दिखाकर तथा पुराने जलाशयों को नया दिखा कर करोड़ों रुपयों का गोल-माल किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सतर्कता का पत्रांक 10/79, दिनाँक 5 जनवरी, 1979 (कार्यालय क्षेत्रीय विकास) प्राप्त हुआ जिसमें मामले की विन्दुवार गोपनीय जाँच करा कर तीन महीने के भीतर जाँच आख्या सम्बन्धित विभाग तथा क्षेत्रीय विकास विभाग को भेजने के लिए लिखा गया था ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

करोड़ों रुपए की लागत से बने सौ फार्मों के बेकार होने तथा नए जलाशयों का सृजन फर्जी दिखाने एवं पुराने जलाशयों को नया दिखाने के सम्बन्ध में जाँच कराई जा रही है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सतर्कता विभाग का 9—5—79 का पत्र प्राप्त हुआ है। जाँच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

फैजाबाद जिले में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

40—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1978-79 में कुल कितने कि0मी0 मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित किए गए ? बीकापुर ब्लाक में किन-किन स्वीकृत मार्गों पर अभी तक कार्य नहीं प्रारम्भ किया जा सका है ? क्या हैदरगंज से भीटी तथा शाहगंज से कुचेरा मार्ग को खाद्यान्न योजना से स्वीकृत मिल चुकी है ? यदि हाँ, तो इन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

फैजाबाद जनपद में वर्ष 1978—79 में 216.75 कि0मी0 मार्गों पर मिट्टी का कार्य किया जा चुका है।

बीकापुर ब्लाक में (1) बछरामपुर—कोछा बाजार—सरायखर्गी तथा (2) दशरथपुर—भावापुर स्वीकृत मार्गों के लिए 20 'टाप तथा 32' धरातल हेतु भूमि उपलब्ध न होने के फलस्वरूप मिट्टी का कार्य नहीं प्रारम्भ कराया जा सका।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

41—श्री मुहम्मद रफी खां—
[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

42—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—
[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नैनीताल जिले की राम नगर तहसील में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

43—श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खाद्यान्न श्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 में जिन सड़कों पर मिट्टी का काम जिला नैनीताल की रामनगर तहसील तथा कालाढूंगी तहसीलों में किया गया था, उन्हें पी0डब्लू0डी0 द्वारा पक्का मोटर मार्ग बनाए जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कें पक्की न किए जाने के परिणाम स्वरूप विगत सितम्बर—अक्तूबर की बरसात में ध्वस्त हो गयी हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—
जी नहीं। वर्ष 1977–78 में जिला नैनीताल की राम नगर तहसील में लगभग 11.3 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य कराया गया था। इन सम्पर्क मार्गों पर कार्य मण्डी समिति द्वारा श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराया गया। कालाढूंगी तहसील में कोई कार्य नहीं हुआ। विगत सितम्बर—अक्तूबर की बरसात में इन सम्पर्क मार्गों की मिट्टी आँशिक रूप से बह गयी। अप्रैल, 1979 में मण्डी समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को इन सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा बिछाने हेतु रुपया 2,80,000 भेजा है।

देवरिया जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत दी गयी सहायता के विरुद्ध शिकायती पत्र

44—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—
क्या सरकार को यह जानकारी है कि देवरिया जिले में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता अब तक नहीं दी जा सकी है ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—
वर्ष 1977–78 में जनपद देवरिया को स्थानिक विकास योजना जिसका अन्त्योदय कार्यक्रम का मुख्य अंग है, हेतु रुपया 48,66,200.00 की धनराशि का आवंटन हुआ था। इसके विपरीत अन्त्योदयी परिवारों को रुपया 42,21,501.00 की धनराशि वितरित की गयी है और रुपया 6,44,600.00 की धनराशि स्थानिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी है। वर्ष 1978–79 में रुपया 81,01,350.00 की धनराशि का आवंटन मार्च, 1979 में ही किया गया है। इसलिए इसका उपयोग वित्तीय वर्ष 1979–80 में किया जायगा।

45—श्री श्रीनारायण—
क्या सरकार को देवरिया जिले में अन्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली सहायता के वितरण में भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा घोटाले की शिकायतें 1 जनवरी, 1979 से 15 अप्रैल, 1979 तक प्राप्त हुयीं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ, शासन को देवरिया जनपद में अन्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली सहायता में भ्रष्टाचार आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच कराई गयी। ये शिकायतें निराधार तथा तथ्यहीन पाई गयीं अतः उनके आधार पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

पशुधन एवं कृषि फार्म, सैदपुर ललितपुर में पाइप लाइन का निर्माण

46—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पशुधन एवं कृषि फार्म, सैदपुर (ललितपुर) के फार्म पर आर0ई0एस0 (ग्रामीण अभियन्त्रण योजना) द्वारा पाइप लाईन फिटिंग कब से चल रही है और अभी तक कितना कार्य पूरा हुआ है और कितना शेष है। सरकार कब तक समस्त कार्य पूरा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

पशुधन एवं कृषि फार्म सैदपुर के फार्म पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा पाइप लाइन फिटिंग का जनवरी, 1978 से आरम्भ कराया गया था, जो दिसम्बर, 1978 में पूर्ण हो गया है।

47—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

स्वर्गीय श्री राम प्रगट लाल श्रीवास्तव, ड्राइवर, परिवहन निगम गोरखपुर की जमानत व एन० एस० सी० की धनराशि का भुगतान

48—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रामप्रगट लाल श्रीवास्तव, ड्राइवर बस्ती डिपो (गोरखपुर क्षेत्र) राज्य परिवहन निगम की मृत्यु सन् 1968 में हो गयी और आज तक उनके जमानत की धनराशि तथा उनके एन0एस0 सी0 की धनराशि उनकी विधवा पत्नी श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव को नहीं दी गयी ? यदि हाँ, तो क्या कारण ह तथा सरकार कब तक उक्त धनराशि को उनकी पत्नी को देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, नबावगंज, गोंडा द्वारा बनाये गये ग्रामों के नक्शों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

49—श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि दो वर्ष पूर्व गोण्डा जिले के नवाबगंज गन्ना समिति ने कई लाख रुपए के नक्शे बनाए जिसमें भारी गोलमाल किया गया है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर कोई जाँच कराई है ? यदि हाँ, तो अब तक जाँच में क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सहकारी वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, नवाबगंज, गोण्डा में 516 ग्रामों का सिजरा तथा 562 ग्रामों का खसरा बनाया गया जिस पर कुल 2,75,603 रुपए तथा 50 पैसे (1,90,666.85 प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष 87,836.65 रुपए) व्यय हुआ।

खसरा एवं सिजरा खरीदने में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक (समितियाँ), गोण्डा की आडिट रिपोर्ट के आधार पर सचिव, गन्ना समिति, नवाबगंज के

विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। गन्ना आयुक्त के स्तर से भी गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 3 मई, 1979 से इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

गन्ना विकास मध्य क्षेत्र में लिपिकों की नियुक्ति

50—श्री देव कुमार—

क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना विकास के मध्य क्षेत्र में जुलाई–अगस्त, 1977 के बाद से भारी संख्या में समिति भोगी लिपिकों की नियुक्तियाँ की गयीं? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

51—श्री नाथू राम शिक्षक—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

फैजाबाद जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत दी गयी सहायता

52—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के लगभग सभी विकास खण्डों में अन्त्योदय योजना के तहत मिलने वाली धनराशि अभी तक इस कार्य के लिए चुने गए लोगों को नहीं मिल पाई है ? क्या यह भी सही है कि विकास खण्ड अधिकारियों तथा बैंक कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग इस योजना को सही ढंग से लागू करने में नहीं मिल रहा है ? यदि हाँ, तो पूरे जिले में इस योजना के तहत अब तक वितरित की गयी धनराशि का ब्लाक-वाइज विवरण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जनपद फैजाबाद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन किए गए कुल 8199 परिवारों में से अभी तक 1085 लोगों को व्यवसायिक बैंकों एवं जिला परिषदों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है ? इनमें से 636 परिवारों को कुल रु012,62,650.33 पैसे ही ऋण अनुदान के रूप में वितरित किया जा चुका है। तथा शेष 449 परिवारों को रु09,64,636.19 पैसे सामान के रूप में शीघ्र वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य में विकास खण्ड अधिकारियों तथा बैंक कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। पूरे जनपद में इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्डवार वितरित की गयी धनराशि का विवरण संलग्न विवरण पत्र में दर्शाया गया है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 804 पर)

फैजाबाद जिले के कतिपय विकास खण्डों में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

53—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के मया, कटेहरी तथा भीटी विकास खण्डों में 31 मार्च, 1979 तक काम के बदले अनाज की योजना के तहत किन-किन सड़कों और सम्पर्क मार्गों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उनमें से कितनों पर कार्य पूरा हो गया है और कितना कार्य अभी शेष है ? यदि हाँ, तो शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा और निश्चित अवधि के अन्दर कार्य न पूरा हो पाने के लिए कौन दोषी है ? क्या यह भी सही है कि मजदूरों को समय से मजदूरी न देने के कारण ही काम में कठिनाई पड़ रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया, कटेहरी तथा भीटी में 31 मार्च, 1979 तक श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किए गए मार्ग, अवशेष मार्ग एवं कार्य पूर्ण न होने के कारण से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। अवशेष कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

जी नहीं।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 805 पर)

विकास खण्ड रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर में बाढ़पीड़ितों को दी गयी सहायता

54—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर में वर्ष 1978–79 में बाढ़ पीड़ितों को खाद्य बीज सहायता हेतु सरकार द्वारा नकद तथा गल्ले के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी ? जो धनराशि प्रदान की गयी है उस में से कितना धन किसानों में वितरित किया गया है ? कितना सरकार को वापस भेज दिया गया है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

उल्लिखित ब्लाक में खाद्य तथा बीज के रूप में आवंटित, वितरित अथवा वापस की गयी सहायता का विवरण निम्नवत है :—

खाद्य	आवंटित	वितरित	वापस
	1700 कुं0 गेहूं	1700 कुं0 गेहूं	—
बीज—	रु0	0	रु0
(1) अनुदान	6,158.01	6,158.01	..
(2) ऋण	69,486.00	12,151.00	57,335.00

श्री हरसरन लाल, परिचालक, नगर बस सेवा, आगरा का स्थायीकरण

55—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लगभग 22 साल की सेवा के पश्चात् भी श्री हरसरन लाल,परिचालक नगर सेवा वाहन, आगरा को उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम ने स्थायी नहीं किया है ? यदि हाँ, तो क्या उनको शीघ्र स्थायी करने के लिए कार्यवाही करायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह सही है कि श्री हरसरन लाल, परिचालक की नियुक्ति विभाग में 1957 में हुई थी, जो उक्त पद पर अभी तक अस्थायी हैं, परन्तु स्थायीकरण के सम्बन्ध में इनके मामले

पर समय-समय पर विचार किया गया, परन्तु इनके विरुद्ध अनेक गम्भीर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं आदि के मामले पाए गए थे, अतः इन्हें स्थायीकरण से तद्नुसार वंचित कर दिया गया है ।

भूमि विकास बैंक, सादाबाद, जिला मथुरा से श्री रोशन लाल, ग्राम ऊंचा गांव को ऋण न मिलना

56—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, सादाबाद, जिला मथुरा में बिजली के ऋण के लिए कितने किसानों के प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, 1978 से अब तक विचाराधीन हैं तथा श्री रोशनलाल, निवासी सुसाइन (ऊंचा गाँव) तहसील सादाबाद का ऋण प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुआ और किस तिथि को ऋण भुगतान किया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

भूमि विकास बैंक, सादाबाद, जिला मथुरा में बिजली के ऋण के लिए 7 किसानों के प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, 1978 से 10 मई, 1979 तक विचाराधीन थे। श्री रोशनलाल, निवासी सुसाइन (ऊंचा गांव) तहसील सादाबाद का ऋण प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र 14 फरवरी, 1978 को भूमि विकास बैंक, सादाबाद को प्राप्त हुआ था, परन्तु श्री रोशनलाल द्वारा वर्ष 1965–66 में भूमि विकास बैंक, सादाबाद से अपने भाई की साझेदारी में लिए गए मु0 5000 रु0 के ऋण की अदायगी, नोटिस तथा नीलामी विज्ञापन करने के बावजूद भी, न करने के फलस्वरूप, बैंक हित में उन्हें ऋण स्वीकृत नहीं किया गया। इसकी सूचना, श्री रोशनलाल को 25–10–1978 को लिखित रूप में, दी जा चुकी है ।

आगरा जिले के कतिपय विकास खण्डों में माहू (लेइसा) का प्रकोप

57—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि वर्तमान रबी की फसल में लाही, सरसों, सोहों लैहसा की बीमारी के बड़े पैमाने पर, फैलने और उससे जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद, टूण्डला कोटला (नारखी) एतमादपुर में दो तिहाई फसल बरबाद हो गयी और सूख गयी, जिससे किसानों को भारी हानि हुई ? यदि हाँ, तो जिला कृषि अधिकारी ने लेहसे की बीमारी से छुटकारा पाने हेतु कीटनाशक दवा के छिड़काव के लिए कोई कदम उठाया ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कितने रुपए की कीट-नाशक दवाओं का वितरण हुआ और कितनी मशीनों से उपरोक्त विकास खण्डों के कितने क्षेत्रफल में छिड़काव हुआ और कितने क्षेत्रफल की फसल की सुरक्षा की जा सकी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

आगरा जनपद के विकास खण्ड फिरोजाबाद, टूण्डला, कोटला (नारखी) एवं एतमादपुर में लाही, सरसों की पिछेती फसलों पर माहू (लेहसा) कीट का मध्यम प्रकोप था। उपरोक्त विकास खण्डों में दो–तिहाई फसल नष्ट होने तथा सूखने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

उक्त कीट की रोकथाम के लिए कृषि रक्षा इकाइयों पर पर्याप्त मात्रा में कीट-नाशक रसायन तथा कृषि रक्षा यन्त्र उपलब्ध थे जिनका प्रयोग आवश्यकतानुसार कृषकों द्वारा किया गया। उपरोक्त विकास खण्डों में 1,00,750·38 रु0 के कीट-नाशक रसायन का प्रयोग 2094.71 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 580 कृषि रक्षा यन्त्रों द्वारा 994 कृषकों के यहाँ किया गया ।

सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ में लिपिकों की नियुक्ति

58—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून) तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ संघ लि0, लखनऊ में 1 जुलाई, 1976 से 30 अप्रैल, 1979 तक कितने लिपिकों की नियुक्तियां की गयीं हैं ? क्या गन्ना विकास मन्त्री उक्त अवधि में नियुक्त लिपिकों के नाम की सूची उनकी नियुक्ति की तिथि एवं शैक्षिक योग्यताओं के साथ सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में दिनांक 1 जुलाई, 1976 से 30 अप्रैल, 1979 तक कुल 47 संघ भोगी लिपिकों की नियुक्तियाँ की गयी हैं। उक्त अवधि में नियुक्त लिपिकों की सूची *उनकी नियुक्ति की तिथि एवं शैक्षिक योग्यता सहित, सदन के पटल पर रख दी गयी है।

सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रति नियुक्ति

59—श्री रणजीत सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समितियां संघ लि0, लखनऊ में इस समय प्रति नियुक्ति (आन डेपुटेशन) पर कितने अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं ? क्या मन्त्री जी उक्त प्रतिष्ठान में प्रति नियुक्ति पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों की सूची एवं संघ पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय-भार की धनराशि से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में 5 अधिकारी तथा 14 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्ति अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों की सूची संलग्न है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में गन्ना संघ द्वारा प्रति मास दी जाने वाली कुल धनराशि रु0 2018.20 पैसे है।

इसके अतिरिक्त वसूली योजना में 1 अधिकारी तथा 65 कर्मचारी एवं गन्ना सम्परीक्षा (फी पेज) योजना में 1 अधिकारी व 3 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इन पर होने वाला व्यय स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाली इन योजनाओं के अपने बजट से किया जाता है और गन्ना संघ के बजट से इस स्टाफ पर कोई व्यय नहीं किया जाता है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 806 पर)

बलिया जिले के कतिपय विकास खण्डों में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण

60—श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में ग्रामीण अभियन्त्रण, जिला गाजीपुर बलिया द्वारा ब्लाक सोहाँव, गडवार हनुमानगंज में प्रा0 पाठशालाओं में कितने पर इस समय भवन बनाने का कार्य किया जा रहा है ? उनमें कितने प्रा0 पाठशालाओं के भवन बन चुके हैं ? तथा बाकी को कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा इन तीनों विकास खण्डों में कुल मिलाकर 8 प्राइमरी पाठशाला भवन बनने थे। उनमें से 4 भवन बन चुके हैं और 2 भवन के लगभग 1 माह में बन जाने की आशा है। शेष 2 पर कार्य प्रगति पर है और वह भी यथाशीघ्र पूरा कर दिया जायगा।

---

*छापी नहीं गयी।

बलिया जिले के नरही –फिरोजपुर मार्ग का निर्माण

61––श्री गौरी शंकर भैया––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण, गाजीपुर बलिया द्वारा नरही––फिरोजपुर मार्ग निर्माण के लिया गया था, जिस पर कार्य प्रगति पर नहीं है ? यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है ? क्या मन्त्री महोदय इस मार्ग को एक निश्चित समय में पूरा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद––

जी नहीं। कार्य प्रगति पर है और इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का प्रयास किया जायगा।

फैजाबाद जिले में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों का निर्माण

62––श्री श्रीराम द्विवेदी––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 में कुल कितने प्राथमिक व जूनियर स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य किया गया ? क्या इस विभाग ने अभी तक एक भी विद्यालय का भवन पूरा नहीं किया है ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित मामले में कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद––

फैजाबाद जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 में 80 प्राइमरी पाठशाला भवन स्वीकृत थे। 72 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गयी जिनमें से 13 का निर्माण मार्च, 1979 तक पूर्ण कर लिया गया तथा 40 भवनों पर कार्य प्रगति पर है ? कोई जूनियर हाई स्कूल भवन वर्ष 1977–78 में स्वीकृत नहीं था। वर्ष 1978–79 में 20 नए प्राइमरी पाठशाला भवन एवं 5 जूनियर हाई स्कूल भवन के लिए धनराशि 29 मार्च, 1979 को प्राप्त हुई है। इन भवनों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के स्थगन का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए हमने तिथि निर्धारित की थी, उसके सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)––

आप प्रक्रिया की व्यवस्था करें। शून्य प्रहर के बाद कोई प्रस्ताव आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष––

अब तो उन्हें बुला लिया है।

श्री मधुकर दिघे––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन 10 मई, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के आरम्भ से 15 दिनों के भीतर, ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो।

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों से बातचीत की है, कल नेता दलों से भी बातचीत की है और तब सबकी राय लेने के बाद यह प्रस्ताव किया है। इस पर विशेष मुझे कहना नहीं है। मुझे उम्मीद है, जो हम इस सदन की परम्परा कायम करना, सर्वानुमति से कार्य करना चाहते हैं, उसी उद्देश्य के तहत, यह प्रस्ताव रखा है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कहते हैं, हम सदन की परम्परा के अनुसार चलना चाहते हैं। परम्परा है कहाँ, जो चला रहे हैं ? यह कहिए परम्परा कायम कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। बार-बार यहाँ पर प्रस्ताव आ चुके, आश्वासन आ चुके कि फलाँ तारीख तक हम अध्यक्ष का चुनाव करवा लेंगे। मान्यवर, मैं पूछता हूं, नेताओं से आपने बातचीत कर ली होगी। अब आप सदस्यों को घुसेड़ रहे हैं, सदस्यों से बातचीत कर ली। कौन सा कारण है जो माननीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है ? मान्यवर, इस प्रदेश का, पूरे देश के अन्दर मजाक किया जा रहा है, जिस ढंग से जनता पार्टी प्रदेश को चला रही है, केवल प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश उपहास का पात्र बन गया है। कौन नहीं जानता कि आप अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि आपके दल में फूट है। फूट को छिपाने के लिए यहाँ कहते हैं कि तमाम नेताओं से बातचीत कर के इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कब तक आप इस चुनाव को टालते रहेंगे ? मुझ से लिख कर ले लीजिए आप और पाण्डेय जी नाम पर एक नहीं हो सकते। लिख करले लीजिए आज मुझ से। यह नहीं होगी। जब तक पाण्डेय जी को उधर नहीं बैठाते हैं, चलती रहेगी। मेरा निवेदन है कि कृपा कर आप प्रदेश में उपहास मत कराइए और अध्यक्ष का चुनाव करा दीजिए। दूसरी मेरी संवैधानिक आपत्ति है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अन्तर्गत और नियमों के अन्तर्गत एक विशेष तिथि निश्चित कर दी गयी है। आज नामाँकन होगा और कल मतदान होगा। माननीय राज्यपाल की विज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार इस सदन को नहीं है। लिहाजा जो यह प्रस्ताव ला रहे हैं वह नियमों के खिलाफ है और यह ग्राह्य नहीं हो सकता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने यह चौथी बार प्रस्ताव रखा है। हमको ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने घोषणा की कि बिघे जी और पाण्डेय जी अध्यक्ष के चुनाव का निर्णय कर लेंगे, तो मन में मेरे यह आया कि निर्णय होगा नहीं और उसी की परिणति यह है कि यह प्रस्ताव आया। मान्यवर, यह इस सदन की परम्परा रही है कि जो उपाध्यक्ष रहा है वही अध्यक्ष पद सुशोभित करता रहा है, लेकिन जनता पार्टी के घटकवाद को लेकर उसके लिए एक मत होना असम्भव है। अगर हम बालू में सिर दे दें तो भी आँधी चलेगी। उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद हमेशा दिया जाता रहा है। लेकिन जनता पार्टी, चूंकि उपाध्यक्ष है वह परिगणित जाति का है, इसलिए वह हिचक रही है। इसीलिए विघ्न पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष क्यों बनाया जाय।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुलाब सेहरा—

हरिजनों के संरक्षण की बात कही जाती है। एक नमूना और एक अवसर इस समय जनता पार्टी के समक्ष आया। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो उपाध्यक्ष है, उसको अगर अध्यक्ष बना दें तो कम से कम जितना प्रदेश का हरिजन है, उसको यह महसूस होगा कि यह स्वर्ण अवसर आया है कि आप अनुसूचित की बात तो करने लगे हैं। जहाँ तक मेरी बात करने का सवाल है, हमारी संख्या तो नगण्य है और जो यह प्रस्ताव करेंगे तो अगर हम चुप भी बैठे रहेंगे तब भी पास कर देंगे। इनमें एकता नहीं है और दूसरे प्रदेशों में इस बात का मखौल उड़ाया जा रहा है, इस सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए सर्वसम्मति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नाम आवे, लेकिन चौथी बार प्रस्ताव आ गया और वह टालने का चलता रहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के दोनों घटकों के लिए सबसे बड़ा सुअवसर यह है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष बनावें।

श्री लक्खी सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सुन तो लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने राज मंगल पाण्डेय जी को बुला लिया है।

(श्री राज मंगल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लक्खी सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह विचार करने के लिए रखा है पर काँग्रेसिया लोग जो हैं ये कहते हैं कि तुम में एकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कौन-सी एकता है। सीधी सी बात है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का हो और उपाध्यक्ष विरोध पक्ष का, लेकिन इन्होंने अभी तक भी एक नाम नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, हमारे नेगी जी ने और अन्य हमारे दूसरे मित्रों ने जो कहा मुझे दुख है कि शायद वे सदन की भावनाओं से सही रूप से अवगत नहीं हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ता है। मेरे में और दिघे जी में एक मत न हो, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन विरोध पक्ष में जब तमाम लोगों से पूछा और उनसे कहा कि स्पीकर के चुनाव से, जिसमें सारे सदन की गरिमा निहित है और इसमें विरोध पक्ष को विश्वास में रखकर ही चुनाव कराया जाय, लेकिन देखा गया कि विरोध पक्ष में जहाँ एक दल में 6-7 ही व्यक्ति हैं, उनमें भी एक राय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हमको इस्तेमाल करके खेल खेलना चाहते हैं. . . .

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय नेगी जी और हमारे मित्र गुलाब सेहरा जी आपको बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ काँग्रेस मित्र और कुछ काँग्रेस (आर) के लोग अपने आप में ही बंटे हुए हैं। वे किसी और को बनाना चाहते हैं। माननीय दिघे जी ने बड़ी नेकनीयती से कहा कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं और अगर ऐसी परिस्थितियों में चुनाव टाल सकें और एक मत से एक व्यक्ति का नाम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके यह कहा जा रहा है कि परम्परा यह बन चुकी है। लक्खी सिंह जी ने बात अच्छी कही। समयानुकूल कभी अच्छी बात होती है। साल भर में विरोध पक्ष से एक नाम भी नहीं आ सका है। 6-7 आदमियों की पार्टी में भी लोग बंटे हुए हैं। तो इससे आप यह मतलब न निकालें कि हमारे और उनके बीच में दुराव है। हम नेक नीयती से चाहते हैं कि विरोध पक्ष भी एक नाम से सहमत हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो समझता हूं कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। दिघे जी और श्री राम रतन सिंह जी के साथ भी जो मेरे घर पर थे बात हुयी थी और अन्य मित्रों से भी। तो यह प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई विरोध हो। अगर विरोध पक्ष का ही बनाना है तो एक मत तो हो लेकिन ये उस पर भी तैयार नहीं होते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]--
जिस दिन से अध्यक्ष पद रिक्त हुआ है उस दिन से आप ही अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं तो हम तो उनकी ही भावना का आदर कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और कोई सुझाव नहीं हो सकता था जो दिघे जी ने रखा है। मेरा निवेदन है कि यह सदन उसको स्वीकार कर ले और 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष का चुनाव कर लें ?

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--
मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने मेरा नाम लिया है।. . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय वित्त मन्त्री को प्रस्ताव रखने की इजाजत दी ? तो क्या इस पर और किसी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी ? इस पर विचार विमर्श की क्या आवश्यकता है ? या तो इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें ? क्या इस पर आप बहस चलाइएगा ?

श्री राम रतन सिंह--
जहाँ तक उपाध्यक्ष के अध्यक्ष पद पर कार्य करने का प्रश्न है विरोधी दलों में कोई मतभेद नहीं है।

मान्यवर, जहाँ तक हमारी जानकारी है हम विरोधी दलों में कोई मतभेद नहीं है। अगर पाण्डेय जी और दिघे जी को एक होना है और वे इसमें हमारी सहमति चाहते हैं तो हमें ऐतराज नहीं है, वे दोनों एक हो जायं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--
परम्परा निभाई जाय इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। लगता ऐसा है कि पाण्डेय जी को दिघे जी ने पटा लिया है इसलिए आज वे दूसरे स्वर में बोल रहे हैं. . .

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय--
अब तक राम आसरे जी को माननीय मधुकर दिघे जी ने पटा लिया और वे पटे रहे, अगर आज हमको उन्होंने पटा लिया तो क्या हो गया, एक बार मैं भी पट गया।

(हंसी)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति का अधिकार भी नहीं है। सवाल यह है कि अध्यक्ष के चुनाव की एक परम्परा रही है। उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के पद पर पीठासीन होते रहे हैं। अगर वही परम्परा को चलाना चाहते हैं तो उससे बढ़ कर दूसरी चीज नहीं हो सकती। इससे बढ़ कर कोई और दूसरी परम्परा नहीं होगी कि वर्तमान उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष पद पर पहुंचा दिया जाय अगर यह नहीं होता तो दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पटा चाहे कितना ही लें, लेकिन पटरी खाने वाली है नहीं। एक नाम अगर यह ले आते हैं तो विरोध पक्ष को उसमें कोई एतराज नहीं होगा।

(व्यवधान)

अगर माननीय दिघे जी समय चाहते हैं तो उनको समय मिलना चाहिए, एक मौका वे और ले लें और देख लें कि पटरी खाती है या नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
प्रश्न माननीय दिघे जी ले आए और उसके बाद माननीय पाण्डेय जी ने फुलझड़ी छोड़ दी कि विरोध पक्ष एक नहीं है, यह मान्यवर, सही नहीं है। यह सही है कि उपाध्यक्ष विरोध पक्ष का होता है और अध्यक्ष शासक दल का होता है। मैं यह आश्वासन देना

चाहता हूं कि जिस दिन शासक दल एक नाम पर सहमत हो जायगा, पूरा विरोध पक्ष उससे सहमत हो जायगा, लेकिन मुसीबत तो यह है कि यह खायी इतनी बड़ी है कि पटने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि माननीय पाण्डेय जी को पटा लिया, मैं कहता हूं कि अगर यह बात सही है तो इस प्रदेश का बड़ा भला होगा। लेकिन मैंने जो आपत्ति उठाई थी उस पर आप अपना निर्णय दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नेगी जी ने जो आपत्ति उठाई है. . . . .

(व्यवधान)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, यह जो कहा गया कि पटा लिया यह शब्द ठीक नहीं है। पटाने का तो मतलब कुछ और होता है, जरा माननीय दिघे जी की उमर देखिए और पाण्डेय जी के बाल देखिए, सब सफेद हो गये हैं।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा--

जहाँ पटाने की बात होती है वहाँ उमर नहीं देखी जाती।

(हंसी)

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं चाहता हू कि परम्परा का पालन हो और विरोध पक्ष भी उसका पालन करें।

(व्यवधान)

(श्री राज ब्रजराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, राज्यपाल की नियत तिथि निरस्त नहीं की जा रही है। प्रस्ताव के द्वारा सदन की इच्छा को देखते हुए राज्यपाल से अनुरोध किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, एक मत से चुनाव हो। मान्यवर, जो हमारा अध्यक्ष होगा वह पूरे सदन का विश्वासपात्र होना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव जो हो, वह सर्वसम्मति से हो। उसमें सदन की गरिमा निहित है। इसलिए इस चुनाव को टाल दिया जाय और इसको सर्वसम्मति से तय करके लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसको माननीय सदस्यों को स्वीकार करना चाहिए। यह जो प्रस्ताव रखा गया है यह नियमानुकूल है और इसमें जो वैधानिक आपत्ति माननीय नेगी जी ने उठाई है, उसमें केवल समय माँगने की बात है। अगर वह राज्यपाल जी नहीं मानते हैं, तो चुनाव 29 मई, 1979 को हो सकता है। इसलिए इसको सर्वसम्मति से मान लेना चाहिए।

[श्री उपाध्यक्ष]—

प्रश्न यह है कि यह सदन 10 मई, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप-नियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के आरम्भ से 15 दिनों के भीतर, ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन में कोरम के अभाव में पीठासीन अधिकारी के सदन में उपस्थित होने पर आपत्ति

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, नियम 15 में यह स्पष्ट है कि उपवेशन का समय, उसमें लिखा है सभा का उपवेशन 11 बजे पूर्वाह्न से आरम्भ होगा। आज उपवेशन 11 बजकर 3 मिनट पर आरम्भ हुआ था। इसकी जानकारी की गयी तो मालूम हुआ कि शायद कोरम पूरा नहीं था। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 14 (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें लिखा है कि यह सदन का उपवेशन तभी विधिवत गठित होगा जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन के उपवेशन में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो। तो मान्यवर, इस नियमावली के इस नियम में स्पष्ट है कि जब तक कोई पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठेगा नहीं, चाहे वह अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा, तब तक वह उपवेशन नहीं माना जायगा। 11 बजे इस उपवेशन में कोई होना चाहिए था। यहाँ पर जब मान्यवर, पीठासीन अधिकारी नहीं आये थे, मान्यवर, यहाँ पर आप उपस्थित नहीं थे, तो उपवेशन का आरम्भ कैसे माना गया और कोरम भी उसी समय माना जायगा, जब यहाँ पर कोई पीठासीन अधिकारी होगा। 11 बजकर 3 मिनट पर जो उपवेशन आरम्भ किया गया, तो कोरम तो तभी माना जायगा, जब आप यहाँ पर उपस्थित हों। 3 मिनट देर से उपवेशन आज क्यों आरम्भ हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

यहाँ की परम्परा रही है कि 11 बजे के पूर्व घंटी बजायी जाती है और जब कोरम पूरा होता है तब सदन आरम्भ होता है और जब तक कोरम नहीं होता है, तब तक बराबर घंटी बजती रहती है और जिस समय कोरम पूरा हो जाता है, उस समय घंटी बंद हो जाती है और उस समय पीठासीन अधिकारी सदन में आते हैं और उनके आसन ग्रहण करन के उपरान्त सदन आरम्भ होता है। तो यह परम्परा इस सदन की सदैव रही है। उपवेशन के लिए जरूरी है कि एक तो कोरम पूरा होना चाहिए और पीठासीन अधिकारी होना चाहिए। अगर एक भी परम्परा पूरी नहीं होती है, तो सदन पूरा नहीं माना जाता है। जब तक दोनों शर्तें जो आपने कहीं है, नहीं पूरी हो जाती हैं, कोरम पूरा हो और पीठासीन अधिकारी बैठे हों, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं प्रारम्भ हो सकती।

श्री शतरुद प्रकाश—

मान्यवर, परम्परा की बात अपनी जगह पर है, लेकिन नियमावली में यह है कि जब तक पीठासीन अधिकारी उपस्थित न हों, तब तक उपवेशन माना ही नहीं जायगा। तो मान्यवर, जब पीठासीन अधिकारी कोई है ही नहीं कि कोरम है कि नहीं, तो इसको कौन निर्धारित करेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आवश्यक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर विश्वविद्यालय की बी० ए० की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं वाराणसी में एक कूड़े के ढेर में पाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको लेता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं के नाम पर परीक्षा का उपहास करने एवं परीक्षाओं में व्याप्त घोर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की एक गम्भीर घटना आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, कल वाराणसी में गुदोलिया चौराहे के पास एक कूड़ाखाने में कानपुर विश्वविद्यालय की बी0 ए0 (प्रथम वर्ष) समाज शास्त्र विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बंडल पाया गया है। बंडल में अनुक्रमाँक 29773 से 29872 तक की 46 उत्तर पुस्तिकाएं थीं। बंडल दशाश्वमेघ पुलिस को सौंप दिया गया है।

मान्यवर, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है कि परीक्षा की कापियाँ कूड़ेखाने में कैसे आयीं? परीक्षक, केन्द्र व्यवस्थापक, रेलवे प्रशासन तथा विश्वविद्यालय किसकी असावधानी अथवा साजिश से वह कापियाँ कूड़े के ढ़ेर में पहुंच गयीं? क्या बंडल वाराणसी जाना था अथवा कहीं और?

शिक्षा जगत में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ खिलवाड़ की यह पहली घटना नहीं है। इसके बाद भी प्रक्रिया में न तो सुधार किया गया और न विश्वविद्यालयों ने इससे सबक सीखा। यदि कापियाँ नष्ट हो जाती तो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्या होता?

इस घटना से विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रति आस्था एवं सम्मान घटता है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से आशा करूंगा कि वह मामले की जाँच कराकर संदर्भित मामले में कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। आदरणीय सदन कृत कार्यवाही तथा वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहता है।

बाराबंकी के हैदरगढ़ व त्रिवेदीगंज विकास खण्डों में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत पैसा न बांटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत हैदरगढ़ एवं त्रिवेदीगंज विकास खण्डों में अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए ग्राम सभाओं से जो प्रस्ताव पारित किये गये थे उन प्रस्तावों के अनुसार पैसा वितरण न होने से गरीबों में असन्तोष व्याप्त है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के ग्राम में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत पैसा बाँटा, उसके बाद भी अभी तक गरीब किसानों में उसका उपयोग नहीं किया गया है। जिले के अधिकारी भी इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिसके कारण अन्त्योदय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं हुआ और उक्त कार्यक्रम मात्र एक मखौल बनकर रह गया है।

उक्त गंभीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए हैदरगढ़ तहसील में अन्त्योदय कार्यक्रम में दिलचस्पी न लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुराने लखनऊ में शिया-सुन्नी विवाद का हल न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, पिछले 2.5 वर्षों से पुराने लखनऊ में शिया-सुन्नी विवाद उलझा हुआ पड़ा है। शासन की उदासीनता के कारण अभी तक 42 जानें जा चुकी हैं और इस पखवारे में पुनः छिटपुट वारदातें हो सकती हैं, क्योंकि और अधिक समय तक यदि इसका हल नहीं होता है तो लोग हताश हो जावेंगे। शासन द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति के बारे में पैगाम अखबार में 27 मई को प्रकाशित तथ्यों ने लोगों को और निराशा में डाल दिया है। कल से पुराने लखनऊ के इलाकों में पुनः सनसनी फैली हुई है और लोग सरकार की अकर्मण्यता और निर्णय न लेने की क्षमता को दोषी बता रहे हैं।

लखनऊ शहर अमर, तहजीब और शराफत का गहवारा रहा है पर पिछले 2 1/2 वर्षों से यहाँ पर अमन नाम की चीज नहीं रह गई है। इससे पुराने लखनऊ के लोगों के हाथ की कारीगरी, उद्योग धन्धे और व्यापार बराबर नष्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे दिग्गज राज नेताओं को इसे तय करने के लिए फुर्सत नहीं है।

यदि समय रहते इस मसले का हल नहीं हुआ तो निश्चय ही पुराना लखनऊ आग की लपटों में अपने हुनर को हमेशा हमेशा के लिए शनैः शनैः खो देगा।

आशा है मुख्य मंत्री जी इस मसले को हल करने के लिए जामा मजिस्द के शाही इमाम सैय्यद अब्दुल्ला बुखारी और अन्य लोगों की शीघ्र मदद ले कर तय करायेंगे।

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश, जिला शाखा बांदा के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन फारूकी की रहस्यमय मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश जिला शाखा बाँदा के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन फारुकी की रहस्यमय मृत्यु की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन फारुकी की हत्या से बाँदा के जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, जनपद की समस्त जनता इनकी रहस्यमय मृत्यु से थर्रा उठी है एवं जनपद के समस्त स्थानीय निकाय कर्मचारी इनके रहस्यमय मृत्यु से क्षुब्ध हैं। जब सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री, मंडी समिति अतर्रा का उद्घाटन करने गये थे उस समय अतर्रा की जनता द्वारा जुलूस निकाल कर फारुकी की हत्या की ओर ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की गयी थी। परन्तु पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोक दिया गया था। निकाय कर्मचारियों ने दिनाँक 15-5-79 को जिलाधिकारी बाँदा को ज्ञापन दिया और फारुकी के दुखित परिवार को एक-एक दिन का वेतन देने का निश्चय किया है। श्री फारुकी दिनाँक 30-4-79 को 11 बजे रात्रि वसूली पूरी करने के बाद घर जाकर नित्य की भांति नींद की आधी गोली खाकर सो गये फिर वह सुबह को जगे नहीं और लाश उनकी जब देखी गयी तो नीली पड़ गयी थी। इनके शव का पोस्टमार्टम भी हुआ। जनमानस के दिलों में अजीब प्रश्न उभर रहे हैं कि इन्होंने यदि जहर खाया तो क्यों? और यदि इनको जहर खिलाया गया तो क्यों? यह प्रश्न आगे ही बढ़ते जाते हैं क्योंकि श्री फारुकी असत्य एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा संघर्षरत रहे है, जिसके कारण कुछ अधिकारियों की निगाहों में वे हमेशा खटकते रहे हैं।

अतः कृपया उपरोक्त काँड की जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवायी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेडिकल कालेज, लखनऊ की नर्सों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

मेडिकल कालेज, लखनऊ की नर्सों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, दिनाँक 27 मई, 1979 को मेडिकल कालेज, लखनऊ की सभी नर्सों ने अचानक हड़ताल कर दिया है। जिससे मेडिकल कालेज लखनऊ में दाखिल हजारों मरीजों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। दवा तथा इंजेक्शन के उपलब्ध न होने से मरीज बेचैन हैं, बताया जाता है कि उक्त कालेज के किसी डाक्टर ने किसी नर्स के साथ छेड़खानी किया। नर्स ने इसका प्रतिरोध किया तो डाक्टर ने उसे मारा पीटा। इससे क्रुद्ध होकर नर्सों ने हड़ताल कर दिया है। मैं सदन के माध्यम से इस लोकमत के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब इस समस्या के समाधान हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि हजारों मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ न हो सके।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह बड़ा गंभीर मामला है, स्वास्थ्य मंत्री को आप निर्देश दें कि वह इस पर वक्तव्य दें। सारे मरीज तड़प रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी माँ बीमार है, वहाँ एडमिट है, मैं उनको देखने गया था, दो मरीज वहाँ पर मर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये, स्वास्थ्य मंत्री जी इसे दिखवा लेंगे।

उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के ग्राम हरियावर में अग्नि काण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, आपके माध्यम से अति लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाँगरमऊ के ग्राम हरियावर में गत शुक्रवार को आग लगने से ग्राम के 140 घरों में से 87 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गये, गरीबों की घर गृहस्थी का सामान 3 बकरियाँ व 75 मुर्गियाँ भी आग में जल कर मर गयीं। गर्मी की इस भीषण तपती दोपहरी में सिर छिपाने को भी किसी को जगह नहीं है। बच्चे, महिलायें बिलबिलाते इधर उधर घूम रहे हैं। इस भीषण अग्निकाँड में 50 घर अल्पसंख्यकों के तथा 37 घर हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं। अग्नि पीड़ित इन 87 परिवारों में से 62 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन बेरोजगार हैं।

अग्निकाँड में लगभग 8 लाख रुपये से अधिक की क्षति हुई है, जिला प्रशासन द्वारा इन 87 परिवारों को अब तक जो सहायता पहुंचायी गयी है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान बिल्कुल अपर्याप्त है।

अति लोक महत्व की उक्त सूचना देकर माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन बेसहारा अग्नि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु अपेक्षित सहायता सामग्री प्रदान किये जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ में हलवासिया कोर्ट की ऊपरी मंजिल गिरा देने से किरायेदारों के समक्ष कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, लखनऊ के हजरतगंज में स्थित हलवासिया कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर 10–12 परिवार पिछले 15–20 साल से अपना गुजर कर रहे हैं। 3–4 दिन पूर्व मकान मालिक ने साजिश करके शरारतन ऊपरी मंजिल को ढाह दिया, जिससे सभी परिवार बेघरबार हो गये हैं। निवासियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञातव्य है कि इस संबंध में न्यायालय तथा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने भी न गिराने का आदेश दिया था। मकान मालिक ने उक्त दोनों आदेशों की उपेक्षा की है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि हलवासिया कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को सरकार बसाये तथा मकान मालिक को उसकी स्वेच्छाचारिता और मनमानेपन के लिये दंडित करे।

मथुरा में बढ़ते हुए अपराधों तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मथुरा जनपद में बदमाशों व डकैतों, कातिलों ने आतंक मचा रखा है। एक साल पहले ब्लाक प्रमुख श्री उदैसिंह, ग्राम अगराला, थाना शेरगढ़ को दिनदहाड़े जमना जी ग्राम काचरोट पर ले जाकर कत्ल किया और वह मुल्जिम बरी हो गये, अब उ के परिवार को कत्ल करना चाहते हैं। सारा गाँव बेचैन है। इसी तरह थाना फरह का थानेदार डाकुओं से मिलकर हजारों रुपया माहवारी लेता है, माह मार्च, 1979 में नगला चन्द्रभान के पास होमगार्ड के कर्मचारी को गोली मारी थी और अब सारे जिले से डाकू फरह थानेदार की शरण में रहते हैं। एस0 पी0 साहब तामिलनाडु के हैं। वह हमारे जिले से अनुभव नहीं रखते। फरह थाना शेरगढ़ तथा वृन्दाबन थाने की जनता में भय व्याप्त है। मैंने आई0 जी0 साहब को भी लिखा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई, चूंकि वहाँ के सी0 ओ0 सब पुराने हैं उनका थानेदारों से हिस्सा है। इस जिले की जनता की सुरक्षा खतरे में है। इससे ऐसा लगता है कि मथुरा भी अलीगढ़ न बन जाये। इससे मैं मुख्य मंत्री से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य देने की तथा कार्यवाही करने की माँग करता हूं। आशा करता हूं कि इस पर अवश्य कार्यवाही की व्यवस्था करायेंगे।

महालेखाकार, कार्यालय, इलाहाबाद में कर्मचारियों के निलम्बन तथा प्रवेश पर रोक लगाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, महालेखाकार कार्यालय (ए0 जी0 आफिस), इलाहाबाद के कर्मचारियों सर्वश्री कृपा शंकर श्रीवास्तव तथा धर्मवीर पारासरी आदि को कल्पित आरोपों के आधार पर विभागीय अधिकारी द्वारा निलम्बित किये जाने के पश्चात् उप-महालेखाकार श्री ए0 के0 बनर्जी द्वारा 14 मई, 1979 के आदेशानुसार उक्त कार्यालय में उक्त लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। इस अवैधानिक आदेश से कार्यालय में काम करने वाले लगभग पाँच हजार कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। 21-5-79 से कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया गया है और विरोध सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। शासन द्वारा कोई समाधान न किये जाने से स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही है। कानून और व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर शासन का ध्यान अविलम्ब उचित कार्यवाही हेतु आकर्षित करता हूं।

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार का यही एक आफिस है जो इस प्रदेश की सरकार से संबंधित है। इसलिये भारत सरकार से लिखा पढ़ी करनी चाहिये कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरन्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है तो वह उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत है। इसलिये सरकार इसको देख लेगी।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर सरकार द्वारा न दिए जाने के संबंध में आपत्ति

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, सवाल यह है कि नियम 301 के प्रश्न जो बड़े लोक महत्व के दिये जाते हैं उनको हम और अन्य माननीय सदस्य भी पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से कोई समाधान नहीं होता है, कम से कम हमने जितने पढ़े हैं, आज तक उनके उत्तर नहीं मिले हैं।

आज लक्खी सिंह जी ने प्रश्न उठाया लेकिन यह भी रद्दी की टोकरी में चला गया। तो, मान्यवर, या तो 301 नियम को महत्व दिया जाना चाहिये और शासन को नियमानुसार जबाव देना चाहिये और अगर महत्व नहीं है, केवल पढ़ाने के लिये है, तो इससे कोई लाभ नहीं है। इस पर मान्यवर, व्यवस्था दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

यह सही है, मान्यवर, जब 301 की व्यवस्था चली थी जो आज के मुख्य मंत्री जी जो यहाँ पर अध्यक्ष थे और लगातार सरकार को आदेश देते थे कि एक सप्ताह के अन्दर अंतरिम सूचना मिलनी चाहिये। अब अध्यक्ष जी मुख्य मंत्री जी बन गये हैं। निर्देश उन्होंने अध्यक्ष की पीठ से दिये थे लेकिन आज सरकार में रहते हुये और मुख्य मंत्री होते हुये भी उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। अतः मान्यवर, आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी को, उनके जो निर्देश हैं, उनके पास भिजवा दें और उनसे कहिये कि अब कम से कम आप तो उनको पूरा करें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

कुछ दिन पहले, मान्यवर, एक बात कही थी कि नियम 301 के प्रश्न पर आप अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुला लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये खेद प्रकट किया था और कहा था कि नियम 301 में जो माननीय सदस्यगण भेजते हैं उसकी जिम्मेदारी विभागीय सचिवों की है कि एक सप्ताह के अन्दर अंतरिम उत्तर मिल जाना चाहिये और 30 दिन के अन्दर कृत कार्यवाही से माननीय सदस्यों को सूचित किया जाना था—यह फैसला लिया था।

श्री राधेश्याम शर्मा—

न तो शासन से कोई अंतरिम उत्तर आता है और न कोई कार्यवाही होती है।

*संसदीय कार्यमंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, जब नियम 301 के अन्तर्गत इस प्रकार की नयी व्यवस्था लागू हुयी, तो शुरू में ये सोचा गया था बहुत कम ऐसे प्रश्न 301 में दिये जायेंगे और उसमें यह संभव हो सकेगा कि जल्द से जल्द 30 दिन के अन्दर उत्तर दे दिया जाय। मान्यवर, जब कोई नयी परम्परा डाली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

जाती है, तो पुरानी आदत नयी बनी रहती है तो कुछ कठिनाइयाँ होती हैं । सबसे पहले प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि अंतरिम उत्तर जो देना होता है, उसमें माननीय मंत्री जी अपने हस्ताक्षर नहीं , बल्कि सचिव करते हैं । इस पर शासन की ओर से खेद प्रकट किया गया और माननीय मंत्रीगणों से निवेदन कर दिया गया कि वे अपने हस्ताक्षर से अंतरिम उत्तर दे । फिर दूसरा प्रश्न उपस्थित किया गया कि 30 दिन के अन्दर ही 301 की सूचनाओं का स्पष्ट उत्तर विभिन्न माननीय सदस्यों को दिया जाय । लेकिन यह देखा गया कि 30 दिन के अन्दर उत्तर बिल्कुल असम्भव सा हो गया । कई मामलों में तो उत्तर आसानी से या जिले से प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसे प्रश्न रहते हैं कि जहाँ गाँव की सीमा तक और पूरे सूबे से सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने खेद प्रदर्शित करते हुये कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक हो जाय और इस पर विचार कर लिया जाय जैसा कि अभी गुलाब सेहरा जी ने कहा । हम अपनी कठिनाई बता दें और सदस्यगण अपनी कठिनाई बता दें और कोई रास्ता निकाल कर निराकरण कर सकेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने पहले भी निवेदन किया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो सम्भवतः थे, उसमें ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने जो बात उठाई थी, उसमें उत्तर का प्रश्न नहीं था। वह तब उठाते है जब जिले में यह देखते है कि कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिल रहा है । जिस थाने के बारे में नियम 301 का प्रश्न उठाया जाता है इंक्वायरी के लिए वहीं भेज दिया जाता है और वहाँ से जो आ जाता है वही उत्तर यहाँ मंत्री जी दे देते है ।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने मुझे सूचना पढ़ने के लिए इजाजत दी थी । बीच में यह बहस हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इसलिए हो गयी कि माननीय राधेश्याम जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । यह अनियमित नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा—

कुछ आफिसर्स यहाँ डेपुटेड रहें । यहाँ से वह व्यक्ति जायं और जाँच करके लायें । तभी कुछ इसका फायदा होगा। अन्यथा जिले से उन्हीं से रिपोर्ट मंगाकर दे देते है ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आँग्ल-भारतीय)—

यह जो सूचना 301 में आयी हैं कि मेडिकल कालज में नर्सेज हड़ताल कर रही है तो उसके बारे मे बतला दें । एक हफ्ते बाद होगा तो लोग मर जायेंगे।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

301 के बारे में माननीय राधेश्याम जी ने व्यवस्था उठायी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने शंका समाधान भी किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय 301 के तहत कोई सूचना देते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिलता और अधिकारी लोग भी गलत सही सूचना यहाँ भिजवा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो निर्णय लिया गया है और नियम 301 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में पहले जारी किये गये निदेशों में आगे जो बढ़ा दिया गया है उसकी मैं सूचना देना चाहता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य मंत्री और अन्य नेताओं को बुलाकर बात कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह हो चुकी है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारा एक निवेदन और सुन लें। और सदस्यों की तो नहीं जानता, लेकिन मैंने 30/35 सूचनाएं यहाँ पढ़ीं, नियम 301 के अन्तर्गत, लेकिन आज तक कोई अन्तरिम उत्तर भी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह मिल जाया करेगा। नियम 301 की सूचनाओं में दिये गये निदेशों में आगे जो बताया गया है उसकी प्रतिलिपि हरेक सदस्य को मिल जायगी।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप बुलाकर कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दें कि उत्तर मिल जाया करे, यह सदस्यों का मौलिक अधिकार है। दूसरे यह कि यह भी नहीं चाहते कि तीस-तीस चालीस-चालीस सूचनाएं एक ही दिन में पढ़ी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह भी तय हो गया था कि 5 से कम न हों और उसके ऊपर दस तक हो सकती है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

दस तक ठीक है। आप यही व्यवस्था कर दें।

मुजफ्फरनगर के थाना भवन, ग्राम दखोड़ी निवासी श्री ओम प्रकाश की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र थाना भवन की एक अत्यन्त लोकमहत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनाँक 24-5-79 को दिन के करीब 12 बजे कस्बा थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर में श्री रामगोपाल की कपड़े की दुकान पर श्री ओम प्रकाश पुत्र छज्जू सिंह, निवासी ग्राम दखोड़ी, थाना भवन अन्य कई लोगों के साथ कपड़ा खरीद रहा था कि चार व्यक्ति जिसमें टेकचन्द पुत्र सुभाष बढ़ई तथा अन्य तीन व्यक्ति हाथों में पिस्तौल लेकर आये और उपरोक्त अभियुक्त ने श्री ओम प्रकाश को दुकान से हाथ पकड़ कर सड़क पर खींच लिया। आसपास की भीड़ जमा लोगों ने शोर मचाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्तों ने गोली मार देने की धमकी दी। देखते ही देखते अभियुक्तगण ने टेकचन्द और अन्य ने ओम प्रकाश पर पिस्तौलों के फायर किये। ओम प्रकाश मौके पर ही मर गया। भीड़ ने टेक चन्द अभियुक्त को पिस्तौल सहित मौके पर पकड़ लिया।

श्रीमन्, उपरोक्त घटना से सारे क्षेत्र में अत्यन्त भय एवं असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। मृतक ओम प्रकाश, मण्डी समिति थाना भवन का चेयरमैन था और थाना भवन क्षेत्र का प्रमुख जनसेवी व्यक्ति था। दिन के 12 बजे कस्बे के बीच उक्त घटना से कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। श्रीमन्, अभियुक्तगण फरार है। और अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पायी है। आम चर्चा है कि पुलिस थाना भवन से मिलकर उक्त जघन्य अपराध किया गया है।

[ठाकुर मूलचन्द]

मान्यवर, यदि पुलिस तथा प्रशासन तुरन्त उक्त घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करती तो आम जनता आतंक एवं भयग्रस्त बनी रहेगी। मेरा विश्वास है कि आप उक्त अत्यन्त लोक महत्व की घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष, थाना भवन को वहाँ से तुरन्त हटाया जाय।

स्मरण रहे कि मान्यवर, इस उपरोक्त थानेदार का स्थानान्तरण हमारे जनपद के सभी विधायकों ने मिलकर करा दिया था, किन्तु इसने पता नहीं किन कारणों से अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया और आज यह घटना घटित करवा दिया।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह लिखा नहीं जाएगा। आप बैठें।

आगरा में रिक्शा चालक, श्री शंकर बाल्मीकि को पुलिस द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जलाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनाँक 21 मई, 1979 को आगरा में थाना सदरबाजार पुलिस कर्मचारियों द्वारा शंकर नाम के एक रिक्शाचालक वाल्मीक को पेट्रोल छिड़ककर जिन्दा जला देने व उसके विरोध में अपनी माँगों को लेकर शाँतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज, अश्रुगैस व उसके बाद वाल्मीक बस्तियों को चारों तरफ से घेर कर महिलाओं, बच्चों व वृद्धों पर किये गये बर्बर अत्याचार, दमन के कारण स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि अगर समय रहते शासन ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आज पुनः मई, 1978 के इतिहास की पुनरावृत्ति की आशंकायें उत्पन्न हो गई हैं।

श्रीमन्, कल आगरा जाने पर विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार घटनाक्रम निम्न प्रकार है—

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं इतना महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं और हमारे संसदीय कार्य मंत्री दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं तो इसे पढ़ने से फायदा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्री शंकर वाल्मीक रिक्शा चलाता था और पुलिस का मुखबिर था। इधर उसने शादी कर ली थी व मुखबिरी का काम छोड़ कर अमन चैन की जिन्दगी बसर कर रहा था। इधर कुछ दिनों से थाना सदर की पुलिस एक मामले में झूठी गवाही देने के लिये शंकर पर दबाव डाल रही थी। थाने व पुलिस चौकी पर बुलाकर उसे मारा पीटा गया लेकिन फिर भी गवाही देने को वह तैयार नहीं हुआ। दिनाँक 21 मई, 1979 को दिन के 2 बजे जब शंकर अपने कमरे में अकेला था और उसकी पत्नी अपने मकान मालिक के यहाँ खाना पकाने गई थी, सदर बाजार पुलिस चौकी के एक सब इन्सपेक्टर व दो सिपाहियों ने पेट्रोल डाल कर उसे जला दिया। उसके चीखने चिल्लाने पर पुलिस के लोग भाग गये, उसकी पत्नी भागी

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुई आई तो उसने पुलिस वालों को भागते हुए देखा। शंकर बुरी तरह जल गया था और चिल्ला रहा था कि मुझे पुलिस सब इन्सपेक्टर धामा, सिपाही माँगी लाल व ओम प्रकाश शर्मा ने जलाया है। दिनाँक 22 मई को शंकर की मृत्यु हो गई। श्रीमन्, विगत दिवस इस घटना के विरोध में निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज ही नहीं किया बल्कि बाल्मीकियों के घरों में घुसकर महिलाओं व बच्चों की निर्ममता पूर्वक पिटाई भी की। श्रीमन्, गिरफ्तारियों व घरों में घुसकर दमन व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का सिलसिला अभी भी जारी है।

मान्यवर, स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो चुकी है। पुलिस का अत्याचार चरम सीमा पर है। किसी समय भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। शासन मूक दर्शक बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्री से कि दोषी पुलिस जनों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए व निर्दोष गिरफ्तार किये लोगों को छोडा जाए व विधवा को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु आवश्यक आदेश प्रदान करें। यह भी अनुरोध करूंगा कि आप आज ही मुख्य मंत्री को सदन मे वक्तव्य देने हेतु निर्देश दें।

श्रीमन्, आज यह वही घटना है जैसी विगत मई में आगरे में जाटव समाज में और पुलिस में टकराव हुआ था। आज बाल्मीकि और पुलिस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस द्वारा घरों में घुस कर महिलाओं को पीटा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जाँच करा लेंगे और उसके बाद सदन को जानकारी दे दें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैंने कामरोको प्रस्ताव पेश किया था। बाल्मीकियों में घोर असन्तोष व्याप्त है। इसमें जो पुलिस अधिकारी, सब इन्सपेक्टर व कांस्टेबिल दोषी है, उनका निलम्बन होना चाहिए और विधवा को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे उत्तेजना का वातावरण समाप्त हो। जब जुलूस निकला था तो उस पर अश्रुगैस फेंकी गई और लाठी चार्ज हुआ। पिछली बार जो कुछ हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए, इसको देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप वक्तव्य दिलायें और विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान करें व दोषी लोगों को जाँच कर निलम्बित करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

यहाँ पर जो माँग की गई है कि आगरा की घटना के बारे में माननीय मंत्री जी से कोई वक्तव्य दिलायें, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी इसकी जाँच करा लें और उसके बाद सदन को जानकारी दे दें।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश धूम्र-पान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 23 मार्च, 1979 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मई, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 14 वाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 3 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 मई, 1979 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 21 मई, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 15 वां अधिनियम बन गया।

श्री दौलत सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री पी० सी० जंग, अतिरिक्त फोरमैन, श्री अजयपाल सिंह व रणवीर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने श्री दौलत सिंह, भूमि संरक्षण -अधिकारी, श्री पी0 सी0 जंग, अति0 फोरमैन, श्री अजयपाल सिंह व श्री रणवीर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 30 अप्रैल, 1979 को एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दी थी जो द्वितीय सत्र 1979 के 5वें सोमवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के रूप में ग्राह्य हुआ है। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या माननीय कृषि मंत्री को प्रक्षेत्र प्रबन्धक, दौराला (मेरठ) के विरुद्ध दिनाँक 23–5–78 को भेजी गयी एक शिकायत की प्रतिलिपि मिली है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी। माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रश्न की जब जाँच वहाँ गयी तो इन अधिकारियों ने श्री भवंर सिंह, विद्युत् कार, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि प्रक्षेत्र, दौराला को तंग करना प्रारम्भ किया। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि प्रश्न में निहित तथ्यों की सूचना उन्हें श्री भवंर सिंह तथा उनकी पत्नी से मिली थी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ 30 अप्रैल, 1979 को अधिसूचित प्रश्न, श्रीमती ओंकारी पत्नी श्री भवंर सिंह, विद्युतकार का पत्र दिनाँक 14 मई, 1979 और श्री भवंर सिंह, विद्युतकार द्वारा दिया गया विवरण दिनाँक 30 अप्रैल, 1979 संलग्न किया है।

मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के 19 वें संस्करण के पृष्ठ 159–160 पर यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जो स्वेच्छा से सदस्यों को सूचना देते है और यह प्रश्न कि ऐसी सूचना बाद में सदन की कार्यवाही में प्रयुक्त की जाती है, असंगत है। उक्त पुस्तक के ही पृष्ठ 160 पर उल्लिखित एक अधीनस्थ आर्मी चेपलिन का मामला दिया हुआ है जिसमें उसने किसी सदस्य को ऐसी सूचना दी थी जिसके आधार पर सदस्य ने बाद में प्रश्न की सूचना दी। डिप्टी असिस्टेंट चेपलिन जनरल द्वारा उससे यह कहा गया कि वह संबंधित सदस्य से प्रश्न वापस लेने का अनुरोध करे। यह मामला

श्री दौलत सिंह भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री पी0 सी0 जंग, अतिरिक्त फोरमैन, श्री अजयपाल सिंह व रणवीर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया जिसने यह प्रतिवेदन दिया कि ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को (जो संसद का सदस्य न हो) संसद के सदस्य के साथ किये गये पत्र व्यवहार के बारे में प्रभावित करने में विशेषाधिकार का अवहेलना या सदन का अवमान माना गया हो।

प्रीविलेज डाइजेस्ट के खण्ड 3 अंक 3 के पृष्ठ 146–148 पर मिस्टर फलेचर के मामले का उल्लेख है जो इसी प्रकार का है। 26 जुलाई, 1956 को मिस्टर फलेचर ने यूनाइटेड किंगडम के हाउस आफ कामन्स में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी थी जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें सेकलाज के निवासियों एवं वहाँ जाने वाले व्यक्तियों से सेकलाज के मुख्य न्यायाधिपति मिस्टर एम0 डी0 लायन के बारे में शिकायतें मिली। उन्होंने उक्त शिकायतों के आधार पर 25 जुलाई, 1956 को एक प्रश्न की सूचना दी। जिन व्यक्तियों ने उन के पास सकलाज के मुख्य न्यायाधिपति की शिकायतें भेजी थी उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें सूचित किया कि उसके मकान की तलाशी ली गयी और उसके यहाँ से कुछ पत्र-व्यवहार ले जाया गया। माननीय मि0 फलेचर ने कहा कि उक्त माननीय न्यायाधिपति ने अपने न्यायिक अधिकारियों का दुरुपयोग कर के सदन के सदस्यों को उनका कार्य करने में बाधा डाली है और इस प्रकार प्रत्यक्ष में विशेषाधिकार का अवहेलना का प्रश्न बनता है और उसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आर्मी चेपलिन के उपर्युक्त मामले का निर्देश देते हुए हाउस आफ कामन्स के माननीय अध्यक्ष ने इस मामले में व्यवस्था दी कि संसद के किसी सदस्य को तथ्यों के सूचना देने वाले व्यक्ति को जिसकी सूचना के आधार पर संसद के सदस्य ने किसी प्रश्न की सूचना दी हो, उत्पीड़ित करना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है।

उपर्युक्त दृष्टान्तों से यह स्पष्ट है कि विधान सभा में किसी प्रश्न की सूचना दिये जाने के संबंध में उन व्यक्तियों को उत्पीड़ित करना जिन्होंने प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य को तथ्य आदि दिये हों विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं होता है। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ किन्तु माननीय सदस्य ने जो स्थिति अपनी सूचना में दी है, उसको देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह अपेक्षा करता हूँ कि इस मामले में अविलम्ब जाँच करा कर आवश्यक एवं समुचित कार्यवाही करें।

21मई, 1979 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री राज मंगल पांडेय के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा, दिनाँक 21–5–79 को सर्वश्री रणजीत सिंह व दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्धों में श्री राज मंगल पाँडेय, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि" मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त नियुक्ति हुई उनकी, वे निर्धारित योग्यता रखते थे। लेकिन बाद में शासन ने कोई दूसरा नियमावली बना ली और निर्धारित योग्यता से ज्यादा योग्यता रख दी। वह दूसरी योग्यता आगे आने वालों के लिये है, तो इनको जो पहले वाले थे, उनको निकालने का क्या औचित्य है? तो क्या माननीय आधार पर क्या यह उचित नहीं समझते कि जब उस वक्त निर्धारित योग्यता रखते थे, तो बाद में निकालने का औचित्य नहीं है?

[श्री शिव मंगल सिंह]

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, मैंने निवेदन किया था रेगुलेशन के बारे में। जहाँ तक कमलेश कुमार मिश्र का सवाल था उस वक्त निर्धारित योग्यता हाई स्कूल थी और ये हाई स्कूल थे। बाद में जब सर्विस रेगुलेशन लागू हुए तो श्री मिश्रा निर्धारित योग्यता के आधार पर नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने चुनाव के समय कहा कि मैंने इंटरमीडियेट का इम्तहान दिया है और बाद में परीक्षा फल का प्रमाण दे दूंगा। उसको तब एलाऊ कर दिया। लेकिन जब उसने प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो नोटिस दी गयी और निकाल दिया।

उक्त उत्तर आंशिक रूप से ठीक नहीं दिया गया है। पूर्ण सही उत्तर इस प्रकार है—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था रेगूलेशन के बारे में। जहाँ तक कमलेश कुमार मिश्र का सवाल था, उस वक्त निर्धारित योग्यता हाई स्कूल थी और ये हाई स्कूल थे। बाद में जब सर्विस रेगुलेशन लागू हुए तो श्री मिश्रा निर्धारित योग्यता के आधार पर नहीं आते थे किन्तु उनकी पहले की हुई नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें इससे छूट दे दी गयी। दूसरे व्यक्ति श्री विमल कुमार सक्सेना थे जिसकी नियुक्ति उक्त सर्विस रेगुलेशन होने के बाद हुई थी। नियुक्ति के समय श्री सक्सेना निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय कहा कि मैंने इंटरमीडियेट का इम्तहान दिया है और बाद में परीक्षा फल का प्रमाण दे दूंगा। उसको तब एलाऊ कर दिया। लेकिन जब उसने प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो नोटिस दी गयी और निकाल दिया।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 807 पर)

अमीनाबाद, लखनऊ में व्यापारियों एवं बिक्री-कर सर्वेक्षण दल के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

पहला प्रस्ताव नियम 56 के अन्तर्गत सर्वश्री गोविन्द सिंह नेगी, सुन्दर लाल दीक्षित, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री देव कुमार यादव का है।

श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

पहला प्रस्ताव मेरा है। एक नम्बर पर वह लिखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव 6 मई, 1979 को लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में व्यापारियों एवं बिक्री-कर सर्वेक्षण दल के बीच हुए संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

कृपा करके पहले सुन लें क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है। परसों घटना तो हो गयी। आज हालत क्या है? पूरे अमीनाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है। पुराने लखनऊ के एक तिहाई हिस्से में आज कर्फ्यू लगा हुआ है और यह सबसे बड़ी घनी आबादी है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह कर्फ्यू भी घटना के 36 घंटे बाद लगा। इसकी मूल जड़ यह है कि चुनाव के दौरान व्यापारियों से पैसा लेने तथा उनको धोखा देने के लिये अपने घोषणापत्र में जनता पार्टी ने वायदा किया था कि प्रदेश से वह सेल्स टैक्स खत्म कर देगी। दो साल बने सरकार को हो गये। लगातार प्रश्न किये गये कि वह सेल्स टैक्स खत्म करने जा रही है या नहीं? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

माननीय सदस्य ग्राह्यता के प्रश्न पर बोल रहे हैं या पूरे घटनाक्रम पर?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो नियम के अन्तर्गत है। लेकिन माननीय सदस्य संक्षेप में बतलायें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

हकीकत यह है कि चुनाव के दरम्यान जो वायदा आपने किया था वह पूरा नहीं हुआ। आज व्यापारियों के अन्दर असन्तोष है। व्यापारियों के संगठन ने बाकायदा यह फैसला किया था कि बिक्री कर के जो सर्वेक्षण अधिकारी हैं उनको अपनी दुकानों के अन्दर वे घुसने नहीं देंगे मान्यवर, यह बात अखबारों में छपी थी, उसे आपने भी देखा होगा। उसमें टेलीफोन नम्बर भी दिये गये थे कि अगर वे आते हैं तो इन टेलीफोन नम्बरों पर सूचित कर दिया जाय। मान्यवर, आप सर्वेक्षण करें, हमें कोई एतराज नहीं करना चाहिए। कर-वंचना रोकनी चाहिए। व्यापारी गलत काम करते हैं तो हम आपको सूचित करेंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम था कि व्यापारी लोग सुनिश्चित रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, उनका फैसला था कि वे किसी को घुसने नहीं देंगे, आपको मालूम था कि लखनऊ में पर्याप्त पी0 ए0 सी0 नहीं है, पुलिस के कर्मचारी नहीं हैं, बाहर गये हुये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि बगैर किसी तैयारी के कैसे हिम्मत कैसे आपके सर्वेक्षण अधिकारियों ने की कि वे दुकानों के अन्दर घुस ? आपको मालूम था कि व्यापारी लोग गुस्सा हैं और वे इसका विरोध कर रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि इसके लिये हिंसा भी हो जाय तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक हिंसा नहीं होती तब तक आपक कान में जूं नहीं रेंगती.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उसी पर बोल रहा हूं। बैंक लुट गया, दुकानें लूट ली गई, इतनी सारी दुर्घटना हो गयी, गाड़ियाँ जलाई गई, पी0 ए0 सी0 की गाड़ी जली और यहाँ तक कि एक रोडवेज की बस जिसके अन्दर सवारियाँ बैठी हुई थीं उसमें आग लगा दी और एक बेचारे कांस्टेबिल ने सवारियों को नीचे उतार दिया। यह एक संगठित प्रयास था। तो श्रीमन्, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस सरकार की इंटेलीजेंसी इतनी निकम्मी साबित हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि परसों यह घटना घट चुकी थी और आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है। सारा जनजीवन त्रस्त हो गया है। लोग नौकरियों पर और मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिये यदि वे बाहर नमक, तेल के लिये आते हैं तो पुलिस वाले उनको बन्द कर रहे हैं। ऐसी दशा में इतने बड़े लोक महत्व के प्रश्न पर मैंने सुना है कि आपने नियम 51 में इसे स्वीकार किया है, लेकिन मान्यवर, इससे काम नहीं चलेगा, आप कृपया 2 घन्टे की चर्चा किसी भी समय इस पर देने की कृपा करें।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। मान्यवर, जहाँ पर आप विराजमान हैं वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट में जाने की दूरी पर अमीनाबाद में यह हादसा हो गया। यह घटना परसों 12 बजे हो गयी और पौने 6 बजे मंत्री जी का वक्तव्य मिला जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलायी। म पूछना चाहती हूं कि यदि पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो फिर 200 व्यक्ति कैसे घायल हुये ? 35 आदमी तो सीरियसली घायल हैं, अखबार में उन सबका नाम है। एक व्यक्ति की जान चली गई। मैंने परसों यह बात कही कि 4 व्यक्ति मारे गये और आपने उसका खन्डन किया। आप तो पूरा उत्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

प्रदेश ही जला रहे हैं। एक कहावत है—रोम जल रहा है नीरो वंशी बजा रहा है। हम लोग भी इसके दोषी हैं, क्योंकि हम भी विरोध पक्ष में बैठे हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि शासन शांति व्यवस्था नहीं कायम कर पा रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष —

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, माताबदल पंसारी (व्यवधान) मैं ग्राह्यता पर ही बोल रही हूं आज पूरे प्रदेश में हड़ताल की घोषणा है। व्यापारी मंडल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर रखी है। कल खबर थी कि 16 जिलों में जिसमें बड़े-बड़े जिले सम्मिलित हैं जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, रामपुर, बनारस, कानपुर आदि में हड़ताल रही। सारे प्रदेश का जन जीवन अस्त-व्यस्त है। लखनऊ में यह हालत है कि अमीनाबाद, कैसरबाग आदि तमाम मुहल्लों के लोग और बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लाखों रुपयों की सब्जी कैसरबाग मंडी में सड़ गई है जितने फल थे वह सब सड़ गये हैं। इन्होंने चुनाव में प्रोमिस किया था कि बिक्री कर को एबोलिश कर देंगे। आज बिक्री कर एबोलिश करने की बात लोग कहते हैं तो यह गोली चलाते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

खून की होली वहाँ खेली जा रही है। खून से रंगे यह कपड़े मेरे पास हैं (कपड़े दिखाये)। यह बड़े शर्म की बात है। अगर वायदा किया है तो उसे पूरा करिये। उनको आप विश्वास में लेते लेकिन उनके साथ इस तरह से विपलव मत कीजिये। लोग इनकम टैक्स देते हैं, गोलियों से टैक्स नहीं वसूला जाता है। इनकम टैक्स कायदे से वसूल किया जाता है। अगर किसी व्यापारी ने टैक्स नहीं दिया है तो उसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो परसों दुर्घटना हुई है उसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। मेरा यह कहना है कि यह सही है कि बिक्री कर अधिकारियों के सर्वेक्षण दल को अधिकार है कि वह व्यापारियों के खातों को जाकर देखें और दुकानदारों को भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि सर्वेक्षण दल के अधिकारियों न कागज देखने की बात कही तो दुकानदारों को कागज दिखाना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलिये। जिस वक्त स्पष्टीकरण होगा उस वक्त यह पूछें। (संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर) संसदीय कार्य मंत्री जी यह जो दो तीन लोगों ने नोटिस दिये हैं उनको दो-दो मिनट देना चाहिये। श्री राजेन्द्र कुमार जी ने दिया है तथा श्री डी0 पी0 बोरा जी ने दिया है उनके क्षेत्र का मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से माँग करूंगा कि वह इस घटना की.....

श्री उपाध्यक्ष--

सिर्फ आप ग्राह्यता पर बोलिये कि किस प्रकार यह ग्राह्य है। जहाँ तक तथ्यों की बात है वह स्पष्टीकरण के समय पूछिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

डाकखाना जलाया गया, बैंक लूटा गया, बसों को फूक दिया गया, इसलिये यह लोकमहत्व का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इस घटना की जाँच की जाय।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

मैं आपके संज्ञान में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। बख्शी जी ने जो कपड़े अभी सदन में प्रस्तुत किये। वह अब सदन की सम्पत्ति हो गयी हैं। जो अब आपकी कस्टडी में आना चाहिए। उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसे स्वीकार नहीं किया लेकिन उनको सुनने के लिए समय अवश्य दिया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, शासन को कोई एतराज नहीं है कि इस विषय पर चर्चा हो। इस संबंध में मैं आज शाम को, जब बजट वाला आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, विस्तार से सदन को सूचना दूंगा। उसके बाद एक घंटे की चर्चा सदन कर सकता है।

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, वैसे तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसको शायद ही कभी आपने या आपके भूतपूर्व पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार किया हो, लेकिन आज का जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, वह कुछ गलतफहमियों के आधार पर भी हो सकता है। क्योंकि मुझे बताया गया है कि वित्त मंत्री ने शायद उनको इस संबंध में कोई आश्वासन दिया था कि तीन महीने तक हमारे बिकी कर अधिकारी कोई सर्वे करने नहीं जाएंगे। यदि यह बात सही है तो बात बहुत ही गलत है कि एक मंत्री के आश्वासन के बावजूद आपके अधिकारी ऐसी हिम्मत करते हैं कि वह पूर्ववत् सर्वे करने व्यापारियों के यहाँ जाते हैं। यह बात बहुत ही गलत और निन्दनीय है।

एक दूसरी बात मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। नेगी जी ने जो कुछ कहा, वह कहाँ तक सत्य है, यह वह जानें, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब प्रदेश में बी0एल0डी0 और जनसंघ की गवर्नमेंट थी, उसके तत्कालीन संस्थागत वित्त मंत्री श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने एक बार नहीं 15 बार, और उन्होंने ही नहीं, मुख्य मंत्री तक ने कहा था कि हम सेल्सटैक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और उस वक्त भी वित्त मंत्री दिघे जी थे, यदि वह समझते थे कि यह गलत बात है, यह व्यवहारिक और सम्भव नहीं है, तो यह उनका नैतिक तकाजा था कि वह उसका प्रतिकार करते और सदन में कहते कि जो कुछ हो रहा है, उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। वित्त मंत्री जी कोई घोषणा करें, उसका अब उल्लंघन हो और दूसरे जो इसी सदन में घोषणा हुई कि बिक्री कर समाप्त कर उसको हम उत्पादन कर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यह दोनों चीजें ऐसी हैं जो बड़ी ही गम्भीर हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, यह क्या बोले चले जा रहे हैं। आप क्यों नहीं इनको कहते हैं। यह भाषण दे रहे ह।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यदि वह अपने सहयोगी का पक्ष उचित नहीं समझते थे तो वह उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि सदन को सूचित करते कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आज केवल बयान की बात नहीं है। मुझे तो इस चर्चा में भाग लेने में बड़ा संकोच और दुःख हो रहा है। लेकिन इन बातों पर सदन को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और आपको भी श्रीमन्, इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि यह वैसा प्रश्न नहीं है कि एक मिनट में निर्णय दे दिया। बात इतनी ही नहीं है कि प्रदेश का जन जीवन त्रस्त है, दुकाने बन्द हैं या हिंसा भड़की है, दुःख इस बात का है कि इस शासन में इतना नैतिक स्तर या नैतिक साहस नहीं ह कि वह कह सके कि गोली चली। मेरे पास एक फोटो है, जिसमें कॉंस्टेबिल बन्दूक चला रहा है। बलरामपुर अस्पताल में सैकड़ों आदमी घायल होकर पड़े हैं और एक आदमी तो मर गया। अच्छा होता कि शासन कहता कि हमने इन परिस्थितियों में गोली चलाई और उस वक्त यही हमारे पास व्यवहारिक मार्ग था, दूसरा कोई चारा नहीं था, किन्तु स्टेटमेन्ट में—प्रेसनोट में यह आया है.....

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह किस पर भाषण हो रहा है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, दस स्टेटमेन्ट आ चुके हैं। यह तीन मुद्दे हैं जिस पर इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर मेरे जैसे लोगों को न चाहते हुए भी भाग लेना पड़ रहा है। मान्यवर, इस पर सदन गम्भीरता से विचार करे, इसको स्वतः सोचे और ग्राह्य करें।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय उपाध्यक्ष जी.....

श्री उपाध्यक्ष—

केवल ग्राह्यता पर बोलें क्योंकि तथ्यों पर चर्चा के लिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, आज के कार्य खत्म हो जाने के बाद होगी। केवल ग्राह्यता पर बोलें। आगे इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मुकीमुर्रहमान—

शाम को दोबारा सुनेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियम 56 पर है।

श्री डी० पी० बोरा—

मैं आपका बहुत आभारी ।

श्री मधुकर दिघे—

काहे पर भाषण हो रहा है ?

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं जो ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया है। पूरे तीन दिन से पूरे प्रदेश के अन्दर सारी दुकानें बन्द हैं, जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, स्थिति यह आ गयी है कि लोगों को खाने पीने का सामान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा । जहाँ तक गोली चलाने का सवाल है, वहाँ जो गोली चली है, उसके फोटोग्राफ्स....

श्री मधुकर दिघे—

पता नहीं, कहाँ से ले आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री डी0 पी0 बोरा—

13 अप्रल को व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इस बात का एलान किया कि तमाम सर्वे दल का विरोध करेंगे। इसी के तहत डालीगंज के अन्दर जो सर्वे किया, सर्वे करने के उपरान्त उसका विरोध हुआ वहाँ पर और वित्त मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया कि तीन महीने सर्वे दल किसी दुकान पर नहीं जायेगा। लेकिन पुनरावृत्ति होने की सारी जिम्मेदारी निर्णय न लेने के कारण है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बोरा, बैठ जायं, जब चर्चा ही होगी . . . . .

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

हमें सुन लें ग्राह्यता पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा की बात कह दी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

यह बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी ।

श्री गुलाब सेहरा—

केवल ग्राह्यता पर एक बात कहनी है ।

एक सदस्य—

या तो मान्यवर, एक घंटे की चर्चा ही करवा लें ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

आपने बोलने के लिए कह दिया सेहरा जी को ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह एक दल के उपनेता हैं। उनकी बात सुननी चाहिए ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

इस पर चर्चा आप अभी करवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 में मैं स्वीकार नहीं करता। जितनी सूचनाएं आयी हैं, सब को मैंने अस्वीकार किया। एक घंटे की चर्चा संसदीय कार्यमंत्री ने कह दिया है, जो आज का कार्य है, उसके बाद इसे हम लेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा—

इस सम्बन्ध में एक मिनट आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी, कार्य समाप्त होने के बाद आप अपना वक्तव्य इस पर देंगे ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

कल उन्होंने बयान दिया है कि फिर सर्वे करवाएंगे जबकि उन्होंने यह कहा था नयी घटना 16 फरवरी और 18 को हुई (व्यवधान) उत्तेजना बढ़वा रहे हैं। कल बयान दिया है कि पुलिस के संरक्षण में सर्वे करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, चर्चा की बात नहीं है, रोज बयान बदल रहे हैं। उन अधिकारियों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। आश्चर्य यह है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें। मैं किसी को इजाजत नहीं देता। जो आगे इस सम्बन्ध में बोलेंगे वह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक पर मतदान ।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—
मान्यवर, एक घंटे की चर्चा पर्याप्त नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—
यह उसी समय हो जायेगा।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 72—सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य—राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 73—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (क्रमागत)†

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिंचाई बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, पहले मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मेरठ में बरनावा क्षेत्र में लिफ्ट से पानी उठाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की गयी है जिसमें 5 करोड़ के लगभग बजट रखा गया है, उसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, यह आम शिकायत सुनने में आती है कि जो रुपया सिंचाई विभाग को निर्धारित किया जाता है रजबहों और नहरों की सफाई के लिए, वह पैसा दुरुपयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि इस प्रकार का जो भी कार्य हो उसके लिए एक बोर्ड बना दिया जाये और उस पर यह लिखा जाये कि किस रजबहे या नहर की सफाई हो रही है और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है, यह विवरण उस पर लिखा हो तो जनसाधारण उसको पढ़ कर जान सकता है और अगर उसमें किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह शासन को लिख सकता है और हर आदमी को मालूम हो सकता है कि किस रजबहे पर सरकार का रुपया खर्च हो रहा है।

मान्यवर, जो फण्ड होते हैं वह अनयुटिलाइज्ड रह जाते हैं। जितना प्राविधान किया जाता है वह खर्च नहीं होता है। पिछले साल जिनके पास इस धन को खर्च करने की जिम्मेदारी थी उन्हीं पर इस साल भी है तो मेरा निवेदन है कि इस साल भी कहीं फण्ड अनयुटिलाइज्ड न रह जाये। लिहाजा उनकी जिम्मेदारी इस बारे में फिक्स कर दी जाये कि यह रुपया अब दुबारा न बचने पावे।

मान्यवर, मेरठ में आबू नाला है उसकी सफाई पर काफी रुपया खर्च किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस नाले में दौराला शुगर फैक्टरी का पानी चलता है और इस वर्ष पानी कभी बन्द ही नहीं हुआ तो उस नाले की सफाई कब हो गयी और किस प्रकार से कर दी गयी। तो मान्यवर, इसके बारे में जाँच करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, अब मैं थोड़ा सा एडीशनल चीफ इन्जीनियर्स की बढ़ती हुई संख्या के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, इसको रोकना पड़ेगा। इनकी संख्या 26 है। इनका आफिस लखनऊ में है, इनका आफिस जोन में कर दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरकाशी में एक परियोजना चल रही है लेकिन उसके एडीशनल चीफ इन्जीनियर लखनऊ में बैठते हैं। जहाँ पर काम हो रहा है वहीं पर उनको भेजना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि नरौरा से एक नहर चलती है। यहाँ पर नहर बनी हुई है। योजना यह बनाई गयी है कि इसके पैरलल एक दूसरी नहर

---

†26 मई, 1979 की कार्यवाही से।

बनाई जाय जिससे पैडी की फसल के लिए पानी मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान नहर बनी हुई है वह लोअर गंगा कैनाल के अन्तर्गत बनी जिससे धान की खेती की आवश्यक पूर्ति हो सके, उसके पैरलल एक और नहर बनाई जा रही है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, पिछले 20 साल की आबपाशी का रिकार्ड देख लेना चाहिए जिससे मालूम हो सके कि इस क्षेत्र में धान की फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता है।

दूसरी चीज मैं नलकूपों के विषय में कहना चाहता हूं। नलकूपों में छोटा-मोटा नुकसान हो जाता है जैसे मोटर फुक गया या कोई एक बोल्ट खराब हो गया तो उसके लिए आपरेटर को हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। बोल्ट की कीमत 4 आना होती है लेकिन उसके लिए उसको शहर तक जाना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक रनिंग वर्कशाप होनी चाहिए जिससे छोटे-मोटे कामों को वहीं पर ठीक किया जा सके। दूसरे जो ट्यूबवेल्स का कमान्ड एरिया है वह बहुत पुराना क्षेत्र है और उनके बीच में किसानों ने अपने-अपने ट्यूबवेल्स बना लिए हैं। उनके घंटे बंध जाते हैं। वे किसान राजकीय नलकूपों का पानी नहीं लेते हैं बल्कि उसे दूसरे किसानों को बेचते हैं। जिन नलकूपों में सरकारी धन लगा हुआ है उसके पानी को प्राइवेट नलकूप वाले बेचते हैं मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कुछ कार्यवाही होनी चाहिए।

जहाँ नलकूपों में मोटरों के लगाए जाने का सम्बन्ध है उनमें 25 हार्स पावर के मोटर्स लगे हुए हैं। वहाँ पर यह आम शिकायत है कि कम पावर के ट्रान्सफामर्स होने के कारण ये मोटर जल जाते है। जिस प्रकार से निजी नलकूप वाले अपने ट्यूबवेल्स पर 15 हार्स पावर के मोटर लगाते हैं उसी प्रकार से आप भी इतनी ही हार्स पावर के मोटर्स लगायें। इससे आपके जो नलकूप हैं वे बराबर रन करते रहेंगे।

एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आपके सरकारी कर्मचारी सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं तो उनको कार एलाउन्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे आपने कहा है कि 2,000 ट्यूबवेल्स आपने लगाए हैं लेकिन उनके लिए बिजली नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आप 500 डीजल के जैनरेटर्स लगायेंगे। यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपने 2,000 ट्यूबवेल्स का क्लस्टर लगा दिया है जिसके लिए आप 500 डीजल जैनरेटर्स लगाकर उनको इलेक्ट्रिफाई कर देंगे। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से विस्तार में बात कर लूंगा लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वे स्वयं भी देख लें। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे जैनरेटर्स की खरीद में जो भी रुपया लगेगा वह खराब हो जायेगा।

सुना है कि एक और खतीली एस्केप बनाई जा रही है। इसके सम्बन्ध में पिछली बार भी एक मन्त्री जी को शिकायत की गयी थी कि उससे बाढ़ आ गई थी। गाजियाबाद में हिन्डन पर जो रेल का पुल है वह एस्केप के खोलने की वजह से टूट गया था। एस्केप पर अंग्रेजों के जमाने से एक बोर्ड लगा हुआ है कि इसका खोलना खतरनाक है। पार साल इसको इस्तेमाल किया गया और बाढ़ आ गयी थी। इसी प्रकार की एक और अब एस्केप बनाई जा रही है। तो क्या कारण हो गये कि इस प्रकार की एक दूसरी एस्केप बनाई गयी, वह क्या परपज सिद्ध करेगी।

जहाँ तक ट्यूबवेल्स की बात है जिले से रिपोर्ट आ जाती है कि यहाँ पर जमीन ऊंची नीची है। तो इस सम्बन्ध में मैं सिंचाई विभाग को यह सुझाव देना चाहता हू कि जमीन को बराबर करवाकर, स्वायल कन्जर्वेशन विभाग की सहायता से, तभी वहाँ पर ट्यूबवेल

[श्री धर्मवीर सिंह]

लगवाने की व्यवस्था हो। हमारा मकसद यह है कि देश और प्रदेश की उपज बढ़े और किसानों को आबपाशी की सुविधा हो।

नलकूपों से पानी खेतों में पहुंचाने के लिए गूले बनती हैं, उनकी लेविलिंग में दिक्कत होती है और सामान किस रेशियों में है। तो मेरी प्रार्थना है कि वहाँ पर मेकेनिकल इंजीनियर और ओवरसियर के साथ-साथ, जैसे कि पहले एक प्रथा थी, सिविल इंजीनियर या ओवरसियर भी वहाँ पर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो राजबहे हैं उनकी पटरियों को पक्का कराया जाय ताकि किसानों को आने-जाने में सुविधा हो सके। इसके अलावा जो ओसरे है वे 15–15 दिन में बाँटे जाते हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री धर्मवीर सिंह (मेरठ)—

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मै केवल–2–4 बातों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखूंगा। पहली बात तो यह है कि प्रदेश में गत वर्ष बाढ़ की विभीषिका आई। इस बार फिर जून का महीना आने वाला है। बाढ़ के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की जो जिम्मेदारी है, राजस्व विभाग के अलावा, यदि हम उस पर विचार करें तो अप्रैल और मई बीतने को आ गया, इनके अधिकारियों ने हम लोगों से अब तक कोई विचार विमर्श तक नहीं किया है और न ही कोई कार्य किया है। पिछली बाढ़ में जो दुर्गति हुई थी वह अधिकारियों को ले जाकर दिखाई थीं, अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था, मगर कोई कार्य नहीं हुआ।

वाराणसी जनपद में चकिया और चन्दौली तहसीलें हैं, वहाँ चन्द्रप्रभा डिवीजन में 4 बाँध पड़ते हैं और बाढ़ आने पर वह क्षेत्र तबाह हो जाता है। भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री श्री बलवीर सिंह व एडीशनल चीफ ने वहाँ जाकर देखा था कि किस तरह तबाही हुई थी। नहरों ने नदियों का भयंकर रूप ले लिया था। हमारे क्षेत्र में 48 पुल, पुलियों के लिए डिजाइन और इस्टीमेट्स स्वीकृत हो चुके हैं पर आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। अधिकारीगण यहाँ एयर कन्डीशन्स में बैठ कर आनन्द लेते हैं, गरीबों पर क्या बीतती है उनको पता नहीं रहता जो नियम बने हुए वे भी ब्रिटिश काल के बने हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में तो पालिटिकल प्रेशर की वजह से एक आदमी के क्षेत्र में एक–एक किलोमीटर पर 8—8 पुलिया बन गयीं, पर दूसरी जगह 4–5 किलोमीटर तक कोई पुलिया नहीं बनी है। मैं पूछता हूं कि जो 48 पुलियों के डिजाइन आदि स्वीकृत हो चुके हैं उन पर काम क्यों नहीं शुरू किया जाता है?

मान्यवर, सिंचाई विभाग के लिए बहुत अच्छा बजट दिया गया है, लेकिन इनकी आदतें जो खराब पड़ी हुई हैं वे नहीं जा रही हैं। इस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सारे बजट का 50 प्रतिशत इनके अधिकारी व कर्मचारी खा जाते हैं। हमारे यहाँ एक नलकूप बन रहा था, उसमें जो मसाला लग रहा था वह 1–25 का भी नहीं लग रहा था, मैंने उसे यहाँ लाकर अधिकारियों को दिखाया। मुझसे कहा गया कि तुम इसको क्या जानो। वह भवन खराब मसाले के कारण आज ध्वस्त हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहाँ तक हरिजन कर्मचारियों का इस विभाग का प्रश्न है, उनके साथ अधिकारियों का बर्ताव ठीक नहीं रहता। इस विभाग में 5 अधिशासी अभियन्ता अनुसूचित जाति के हैं और उन सभी को ऐसी जगह पोस्ट कर रखा है जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता। उनके साथ अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। सभी को आज पहाड़ों पर भेज रखा है या अनुसन्धान में भेजा है। आज इनके यहाँ एक भी अधीक्षण अभियन्ता अनुसूचित जाति का नहीं है, सीनियारिटी होते हुए भी इन्हें प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी इन बातों के सम्बन्ध में चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर गौर करने की कृपा करें।

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र की समस्यायें हैं, उनकी ओर इंगित करना चाहता हूं। मध्य उत्तर प्रदेश को हरा-भरा करने के लिए एक बहुत ही विशाल योजना, शारदा सहायक परियोजना है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र महमूदाबाद इस योजना में उजड़ने की स्थित में पहुंच गया। इस विषम स्थित की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीपेज की एक समस्या पिछले वर्ष से खड़ी हो गयी थी, सैकड़ों गाँव उजड़ गये। कई बार प्रश्नोत्तरकाल तथा शून्य प्रहर में मैंने यह प्रश्न उठाने का प्रयास किया, मन्त्री जी को लिखा, प्रश्न भी उठाया। मान्यवर, आप से अनुरोध है, वहाँ की समस्या के सम्बन्ध में कोई विभागीय योजना बनाई जाय, उस क्षेत्र में जो विषम समस्या उत्पन्न हो गयी है, उसमें सुधार लाया जाय। सीपेज दूर करने के लिए छोटी-छोटी नालियाँ, ड्रेने खोदी गयीं। मान्यवर, यदि जगह-जगह ड्रेने, नाले खोद दी जायेंगी, तो मान्यवर, उससे गाँव के सामने आने-जाने की एक विषम समस्या खड़ी हो गयी है। दल से प्रभावित लोगों के न कोई खाने का ठिकाना है और न रहने का ठिकाना है। इस विकराल विनाश लीला की जाँच कराई जाय। सन् 70 में शारदा सहायक की योजना स्वीकृत हुई, किसानों की भूमि उसमें ले ली गयी, सैकड़ों किसान आज ऐसे घूम रहे हैं जिनको मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। मैंने कई बार सरकार को लिखा। शासन से यह बार-बार सूचना मिली कि मुआवजा दे दिया गया। जिनकी जमीन नहर में पड़ गयी है, उनको मुआवजा दिलाने की कृपा की जाय। जिन किसानों की भूमि नहर में पड़ गयी है जिनके रोजी का कोई साधन नहीं है न वे कोई रोजगार अशिक्षित होने के कारण कर सकते हैं। उन्हें उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर किसी विभाग में नौकरी दी जाय। क्षमता के आधार पर कोई उद्योग उस क्षेत्र में लगाकर जीविका की व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, निवेदन है कि जिनकी जमीन ले ली गयी है, उनको कहीं कुछ जमीन दिलाई जाय। उनको किसी विभाग में कराया जाय। जो गाँव दलदल से प्रभावित हैं उनको सुरक्षित स्थान बकाया रखा जाय। पिछली सरकार ने बकवा तथा चौका नदी के बाढ़ को रोकने के लिए एक बाँध बनाने की योजना बनाई थी, वर्ष 1977 तक इस बाँध का कार्य चलता रहा। परन्तु इस सरकार के बनते ही बाँध का कार्य रोक दिया गया। महमूदाबाद बाँध के नाम से उसे कहा जाता है। मन्त्री जी से निवेदन है कि उस बाँध को जहाँगीराबाद तक पूरा कराया जाय, जिससे कि वहाँ की बाढ़ को रोका जा सके। मान्यवर, घाघरा नदी के बहाव से सैकड़ों गाँव बह गये। उसके कटान को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाय। शारदा सहायक के सम्बन्ध में मेरा एक और अनुरोध है। 4–4 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर पुल बनाया गया है। मान्यवर, वहाँ के लोगों को आने-जाने के विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इस नहर पर एक-एक किलोमीटर की दूरी पर छोटे-छोटे फुटब्रिज बनवा दिए जायें

[श्री राम नरायन वर्मा]

ताकि किसानों को निकलने के लिए सुविधा हो जाय। शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत काफी योजनाएं पेंडिंग में पड़ी हैं उन पर कार्य प्रारम्भ कराके झीलों को गहरा कराया जाय इस प्रकार बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जनपद मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की पश्चिमी सीमा जमुना नदी तक पहुंचती है। मेरे क्षेत्र के कई गाँव टाँडा, बदरखा, ककोर आदि हैं। जमुना नदी कई वर्षों से उत्तर प्रदेश से मिल कर बह रही है। मैंने कई बार अधिकारियों को पत्र लिखे कि इन गाँवों को बड़ा खतरा बना हुआ है, इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए। श्रीमन्, एक प्रोजेक्ट बनाया गया लेकिन सिंचाई विभाग की एक टेक्निकल कमेटी है, सम्भवतः जो वरिष्ठ अभियन्ता हैं, वे उसके सदस्य होते हैं। पिछली बार उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। तब मैंने तत्कालीन सिंचाई मन्त्री श्री बलवीर सिंह जी से निवेदन किया था। मैं बताना चाहूंगा कि दूसरी ओर हरियाणा की जो सीमा है उसमें 26 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बाढ़ से बचाने के लिए खर्च कर 3-4 मीटर ऊंचा एक बाँध बनाया है और 10 करोड़ रुपया मेरठ जनपद की सीमा के सामने दिल्ली सरकार ने खर्च किया है। लेकिन अपनी सरकार का करोड़ों रुपया प्रति वर्ष अनयूटीलाइज्ड वापस कर दिया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी योजना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ के लिए बनाई जाय जिससे कटाव की स्थिति दूर हो सके।

दूसरी बड़ी समस्या बागपत तहसील के 20-25 गाँव हैं जिनका क्षेत्रफल 30-32 किलोमीटर है। "वाटर लागिंग" की भीषण समस्या है वहाँ। पूरी खरीफ की फसल, चारा आदि नष्ट हो जाता है। पशु बीमार हो जाते हैं। प्रश्नों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मैंने उस बारे में कहा लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। मैं अपील करूंगा कि उन गाँवों की स्थायी समस्या का हल होना चाहिए। गत वर्ष मैंने देखा कि एक मृत व्यक्ति को अन्तिम संस्कार करने के लिए पक्की सड़क पर 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा इस समस्या को दूर करने के लिए जो नहरें तथा ड्रेन हैं, उनको चौड़ा किया जाय, गहरा किया जाय वरना लाखों रुपए की फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो रही है और विभाग अपने कान बन्द किए हैं।

(इस समय 1 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

तीसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी निश्चित जानकारी है कि सिंचाई विभाग में जितना रुपया निर्माण कार्यों में खर्च होता है उसका 60 प्रतिशत केवल अधिकारी खा जाते हैं और 40 प्रतिशत जो ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, केवल वे खर्च करते हैं। मन्त्री जी ने 2-4 जगह छापा लगाया, उन्होंने स्वयं यह देखा कि रुपया पूरा खर्च दिखा दिया, पूरा पेमेन्ट हो गया लेकिन एक पैसा भी मौके पर खर्च नहीं है, सारी की सारी फर्जी कार्यवाही हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग का इतना बड़ा बजट है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर इस 60 प्रतिशत रुपए को बेईमानी से हजम कर जाते हैं और 40 प्रतिशत निर्माण कार्य में खर्च किया जाता है।

माननीय मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने अभी विभाग सम्भाला है उनसे बहुत आशाएं हैं। वह इस पर रिसर्च करेंगे और माननीय, सदस्यों को आमन्त्रित करें, अगर वह इसमें सफल हो जाते हैं और जनता का पैसा सचमुच निर्माण कार्यों पर खर्च होगा तो मैं समझूंगा कि वह एक सफल मन्त्री होंगे और सारा प्रदेश उनका आभारी होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)––

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, जनपद एटा के सोरों क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं। सन् 52 से लगातार सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक वहाँ से नहीं आया इसलिए उस क्षेत्र की सदैव उपेक्षा रही है और सिंचाई में किसी तरह की कोई सुविधा वहाँ नहीं दी गयी है। मान्यवर, यह जो बुकलेट जारी हुई है उसमें एटा जिले के लिए सिर्फ एक पी0एल0जी0सी0 समानान्तर निकली गंगा नहर और फर्रुखाबाद ब्रान्च को चौड़ा करने की बात कही गयी है। पी0एल0जी0सी0 के सम्बन्ध में इतना घपला है कि उसमें लाखों रुपयों का सीमेन्ट और लाखों रुपयों का डीजल ब्लेक में बेचा जा रहा है। जितने लोगों की जमीन पी0एल0जी0सी0 में गयी है और उनके बच्चे योग्यता रखते हैं लेकिन उनको सेवाओं में नहीं लिया गया है। और राजनीतिक दबाव के कारण निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए अधिकारियों ने मनमाने तरीके से नियुक्तियाँ कर ली है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिन लोगों की जमीनें गयी हैं, मकान गए हैं उन लोगों के बच्चों को सेवा का मौका दिया जाय।

दूसरी बात मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र उत्तर में गंगा नदी और दक्खिन में काली नदी के बीच में फंसा हुआ है। गत वर्ष 2 बार गंगा नदी में और एक बार काली नदी में बाढ़ आई जिसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों लोग तबाह हो गये और बहुत मामूली सी राहत दी गयी। किसी को 25 रुपए किसी को 75 रु0 की राहत दी गयी जो नाकाफी रही। मान्यवर, गंगा का कटान जारी है वह अपनी मूल धारा में, जो बूढ़ी गंगा है, उसमें गंगा का कटान जारी है और उत्तर दक्खिन की ओर बहना शुरू कर दिया है। यदि इसकी धारा मूल धारा में गयी तो एटा जिले का 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जायगा और न्योली शुगर फक्टरी, सोरों कस्बा नहीं बच पायेगा और बहुत से लोगों का नुकसान होगा। गंगा नदी के कटान से कासगंज क्षेत्र के गाँव कट गये हैं। मेरे क्षेत्र मे अन्तिम गाँव लहरा के पश्चिम में गंगा नदी का कटान जारी है। मैंने लिखकर दिया था कि लहरा में खाड़ेरी, बघेला, दतलाना होते हुए उडहर तक पक्का बाँध बनाया जाय जिसकी लम्बाई लगभग साढ़े 3 कि0मी0 होगी तो वह गाँव बच पायेंगे नहीं, तो अगली बार 20 गाँव गंगा नदी के बाढ़ में आ जायेंगे और कुछ नहीं बच पायेगा। मेरा अनुरोध है, मैं पहले भी सिंचाई मन्त्री से मिला था और लिखकर दिया था, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई ?

मान्यवर, मैं काश्तकारों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जब नहर और रजबहे कट जाते हैं पानी की अधिकता के कारण तो किसानों पर तावान लगा दिया जाता है। उनकी फसल मारी जाती है और आर्थिक दण्ड भी भुगतना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि किसानों के ऊपर जो तावान लगाने की प्रथा है वह समाप्त की जाय। अगर विभागीय गलती के कारण नहर या रजबहा कटता है और किसानों का नुकसान होता है तो उनको कम्पेन्सेट किया जाय और मुआवजा दिया जाय।

मान्यवर, फर्रुखाबाद ब्रांच–गोरहा–सहावर सड़क के रूप में परिवर्तित है, लेकिन वह 9 किलोमीटर पक्की है और 7–8 किलोमीटर कच्ची है। इसलिए मन्त्री जी से आग्रह है कि चूंकि वहाँ बसें चलती हैं, इसलिए उस नहर को पक्की करने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, वह पिछड़ा क्षेत्र है। इसलिए वहाँ अधिक से अधिक ट्यूबवेल लगाने की मन्त्री जी व्यवस्था करें। सिंचाई विभाग के नहर और ट्यूबवेल विभाग एक ही विभाग

[श्री मान पाल सिंह एडवोकेट]

के अंग हैं लेकिन जब सरकारी ट्यूबवेल लगाने की बात आती है तो वह रिपोर्ट माँगी जाती है कि वह क्षेत्र नहर कमाण्ड में तो नहीं है। इसलिए इस गलती के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचित रह जाती है और सरकारी ट्यूबवेल लगाने में असुविधा होती है। इसलिए जहाँ नाली न हो, पानी न गया हो नहर का, उसको कमाण्ड एरिया से बाहर घोषित करने की कृपा करें।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मुख्य रूप से अपने जिले की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जिला उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है। पिछले दो सालों से हमारा जिला धान की सघन खेती की ओर ध्यान दे रहा है। लेकिन वहाँ की कुछ समस्याएं हैं जिससे हम लोग सिंचाई से त्रस्त रहते हैं। मान्यवर, हमारे जिले से करवन नदी गुजरती है, यह नदी मन्त्री जी के जिले से भी गुजरती है। यह बरसाती नाला है। वर्षा के दिनों में यह नाला तबाही मचा देता है। पिछली बार इसे साफ करने के लिए बजट पास हुआ लेकिन जहाँ मेरठ, गाजियाबाद की सीमा समाप्त होती है, वहीं तक यह नाला खोदा गया और उसके बाद खोदाई बन्द है। अपने जिले के किसान हमारे पास आते रहते हैं और कहते हैं कि क्या अब यह नदी नहीं खुदेगी। यह नदी हमारे जिले बुलन्दशहर से लेकर कानपुर तक तबाही मचाती है। इसलिए इस नदी की खुदाई पर मन्त्री जी ध्यान दें।

अब मैं मान्यवर, इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे जिले में एक धनीराम अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उन्होंने 9 लाख रुपए का गबन किया है।

श्री अधिष्ठाता—

जो लोग यहाँ नहीं हैं उनका नाम न लें, बल्कि पद का नाम लें।

श्री विजय राज सिंह—

ठीक है। तो मान्यवर, हमने उनकी शिकायत भूतपूर्व मन्त्री जी से किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वह एक सिंचाई अधिकारी के रिश्तेदार हैं और वह दबाव देते हैं। लेकिन मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भ्रष्टाचार के निवारण में इस इंजीनियर के खिलाफ, क्योंकि एडीशनल इंजीनियर की रिपोर्ट है, कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, तीसरी बात छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा करवाया जा सकता है जिससे सम्पर्क मार्ग बन सकें। बुलन्दशहर में जेवर मण्डी है इसकी उप मण्डी रघुपुरा है। इन दोनों को बम्बा मिलाता है। इसलिए उस बम्बे को पक्का कर दिया जाय तो, जो कि 4–5 किलोमीटर का है, किसानों को बड़ी सुविधा हो जायेगी। मान्यवर, इसी तरह से बुलन्दशहर में मुख्य डाक बंगला वलीपुरा है यदि यहाँ से सनौटा डाक बंगला को जायं तो 25–30 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। इसलिए दरियापुर बम्बे की पटरी पक्की कर दी जाय तो यह चक्कर बच जायेगा और केवल 7–8 किलोमीटर पड़ेगा जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। इससे किसानों को व्यक्तिगत रूप से अच्छा रास्ता मिल जायगा। तो एक तो इस समय के बारे में ध्यान दिया जाय। एक बात, मान्यवर, अपने जिले के लिए और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे जिले में नालों की सफाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छी तरह से नहीं हो पाई है—बल्कि हुई ही नहीं है। अतः निवेदन है कि इन नालों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं और हमें खुशी है कि आज एक किसान के बेटे ने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करने का साहस किया। मैं आशा करता हूं कि इससे शायद हमारे सिंचाई विभाग की समस्यायें सुधरेंगी और विभाग में सुधार होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितनी गड़बड़ियाँ हमारे सिंचाई विभाग में हैं और कहीं नहीं हैं। मन्त्री जी हमारे किसान के बेटा होने के साथ ही साथ वकील भी हैं। मैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के हरिजन अधिकारियों के साथ जितना दुर्व्यवहार हो रहा है, उतना किसी के साथ नहीं हो रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है। अभी हमारे मन्त्री जी को इस विभाग में आये केवल एकाध महीना हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरिजन इंजीनियरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसकी ओर मन्त्री जी देखेंगे और इसको नहीं होने देंगे। हमारे इन इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। हमको इन इंजीनियर्स और कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो केवल आपके लखनऊ में बैठे हुए अधिकारियों से हैं, जोकि यहाँ बैठ कर लूट-मार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर कृपया ध्यान दें। मन्त्री जी किसान के बेटे हैं और इस विभाग की समस्याओं की ओर खुद ही ध्यान देंगे। मैं तो केवल आगाह कर देना चाहता हूं।

दूसरी बात, मान्यवर, यह कहना है कि हमारे इंजीनियर्स ने बाढ़ के सम्बन्ध में बड़ा अच्छा काम किया। मैंने बाढ़ के समय, जो उन्होंने काम किया है, उसको देखा है। मुझे अत्यन्त खुशी है कि सिंचाई विभाग के एक–एक नवजवान इंजीनियर ने बाढ़ के समय गरीबों की रक्षा की और नालों का पानी निकलवाया। मेरा माननीय मन्त्री जी से, मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि वह इस काम के लिए इन इंजीनियर्स को प्रोत्साहन दें ताकि उनको आगे के लिए और अधिक उत्साह मिले।

मान्यवर, हमारे मन्त्री जी केवल किसान के बेटे नहीं हैं, बल्कि वकील भी हैं। एम0ए0एल-एल0बी0 भी हैं। मुझे उन पर और उनकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है कि वह किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। एक बात इसी सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि जो नये-नये मुकदमें चला दिए जाते हैं, वे न चलाए जायं क्योंकि इससे गरीब किसान परेशान होते हैं। उसमें जो भी दण्ड हो, तुरन्त उसको दे दें। और न इतना दण्ड लगायें कि जिससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़े। मैं आशा करता हूं कि सिंचाई विभाग इन दो-तीन समस्याओं के बारे में, जिनका हमने जिक्र किया है, माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे। आशा है इन शिकायतों को सिंचाई विभाग द्वारा दूर किए जाने का प्रयत्न किया जायेगा। अगर यह नहीं होता तो हम सिंचाई विभाग की खुल कर खिलाफत करूंगा फिर चाहे जनता पार्टी की सरकार रहे या नहीं रहे। सिंचाई विभाग में जो हरिजन अधिकारियों के साथ जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग के इस बजट का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। प्रथम निवेदन यह है कि सिंचाई विभाग का यह नियम है कि जब सिंचाई हो जाती है तो उसके बाद परताल होती है पतरौल द्वारा उसकी पर्ची किसानों को मिलती है और उसके 30 दिन के अन्दर किसान को मौका रहता है कि अगर गलत पड़ताल हुई है तो वह ऐतराज दाखिल कर दे। लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नहीं रहा है। पड़ताल हो जाती है। किसानों को पता नहीं चलता, उन्हें कोई पर्ची नहीं मिलती। जमाबन्दी बन जाती है और जब तहसील से वसूली की जाती है तब किसान को पता चलता है कि जिस खेत में फसल नहीं बोयी थी उसकी भी पड़ताल हो गयी और अब नाजायज वसूली की जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि यह कानून तो बना हुआ है कि किसान को सूचना देना चाहिए लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। आज बड़ी जरूरत है कि इसका पालन किया जाना चाहिए। किसानों के साथ एक प्रकार से बड़ा अन्याय हो रहा है। किसान अगर विभाग में ऐतराज करता है तो उससे कहा जाता है हमें नहीं मालूम, जमाबन्दी बन गयी। अब कुछ नहीं हो सकता।

दूसरा निवेदन यह है कि जो निर्माण कार्य सिंचाई विभाग में होता है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। एक तरह से बालू की भीत बनाई जा रही है। अगर सही मात्रा में मैटीरियल लगाया जाय तो जो निर्माण किया गया है उसमें सौ साल तक छूने की आवश्यकता ही न पड़े। वह टिकाऊ होगा। लेकिन गलत मैटीरियल लगाने की वजह से वह टिकाऊ नहीं होता। जहाँ 1 : 4 का मसाला लगाना चाहिए वहाँ 1 : 15, 1 : 18 तक का मसला लगाया जाता है। इसी प्रकार से छड़ें बेच दी जाती हैं। नतीजा यह कि ट्यूबवेल की नालियाँ बनती हैं जो दो महीने बाद टूट जाती हैं। अंग्रेजों के जमाने में ठेके के टेंडर पड़ते थे। एक-एक पैसा ठेकेदार को खर्च करना पड़ता था। अगर गलत काम पाया जाता था तो उसका सारा काम कैंसिल कर दिया जाता था। आज ठेका होता है लेकिन काम हो जाने के बाद कोई जाँच नहीं होती। उसका सारा भुगतान कर दिया जाता है। निर्माण कार्य साल भर के अन्दर ही ध्वस्त हो जाता है। कोई पुरसाहाल नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रदेश स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर विशेषज्ञ व्यक्तियों का सेल बनाया जाय जो निर्माण कार्यों की जाँच करे अगर गलत काम पाया जाय तो उसको कैंसिल किया जाय और ठेकेदार से रिकवरी की जाय। अगर दो–चार ठेकेदारों से रिकवरी हो जाय तो दूसरे लोग सही काम करने लगेंगे। हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। इस देश की भारतमाता की रक्षा के लिए हंस–हंस कर के लोगों ने अपने प्राण दे दिए। कितनी माँ–बहनों के सिन्दूर धुल गए। इसलिए कि इस देश में कुछ सुधार आयेगा, खुशहोली आयेगी किन्तु हम उन्हें भूल गए उनकी शहादत को भूल गए। उनकी कुर्बानी देने की उनकी तमन्नाओ को उनके इरादों को भूल गए। मैं चाहता हूं कि देश के हित के लिए हमें जो भत्ते मिलते हैं, जो तनख्वाह मिलती है उसी में सन्तोष करें और देश का सही रूप में निर्माण करें। जो हमारे निर्माण कार्य हों उनका ठीक तरह से निर्माण हो ताकि सौ वर्ष तक उनकी मरम्मत करने की जरूरत न पड़े। इस तरह की व्यवस्था देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री देव कुमार (जिला बाँदा)**—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक ऐसे मुहकमे के जिम्मेदार हैं जो इस प्रदेश और देश के विकास और खेती समस्या के लिए बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा उत्तरदायी है। हमारे प्रदेश के अन्दर यदि आप सम्पन्नता लाना चाहते हैं, यहाँ की भुखमरी और गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो सारे प्रदेश स्तर में सिंचाई के साधन बढ़ाए जायं। कैसे खेती को पानी मुहैय्या कराया जाय और किन साधनों से कराया जाय इसका एक व्यापक सर्वे आप से कराने का आग्रह है। सारे प्रदेश में पिछली काँग्रेस सरकार ने भी सिंचाई परियोजनाएं बनाई हैं लेकिन आपसे जितनी आशा थी जबकि आप की सरकार घोषणा करके आई थी कि आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे, आपकी योजना कृषि परख होगी, किसानों की सम्पन्नता के लिए आप थोड़ा कुछ करेंगे, तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि आपका शासन इन दो वर्षों के पूरा होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया। ऐसे आज बहुत से प्रदेश के अंचल हैं जहाँ किसानों की आशायें पूरी होते नजर नहीं आती हैं। बहुत कम वक्त मिलता है मान्यवर, मैं खासतौर से बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, बाँदा की उर्वरक भूमि 32 साल के बाद भी आज प्यासी है, भूखी है, नंगी है, खेत और किसान पानी के लिए तड़पते हैं। कुछ घोषणाएं शासन ने की थीं कि बुन्देलखण्ड को सिंचाई साधनों में प्राथमिकता दी जायगी लेकिन आपका बजट इस बात के विपरीत है। अभी 20 तारीख को वहाँ के कमिश्नर ने एक प्रमागीय सम्मेलन बुलाया था उसमें हम लोगों को भी हिस्सा लेने का मौका मिला और मुझे यह जान कर बहुत तकलीफ हुई कि इस बजट के अन्दर बुन्देलखण्ड के नाम 28 ट्यूबवेल मिले हैं जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में शायद 1200 ट्यूबवेल आप लगाने जा रहे हैं। माननीय बलवीर सिंह जी जब आप कुर्सी पर थे तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मिल कर और पत्र लिख कर उनसे आग्रह किया था कि इस समस्या की ओर आप ध्यान दें और इसका समाधान निकालें।

मान्यवर, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं कि आप हमारे बुन्देलखण्ड के बाँदा जिले में आयें और वहाँ की समस्याओं को खुद समझें। हमारे जनपद बाँदा में केन नहर प्रणाली से 90 प्रतिशत सिंचाई होती है। हमें इस बात की खुशी है कि इस जनपद को राइस-बेल्ट कहा जाता है। अतरा में 20––25 धान की मिलें काम करती हैं। 7–8 करोड़ रुपए का चावल हम देश को देते हैं लेकिन स्थिति यह है कि वहाँ पर पानी का अभाव है। मध्य प्रदेश में पन्ना में बाँध बना हुआ है। माननीय तिवारी जी की सरकार ने 1 जनवरी, 1977 के आस-पास मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री से समझौता किया जिसके आधार पर जो पानी 1906 से पूरा का पूरा बाँदा जिला लेता था उसमें 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी और अब जो कुछ जानकारी मिली है उससे ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के साथ जैसे विदेशी सरकार के कर्मचारी हों। उनको घुसने नहीं दिया जाता और ठेकेदारों को काम नहीं करने दिया जाता। उस समझौते को तोड़ कर उस बाँध से वहाँ एक नई नहर बनाई जा रही है और उससे जबरदस्ती पानी लेने की कोशिश की जा रही है। इससे बाँदा जिले को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अगर दोनों प्रदेशों के बीच यह विवाद हल नहीं हुआ तो फिर भारत सरकार इन बाँधों का राष्ट्रीयकरण कर दें ताकि बाँदा जिला की सिंचाई की समस्या का निराकरण हो सके। वहाँ का किसान बहुत आन्दोलित है। मजबूर होकर उसे कोई आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा। औगासी पम्प नहर दो वर्ष पूर्व पूरी हो जाना चाहिए थी और अनोला पम्प कैनाल आज तक पूरी नहीं हो सकी।

[श्री देव कुमार]

सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं रोका जाता है तो जो करोड़ों रुपया सिंचाई विभाग को दिया जा रहा है वह इंजीनियर्स तथा ठेकेदार के पेटों में चला जायेगा। इसी तरह से बरूआ बाँध के सम्बन्ध में सवाल किया गया था। एक छंटाक मिट्टी वहाँ नहीं डाली गयी लेकिन इंजीनियर तथा ठेकेदारों ने मिलकर पेमेन्ट करा लिया। इसी तरह से ट्यूबवेल्स की हालत है। आप एक टेक्निकल विभाग खोलें जो यह देखे कि जो रुपया दिया जाता है वह इसमें लगता है या नहीं। ट्यूबवेल्स तथा नालियों में 1/12 तथा 1/20 का मसाला लगता है। बरसात में वह बह जाता है। नाली टूट जाती हैं और ट्यूबवेल बेकार हो जाता है। 30, 40 ही ट्यूबवेल पूरे जिले में हैं। नये ट्यूबवेल बनाए जायं ताकि बाँदा जिले के अन्दर सिंचाई के जरिए विकास हो सके। नई नहरें ही नहीं बन रही हैं। कमासिन रजबहा से छिलौर गाँव के बीच से एक मायनर जाखी व भदाँव गाँवों तक निकलवा दें तो काश्तकारों का भला होगा। मेरा निवेदन है कि बुन्देलखण्ड तथा बाँदा के लिए सिंचाई सम्बन्धी भारी कदम उठाए जायं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं, जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरे क्षेत्र में एक सालेनगर नहर है। जब से वह खुदी पानी ही नहीं आया। ट्यूबवेल्स लगाने की आज्ञा नहीं दी जाती है और उन गाँव वालों से पानी का टैक्स वसूल कर लिया जाता है। लोग बेकार बैठे हैं। मेरे इलाके मलिहाबाद में इस बार आम आपको खाने को नहीं मिलेगा अगर उस इलाके को पानी नहीं दिया गया तो। प्रदेश की राजधानी से लगा हुआ मलिहाबाद मशहूर है लेकिन पानी की हमेशा वहाँ दिक्कत रहती है। मेरा इलाका हमीरपुर मसीड़ा भी है। वहाँ नहर है लेकिन पानी के लिए हरदोई से जोड़ा जाता है। जब तक लिखा-पढ़ी होती है हरदोई से तब तक आम टपकने लगता है। मैं खुद लिख कर देता हूं, यहाँ तक कि मन्त्री तक के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। क्लास–वन और क्लास–टू का वहाँ पर बाग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान वही है जहाँ कि फिरंगी आये थे और उनको हम ही लोगों ने भगाया था और तुम्हारे ऐसे लोग मदहोश थे कोई बात नहीं कह सकते थे. . .

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरी तरफ मुंह करके बोलें।

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी बैठे हुए हैं मैंने मेड़बन्दी के बारे में कहा था पिछले साल भी कहा था. लिखित भी दिया था कि हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगाये जायं और प्राइवेट ट्यूबवेल न लगाए जायं। आपके आदेश भी हुए थे किन्तु इन मेड़बन्दी अधिकारियों ने उन्हें पारित नहीं किया। इसलिए मैंने यह बात हाउस में कही। जहाँ तक नहर की खुदाई की बात है खुदाई का पैसा जो सरकार देती है उसे ये लोग आपस में बाँट लेते हैं और खुदाई नहीं होती। किसान बगैर पानी के रह जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल लगाये जायं। इन लोगों ने जो वहाँ पर विनोद कुमार इंजीनियर हैं उनको भी तंग कर रखा है। जो अच्छे अफसर हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। कोआपरेटिव से जो बिजली दी जाती है उसे हटाकर हाइडिल से बिजली हमारे यहाँ की जाय। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

श्री मुख्तार अनीस.....

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

सब लोग एक साथ खड़े हो जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ? सबको बारी–बारी से अवसर मिलेगा। कृपया बैठें और शान्त रहें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इस पर चर्चा कब तक चलेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

नेगी जी, यह उपयोगी बजट है' चलने दीजिए। आपको क्यों फिकर हो रही है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मुझे इस पर जवाब देना है, इसलिए कह रहा हूं।

*श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसके बारे में मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूंगा। विशेष रूप से मैं अपनी बात सीतापुर जिले के सम्बन्ध में ही रखना चाहता हूं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आती रहती है। उसमें मुस्तकिल तौर पर बाढ़ निवारण के लिए कोई ठोस स्कीम नहीं बनाई गयी है। मैं जिस क्षेत्र में आता हूं और जिस क्षेत्र से श्री राम नारायण वर्मा जी आते हैं वह क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे है और कई नदियाँ उसमें गिरती हैं जैसे चौका, किवानी और कई आफ-सूट्स है जो उसमें गिरते हैं और जिनके कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और सारा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। पिछले दो वर्षों से मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूं कि बाढ़ के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाय। मैंने जब माननीय बलवीर सिंह जी सिंचाई मन्त्री थे उनको भी लिखा था और अब राजेन्द्र सिंह जी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैंने आपको भी लिखा था और निवेदन किया था कि इस बारे में कोई ठोस नीति आप बनायें। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहाँ जो तम्बीर गाँव है जिसकी आबादी 20 हजार के करीब है वह बाढ़ से डूब जाता है। वहाँ पर जो तम्बोर नाला है उसको जरा गहरा कर दिया जाय और कुछ खाई खोद दी जांय तो पानी उसमें जमा हो जायेगा जिससे बाढ़ नहीं आयेगी। लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है कि दुबारा बरसात आने वाली है उसमें करीब 15, 16 गाँव जिनकी आबादी 20 हजार है, पानी में डूब जायेंगे। वहाँ पर जमीन 8, 9 महीने पानी में डूबी रहती है उसको निकालने के लिए कोई ठोस काम होना चाहिए। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में अवश्य ध्यान दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

हमारे यहाँ रेवसा नाम के क्षेत्र में ट्यूबवेल बनाने के बारे में भी आप सोचें। वहाँ पर बहुत से ट्यूबवेल नष्ट हो गये हैं उनके लिए भी कोई विचार अवश्य करें और ठोस नीति बनायें जिससे वहाँ बाढ़ न आए।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी, जो रह जायं वह मन्त्री जी को लिखित दे दें।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र जो है वह नैपाल के बार्डर पर है। नैपाल से सभी नदियाँ वहाँ निकलती हैं और नवगढ़ बाँसी, तहसील, फैजाबाद, गोरखपुर आदि को पानी जाता है। वहाँ पर बन्धा जो बना है वह बूढ़ी राप्ती के दक्षिण की तरफ बना हुआ है जो कि नौगढ़ में नदी के बायें तरफ बनना चाहिए था, जो बाँसी के तरफ बना दिया गया, पता नहीं वह किसके दबाव से बना दिया गया है। बूढ़ी राप्ती में दक्षिण की तरफ आसमान जितना ऊंचा बंधा बना दिया है जिससे पानी उत्तर की तरफ बह रहा है और उत्तर की जनता का जन-जीवन खतरे में पड़ गया है। वहाँ के कलेक्टर की रिपोर्ट आई है, रेवेन्यू विभाग को कि अगर दक्षिण वाला बाँध न टूटता तो उत्तर में नौगढ़ तहसील के 10 हजार आदमी मरते। अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो आने वाली बरसात में वहाँ जो नुकसान होगा उसके लिए मन्त्री जी और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसलिए उत्तर की तरफ बंधा बनवा दें और जो गाँव नदी के किनारे नीचे हैं, उन्हें ऊंचा करवा दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। जबरदस्ती न करें।

श्री शिवलाल मित्तल—

हमारे यहाँ बढ़नी ब्लाक में एक भी ट्यूबवेल नहीं है। वहाँ पर ट्यूबवेल लगाने के लिए सर्वे करें। वह पिछड़ा इलाका है। वहाँ वान गंगा नहर निकाली गयी है लेकिन नेपाल ने अपने क्षेत्र में लक्ष्मणघाट पर नहर निकाल दी है जिससे वह सूखी रहती है। इमरजेंसी से पहले 4 रु0 एकड़ सिंचाई लगान था उसको इमरजेंसी में 18 रु0 कर दिया गया है, मन्त्री जी किसान के बेटे हैं इसलिए वह जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि वह 18 रु0 को वापस ले लें और उस इलाके में ट्यूबवेल लगा दें, ताकि सिंचाई हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें। बाकी सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री शिव लाल मित्तल—

जहाँ पुल-पुलियाँ नहीं बनी हैं, उनको मन्त्री जी बनवा दें लोगों को सिंचाई की सुविधा दें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय नलकूप हैं, उनका जो रकबा है, वह 300 एकड़ है, मैं चाहूंगा कि उसको घटाकर डेढ़ सौ एकड़ कर दें। यह दो सौ आपने किया है, उसे डेढ़ सौ कर दें। मैं यह भी चाहूंगा कि बिजली विभाग के सिंचाई विभाग से अच्छे सम्बन्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ नलकूप बने हैं, लेकिन एक-एक साल हो गये, उनमें बिजली नहीं लगी है। अतः आप दोनों विभागों के सम्बन्ध अच्छे बनावें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा इस सम्बन्ध में एक सीमा अवधि तय हो जानी चाहिए कि इतने दिन के अन्दर बिजली अवश्य लग जायेगी। नलकूप विभाग के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको भी मुख्य अभियन्ता बनना चाहिए और उसके उच्च स्तर पर उसी के अच्छे-अच्छे कर्मचारियों को अवसर दिया जाना चाहिए। अब मैं बाढ़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिससे प्रदेश में स्थिति गम्भीर बनी रहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ तब तक कम नहीं हो सकती है, जब तक नेपाल सरकार से आप बात नहीं करते, उनका सहयोग प्राप्त नहीं करते। यह कार्य आप चाहे केन्द्र सरकार के माध्यम से करें या स्वयं सीधे करें, लेकिन इसका करना बहुत आवश्यक है। मुझे पता नहीं कि अब तक आपने बात की है या नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों के उदगम स्थल नेपाल में ही हैं, इसलिए उनसे बात करना बाढ़ को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी काम है। साथ ही आप नदियों को गहरा करायें, जिससे उन में पानी की क्षमता बढ़े और बाढ़ को रोका जा सके।

(व्यवधान)

मुराडीह से नगवा तक एक बाँध बनाने की बात थी और नरोत्तमपुर—मुराडीह भी हमारे यहाँ की जो नहीं बनी है, इन दोनों को पूर्ण कराने का काम किया जाय। पम्प कैनाल की आप क्षमता बढ़ावें, तभी उसमें और आस-पास के इलाके में बाढ़ रुक सकती है। आप इन दो बातों को पूर्ण करने के आदेश अपने अधिकारियों को तुरन्त दें।

श्री जगदीश (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं जनपद शाहजहाँपुर से आता हूं और मेरे जनपद में सिंचाई विभाग का काम बहुत ही ढीला चल रहा है। ब्रान्च शाहजहाँपुर से 23 मील पर मवैया पहाड़ीपुर बिबिया एक गाँव है, वहाँ से एक नहर सन् 62 में स्वीकृत हुई थी निजामपुर गाँव तक के लिए, उसके लिए जमीन भी छूटी हुई है, लेकिन उस पर कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। मन्त्री जी से निवेदन है कि उसके कार्य को शीघ्र आरम्भ कराने की कृपा करें। दूसरे, रजबहा ईटगाँव से माइनर शक्तियाँ—भरतापुर से लिफ्ट द्वारा नीचे के शक्तिया, चमरुआ आदि गाँवों को पानी दिया जाय। तीसरी बात यह है कि एक नहर उदारा ग्राम से ढकिया तिवारी तक स्वीकृत हुई थी, उसपर भी अभी कार्य नहीं हुआ है। उस कार्य को भी शीघ्र कराया जाय, जिससे वहाँ के निवासियों की समस्या हल हो सके। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में एक बारा नाला है, उसको साफ करने की जरूरत है। उसकी सफाई का काम जिला अधिकारियों ने केवल ढकिया तिवारी तक स्वीकृत किया है, लेकिन उस नाले की सफाई का काम आगे तक भी करा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा ट्यूबवेल्स हमारे जिले में बहुत कम हैं, उन्हें बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा। यों वहाँ के इंजीनियर का काम अच्छा है। बस मुझे यही कहना था।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं लखना क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वह तीन–तीन नदियों से घिरा क्षेत्र है। उसमें आज तक सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। हमारे यहाँ की बचौली सिंचाई परियोजना, जो सन् 1978 में बहुत मोटी किताब में अंकित की गयी थी, लेकिन उस योजना के नाम पर उसमें कोई काम आज तक नहीं हुआ है।

[श्री राम लखन]

इस नयी मोटी किताब में भी यह अंकित है, हर साल यह योजना बनती है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। इसको अविलम्ब लागू कराया जाय। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं। दामोदरपुर माइनर 1965–66 में चालू की गयी थी, जमीन अध्याप्त की गयी, किसानों की उस जमीन का मुआविजा दिया जा चुका है, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ। मैंने हाउस में प्रश्न प्रस्तुत किया। उसके बाद भी उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसको अविलम्ब कराया जाय। पंचनद बाँध जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बाँध साबित होगा अगर गम्भीरतापूर्वक माननीय मन्त्री जी लें तो उससे चम्बल घाटी का पूरा विकास होगा जिससे आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)––

माननीय सिंचाई मन्त्री ने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र की जनता गत वर्ष में इतनी दुखी थी, मेरा क्षेत्र सारा जल मग्न हो गया। उसमें न मन्त्रिगण ही जिले में गए, बार–बार ऐप्रोच किया, माननीय बलवीर सिंह एक बार गए, तो इतनी घनघोर बारिश हुई कि उनके शीशों पर परदा पड़ गया, वह कुछ देख नहीं पाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार ब्लाक हैं बहादुरपुर, गुदड़हा, बस्ती और बनकटी। कुदरहा ब्लाक ऐसा असिंचित क्षेत्र है, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है इसकेलिए नलकूप की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। घाघरा बायें तटीय नहर योजना बनाई जा रही है। उससे केवल खरीफ की सिंचाई होगी, रबी की सिंचाई नहीं होगी। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो बन्धे हैं उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। जो बंधे हैं, अक्सड़ा से कैथुलिया नगहरा तक उसके ऊपर भी कोई ठीक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)––

मान्यवर,. . . . .

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्यों को जो कहना है लिख कर दे दें।

*श्री मोती राम––

मान्यवर, बजट का समर्थन करते हुए तीन बातें निवेदन कर रहा हूं। नम्बर 1, कानपुर शहर में गंगा नदी अभिशाप बनी हुई है। कई सालों से गंगा कानपुर का किनारा छोड़े जा रही है, दूसरे उन्नाव को डुबोती जा रही है। वाटर वर्क्स का जो निर्माण किया जा रहा है, बाढ़ के ढेह खड़े हुए हैं, उसकी वजह से गंगा नदी दो तीन मील कानपुर से दूर हो गयी है जिसकी वजह से कानपुर और उन्नाव के बीच पचासों गाँव डूब जाते हैं। कई बार कहा गया है एक बैराज बिठूर से कानपुर तक बना दिया जाय। इससे कानपुर को पानी पीने की समस्या हल हो जायगी और कानपुर की जन संख्या का जो घनत्व है, पाँच हजार की जन संख्या उन्नाव की तरफ बसायी जा सकती है। दूसरी चीज, कानपुर में एक नहर है, जिसे जूही कैनाल कहते हैं। किसी जमाने में रेलवे और सिंचाई विभाग का ठेका था। लेकिन नहर बह रही है जिसकी वजह से हर बरसात में जूही, जूही गढ़ा, छोटी जूही सब मोहल्ले डूब जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता––

आप समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती राम—

मान्यवर, मैंने एक गाँव देखा। वहाँ पर इधर से खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क बना दी गयी और बीच में गाँव के पास पुलिया के लिए 20 गज जगह छोड़ दी गयी। अगर वहाँ पर पुलिया नहीं बनती है तो उससे लगभग 20 गाँव डूब जायेंगे।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप 5–7 मिनट में उत्तर दे दें। जो माननीय सदस्य बचे हैं वह माननीय मन्त्री जी को लिखित दे दें। हम समय के पाबन्द हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। मैंने कल अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो जो बातें उसमें कहीं थी, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों अपने-अपने जिले के तजुर्बों के आधार पर मेरी बात का समर्थन किया। मान्यवर, यहाँ पर जो चर्चा हुई और लोगों ने माननीय मन्त्री जी के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। लेकिन माननीय मन्त्री जी के लिए यह सम्भव नहीं है, माननीय मन्त्री जी इधर सुन लें कि वे उन तमाम चीजों को याद रख सकें जिनको माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते समय रखा है। आप किसी अधिकारी को इस बहस की प्रोसीडिंग्स को मंगाकर हवाले कर दें और जो समस्याएं उठायी गयी हैं उनको सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचा दें जिससे माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का लाभ हो सके।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने विभाग में यह कार्य आरम्भ कर दिया है कि भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार के बारे में तमाम सदस्यों ने कहा और मैं दुबारा फिर उनको कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। भ्रष्टाचार के लिए सिंचाई विभाग अकेले ही जिम्मेदार नहीं हैं, निर्माण विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है सभी भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, उनमें कुछ ईमानदारी और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले भी हैं। आपने देखा कि आपके विभाग के जो शीर्षस्थ कर्मचारी हैं उन पर तरह-तरह के यहाँ पर अभियोग लगाए गए। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं और न मेरी व्यक्तिगत जानकारी है लेकिन अगर एक शीर्षस्थ अधिकारी के बारे में अगर कुछ अफवाहें चलीं तो आपको सही स्थिति का पता करना चाहिए जससे जनता के अन्दर आपके प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर में बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए, इंक्वायरी हुई? यदि हाँ, तो वह जाँच क्या थी और वह आरोप क्या थे? यह सही है कि माननीय मन्त्री जी भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं और उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके विभाग में आपके निर्णयों और आदेशों की किस तरह से अवहेलना की जा रही है उसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं।

मान्यवर, कोई राम गंगा निर्माण खण्ड फतेहपुर में है। वहाँ पर एक ठेकेदार ने लाट नं0 107 का ठेका लिया। उसने एक आवेदन-पत्र दिया कि उसके साथ ज्यादती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

हो रही है और उस प्रार्थना पत्र पर माननीय अकबर हुसैन ने अपनी संस्तुति की उसके बाद गुलाम मोहम्मद, संसद सदस्य, मुरादाबाद ने अपनी संस्तुति की। यही नहीं माननीय ख्याली राम शास्त्री, लघु सिंचाई मन्त्री ने लिखा कि मन्त्री जी विचार कर लें। यह हुआ और इसके आगे सुने। माननीय राजेन्द्र सिंह, सिंचाई मन्त्री ने 22-3-79 को आदेश लिखा कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देखे, भुगतान करें। जब यह आपके अधिकारियों के पास जाता है तो यह अधिकारी कहता है कि मन्त्री लिखते रहते हैं, वह टेम्पोरेरी रहते हैं, कब तक रहें और कब तक न रहें ? क्या आदेश माने ? उस पर आपके दस्तखत मौजूद आपकी सील मौजूद। लेकिन आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है ? आपके विधायक का अपमान, संसद सदस्य का अपमान और आपके बारे में क्या कहूं। आपके बारे में क्या हुआ, आप तो मन्त्री हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

नेगी जी, आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं बहुत जल्द समाप्त करता हूं। तीसरी बात यह है कि चीफ इंजीनियर के आफिस के बाहर दो खेमे लगे हुए हैं, वह मिनिस्टीरियल स्टाफ के हैं। उनकी माँग ऐसी नहीं है जो मानी न जा सकें। उनकी माँग में वित्तीय भार इंवाल्व नहीं है। सर्किल आफिस के लोग कहते हैं कि उनकी प्रोन्नति साढ़े बारह परसेंट होती है और डिवीजनल आफिस का कोटा 25 परसेंट है और चीफ इंजीनियर के यहाँ का साढ़े बासठ परसेंट है। चीफ इंजीनियर के यहाँ पर स्टाफ 100 के लगभग है और उनके यहाँ पर 400 के लगभग है। तो मान्यवर, उनका कहना है कि एक ज्येष्ठता सूची बना दी जाय। वह लोग माननीय मन्त्री जी से भी मिलने आये थे। माननीय मन्त्री जी का कहना है कि जब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। यह समस्या आपके सामने आ गयी है। यह बदकिस्मती है कि जब तक कोई हिंसा नहीं हो जावेगी तब तक सरकार के ऊपर जूँ नहीं रेंगती। वह लोग केवल क्रमिक हड़ताल चला रहे हैं। आप उनसे बात कर लें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।

मान्यवर, आपके प्रोजेक्टस चल रहे हैं पहाड़ों पर उनकी भी तमाम समस्यायें हैं, वहाँ पर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ जैसे जमुना कम्पनी, थापड़ कम्पनी को टनेंल्स बनाने का काम दे रखा है और इसके साथ ही साथ जो छोटे-मोटे काम होते हैं उनको भी करने के लिए उन्हीं को ठेका दिया जाता है। इससे वहाँ की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। इस लिए मेरा निवेदन माननीय मन्त्री जी से है कि छोटे-मोटे काम जो हों वह वहाँ की जनता को दिए जाने चाहिए। हमारे चीफ इंजीनियर टेहरी डैम कहते हैं कि वहाँ पर कोई जे0ई0 काम करने नहीं आता है। बाहर के लोगों को 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे जिससे वह पहाड़ों पर रह कर काम करें, आप उनको वह मार्क्स दे दें। आपके अन्तराल के अन्तर्गत जो परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ बाहर से आदमी आने को तैयार नहीं हैं। इसलिए जो आप 10 नम्बर का ग्रेस दे रहे थे, वह आप दें।

श्री अधिष्ठाता--

नेगी जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, एक मिनट मुझे दे दें। एक मिनट में कह देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में खत्म करें।

श्री अधिष्ठाता—

खत्म कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मै बैठता हूं।

श्री मुकीमुर्रहमान—

आप बोलने तो दें।

जिन लोगों को 3 साल से अधिक काम करते हो गये हैं उन लोगों को रेगुलर किया जाय, जिन कर्मचारियों को 18 साल सर्विस के हो गये हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको डिपार्टमेन्ट में मर्ज किया जाय। ठेकेदारी प्रथा को बन्द किया जाय, हैवी अर्थ-मूविंग कारपोरेशन बनाया जाय, यहाँ के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें दी जायं' टेकनिकल सेल और प्रोडक्शन सेल बनाकर इसको आगे बढ़ाया जाय।

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और जिस प्रकार से जोश खरोश के साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन सबका आभारी हूं। यह बात सभी माननीय सदस्यों ने मानी है कि गत 2 वर्ष में सिंचाई की क्षमता प्रदेश में बढ़ी है और पानी भी किसानों को अच्छी मात्रा में मिला है। आज जो हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की गयी है निश्चित रूप से उनको इससे प्रेरणा मिलेगी।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यहाँ पर बहुत कुछ कहा गया है। माननीय नेगी साहब ने भी माना है कि जहाँ विभाग में बहुत निष्ठावान, ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ पर कुछ संदिग्ध अधिकारी भी विभाग में हैं। इसमें भी कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं क्योंकि जब शिकायतें आती हैं तो संदिग्ध हो जाते हैं। नेगी साहब ने इस बात को भी माना है कि शासन की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि हम भ्रष्टाचर को मिटायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि चूंकि यह बात मान ली गयी है कि सिंचाई विभाग का जो कार्य है, उसका सीधा सम्बन्ध प्रदेश की खुशहाली से है, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो बजट विभाग को दिया जाता है, वह रुपया खर्च नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात यह है कि हमें उनका सहयोग मिलना चाहिए। जब यह पता चले कि अमुक कर्मचारियों के बारे में कुछ शिकायतें हैं तो उनके ट्रांसफर्स और रोकने के लिए पौलिटिकल प्रेशर्स नहीं होना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक भी कोई एतराज नहीं मैं उनसे इस बारें में बात कर सकता हूं, माननीय सदस्यों को फाइल तक दिखा सकता हूं लेकिन हम यह चाहते हैं कि उनसे हमें सहयोग मिलना चाहिए। अगर हम कोई ऐक्शन लेते हैं तो ऊपर की लेविल से कोई दबाव नहीं डलवाना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी हमें विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों से भ्रष्टाचार दूर करने में सफलता मिलेगी।

नेगी साहब ने जो बातें शारदा सहायक के बारे में कहीं कि यह बहुत बड़ी योजना थी और निश्चित तौर से इसको 2 साल पूर्व ही पूरा करने की चेष्टा की गयी और पानी छोड़ा गया। कुछ बातें जो खास तौर से उठायी गयीं उनको माननीय रियासत साहब ने अपने प्रश्नों के द्वारा पूछी और उनके उत्तर भी समय-समय पर दिए जाते रहे हैं। एक बात उन्होंने कल्याणी साइफन के बारे में उठायी, वह मेरे नोटिस में आयी, उसकी प्रिलिमिनरी जाँच

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

हो चुकी है और उसमें जो अधिकारी इन्वाल्व है उनको चाजशीट दी जा रही है, यह सूचना मेरे पास आ चुकी है।

एक बहुत अच्छी बात यह कही गयी कि हमारे विभाग में समयबद्ध कार्यक्रम नहीं होते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उनमें डिले होती चली जा रही है। नतीजा यह है कि उनकी प्रो-कास्ट बढ़ती चली जा रही हैं। इसका एक फैक्टर यह है कि पहले भारत सरकार को जो योजनायें भेजी जाती थीं वे बड़े प्रोजेक्ट्स को ही पास करते थे। इसलिये उनको 100 करोड़ रुपये के नीचे के ही प्रोजेक्ट्स बनाकर सबमिट करते थे, लेकिन चूंकि क्षमता अधिक होती हैं तो बाद में उन प्रोजेक्ट्स की कास्ट बढ़ जाती थी। दूसरी बात यह कि आप जानते हैं कि हमारे कन्स्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट और लोहे की बहुत जरूरत पड़ती है। जरूरत का 50 प्रतिशत ही हमको आज मिल पा रहा है। मैंने आते ही यह कहा कि हम अपने प्लान को साल में 10 महीने का ही बनायें, 2 माह शेष रखें। हम जितनी भी प्लानिंग करें वह 10 महीने के लिये करें। इसका हम परीक्षण करके देखेंगे। हर माह हम अपनी प्रगति को भी देखते रहेंगे।

सरेन्डर के बारे में लोगों ने काफी चर्चा की। सन् 1977–78 में 9 करोड़ सरेन्डर करना पड़ा, 1978–79 में 13 करोड़ सरेन्डर हुआ, यह सब मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में हुआ, लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत बिलकुल सरेन्डर नहीं हुआ। जो सरेन्डर हुआ हैं उसके भी विशेष कारण रहे हैं। ढाई करोड़ रुपया हमें ताजीवाला प्रोजेक्ट में सरेन्डर करना पड़ा क्योंकि हरियाणा से हमारा कुछ झगड़ा चल रहा था। कुछ एग्रीमेन्ट उसमें चीफ मिनिस्टर लेविल पर हुआ था। उसमें हमारे साथ कुछ इन्जस्टिस हो रहा था, हमको पानी कम मिल रहा था और हरियाणा वाले कई गुना ज्यादा ले रहे थे। कुछ झगड़े के कारण वह पया सरेन्डर करना पड़ा। इसी तरह डेढ़ करोड़ एक उर्मिल बाँध योजना में जिसका संबंध मध्य प्रदेश सरकार से भी था, उन्होंने कन्स्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं दी, इसलिये उसे सरेन्डर करना पड़ा। इसी तरह एक योजना जिसका संबंध हिमाँचल प्रदेश सरकार से था उसमें 2 करोड़ रुपये सरेन्डर करने पड़े। कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसमें सरेन्डर करना पड़ा है। मैं अगले वर्ष प्रयास करूंगा कि जितना रुपया हमने लिया है वह सारा यूटीलाइज हो जाये।

सिंचाई की कुछ मशीनों के बारे में माननीय नेगी जी तथा मुकीमुर्रहमान साहब ने जिक्र किया, उसके लिये एक बहुत बड़ी कमेटी है जो इसका परीक्षण करती है और उसके बाद ही मशीनें खरीदी जाती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने अधिकारियों से कमेन्ट्स माँगे हैं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि क्यों उनका उपयोग नहीं हो सका। अगर उसमें किसी अधिकारी को दोषी पाया जायेगा तो उसे अवश्य 'ड दिया जायेगा।

प्रोन्नति के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, उस बारे में माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक केसेज अगर लिख कर देंगे तो मैं उसे दिखला लूंगा। अब हर आदमी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, इससे नीचे वह बात नहीं करता, इससे भी हमारी मजबूरी बढ़ जाती है। माननीय सदस्य ने पटवर्द्धन केस के जजमेन्ट का हवाला दिया, अभी तो महाराष्ट्र ने स्वयं उस पर अमल नहीं किया है।

श्रीमन्, एक थोड़ा सा प्रसंग आया था टेहरी बाँध के बारे में, आपने जंगलों के बारे में बात कही थी, बात अपनी जगह सही है कि जंगल कट जायेंगे और हम टेहरी बाँध नहीं बनायेंगे, तो हम प्रदेश को पानी कहाँ से देंगे। श्रीमन्, एक सबसे बड़ी जो इसमें बात आई, वह नलकूपों के बारे में। श्रीमन्, मैं अपने बजट भाषण में कह चुका हूं कि इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। श्रीमन्, उसमें ताँबें के तार की बात कही गयी थी। श्रीमन्, उसमें ताँबे का तार कम लगेगा, तो जल जायगा। 92 प्रतिशत उसमें शायद तार रहना चाहिए। नहीं तो वह जल जाता है। ऐसी परम्परायें हैं।

श्रीमन्, अभी नालियों के बारे में जिक्र आया। हमारे 40 सेन्टर हैं, पाइप के, श्रीमन्, हमने इसका निर्णय ले लिया है। एक बहुत बड़ी चीज है भूमि अध्याप्ति की। अगर हम किसी किसान की भूमि लेते हैं, अगर उनको भूमिहीन करते हैं, तो उसको मुआवजा शीघ्र देना चाहिए। लेकिन श्रीमन्, इसमें नियम और कानून हैं। मैं शीघ्र इसके लिए प्रयास करूंगा। कोई प्रक्रिया या संशोधन वगैरह जो होना चाहिए कि प्रतिकर का जो भुगतान है, वह उसकी भूमि में लेते समय ही उसका भुगतान होना चाहिए। श्रीमन्, उसको मुआवजा शीघ्र मिलना चाहिए। हम किसान को बेकार नहीं करना चाहते। यह मेरा प्रयास होगा। यह मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं।

नहरों की सिंचाई की स्थिति के बारे में बात आई थी, सिंचाई की क्षमता तो निश्चित बढ़ी है। क्षमता जो है उसकी कम है। पिछले वर्ष इसकी बात आई थी। 58 लाख हेक्टयर क्षमता है नहरों की और 19 लाख हेक्टेयर क्षमता है नलकूपों की। श्रीमन्, एक हमारे परिहार साहब ने कहा है कि आगरा में रामगंगा जलाशय बन जाने के बाद पानी आना चाहिए, 600 क्यूबिक सेट मिलना चाहिये था, श्रीमन्, बंटवारा होता है तो वहाँ पर बंटवारा के हिसाब से पानी मिल रहा है। आगरा नहर में 18 क्युबिक सेट पानी मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई बात हो, तो मैं इसकी पुनः जाँच करवा सकता हूं।

(श्री लक्खी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय लक्खी सिंह, आप बैठिये। पहले माननीय मंत्री जी को सुन लें।

श्री राजेन्द्र सिंह––

श्रीमन्, माननीय सदस्यों के पास हमारे विभाग की सूचना पहुंची होगी, हो सकता है आपके घरों पर पहुंची होगी। श्रीमन्, यह सूचना पहुंची है, जिस जिले में जो बाढ़ कार्य प्रस्तावित था या जो बाढ़ कार्य हुआ है, उसकी सूचना मैंने माननीय सदस्यों को दे दिया है। हो सकता है कि किसी माननीय सदस्य को न मिली हो, मैं फिर यहाँ सुनिश्चित किये देता हूं, जिनको वह सूचना न मिली हो, जो माननीय सदस्य यहाँ से सूचना चाहें, वह ले लें। प्रोग्राम बताना चाहता हूं। मैंने प्रयत्न किया है कि अगर हमारे माननीय सदस्य चाहें 3 जून को उन सभी कार्यों को देखना चाहें जिसे हमारे विभाग ने किया है तो उन्हें बेहिकिल्स सुविधा जो उपलब्ध होगी, मिलेगी। स्पाट पर जायें और वहाँ जो गलत पाया जायेगा तो जो अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद मैं माननीय सदस्यों की एक समीक्षा समिति बनाने का विचार कर रहा हूं। इसमें मैंने ऐडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया है और जो सुझाव दिये जायेंगे जो लिमिट के अनुसार होंगे उसके अनुसार कार्य होगा। प्रायरटी से आप तय कर लें उसके हिसाब से कार्य हमारा विभाग करेगा। इस समय हम जरूर चाहेंगे, बाढ़ नजदीक है, 3 जून को वे अपनी टीम बनाकर, जिस स्पाट को देखना चाहें तय कर लें, देखें और अगर कोई कमी होगी तो मैं बखसूंगा नहीं। चाहे पतरोल हो नहर विभाग का या चालक हो ट्यूबवेल का, मेरा यह निश्चित आदेश है कि एक कम्प्लेन्ट आने पर और साबित हो जाने पर कि किसी किसान के साथ अन्याय किया है, वह विभाग में रहने का हकदार नहीं होगा। एक-दो कम्प्लेन्ट आयीं, मैंने मार्क किया एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उसने माना कि इसने गलत किया है; उन्होंने कहा वर्निंग, मैंने कहा नहीं डिस्मिसल से कम नहीं। अगर उन्हें इस तरह का कोई पनिशमेन्ट मिले तो इसमें माननीय सदस्यों का प्रेशर बीच में नहीं आना चाहिए।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

अपने बजट भाषण में मैंने कह दिया था कि जो ओसरा बन्दी होती है वह अब तक थोकदार के हिसाब से होती थी। लेकिन अब ओसराबन्दी चकवाइज करायी जायेगी। समीक्षा समिति के लिए अभी निवेदन किया था। समिति बनायेंगे। मैं चाहता हूं कि नेगी जी, जो यहाँ विधान सभा की हमारी समितियाँ बनती हैं, सब लोग पी० ए० सी० या उन सब समितियों की तरफ भागते हैं, इस समिति में आयें और हमें सहयोग दें। काउंसिल में प्रश्न पूछा गया था, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रजेन्स में नलकूप लग जायें। मैं आपका सहयोग और पार्टीसिपेशन चाहूंगा कि आप कमेटियों में आयें, योजना का परीक्षण करें, निरीक्षण करें तो मुझे कोई हेजीटेशन नहीं होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, करूंगा। माननीय सदस्य जाकर देखें, जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनसे हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो 55 फीसदी आदमी जो गरीबी की रेखा है उसके नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, अगर उस पैसे का हम सही उपयोग नहीं कर सके तो इससे बड़ा क्राइम, उस गरीब जनता के प्रति, कोई नहीं होगा। आप आयें समितियों में बैठें और विचार विमर्श करें, जिस प्रोजेक्ट को आप देखना चाहते हैं उसको देखें जिससे उसका कार्यान्वयन सही तरीके से हो। अब तक जो चीजें हुयी हैं अगर वह बहुत पहले से गलत चली आ रही हैं तो उनको बदलना चाहिये हमें कोई परेशानी नहीं होगी।

दूसरी बात मैं तावान की करता हूं। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने भी कहा है। तो श्रीमन्, तावान के बारे में मैं सोच रहा हूं, इसमें हमको संशोधन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसमें सुधार होना चाहिये क्योंकि किसानों को इससे असुविधा होती है। किसान काटें या न काटें लेकिन विभाग जान बूझकर लगा देता है। जिसने काटी है उसको तो सजा मिलनी चाहिये लेकिन अगर किसान ने नहीं काटी है तो तावान लगना उचित नहीं है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। इसके साथ-साथ नहर टूटने से अगर किसान का नुकसान होता है, इस संबंध में एक दो शिकायतें मेरे पास आयीं हैं। मैं परीक्षण कर रहा हूं अगर यह साबित हो जायगा कि नहर के टूटने से किसान का नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिये। मैं इसके लिये प्रयास करूंगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्रीमन्, सब बातें करीब-करीब आ चुकी हैं, एक चीज पंचनद के बारे में तो उसका परीक्षण हो रहा है मेरा विचार है कि वह स्कीम अच्छी हो सकती है। वह स्कीम मध्य प्रदेश के अन्दर से आती है तो दोनों स्टेट्स को मिलकर बनानी होगी। हमारी कई योजनायें मध्य प्रदेश से एग्रीमेंट न होने के कारण खटाई में पड़ी हैं। लेकिन हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। अंत में अपने माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं उन्होंने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल सुझाव इस विभाग के संबंध में दिये हैं। मैं जहाँ तक संभव होगा हर एक के ऊपर विचार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं नेगी जी से निवेदन करूंगा, रस्म तो होती है लेकिन वह वापस ले लें अपने प्रस्ताव को।

श्री मुकीमुर्रहमान--

एक स्पष्टीकरण मैं मंत्री जी से करना चाहता हूं, सर्विस रोड को पक्की कराने की बात उन्होंने कही और नहर पर किसान को गाड़ी ले जाने की अनुमति दी तो जहाँ किसान को नहर क्रास करना होगा तो वहाँ क्या पुलिया बनवायेंगे या लिंटर डलवायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

अगर इसको प्रश्नों का घंटा बना देंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री मुख्तार अनीस––

बाढ़ को रोकने के बारे में मंत्री जी ने कोई बात नहीं बतायी। इसलिये उसे स्पष्ट करें सीतापुर जिले में गाँजर क्षेत्र के बारे में क्या किया है ? उसे भी बता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह––

मान्यवर, एक बात मैं माननीय सदस्यों को बताने से भूल गया था कि हमने एक ऐक्शन प्लान तैयार किया है, वह कई सौ करोड़ रूपये का है जिसको हमने सेन्ट्रल को भेज रखा है। यह ऐक्शन प्लान पूरे प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण के लिये होगा। फ्लड कमीशन सर्वे कर रहा है और जैसे ही वह क्लीयर हो जायेगा हम उस पर ऐक्शन शुरू कर देंगे।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता––

यह प्रश्नों का घंटा नहीं है, आप लोग बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

कर्मचारी जो भूख हड़ताल पर बैठें है मंत्री जी उनसे बातचीत कर लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग बैठ जायं मैं इस पर इजाजत नहीं देता हूं।

नेगी जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मैं वापिस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72––संम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,78,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73––संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73––सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,61,93,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,12,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106—संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्नउपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,14,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1979—80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 63—पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 65—मत्स्य विभाग, अनुदान संख्या 102—पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 125—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,58,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश स प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 102—पशुधन विभाग, पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 125—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इन अनुदानों को प्रस्तुत करते हुये इस मुहकमे के संबंध में 2/4 बातें इस माननीय सदन में कह देना जरूरी समझता हूं।

मान्यवर, इस प्रदेश में 75 प्रतिशत आबादी किसानों और मजदूरों की है और यह कुछ लोगों का ख्याल है और मैं भी उनमें से एक हूं कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग करने के लिये बहुत काफी जमीन और धन जरूरी है। खेती के अन्दर अब हम प्रोडक्शन के हिसाब से सेचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंच चुके हैं, ऐसा लोगों का ख्याल है। तो मैं समझता हूं कि देहात के अन्दर रहने वाले छोटे किसानों और मजदूरों की आमदनी को बढ़ाने के लिये अगर कोई साधन हो सकता है, तो सिर्फ पशुधन ही हो सकता है जो पशुधन विभाग के द्वारा ही हो सकता है। यह इस लिय कहता हूं कि इसके द्वारा हमारे गाँव के रहने वाले मजदूर या किसान गाय, बैल या भैंस और अपनी जरूरत के मुताबिक पोल्ट्री फार्मिंग कृषि के साथ साइड विजनेस के रूप में करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैंने यह कोशिश की है और मैं इसको इस लिए भी जरूरी समझता हूं कि जितने भी कमीशन्स इस देश में बैठे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस देश में अच्छे नस्ल के मवेशी पैदा करने के ऊपर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए लेकिन जो तस्वीर इस विभाग की इस माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं वह बहुत अच्छी नहीं है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि किसी अनुदान को पेश करते समय अगर इस मुहकमे की सही तस्वीर माननीय सदस्यों के सामने न रखी जाय तो यह अंदेशा रहता है कि उस अनुदान पर बोलते हुए लोगों के दिमाग में यह बात रहती है कि कुछ चीजें हमसे छिपायी गयीं।

सन् 1928 में रायल कमीशन फार एग्रीकल्चर बैठा था और उसने यह सिफारिश की थी कि इस प्रदेश में 25 हजार मवेशियों के ऊपर एक अस्पताल हो। प्लान पीरियड में यह कोशिश की गयी। मगरबी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र और बुन्देलखंड के इलाके में हर ब्लाक मे एक वेटरनरी हास्पिटल हो और दो स्टाक मेन सेन्टर हो। पहाड़ में 4 स्टाक मेंन सेन्टर हों और अगर यह स्कीम कामयाब होती तो 42 हजार जानवरों पर एक अस्पताल होता सन् 1976 में नेंशनल एग्रीकल्चर कमीशन बैठा। उसने यह सिफारिश की कि 1980 तक 20 हजार जानवरों पर, 1990 तक 10 हजार जानवरों पर और 2000 तक 5 हजार पर एक वैटरनरी अस्पताल हो। हमारे प्रदेश में कुल जानवरों की तादाद 4.9 करोड़ है इनमें 3.88 करोड़ गाय और भैंस हैं। इसमें यह सूरत है कि मौजूदा जो रिसर्च है

[श्री अब्दुल हलीम खां]
उसके मुताबिक भैंसों की तादाद बढ़ाकर दूध बढ़ाया जा सकता है और गायों में उनकी तादाद न बढ़ाकर आर्टिफिशियल क्रास इंसेमीनेशन के जरिए दूध बढ़ाया जा सकता है। यह बात माननीय सदस्यों को जहन में रखनी चाहिए। अगर इस तरह से हम कार्य करें तो प्रदेश में दूध की क्रान्ति लायी जा सकती है। इस कमीशन ने तीन तजवीजें और की थीं कि अच्छे अस्पताल हों, जहाँ न केवल बीमारी का इलाज हो बल्कि मर्ज की पहिचान भी हो सके।

दूसरी तजवीज यह कि एक वैटरनरी पोली क्लीनिक होना चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी औसत लागत 20 लाख के करीब आती है। अगर पाली क्लीनिक हो तो पशुओं की बीमारी और उसका डायगनोसिस हो सकता है। हमारी बदकिस्मती है कि इस सिफारिश के बावजूद इसको हम कायम नहीं कर सके। एक तजवीज यह थी कि चारे के अच्छे बीज की सुविधा हो। पोलीक्लीनिक पर जो 20 लाख का खर्चा आता है उसकी बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को दो बातों में से एक बात का फैसला करना होगा कि आया इस बजट के अन्दर जो सीमित साधन हैं उनके अन्दर क्या कुछ करना मुमकिन है। एक बात पोलीक्लीनिक के ऊपर 20 लाख का खर्चा आता है। अगर हम उस कमीशन की सिफारिश माने तो सन् 2000 तक 10 हजार नये अस्पताल खोलने पड़ेंगे। मथुरा और पंतनगर में हमारे दो वैटरनरी कालेजेज हैं। जिसके अन्दर काफी लागत सरकार की खर्च करके और जो डाक्टर उसमें शिक्षा हासिल करते हैं वह भी अपना धन लगाते हैं उनको हम तालीम दिलाते हैं, कि वह देहात में हमारे सेन्टर्स पर जायें और जो सुविधायें वे दे सकते हैं, वह दें। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि पिछले दो साल या उससे भी ज्यादा जमाने से 232 डाक्टरों को हमने ट्रेनिंग दिलाई लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम उनको इम्प्लायमेंट दे सकें और वे अनइम्प्लाइज यूथ्स की तरह इम्प्लायमेंट दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं कि हमको कोई काम मिले। अभी तक हमारे यहाँ 35 सीमेन कलेक्शन सेंटर्स है, 743 ए0 आई0 सेंटर्स हैं, 1911 ए0 आई0 सब सेंटर्स है जिसमें से 29 सीमेन कलेक्शन सेंटर्स, 692 ए0 आई0 सेंटर्स तथा 1785 ए0 आई0, सब सेंटर्स प्लेन्स में है, शेष हिल्स में हैं। जिन इलाकों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर हम गाँव सभाओं को अच्छी किस्म के बुल्स दे देते हैं। इसके लिये इस साल 6 लाख रुपए की रकम रखी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में स्टेट सेक्टर में इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रोवीजन है। इसमें 6.25 करोड़ रुपया हिल्स के लिये और 13.75 करोड़ प्लेन्स के लिए है। इसमें इस साल 1.40 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर से इयरमार्क किया गया है और असिस्टेंस के तौर पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से करीब 84 लाख रुपया मिलने की संभावना है।

मैं चाहूंगा कि इस बजट के ऊपर न कोई ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत है और न इसकी जरूरत थी कि राम आसरे वर्मा जी कोई कटौती का प्रस्ताव लाते। प्रस्ताव लाते तो बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लाते। यह अजीब तरह का विभाग है जहाँ 12 करोड़ रुपये का नानप्लान का बजट है और प्लान में सिर्फ 2 करोड़ रुपये का। इस तरह का भी यहाँ मुहकमा है।

अभी तक हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन किया जाता था, अब नई टेक्नीक फ्रेजेन सीमेन द्वारा शुरू की जा रही है। इसको हम बड़े पैमाने पर चलायेंगे चूंकि साइंटिस्टस ने यह तय कर दिया है कि फ्रेजेन सीमेन की फर्टिलिटी बहुत अर्से तक खराब नहीं होती। इस छठी योजना में 4 सीमेन कलेक्शन सेंटर्स, 100 ए0 आई0 सब सेंटर्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस साल एक सीमेन कलेक्शन सेंटर्स और 25 सब सेंटर खोले जायेंगे। जो एग्जिस्टिंग इन्स्टीट्यूशंस है उनको अच्छा इक्विपमेंट देकर स्ट्रांग किया जाएगा।

बाबूगढ़ में सेन्ट्रल असिस्टेंस से एक बड़ा फार्म हम खोल रहे हैं जिसमें 300 गायें आस्ट्रेलिया से डोनेशन के तौर पर आयेंगी और उनके ट्रांसपोर्ट एक्सपेन्सेज हमको बर्दाश्त करने होंगे। यहाँ हम ऐसे बुल पैदा करेंगे जिससे हमको बुल्स का इम्पोर्ट करने की जरूरत न पड़े। एक ऐसी यूनिट सीतापुर में नीलगाँव में चलाई जाएगी जिसमें गाय और भैंस के बच्चे पालें जायेंगे। उससे हमको हर साल 100 बुल्स और मेल बफैलोज मिल सकेंगे। बाबूगढ़ की तरह के दो फार्म पहाड़ों पर भी होंगे। प्रदेश के जिन 8 जिलों में भसों की नस्ल सुधार बहुत कम थी, उसे पूरा करने के लिए 100 और मेल बफैलोज का प्रस्ताव है जिनमें से 30 वर्ष 1979–80 में खरीदे जायेंगे और जहाँ भैंसों के लिए ए0 आई0 सुविधा कम है, वहाँ रखे जायेंगे।

हमारा ए0आई0 का टारगेट पिछले साल 16.28 लाख था जिसमें हमने 13.87 लाख का टारगेट पूरा किया। इस साल हमने 19.08 लाख का टारगेट मुकर्रर किया है।

प्रदेश के 56 जिलों में से 54 जिलों में, हमीरपुर और ललितपुर को छोड़कर, क्रास ब्रीडिंग की सुविधा लिमिटेड स्केल पर उपलब्ध है।

भेड़ों का एक फार्म भैंसोड़ा, जिला वाराणसी में कायम किया जा रहा है जिसमें 1550 भेड़ें होंगी। इसमें से 1000 भेड़ें राजस्थान से और 550 रशियन भेड़ें होंगी। 5000 एकड़ का एक फार्म है और इसके बीच में एक नहर भी तैयार कराई गई है जिससे पानी की सुविधा उपलब्ध हो। इससे जो क्रास ब्रीड करके अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा किये जायेंगे जो बड़े होने पर मुनासिब कीमत पर भेड़-पालकों को दिये जायेंगे। तीन साल में हम इसका स्ट्रेन्थ (Strength) 6000 करना चाहते हैं। इसकी जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि मिर्जापुर इलाके में, वाराणसी इलाके में कालीन का बहुत बड़ा काम होता है उसके एक्सपोर्ट का काम होता है। अगर अच्छी नस्ल की भेड़ें तैयार करने में कामयाब हुये तो इस बात का मौका होगा कि अच्छे किस्म का ऊन उन लोगों को देने में कामयाब होंगे जो इस काम को करते हैं।

एटा में बकरियों का फार्म इस साल खोलने का इरादा है। देवरिया फार्म का एक्सटेन्शन करा रहे हैं। 559 अस्पतालों में बकरे रहते हैं। 15 अस्पताल में और बढ़ायेंगे। पाँच पर तादाद बढ़ाई जायगी।

हम अपनी जरूरत के लिए वैक्सीन बनाते हैं जिसकी तादाद दो करोड़ है। इसमें से एक करोड़ सोलह लाख हमारे इस्तेमाल में आती है। बाकी को हम स्टोर कर लेते हैं। जो बच जाती है उसे वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश को सप्लाई करते हैं।

चार वेटेनरी अस्पताल जिला परिषद से सरकार इस साल अपने इन्तजाम में ले रही है। लोकल बाडीज अस्पतालों को पाँच सौ रुपये सालाना की मदद लेने का इन्तजाम है।

एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। चाहता नहीं था इस बीच कहूं। 76–77 और 77–78 में एक मवेशी के ऊपर दवाई में जो खर्च आता था वह पाँच पैसे और दस पैसे के बीच था। यह भी मैं आप की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 79–80 का जो बजट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें एक मवेशी के ऊपर दवाई का खर्च घट कर पाँच पैसे आ गया है। यह इस मुहकमे की हालत है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी संक्षिप्त करें क्योंकि आपको जबाव देना है....

श्री अब्दुल हलीम खां—

मैंने आप की बात स्वीकार कर ली है और एक दो बात कह कर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस संबंध में जो भी आप के विचार आयेंगे उन पर मैं पूरी तरह से गौर करूंगा। मैं चाहूंगा कि डेरीज के सिलसिले में और अन्य बातों के सिलसिले में भी जो सुझाव होंगे वे इस बात को ध्यान में रखते हुये आयें कि इस महकमे के अन्दर कितनी बड़ी तादाद बजट की है और उन सीमित साधनों में क्या करना मुमकिन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63—पशुधन विभागस—म्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय....

एक सदस्य—

एक रुपये से क्या होगा एक मछली भी नहीं आयेगी.....

श्री राम आसरे वर्मा—

एक रुपये के लायक भी नहीं है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—मत्स्य विभाग—संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 102—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय—इन सब में कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, पशुधन विकास मंत्री ने जो विभाग के बारे में पृष्ठ भूमि प्रस्तुत की है उससे कोई भी असहमत नहीं होगा। असहमति होती है जो नीतियाँ तय की जाती है उनको लागू करने में और उसका जो परिणाम सामने आते है उसके बारे में।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नस्ल सुधारने की योजना हमारी है। जब डेनमार्क और जर्मनी से वीर्य लाकर के कृत्रिम गर्भाधान से गाय, भैंसों की नस्ल सुधारने का सिलसिला चलता है तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो विदेशों से आयात करके यहाँ पर नस्ल सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया इसके अच्छे परिणाम होते है, मैं यह कहता हूं कि परिणाम अच्छे नहीं होते है बुरे होते हैं। उसका कारण है एक तो कि जो विदेशों से वीर्य यहाँ पर आयात किया जाता है और कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया से नस्ल सुधारने का सिलसिला चलाया जाता है होता यह है कि यहाँ का तापक्रम यहाँ की जलवायु उसके लिए उपयुक्त नहीं होती। यह सही है कि 18 महीने के अन्दर जानवर परिपक्व हो जाता है लेकिन उस स्थिति तक जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनको पूरा करने का किसानों का दृष्टिकोण नहीं होता। तापक्रम तथा जलवायु अनुकूल नहीं होती। अनुभव में यह देखा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान के जरिये जो आयात किया हुआ विदेशों से वीर्य होता है उससे पैदा की हुई नस्ल धूप में काम नहीं कर पाती है। फिर चारा मुख्य चीज है। तीन साल में यहाँ जानवर मेच्योरिटी प्राप्त करता है जब कि विदेश से सम्बन्धित जानवर 18 महीने में।

तीन साल वाले जानवर के लिये किसान दाने की व्यवस्था तभी करता है जब उसे दूध की संभावना उससे होती है। जिस किसान का मिजाज इस तरह का हो दाने की व्यवस्था वह तब करेगा जब उसे दूध की संभावना हो तो उससे अगर एक महीने बाद दाने की व्यवस्था करने को कहा जायगा तो वह तैयार नहीं होगा। लिहाजा उचित दाना न मिलने पर जो प्रतिक्रिया तीन साल वाले जानवरों के साथ होती है वही प्रक्रिया बाहर के जानवरों के साथ भी होगी। फिर हमारे देश में हरियाणा की नस्ल देहातों में जगह-जगह पसन्द की जा रही है। बजाय इसके डेनमार्क तथा जर्मनी की ओर हम देखें अगर हम देश की ही नस्ल को आगे बढ़ाने की बात सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा। चारा अच्छा मिलेगा तो जानवर स्वथ्य होगा और उससे अधिक दूध निकलेगा और काम भी निकलेगा। लेकिन चिकित्सालयों के डाक्टरों पर जबरिया बीज थोप दिया जाता है जो क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। वह बीज ऐसा होता है जिसकी मार्केट में कीमत भी ज्यादा होती है। अब अगर ज्यादा कीमत के बीच को चिकित्सालय के अधिकारियों के द्वारा किसानों के बीच में आप पहुंचाने की कोशिश करते है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है और न आपको प्रयासों को फल ही मिलेगा।

प्रदेश भर में जो चिकित्सालय हैं साल में 1500 पये की दवायें उनको दी जाती है और उन अस्पतालों के स्टाफ पर 25 हजार रुपये साल खर्च कर दिया जाता है। यह केवल मखौल है। जितना आप स्टाफ पर खर्च करते हैं उसके इर्दगिर्द दवाइयों पर खर्च करना चाहिये। इसके अलावा डाक्टर जिन दवाइयों का इंडेट भेजते हैं उनको ऊपर के डाक्टर दूसरे तरह की दवाइयाँ भेज देते है। यह खयाल नहीं किया जाता है कि जिस क्षेत्र में इंडेंट भेजा गया है वहाँ क्षेत्रीय रोगों को दृष्टि में रखते हुये इंडेंट भेजा गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जिन अधिकारियों का जनसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है वे दूसरी तरह की दवा वहाँ भेज देते है जबकि अलग अलग क्षेत्रों में तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं और उनका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता लेकिन वे मन माने ढंग से दवाओं को भेजते हैं जिससे कि उनका कोई सदुपयोग नहीं रह जाता है। हमारा प्रदेश बाढ़ से भी ग्रसित रहता है। इससे नई-नई बीमारियाँ जानवरों को पैदा हो जाती है और जानवर मर जाते है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसा होता है। यद्यपि वहाँ पर जो आपका स्टाफ है उसकी मैं सराहना करूंगा लेकिन बाढ़ में जानवरों को नई-नई बीमारियाँ घर कर जाती उनको काटने के लिये आप दवा नहीं दे पा रहे है। उस समय आपके कर्मचारी असहाय हो जाते है जब वे उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आप लेवी लगाते है और बाद में माफ कर देते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो काम आप बाद में करते है उसे पहले ही कर लें तो आसानी हो जायेगी। पहले से ही अगर जानवरों को टीके लग जायं तो उन्हें राहत हो जायेगी। मैं समझता हूं इसके लिये आपको कठिनाई भी नहीं होगी।

मान्यवर, हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान की नस्लें बदल दी जाती है। जो आपके यहाँ 10–12 लाख कृत्रिम गर्भाधान होते भी है उनके आँकड़े आपके पास नहीं है कि कितनी गायें या कितनी भैंसे कृत्रिम गर्भाधान से मौजूद है। इस सम्बन्ध में आज प्रदेश में बड़ी तबाही है। आज आप जगह जगह पर आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन कर रहे हैं यह चीज भी काबिले गौर है।

अब मैं मुर्गी फार्म के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक मुर्गी फार्म है। आप कहते है कि हम इसलिये इसको चलाते है कि गरीब आदमियों को इससे राहत मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में अन्डे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आते हैं। प्रदेश में 50–60 फार्म है फिर भी दूसरे प्रदेशों से अंडे आते हैं। इस बात को हर आदमी बड़े आश्चर्य से देखता है। जो आपके फार्म है उनके अंडों का

[श्री राम आसरे वर्मा]

क्या अनुपात है ? एक मुर्गी हर साल 200–225 अन्डे देती है लेकिन आप का औसत मुश्किल से 28–30 आता है। यह एक मुर्गी से पड़ता है। चूजे भी उसी मुताबिक पड़ते हैं। आप कहते हैं कि इससे आप पिछड़ी जाति आदि के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। इन फार्मों और अन्य योजनाओं के जरिए, किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। चक गंजरिया फार्म जो आपकी नाक के नीचे हैं––यहाँ पर मुर्गे और मुर्गियों का कोई हिसाब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। अधिकारी भी नहीं जाते हैं और उसका हिस्सा उसमें ले लेते हैं। मेरी जानकारी है कि यह फार्म घाटे पर चल रही है। अब मैं सेंट्रल डेरी फार्म के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ अर्से पहले तो मुनाफा होता था, लेकिन पिछले दो सालों से 25, 30 लाख का घाटा हो रहा है। जो योजनायें आप चला रहे हैं उसके विपरीत नतीजे आ रहे हैं और उसके बन्द होने की नौबत आ गई है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो वहाँ पर काम करने वाले तीन चार सौ आदमियों की रोजी–रोटी खतरे में पड़ जायगी। वह डेरी जोकि लड़ाई के दिनों में हमारी जरूरतें पूरी करती थी और आज भी सरकारी विभागों में सप्लाई कर रही है उसकी कार्य-प्रणाली को ठीक करने की जरूरत है।

(इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह सही है कि बहुत-सी टेक्निकलटीज इस विभाग में हैं और उसी रूप में लोगों से काम भी लिया जाना चाहिए। जिस विषय की जिसको जानकारी है उससे उसी विषय में काम लेना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति चारे की योग्यता रखता है उसको बना दिया गया है डिपटी डायरेक्टर डेवलपमेंट विलेज स्कीम।जो बैटरनिटी का आदमी है उसको फोडर डेवलपमेंट आफिसर बना दिया गया है। जो आर्टिफिशियल इनसैमिनेशन का काम जानता है उसको आप डिप्टी डायरेक्टर बना देते हैं। तो जब किसी आदमी की जानकारी किसी विषय में हो और उसके विपरीत उसको दूसरे काम में लगा देंगे तो वह अपनी योग्यता का सही प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जिसका नतीजा यह होगा कि जो योजना हम कार्यान्वित करना चाहते हैं उसमें घाटा होगा।

मान्यवर, अलीगढ़ सेन्ट्रल डेरी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसके 7, 8 साल पहले एक साहब इंगलैण्ड गये थे और वहाँ से वह ट्रेनिंग लेकर आए और अच्छा काम किया, लेकिन दो साल पहले उनको मथुरा कालेज में रिसर्च वर्क पर लगा दिया है। वह भी कहते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं कि जो डेरी फार्म पहले मुनाफे पर चल रहा था, अब घाटे में आ गया है। तो उनको रिसर्च वर्क की जानकारी नहीं है वह इन्तजार में है कि कब वह उस दल-दल से निकले। तो इन बातों पर माननीय मन्त्री जी गौर करें। आपसे पहले जब राज्य मन्त्री जी थे उन्होंने दौरे के समय अस्पतालों की अचानक चेकिंग की। जो काम डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को करना चाहिए था वह उन्होंने किया, लेकिन अच्छा किया आपने, पर उसका नतीजा क्या निकला कि उन छापों पर ऐक्शन आज तक शून्य रहा। आप को कोई ऐक्शन तो लेना चाहिए था। यह काम आप डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से करवायें और उनकी रिपोर्ट पर आदेश दें। जहाँ जरूरी हो वहाँ आप यह भी करें।

आपके विभाग में एक एडीशनल डायरेक्टर की जगह खाली पड़ी है उसको भरा नहीं जा रहा है। आपका जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कमियाँ हैं। उसको पूरा करने के लिए और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कदम उठाएं। अगर यह नहीं किया तो समस्या हल नहीं होगी।

आपके विभाग में दो साल की ट्रेनिंग लेकर पहले लाइव स्टाक सुपरवाइजर होते थे जो मथुरा वगैरह में ट्रेनिंग लेते थे और उनको डाक्टर का ग्रेड दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनको वही पुराना वेतन दिया जा रहा है नया वाला ग्रेड नहीं दिया जा रहा है। इससे उनके मन में ठेस पहुंचती है जो लोग काम में लगे हैं। उनसे जब हम अच्छे काम

की अपेक्षा करते हैं तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। बी0बी0एस0 डिग्री होल्डर्स डाक्टरों को एम0एस0सी0 और पी0-एच0डी0 करने की सुविधाएं आपके विभाग ने दी थीं और जब जाते थे उन्हें छुट्टी की सुविधा प्राप्त थी और पास होने के बाद उनको ड्यूटी पर लगाते थे, तो उनको ऊपर का ग्रेड देते थे। क्योंकि उनसे इस बात का एग्रीमेंट करा लेते थे कि पास होने के बाद वह 3 साल और जगह सेवा न कर विभाग में ही सेवा करने के लिए बाध्य हों। अब वह ढंग बिगड़ता चला जा रहा है। लोग 9–9 महीने तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन आप उनको काम नहीं देते हैं और साथ ही न उनको एग्रीमेंट से मुक्त करते हैं, जिससे वह दूसरे जगह पर अपने लिए नौकरी की व्यवस्था कर लें। तो यह सिलसिला भी बन्द होना चाहिए और हर एक को समान सुविधाएं और समान अवसर दिये जाने चाहिए।

आपने स्टाकमैन के बारे में बताया है कि उनके हर ब्लाक में दो–दो सेंटर्स होंगे। आप दो स्टाकमैन कहें, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन दो स्टाकमेट सेंटर की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि सेंटर के नाम पर आप उनको केवल 3 रुपया महीना देते हैं और इस तीन रुपए में कौन स्टाकमैन सेंटर स्थापित कर लेगा। इस व्यावहारिक कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई कैसे अपने कर्त्तव्य का पालन कर पाएगा।

यहां पर पशुधन सहायकों का आन्दोलन चला, हड़ताल चली। उनकी मांगें हैं, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, जिससे वह सन्तुष्ट होकर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें। आपको इन्हें इतना वेतन अवश्य देना चाहिए, जिससे वह अपनी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके।

एक अजीब चीज और देखने को मिली है। सरकार ने वेटरनेरी डाक्टर का पे-स्केल बढ़ाकर डाक्टरों के बराबर कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर के जो अधिकारी—वेटरनेरी अफसर, आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन आफिसर, डी0एल0ओ0 आदि हैं, उनके पुराने स्केल्स, हैं, वह उसी अनुपात में नहीं बढ़ाए गये हैं। जिसके कारण स्थिति यह है कि उनके सबार्डिनेट अधिक वेतन पाते हैं और वह कम पाते हैं। तो यह असमानता बिलकुल उचित नहीं है, इस पर आप विचार कर, इसे शीघ्र दूर करें। अन्य कारणों में से एक प्रमुख कारण कि से आपके विभाग में शिथिलता व्याप्त हो गयी है, जिसकी वजह से पिछले साल करीब 25 लाख रुपया आपके विभाग को सरेन्डर करना पड़ा है। अतः आप ऐसी स्थिति न पैदा होने दें और स्थिति ऐसी पैदा करें, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य अच्छे और मधुर सम्बन्ध बने रह सकें।

चूंकि इन तमाम बातों की ओर मन्त्री जी ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को कटौती का प्रस्ताव लाना पड़ा है।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी का बजट देख कर बड़ी निराशा हो रही है। मैं चाहता था कि बजट काफी ज्यादा होता। पशुओं का सम्बन्ध किसानों से है, गांवों से है। पशुओं के विकास के साथ गांवों और किसानों का विकास हो सकता है लेकिन यह देखकर दुख हुआ कि अगले पांच वर्षों में 142 पशु चिकित्सालय और 100 स्टाकमैन सेन्टर खुलने का प्राविधान है। गत वर्ष एक भी स्टाकमैन सेंटर नहीं खोला गया और इस बजट में एक भी स्टाकमैन सेन्टर खोलने की व्यवस्था नहीं है। देहातों में 20–25 किलोमीटर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]

में पशु चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है। यह विज्ञान इतने पीछे हैं। वैसे गाँवों में मनुष्यों की चिकित्सा के लिए वैद्य मिल जाते हैं, कम्पाउन्डर मिल जाते हैं। लेकिन पशुओं की चिकित्सा करने वाले नहीं हैं।

श्री दुर्ग विजय सिंह (जिला आजमगढ़)—

कोरम नहीं है। सदन कैसे चल रहा है ?

(कोरम के लिए घंटी बजाई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे वित्त मन्त्री जी बैठे हुए हैं उनसे विचार-विमर्श करके तय करें कि प्रदेश में कुछ स्टाकमैन सेन्टर जरूर खोले जायं।

तराई क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पशु बिना चिकित्सा के संक्रामक रोगों से मर जाते हैं, उनके उपचार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टाकमैन सेंटर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सिवारावास और कुंवाखेड़ा, वजीर आलम, कायमगंज क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गत वर्ष चिकित्सा मन्त्री गए थे और आश्वासन दे आए थे। लेकिन आज तक नहीं खोले जा सके। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपकी योजना चल रही है, लघु कृषक विकास योजना। इसके अन्तर्गत दो-दो जानवर भैंस, गाय खरीदने के लिए पैसा मिलता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले तो भैंसें खरीदने के लिए पंजाब ले जाए जाते थे। कई एक उदाहरण हैं, किसान पंजाब तक गए, वहाँ पर डाक्टरों ने कह दिया पैसा है नहीं। किसानों का तीन-चार सौ रुपया आने-जाने में बरबाद हो गया। डाक्टरों ने फैसला कर लिया कि मनचाही भैंस खरीदेंगे। भैंसें खरीद कर जबरदस्ती लाद दी गयीं। मैंने गाँवों में जाकर कम से कम 25-30 भैंसें देखा। एक भी किसान सन्तुष्ट नहीं था। उनके मन के मुताबिक भैंस नहीं मिल पाई। इसलिए मैं चाहूंगा कि लघु कृषक योजना के अन्तर्गत जो जानवर खरीदवाते हैं उनमें किसानों की भी राय ली जाय। उनको मनचाहे स्थान पर भैंस गाय खरीदने की सुविधा दी जाय। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब से भैंसें लेकर चले एटा के पास ट्रक उलट गयी और भैंसें मर गयीं। किसानों पर कर्जा हो गया और भैंसे भी हाथ नहीं लगीं। उनसे ढाई तीन हजार रुपया माँगा जा रहा है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन भैंसों के मालिकों को ऋण से मुक्त करें।

पशुओं के लिए विभाग द्वारा जो हरे चारे की व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि जो बीज का बंटवारा होता है वह ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। बीज सेन्टर्स पर ही पड़ा रहता है। वह गाँवों में नहीं बाँटा जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जो बीज सेन्टर्स पर पड़ा रहता है उसे देहातों में स्टाकमैन के द्वारा तुरन्त भेज दिया जाया करे, ताकि जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है वे उसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। इस बारे में मेरा माननीय मन्त्री जी से विशेष अनुरोध है।

एक दिक्कत और देहातों में आ रही है। जो पशु मर जाते हैं, उनके लिए जो पुरानी प्रथा थी वह टूट रही है और अब एक नयी प्रथा आ रही है। पहले जो पशु मर जाते थे उनका उपयोग हो जाता था, लेकिन अब तो जिस किसान का पशु मर जाता है वह उसे दूर खेत में गाड़ आता है। न तो उसकी खाल का, न उसके माँस का और न और किसी प्रकार का उपयोग हो पाता है। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि हर क्षेत्र में इस प्रकार के

छोटे-छोटे सेन्टर्स खोले जायं जहाँ पर इन मरे हुए पशुओं का उपयोग हो सके, हरे चारे की व्यवस्था हो सके, उनके उपचार की व्यवस्था हो सके, तब मैं मानूंगा कि किसानों को लाभ होगा और पशुओं का विकास होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत माँग का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में प्रस्तुत बजट पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, पशुपालन विभाग देश और प्रदेश का एक मुख्य विभाग है, परन्तु बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत लिट्रेचर और माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए भाषण को सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं, इस विभाग की कोई उपयोगिता, कोई मुख्यता, किसी प्रकार की अच्छी बात नहीं सोची गयी। यही कारण है कि इस बजट की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं गया। जैसा कि मैंने देखा इसमें 12 करोड़ रुपए का प्राविधान है जिसमें से 10 1/2 करोड़ रुपया तो तनख्वाहों और अन्य खर्चों के लिए या एस्टेब्लिशमेंट पर ही चला जाता है। आप इतने बड़े प्रदेश में ग्रामीण विकास चाहते हैं, पशुधन के द्वारा, लेकिन आप विचार करें कि क्या 1 1/2 या 2 करोड़ रुपए में इस प्रदेश के पशुओं की नस्ल सुधारने में क्या मदद कर पायेंगे? 5 पैसा प्रति पशु में आप जानवरों की सेवा नहीं कर पायेंगे। इसमें से भी आप केन्द्रों पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके लिए निकालेंगे। इस हिसाब को देखने से पता लगता है कि यह विभाग एक प्रकार से नगण्य-सा ही है। हमारी सरकार भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। हमें तो अपने पशुपालन मन्त्री की ओर देखकर बड़ी दया आती है कि क्या वे करेंगे और क्या उनका विभाग करेगा? विभाग में अधिकारियों की एक बहुत बड़ी फौज है, क्या यह फौज करेगी? मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या चर्चा करूं और क्या सुझाव दूं। जब बजट में कोई पैसा ही नहीं, केवल 5 पैसा प्रति पशु आता है तो क्या सुझाव इस सम्बन्ध में दूं?

प्रदेश में ग्रामों की तरक्की के लिए पशुपालन विभाग का विशेष महत्व है। किसान, मजदूर और देहात के रहने वालों के लिए इस विभाग द्वारा काफी मदद हो सकती है। इसलिए इस विभाग के कार्यों के लिए सरकार को अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए।

नस्ल सुधार का कार्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सालयों में देखने में यह आता है कि डाक्टर और स्टाकमैन तो हैं पर दवाएं नहीं हैं। यदि कोई 2–4 मील चल कर अपने पशु लेकर जाता भी है तो उसे पशु चिकित्सालय में दवा नहीं मिलती और दवा न मिलने के कारण उसे निराश होकर लौट आना पड़ता है। मामूली पाउडर व कुनेन आदि दवाएं भी नहीं रहतीं। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे यदि इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो पशुधन विकास के लिए और अधिक धन जुटाने की कृपा करें। जब इस विषय में पैसा ही नहीं है तो हम सुझाव क्या दें? हम देहात में देखते हैं कि पशुओं में बीमारी फैलती है तो वह बुरी तरह फैलती है डाक्टर भी दवाइयों के अभाव में परेशान होकर इधर-उधर परेशान घूमा करते हैं। साधन न होने के कारण भी कुछ नहीं कर पाते। फिर जो दवायें रहती भी हैं उनकी चोरी भी होती रहती है। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जब तक पशुधन के लिए और अधिक धन की व्यवस्था नहीं की जायगी, ग्रामों का विकास नहीं होगा।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, इस प्रदेश में इन्सान की जो दुर्गति है, वह तो है ही, पशुओं की भी काफी दुर्गति है। पशु अस्पतालों के लिए इतना कम बजट दिया जाता है कि उससे वहाँ एक माह के लिए भी दवायें रखना सम्भव नहीं होता। पहले तो पशुओं के इलाज के बारे में जनता को जानकारी ही नहीं है कि इनका भी इलाज होता है पर धीरे-धीरे प्रचार के माध्यम से जब पता भी होता है और जब वे पशु अस्पताल में जाते हैं तो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं होती हैं और माननीय मन्त्री जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि वहाँ के डाक्टर ऐसी दवाओं का नुस्खा बना देते हैं,जो दवाइयाँ 10—20 मीलों में भी गाँवों के लोगों को नहीं मिलती हैं और वह दवाइयाँ भी अस्पतालों में नहीं होती हैं। अगर आपका विभाग इस प्रदेश के पशुओं के साथ कुछ करना चाहता है, तो इस बजट को और बढ़ाइए और किसको कितनी दवाई दी गयी, इसका रेकार्ड रखिए। आप शायद 1,500 रु0 दवा के लिए देते हैं और उस 1,500 रुपए की दवाइयाँ वहाँ के डाक्टर लोग बेच लेते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि दवाइयाँ कम थीं, खत्म हो गयीं। पिछले अगस्त के महीने में बाँदा जिले में पशुओं की कई तरह की बीमारी का अभियान चला।

महुआ ब्लाक के अन्दर एक पशु अस्पताल है। वहाँ पर किसान लोग जाते रहते हैं। जब किसान जाता था, तो वहाँ के डाक्टर 100—100 रु0 माँगा करते थे,जब मैंने सवाल उठाया तो कुछ सुधार हुआ। वहाँ पर पोकना एक बहुत भयंकर बीमारी होती है। पिछले सितम्बर, अक्तूबर के महीने में हमें एक जानकारी दी गयी कि बहुत से किसानों के जानवर भारी मात्रा में मर गए और वहाँ के किसानों की खेती नहीं हो सकी। जो ब्लाक के अधिकारी हैं, उनका यह फर्ज होता है कि वे इस पर ध्यान दें। आज कल बैल इतने महंगे हो गये हैं कि एक किसान के बैल के मर जाने पर उसे खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सुधार होना चाहिए। एक बुकलेट छपी थी,उसमें डी0पी0, ए0पी0 का उल्लेख किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इस कदर से घपले बाजी हो रही है कि जानवरों के रखरखाव के नाम पर वहाँ के अधिकारी बिलकुल लूट किये हुए हैं।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 5 हजार रु0 जिन लोगों को दिया गया, उसमें एक हजार रुपया तो खुद वहाँ के अधिकारी ले लिए,जो खरीदवाने गए तो वह 500 रु0पहले ले लिया। इस तरह से 1500 रु0 तो इस तरह से ही चले गए। गोधन विकास खण्ड जो कि गोधन में है। वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है और कृत्रिम गर्भाधान के पश्चात अगर मेरी सूचना सही है,उस काश्तकार को 500 रु0 के करीब उसके जानवर को खोलवाने के लिए दिया जाता है। लेकिन उस रुपए के बारे में काश्तकारों को जानकारी नहीं है कि मिलता है कि नहीं मिलता है, जो इंसीमिटेशन कराते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। कुछ ऐसे आँकड़े मेरे जिले में बताया गया कि एक भेड़पालन सेंटर बाँदा जिले में चलाया गया। इस भेड़ पालन सेन्टर में इतने घपलेबाजी है कि कुछ भेड़ विदेश से मंगाई गयी थीं, लेकिन उन्हें भेड़ पालने वालों को न देकर पशुधन अधिकारी ने उन भेड़ों को बेंच लिया। इसमें काफी हद तक घपलेबाजी की गयी।

इसमें मान्यवर, प्रशिक्षण कुछ देते हैं भेड़ पालन के लिए। उसमें 5 रु0 या कुछ प्रशिक्षणार्थी को देने के लिए दिया हुआ है और उसमें फर्जी प्रशिक्षण दिखा देते हैं। अभी बुन्देलखण्ड डिवीजन में 12 हजार के करीब सुवरियों का गर्भाधान कराया गया। यह बड़ी हैरत की बात है। लेकिन इतनी भारी तादाद में सुवरियों का गर्भाधान केवल फर्जी दिखा कर पैसे का गोलमाल अधिकारी लोग कर रहे हैं। और इन योजनाओं के अन्तर्गत मैं आग्रह करूंगा कि इन चीजों को रोकिए सही माने में, उनके रख-रखाव के लिए रचनात्मक कदम उठायें और इस फण्ड का दुरुपयोग रोकिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूध के सम्बन्ध में गोधन विकास खण्ड खोला गया, लेकिन उसका सही नतीजा जनता के सामने नहीं आया। जालौन में खोल रखे हैं बाँदा और हमीरपुर में भी खोलना चाहिए, क्योंकि दिन प्रति दिन दूध की कमी के कारण शहर और देहात के लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है जिससे तमाम बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन बिन्दुओं पर मैंने सुझाव दिये हैं उनका सुधार करें। हमारे क्षेत्र में मत्स्य-पालन का बहुत स्कोप है लेकिन वहाँ जिस से काम होना चाहिए, वहाँ कामयाबी के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। जमुना के किनारे मछुओं के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड इस मत्स्य के क्षेत्र मेंबड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। अतः इनके विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत पशुधन बजट का समर्थन करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को ठेस लगेगी, लेकिन ठीक है मैं सोचता था कि इन बेंचों से यह बात कही जायगी, यह गोबध पर जो रोक लगी है इसको हटा लिया जाना चाहिए। जो वस्तु-स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से आवारा गायें मुहल्ले और सब जगह घूमती हैं उनसे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मैं कहता हूं कि ठेस लगे लेकिन गायें जितना खाती हैं उतना दूध नहीं देती। रोक हटने के बाद होगा यह कि अधिक दूध देने वाली गाय रहेंगी।

दूसरी बात यह है कि हरित क्रान्ति देश में और प्रदेश में आई, लेकिन काफी हिस्से में उसको लाने का क्रेडिट पन्तनगर विश्वविद्यालय को जाना चाहिए। हालाँकि उसका हमने सत्यानाश कर दिया है। इस प्रकार से करनाल में एनिमल हसबेन्ड्री के लिए जो, हिन्दुस्तान का एक सबसे अच्छा केन्द्र है, उसकी जगह से हरियाणा और पंजाब में जो खेती में काम आते हैं और खाने के काम में आते हैं, उनके उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि उनका उत्पादन किस प्रकार बढ़ाएं। जहाँ तक दूध का सवाल है जहाँ तक मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो कुछ करने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में दूध की बड़ी जरूरत है। आर्टिफिशियल इसेमिनेशन केन्द्र 1977–78 में केवल 2 केन्द्र खोले गए और आगे खोलने के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

मान्यवर, जहाँ–जहाँ किसान हैं वह गायें पालते हैं लेकिन हमारी गायें दूध कम देती हैं। जर्सी गाय दिन में चार बार दूध देती है और अपनी गायों से आठ दस गुना दूध देती हैं तो वह गाये हमको मंगानी पड़ेंगी। किसानों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से वह गायें रखी जायं। अपने यहाँ की गायें दौड़ धूप करके तन्दुरुस्त रहती हैं, भैंस अगर भागती ह तो कम दूध देती है, लेकिन जर्सी गाय गर्मी में नहीं रह सकती, लेकिन इन गायों को हमें बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से हमको बकरियों के बारे में सोचना चाहिए। बकरियाँ तीन तरह की—देशी बकरी, बर्बरी बकरी, जमुनापारी बकरी। देशी बकरी केवल एक बच्चा देती है और ज्यादा दूध नहीं देती। बर्बरी बकरी दो बच्चे देती है, जमुनापारी 6 बच्चे देती है। तो अन्त्योदय प्रोग्राम में मेरा सुझाव है कि भैंस की जगह 5 बकरियाँ दें तो साल भर में वह आदमी दो भैंस खरीद लेगा। किसानों को जमुनापारी बकरी देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि बर्बरी और जमुनापारी बकरियों की वृद्धि की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामदत्त पालीवाल]

जहाँ तक कुक्कुट पालन का सवाल है आगरे में बिचपुरी में एक कुक्कुट फार्म है। वहाँ पर लैगहार्न नस्ल की मुर्गी लाई गयी। मुर्गियों की उस नस्ल में कोई बीमारी थी। एक बार बीमारी शुरू हो गयी तो जब तक पूरी मुर्गियाँ नहीं खत्म हो जायंगी तब तक बीमारी समाप्त नहीं हो सकती इसलिए वह फार्म असफल रहा है। जितने किसान वहाँ से मुर्गियाँ ले जाते हैं वह असफल होते हैं। जिस अधिकारी के द्वारा यह लाई गयी तो अपनी गल्ती छिपाने के लिए यह कभी सिद्ध नहीं होने दिया गया कि जो मुर्गियाँ लाई गयीं उनमें कोई बीमारी थी। पंजाब और हरियाणा में मुर्गी पालन सफल हुआ है, हमारे प्रदेश में एक भी मुर्गी फार्म ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सफल रहा हो।

मछली में हमारे प्रदेश में सरकार की कुछ आमदनी बढ़ी है। लेकिन मैं मन्त्री जी से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जितनी आमदनी होनी चाहिए उसका केवल चौथाई पैसा आता है। आगरा जिले में काथम झील है जिसका ठेका नहीं हो पा रहा है और नुकसान हो रहा है। वहाँ पर जितनी मछली निकली हुई दिखाई जाती है उससे कम से कम 4 गुना मछली निकाली जाती है। वहाँ ठेकेदार और अधिकारी चोरी करते हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके मछली निकालने वाले स्थान हैं, जहाँ पर इस प्रकार का ठेका हुआ है वहाँ कितनी मछली निकाली जाती है और किस भाव पर पेमेन्ट हुआ है, उसको देखें। मछली खाने वालों की संख्या बहुत है। हमारे यहाँ से बंगाल, बिहार, कलकत्ता आदि बड़े शहरों को बड़ी तादाद में मछली भेजी जाती है, कछुवे भी जाते हैं। अगर मछली पालन बढ़ता है तो उसकी हमारे यहाँ खपत अच्छी होगी साथ ही साथ बाहर भी भेजा जा सकता है। मछली उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए। मान्यवर, जहाँ तक गेहूं उत्पादन का सवाल था, बढ़ गया, दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह से उन जानवरों को उत्पादन बढ़ाना जरूरी है जिनको लोग खाते हैं। अण्डों का उत्पादन बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस विभाग को उतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना कृषि विभाग को दिया जाता है। अभी तो केवल इतना हुआ है कि एक कैबिनेट रैंक के मन्त्री जरूर बना दिए गए हैं लेकिन खर्च के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है, इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

*श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहाँपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और साथ ही अपने मुख्य मन्त्री जी को भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पशुधन विभाग एक डाक्टर साहब को सौंपा। जैसे कि डाक्टर लोग यह बताते हैं कि घी खाओं, दूध पियो, मुर्गी और अण्डे खाओ, मछली खाओं, तो यह विभाग भी हमारे डाक्टर जी के पास है। मैं मान्यवर, सबसे पहले इस बात पर चलना चाहता हूं कि इसमें प्रदेश का जो सबसे बड़ा कार्य है वह यह है कि सुअर पालना, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, उसकी थोड़ी जानकारी में सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि सुअर के बाल विदेशों में 1600 रुपए किलो बिकता है, उसका मान्स दिल्ली ऐसे शहर में 10–12 रुपए किलो, शिमला, कलकत्ता में 14 रुपए किलो बिकता है। इसकी दूसरी चीजों के बारे में शायद लोगों को जानकारी नहीं है। तो सुअर की आतों का माँस जो कूटने के बाद स्वाँस तैयार होता है, मसाला भरने के बाद 20 रुपए किलो बिकता है, उसकी खाल चर्बी के साथ नमक लगाकर सुखा कर 50 रुपए किलो बिकती है। यह भी खाने के काम आती है। इसी तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुअर की चर्बी साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है। उसके खून का मीठा और नमकीन पेड़ा तैयार किया जाता है और दिल्ली में बिकता है। लेकिन इतने महत्व का सुअर होते हुए भी उसको उपेक्षित रखा गया है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को सबसे ज्यादा हरिजन लोग करते हैं इसलिए गाय भैंस के साथ-साथ सुअर के काम में भी अपना पैसा खर्च करें क्योंकि गाय एक बच्चा साल में देती है जबकि एक सुअर एक साल में 24 बच्चे देता है और फिर भी सुअर की उपेक्षा की गयी है। मान्यवर, हरिजनों का एक यह व्यापार है, इसलिए जो यह काम करते हैं उनको दुकान आदि खोलने में मन्त्री जी मदद देने पर ध्यान दें।

मान्यवर, जो जानवर मर जाते हैं, तो वह सम्पत्ति इस देश में बेकार की जाती है। जानवर की खाल जूते बनाने में, उसकी हड्डी शकर साफ करने के काम आती है, उसकी आतें इंगलैण्ड में 16 रुपए किलो तक बिकती है।

और जानवरों के जो खुर आदि हैं, वे कंघी बनाने के काम आते हैं। इस तरह से तमाम पशु धन की चीजें हैं, जिनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से जानवरों की तमाम चीज बेकार जाती है, उसके लिए हर जिले में सेंटर्स खोल दिए जायं तो जितनी जानवरों की बेकार की चीज हैं, उनका सही–सही उपयोग हो पायेगा और उससे जो धन अर्जित होगा, वह प्रदेश के काम आयेगा।

मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि यह जो दुग्ध योजना है, जिसके बारे में बहुत से साथियों ने कहा, हमारे जिले शाहजहाँपुर में इस दुग्ध योजना के अन्तर्गत जो जानवरों की खरीद हुई, वे बेकार चले गए। डाक्टरों ने पास कर दिया लेकिन बेकार होने के कारण उन जानवरों का सही मायने में उपयोग नहीं हो पाया और उनका पैसा डूब गया और वे कर्जदार हो गए। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि यह योजना ठीक से चल सके और लोगों को प्रचुर मात्रा में दूध मिल सके तो केवल अच्छे जानवर ही पास किए जायं, बेकार जानवर न पास किए जायं। आज बहुत बड़ा घोटाला इन जानवरों की खरीद के सिलसिले में चल रहा है। डाक्टर लोग, दूसरे लोगों से मिलकर गलत जानवर खरीदवा देते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि लोगों को जानवर खरीदने के लिए छूट दे दिया जाय कि वे अपने आप बढ़िया से बढ़िया जानवर खरीद ल और इसके लिए उनको डाक्टर, बी0डी0ओ0 या अन्य अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बाध्य न होना पड़े। वे जहाँ से चाहें, जानवर खरीद लें और हिसाब से उसका उपयोग करें।

इसी के साथ, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान (विश्वमानव) नामक अखबार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसको मैं आज गाड़ी पर पढ़ता आया हूं मान्यवर, इस अखबार में लिखा है कि रामपुर के मिलक ब्लाक में एक बकरा दूध दे रहा है और थोड़ा-थोड़ा दूध भी नहीं—बल्कि आधा किलो दूध देता है। मान्यवर, शाहजहाँपुर के काठ ब्लाक में भी मैंने एक बकरे को स्वयं दूध देते देखा है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि ऐसे बकरों के दूध के उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसकासमथन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा और निराशा दोनों के साथ इस माँग के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसको माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है। आशा तो इसलिए है कि सच बातें माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि हमने सीमित साधनों को हर क्षेत्रों में बाँटा है और जो उसकी कमी है, उसको महसूस किया है और निराशा इसलिए है कि पशुपालन के लिए बड़ी वैसी भावनाएं हैं—खासतौर पर गाय के मसले को लेकर। मान्यवर, मैं गाय के सम्बन्ध में धार्मिक बातों का सम्मान करता हूं लेकिन जितनी उपेक्षा गाय की इस भावना के रखने वालों ने की है, वह बड़े दुख की बात है। इस बजट के वक्त भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कोई इम्पार्टेंट बजट नहीं है, कोई इम्पार्टेंट विभाग नहीं है। कई लोगों ने भी यह कहा है कि ये जो मन्त्री जी बने हैं,उन्हें कोई इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट नहीं दिया है। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि के बाद अगर कोई इम्पार्टेंट डिपार्टमेन्ट है तो वह एनीमल हसबैण्ड्री डिपार्टमेन्ट है और गरीबी को दूर करने के लिए और खुशहाली लाने के लिए जो छोटे उद्योगों की बात की जाती है, तो अगर उस तरह का कोई छोटा उद्योग है, तो उसके लिए पशुपालन ही सबसे अच्छा उद्योग है और उसके लिए यही विभाग है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज इस विभाग की उपेक्षा की गई है। और मैं नहीं समझ पाया कि माननीय मन्त्री जी ने अपने सहयोगी वित्त मन्त्री जी से इस अहम विभाग के लिए रुपया लेने में कोई भी कमी छोड़ दी या वे क्यों महरूम रह गये। इस सिलसिले में एक अर्ज करना चाहता हूं कि आज के युग में जहाँ विज्ञान है, टेक्नालाजी है, इतने बड़े अनुसन्धान हो रहे हैं हम उनसे फायदा न उठायें और यह समझ लें कि हम लोग बिना उनके भी विकास कर लेंगे तो यह नामुमकिन है।

आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन का एक सेन्टर अल्मोड़ा में था जो इण्डो-जर्मन एसोसिएशन के नाम से था। उसने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन शायद अब जर्मन सरकार ने अपनी इमदाद वापस ले ली है। अल्मोड़ा से लेकर फ्रोजन सीमेन किच्छा तक आता था। बरेली बदकिस्मती से वह जिला है जिसकी भी माँग थी कि हमको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। डा0 चेतराम जी पिछली बार मन्त्री थे तो एक फ्रोजन सेन्टर बरेली को मिला था। लेकिन वह कार्यान्वियन नहीं हो पाया। दूसरा सेन्टर गंजरिया में है। फ्रोजन सीमेन बड़ी अच्छी चीज है। इससे बड़ी अच्छी नस्ल पैदा होती है। यह लेटेस्ट तरीका है। सिर्फ दो सेन्टर हैं। सेन्टर्स और ज्यादा खुलने चाहिए जिससे काम और आगे बढ़ सके। आपने थोड़ा-थोड़ा रुपया दिया है बकरियों के लिए। गायों और भैंसों के लिए भी दिया है। जरसी और जो दूसरी किस्म की गायें हैं उनसे हमारी देशी गायों के मिलने से जो नस्ल बनती है वह ज्यादा अच्छी है। हम पूरबी जिलों में रहते ह।

पश्चिम जिलों के लोग बछड़े पालने के लिए दे देते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वापस कर देते हैं। एक योजना और है कि भूमिहीन मजदूरों को कुछ शंकर बछिया पालने के लिए पौष्टिक आहार दिया जाय। अच्छी बात है, लेकिन यह कुछ मंहगा काम है। विभाग के लोगों की काफी शिकायतें रही हैं। दस वर्ष पहले कुछ शंकर बछिया देने की बात चली थी लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पायी। दस बीस बीघे के जो काश्तकार हैं अगर उनको यह बछियाँ दी जायं तो यह काम आगे बढ़ सकता है। वर्मा जी ने दो-तीन बातें कहीं, जो बहुत अहम है।

उसमें मुझे कुछ इजाफा भी करना है। एक यह कि आपके यहाँ जो तबादलों का सिस्टम है, यह कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है कि दरोगा जी 3 साल से ज्यादा रह गये तो गजब हो जायेगा, अगर 5 साल तक एक डाक्टर, डी0एल0ओ0 या डिप्टी डायरेक्टर को रखा जाय एक क्षेत्र में, तो मैं समझता हूं कि इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता है।

दूसरे मछली के बारे में अभी कुछ बातें कही गयीं। जो वेजीटेरियन लोग हैं उनकी ओर से कहा गया। मछली की स्कीम बहुत पापुलर हुई है। लोग महसूस करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट ने काम किया है लेकिन वह इतना सीमित दायरा है, उसमें जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे फायदा होगा। यह भी देख लें कि जितनी कीमत होती है उससे ज्यादा कीमत वसूल की जाती है और आपने इसका अलग डिपार्टमेंट कर दिया है। इसको उसी डायरेक्टर के मातहत होना चाहिए जो आपके विभाग का डायरेक्टर है। इन अलफाज के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में बोलने का इरादा तो नहीं था, पालीवाल जी का भाषण सुनने के बाद यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो अपने कर्तव्य का निर्वहन शायद नहीं कर पाऊंगा। बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने यह माँग की कि जो पूरे प्रदेश और देश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उसको हटा लिया जाय। मैं पालीवाल जी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने तर्क दिया था कि बूढ़ी गायें निरुपयोगी हो जाती हैं, शोधकर्ताओं की स्पष्ट रिपोर्ट है कि गाय कितनी बूढ़ी हो जाय, बिलकुल दूध न दे तब भी वह अनइकानामिक नहीं होती है। हर चीज को आर्थिक पहलू से नहीं देखा जाता। गाय हमारे देश में एक श्रद्धा की वस्तु है। हिन्दू और मुसलमान सभी राजाओं ने अपने-अपने काल में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। मैं पूछना चाहूंगा पालीवाल जी से अगर हर चीज की उपयोगिता की बात है तो क्या इनके माता-पिता बूढ़े हो जायेंगे तो क्या ये उनके वध की बात करेंगे? अगर करेंगे तब तो इनकी बात में कोई दम है। दूसरी बात है कि जैसे पुरुषों के चिकित्सालयों में पहले जब पर्चा बनवाते थे तो कुछ पैसों की लेवी लगती थी, वह तो खत्म हो गयी लेकिन पशु चिकित्सालयों में आज भी वही बात लागू है। मैं निवेदन करूंगा कि उस लेवी को भी समाप्त करने के सम्बन्ध में आप विचार करने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कुछ बात कही है लिहाजा रिकार्ड दुरुस्त हो जाय इसलिए इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। राजेन्द्र जी बड़े भावुक ढंग से कहते हैं कि अगर आपके माँ-बाप बूढ़े हो गये तो क्या आप उनको मार देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि आप बूढ़ी बकरी को क्यों मारते हैं, सुअर का वध क्यों किया जाता है, बहुत से जंगली जानवरों को क्यों मारा जाता है? उसको आप बन्द करा दें। क्या आप इस बात को मानते हैं? केवल सेंटीमेन्ट को लेकर गाय के बारे में इस तरह की कन्ट्रोवर्सी उठाना ठीक नहीं है। हमारा देश बहुधर्मी है, हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। इस देश में केरल भी है, पश्चिम बंगाल भी है, मद्रास और गढ़वाल भी है। अलग-अलग जगहों की अलग-अलग प्रथाएं हैं। यह एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आज केरल के अन्दर एक आर्थिक प्रश्न है और केरल की सरकार इसके पक्ष में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की दलीलें देना कि क्या आप माँ बाप को बूढ़ा हो जाने पर मार देंगे, क्या यह उचित है? क्या अन्य जानवरों के बारे में भी आपकी यही राय है? जाहिर है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, अलग-अलग सभ्यतायें हैं, अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग-अलग फूड हैबिट्स हैं। मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कहूंगा कि इस ढंग से सवाल उठाने की कोशिश कम करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं मान्यवर, उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज इस चर्चा में भाग लिया।

मान्यवर, जो सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि अनुदान जो माननीय मन्त्री जी ने पेश किया उसमें कटौती लाजिमी बन जाती है। हर माननीय सदस्य ने इस बात को दोहराया है कि जो-जो वायदे किए जाते रहे हैं पूरे नहीं हुए, योजनाएं पूरी नहीं हो पायीं, शिथिलता आपके विभाग में व्याप्त है, भ्रष्टाचार की कहानी कह ही दी है एक छूट गयी थी वह भी कह दूं। लखनऊ डेरी में 1975–76 के बीच में चार लाख से अधिक का गबन हुआ था जिसमें 15-16 वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी इनवाल्व थे। सभी लोग निलम्बित किए गए। बिना किसी उचित निर्णय के फिर से उनको अपने पदों पर न सिर्फ लिया ही गया बल्कि उनकी पदोन्नति भी कर दी गयी, उनको इनाम दिया गया, गबन के सिलसिले में 1975–76 में जो मुकदमा कायम हुआ अभी तक उसकी तफतीश चल रही है और वह इसलिए चल रही है ताकि उनके खिलाफ कोई चार्ज शीट न लगे क्योंकि लग गयी तो निलम्बित होना पड़ेगा। 29 अप्रैल, 1978 को एक कर्मचारी सरकारी जाँच में पकड़ा गया। हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा कायम हुआ। उक्त कर्मचारी पहले तो निलम्बित किया गया लेकिन अब बहाल कर दिया गया है। उनके गबन के सिलसिले में असेम्बली में सवाल उठाया गया। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस कर्मचारी से स्पष्टीकरण माँगा गया और स्पष्टीकरण सन्तोषजनक समझ लिया गया जिसकी वजह से बहाल कर दिया गया।

मान्यवर, इस तरह जो भ्रष्टाचार में उलझे हैं वे बहाल तो कर ही दिए जाते हैं साथ ही उनकी पदोन्नति भी कर दी जाती है।

दूसरी बात मान्यवर, मन्त्री जी ने कही कि हर ब्लाक में चिकित्सालय खोले जायेंगे। हमारे हरदोई क्षेत्र में तीन टाउन एरियाज हैं। खुश किस्मती से दो टाउन एरियाज में पशु चिकित्सालय हैं एक टाउन एरिया कुरसठ जो इन्टीरियर में है और गाँव के बहुत बड़े क्षत्र को कवर करती है वहाँ पर चिकित्सालय नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी माननीय मन्त्री जी पशु चिकित्सालय खोलने की बात सोचें तो उस एरिया को भी ले लें।

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

कटौती का प्रस्ताव वापस ले लीजिए . . . .

श्री राम आसरे वर्मा—

जो मैं कह रहा हूं मन्त्री जी मान लें, मैं वापस ले लूंगा। मान्यवर, इन बातों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर अडिग रहते हुए कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री अब्दुल हलीम खां—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय राम आसरे वर्मा का और उन तमाम सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया बहुत आभारी हूं। और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो सुझाव उन लोगों ने दिए हैं उनके ऊपर पूर्ण दिलचस्पी से गौर करूं और उनमें कुछ सुधार ला सकता हूं तो लाऊं।

वर्मा जी का कहना यह है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे अगर मैं उनकी बातें मान लूं। मैंने उनकी यह बात स्वीकार कर ली कि कभी कहीं पर अस्पताल खोलने की बात मैंने सोची तो यकीनन उनको टाउन एरिया में एक अस्पताल खोलूंगा। मुझे उनकी यह बात स्वीकार है कि दूध महकमे, खुसूसियत डेरीज के अन्दर काफी गड़बड़ है और अगर वह लिखित रूप में कोई शिकायत मुझे देंगे मैं यकीनन जाँच भी कराऊंगा और उस में कोशिश करके जितना सुधार लाना मुमकिन होगा, लाऊंगा।

तीसरी बात उन्होंने कही किसी और सिलसिले में। उसके सिलसिले में आश्वासन नहीं दे सकता। जानकारी अगर मिलेगी तो जो मुमकिन होगा वह करूंगा। एक भाई की शिकायत थी कि उनको आज के अखबार में ताजा खबर मिली कि बकरे ने दूध दिया। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि बाहर के मुल्कों में सेक्स चेंज हो रहा है। उनकी इस जानकारी की मैं साइंटिफिक एक्सपर्ट्स से जाँच करवाऊंगा। अगर कोई इस तरह की तरकीब निकली कि सेक्स बदल कर दूध हासिल किया जा सकता है तो उनके इस सुझाव पर अमल करूंगा ताकि बकरे से दूध हासिल किया जा सके।

मछली पालन इस महकमे का ऐसा हिस्सा है जिसकी तस्वीर और हिस्सों से बेहतर है। सरकार ने सर्वे कराया था और तमाम प्रदेश भर के एल0एम0सी0 तालाबों का सर्वे कराया था और 13 हजार तालाब ऐसे निकले जिनमें सरकार ने निर्णय लिया कि उनको तीन साल के पट्टे पर मछली के काम करने वाले गरीब आदमियों को दे दिया जाय। फिर यह निर्णय लिया कि 10 साल के पट्टों पर उनको दिया जाय और अगर मुमकिन हो तो उस पट्टे को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाय। इस तरह से 50 परसेंट तालाब पट्टों पर दिए जा चुके हैं और इस बात की कोशिश इस साल की जा रही है कि चार हजार नए पट्टे गरीबों को और दिए जायं। उनके लिए सीड फराहम करने के लिए चार इस तरह के सीड के farms कायम किए जायेंगे। इसके अलावा चाइनीज टाइम हेचरी कायम करने का प्रस्ताव है। इंट्यूस्ड ब्रीडिंग से सीड तैयार किया जायगा। ट्रेनिंग के लिए एक डायरेक्टर चायना गये थे। एक असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक असिस्टेंट डायरेक्टर 15 दिन के अन्दर जाने वाले हैं। इसके साथ ही इस साल के बजट में 10 लाख की रकम इस काम के लिए रखी गयी है कि सीड फिशरीज लिंक्स के लिए एक सीड कारपोरेशन कायम किया जाय और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से मदद भी मिलेगी। इस कारपोरेशन को कायम करने से यह होगा कि बड़ी तादाद में मछलियों का सीड लेकर जिनको एल0एम0सी0 के पट्टे दिए गए हैं उनको सप्लाई किया जायगा।

अस्पतालों को इस साल जो दवा देने की बात है, 'ए' क्लास अस्पतालों को 5600 रुपया, कवाल टाउन्स में 8 हजार रुपया, 'बी' क्लास में 3600 रुपया, 'सी' क्लास में 2 हजार रुपया और स्टाकमेन सेंटर्स को 400 रुपया दिया जायगा। इस तरह जो हमारे सीमित साधन हैं उनमें दवाइयाँ दी जाती हैं। हो सकता है कहीं डाक्टर कुछ गलत दवाइयाँ खरीद लेते हों और इस तरह की गड़बड़ी की जाती हो लेकिन आमतौर से महकमा का यह हिस्से में जो एनिमल हसबेंडरी से ताल्लुक रखता है उसमें गड़बड़ी की कम गुन्जायश रहती है। अच्छे बीज के सिलसिले में कुछ लोगों ने शिकायत की थी तो दिखवा रहा हूं। डेरी के बारे में जो बातें उठायी गयीं इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश भर में लगभग 10 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है और उसमें साढ़े 3 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाय तो इसकी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि कोई नई योजना बनायें जिसमें इसमें सुधार लाया जा सके। इससे ज्यादा इस मौके पर कुछ इसके बारे में कहना न मेरे लिए मुनासिब होगा, न मुमकिन है। आखिर में मैं तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय राम आसरे वर्मा से गुजारिश करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री देव कुमार—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बीस पैसे की लेवी वह लेते हैं क्या उसको समाप्त करने पर विचार करेंगे?

श्री अब्दुल हलीम खां—

इस सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त का एक पत्र भी हमें मिला था और असेम्बली में प्रश्न भी उठाया गया था। इसके ऊपर सरकार कार्यवाही कर रही है। इससे 10 लाख की आमदनी साल भर में होती है। कुछ लोगों का यह ख्याल है इसको समाप्त कर दिया जाय तो डाक्टरों के ऊपर चेक करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। साथ ही जो इन्द्राज किया जाता है और जो मवेशी इलाज करने के लिए आते हैं उनके ऊपर चेकिंग नहीं हो सकेगी. . . . .

(सदन में बिजली न होने से सुनाई नहीं दिया।)

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कार्यवाही चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ?

एक सदस्य—

जी हाँ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63—पशुधन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,58,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 65—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 102—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,98,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 103–मत्स्य विभाग—पूंजीगत परव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 125–पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,88,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी, श्री श्रीनारायण की सूचना 26 मई, 1979 को लखनऊ के प्रमुख बाजार अमीनाबाद में पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज तथा गोली वर्षा के सम्बन्ध में है। आज ही इस विषय में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य के पश्चात एक घंटे की चर्चा होगी, जैसा कि पहले ही निश्चित किया जा चुका है। श्री डी० पी० बोरा और श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने भी इसी विषय में नोटिस दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, एक निवेदन था। इसके बाद केवल बिल ही रहेगा। तो यह बिल लेने से पहले माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य हो जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि डर यह है कि बिल के लिए तो कोरम बना रहेगा अगर बिल पास हो गया तो उसके बाद कोरम खत्म करके इनको भागने का मौका मिल जायगा। इसलिए निवेदन है कि बिल हम दो मिनट में पास कर देंगे इसमें कोई बहस नहीं होगी इसलिए यह वक्तव्य पहले आ जाय।

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—
ठीक है, पहले एक मिनट में बिल पास कर दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नगी—
मेरा अंदेशा है कि यह कोरम खत्म कर चले जायेंगे।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—
आश्वासन देते हैं, नहीं जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—
इसमें सभी बराबर दिलचस्पी रखते हैं। यह बिल 10, 15 मिनट में समाप्त हो जाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से आश्वासन दिला दें कि कोरम बनाए रखेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—
मैं चाहता हूं कि इसमें अच्छी बहस हो जाय।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंन्त्रणा समिति ने अपनी 28 मई, 1979 की बैठक में सदन के 29 मई, 1979 से 12 जून, 1979 तक के उपवेशनों के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की हैं :—

29 मई, 1979 . . (1) चिकित्सा एवं आबकारी मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 10, 39, 40, 41 तथा 84 पर मतदान।

(2) सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त उत्तर प्रदेश होम्यो-पैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव।

30 मई, 1979 . . (1) सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 29, 43, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 87 तथा 107 पर मतदान।

(2) सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव।

31 मई, 1979 . . (1) खाद्य मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 62 और 101 पर मतदान (आधा दिन)।

(2) हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 48 तथा 88–क पर मतदान (आधा दिन)।

(3) सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार एवं सहमति के प्रस्ताव।

1 जून, 1979 ..	(1) पर्यटन तथा पर्वतीय विकास मन्त्री से सबन्धित अनुदान संख्या 53,80,90 तथा 118 पर मतदान (3 बजे तक) (2) श्रम मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 46 तथा 47 पर मतदान (3 बजे से 5 बजे तक)।
2 जून, 1979 (शनिवार) तथा 3 जून, 1979 (रविवार)	को बैठक नहीं होगी।
4 जून, 1979 ..	(1) स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 9 85 तथा 113 पर मतदान (3 बज तक)। (2) वन मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 66,104 तथा 119 पर मतदान (3 बजे से 5 बजे तक)।
5 जून, 1979 ..	ग्राम्य विकास मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 58,59; 93,98,99 तथा 124 पर मतदान।
6 जून, 1979 ..	(1) उप मुख्य मन्त्री एवं उद्योग मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 28, 67, 69,70, 91 तथा 117 पर मतदान। (2) श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में पेपर आउट होने, परीक्षाओं में व्यापक रूप से नकल होने तथा इस सम्बन्ध में भ्रष्टचार के आरोपों के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर 1 घंटे की चर्चा।
7 जून, 1979 ..	(1) परिवहन मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 12,108 तथा 127 पर मतदान (1/2 दिन)। (2) न्याय मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 4 तथा 85 पर मतदान (आधा दिन)।
8 जून, 1979 (शुक्रवार)	असरकारी दिवस।
9 जून, 1979	कृषि मंत्री से संबंधित अनुदान संख्या 55, 56, 57, 61, 68, 95, 97, 121 तथा 123 पर मतदान।
10 जून, 1979	(रविवार) को बैठक नहीं होगी।
11 जून, 1979	(1) कारागार मंत्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 27 तथा 86 पर मतदान (1/2 दिन)। (2) उत्तर प्रदेश के छोटे राज्यों के विभाजन के विषय में केन्द्रीय सरकार से आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति करने के संबंध में श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव पर चर्चा।
12 जून, 1979	(1) वित्त मंत्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 6, 8, 13, 14, 22, 25, 32, 33, 94 तथा 128 पर मतदान (4 बजे तक)।

(2) अनुदान संख्या 1, आवास मंत्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 44, 49, 88, 114 तथा 116 व साँस्कृतिक कार्य एवं खेलकूद मंत्री से संबंधित नुदान संख्या 20, 23, 36 37 तथा 120 और नागरिक सुरक्षा मंत्री से संबंधित अनुदान संख्या 31 पर मतदान (विवाद नहीं होगा)।

(3) (अपराह्न 4 बजे) सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

इसके आगे का कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैंने रणजीत सिंह वर्मा और अपने दस्तखत से एक प्रस्ताव भेजा था। मंसूरी की इंस्टीट्यूट जो बाहर भेजी जा रही है, उ के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। उसको बाद में रख लिया जायेगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा अभी सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) विधेयक, 1979†

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि इसे जल्दी पास करा दिया जाए, इसलिए मैं इस पर भाषण न देकर ज्यों का त्यों पढ़े देता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आप इसको उपस्थित न कीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो एजेण्डे में आ गया, उसको प्रस्तुत ही करना पड़ेगा, मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह मुगलों के जमाने से ...

---

†दिनाँक 26 मई, 1979 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--
मान्यवर, भाषण मत करवाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--
हमने भाषण नहीं किया । माननीय मंत्री से क्यों भाषण करवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 14, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली कतिपय मोटर गाड़ियों पर पथ-कर का उद्ग्रहण करने और उससे सम्बद्ध और आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा । यह 1 मई, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

2--इस अधिनियम में,--

(क) "नाका" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित किसी नाका से है ;

(ख) "माल वाहन" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 में उसके लिए दिया गया है ;

(ग) "मोटर परिवहन गाड़ी" का तात्पर्य किसी यात्री गाड़ी या किसी माल वाहन से है ;

(घ) "परिचालक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम मोटर परिवहन गाड़ी से सम्बन्धित अनुज्ञा-पत्र में उसके धारक के रूप में दर्ज हो और इसके अन्तर्गत गाड़ी के तत्कालीन प्रभारी व्यक्ति भी है ;

(ङ) "यात्री गाड़ी" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 में उसके लिए दिया गया है ;

(च) "पथ-कर" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन उद्गृहीत पथ-कर से है ;

(छ) "पथकर अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए या उसके किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पथ-कर अधिकारी नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 के अधीन नियुक्त कोई कर अधिकारी भी है ;

(ज) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हों और परिभाषित न किये गये हों किन्तु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 में परिभाषित किये गये हों, क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो उस ऐक्ट में उनके लिए दिया गया है ।

पथकर का उद्गृहीण

3—(1) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी अनुज्ञापत्र (परमिट) के अधीन चलने वाली ऐसी प्रत्येक मोटर परिवहन गाड़ी पर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करें, एक सौ रुपये प्रति गाड़ी से अनधिक ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, पथ-कर उद्गृहीत किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा: परन्तु जहाँ गाड़ी के प्रवेश करने के सम्बन्ध में एक बार कर का भुगतान कर दिया गया हो, वहाँ उसी दिन फिर से प्रवेश करने के लिए कोई पथ-कर उद्ग्रहीत नहीं किया जायगा ।

(2) पथकर का भुगतान मोटर परिवहन गाड़ी के परिचालक द्वारा किया जायगा ।

नाका की स्थापना

4—पथ-कर का संग्रह करने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य की सीमा पर ऐसे स्थानों पर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें ,नाका स्थापित करेगी ।

पथ-कर का भुगतान किये बिना प्रवेश करने का प्रतिषेध

5—कोई मोटर परिवहन गाड़ी जिसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन पथ-कर का भुगतान किया जाना है, राज्य में तब तक प्रविष्ट नहीं कराई जायगी और न चलाई जायगी जब तक कि पथ-कर का भुगतान न कर दिया जाय, और पथ-कर अधिकारी को इन उपबन्धों के उल्लंघन में गाड़ी के प्रवेश करने या चलाने से रोकने की शक्ति होगी ।

रोकने और अभिग्रहण करने की शक्ति

6—(1) चाहे नाका पर या राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर पथ-कर अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाने पर किसी मोटर परिवहन गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को रोकेगा और उसे युक्तियुक्त समय तक स्थिर रखेगा ताकि पथ-कर अधिकारी, या यथास्थिति, प्राधिकृत व्यक्ति अपना यह समाधान कर सके कि पथ-कर का, यदि देय हो, भुगतान कर दिया गया है और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों का अनुपालन किया गया है ।

(2) जब पथकर अधिकारी या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, गाड़ी के ड्राइवर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण हो—

(क) कि पथकर का भुगतान नहीं किया गया है, तब वह गाड़ी को या उसके किसी भाग या उप साधन को, जो उसकी राय में पथ कर की वसूली के लिए पर्याप्त हो, पथ कर का भुगतान किये जाने तक रोक सकता है, या

(ख) कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का कोई उल्लंघन किया गया है, तब वह गाड़ी को या उसके किसी भाग या उपसाधन को जो उसकी राय में धारा 7 के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की अधिकतम धनराशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, ऐसी धनराशि के बराबर नकद प्रतिभूति जमा करने तक रोक सकता है ;

(3) इस प्रकार रोकी गई चीजों या जमा की गयी प्रतिभूति के सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यावही की जायगी जैसी विहित की जाय ।

शास्ति और अपील

7—(1) यदि पथ-कर अधिकारी का, ऐसी जाँच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति पथ-कर के अतिरिक्त, यदि उसके द्वारा कोई देय हो, जुर्माना के रूप में दो सौ पचास रुपये से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश उसे संसूचित किये जाने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे अपील प्राधिकारी को जिसे विहित किया जाय, अपील कर सकता है और ऐसे अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा ।

पथ-कर आदि का उद्ग्रहण, भुगतान और संग्रह करने की रीति

8—(1) पथ-कर का उद्ग्रहण, भुगतान और संग्रह ऐसी रीति से किया जायगा जैसी विहित की जाय ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य कोई पथ-कर, जुर्माना या अन्य देय, यदि उसका भुगतान उसके देय होने के दिनाँक से पन्द्रह दिन के भीतर न किया जाय, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

एक मुश्त धनराशि के लिए करार

9—इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे पथ-कर की धनराशि के बदले में, जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को ऐसी अवधि के लिये जो सम्मत हो, देय हो, एक मुश्त धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकता है :

परन्तु पथ-कर की दर में किसी ऐसे परिवर्तन से जो ऐसे करार के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो, करार की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें ऐसी परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सम्मत एक मुश्त धनराशि में आनुपातिक परिवर्तन किया जायगा ।

पथ-कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति

10---राज्य सरकार,अधिसूचित आदेश द्वारा , ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, और ऐसी अवधि के लिए, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, किसी मोटर परिवहन गाड़ी या मोटर परिवहन गाड़ियों के किसी वर्ग को पथ कर के उद्ग्रहण और भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

पारस्परिक अनुबन्ध

11---इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पथ-कर के उद्ग्रहण, संग्रह और भुगतान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य सरकार के साथ कोई पारस्परिक अनुबन्ध किया जाय, वहाँ पथ-कर का उद्ग्रहण, संग्रह और भुगतान ऐसे अनुबन्ध के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किया जायगा :

परन्तु इस प्रकार उद्गृहीत पथ-कर उस पथ-कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अन्यथा उद्ग्रहीत होता।

सद्भाव पूर्वक किये गये कार्य के लिए संरक्षण

12---किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशायित हो, कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

13---राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

14--(1)उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर)अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, सन् 1979

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 14, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

मान्यवर, संशोधन नत्थी (ण) में अंकित है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें संशोधन है। प्रश्न यह है कि खंड 2 के उप खंड (क) द्वारा प्रस्तावित यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के खंड (सात) के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिये जो खंड (सात) प्रस्तावित है उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(सात) यात्रियों के घरेलू सामान से भिन्न किसी माल से लदी ऐसी गाड़ियों, अन्य सवारियों, पशुओं और कुलियों पर पथकर जो म्युनिसिपैलिटी की सीमा में प्रवेश करें और उस सीमा के भीतर ऐसे लदे हुए माल या उसके किसी भाग को उतारें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन से सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अमीनाबाद, लखनऊ में व्यापारियों व बिक्री-कर सर्वेक्षण दल के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में चर्चा

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, जैसा मैंने आश्वासन दिया था, उसी के अनुसार और आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण घटना का विवरण माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो पूरी सूचना है उसको पढ़ कर सुनाता हूं।

बिक्री-कर विभाग द्वारा पिछले वर्ष कराप बंचन की प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से विशेष सर्वे दलों का गठन किया गया था। सर्वे का कार्य लखनऊ सहित चार नगरों में किया गया और सर्वे दलों द्वारा 2278 सर्वे किए गए जिनमें से 1737 मामलों में प्रतिकूल तथ्य प्राप्त हुए तथा इनके अतिरिक्त 199 मामलों में दोहरे बहीखाते भी सर्वेदल द्वारा पकड़े गए। इसी प्रकार विशेष सर्वेदल द्वारा किए गए प्रभावी सर्वे से विदित हुआ कि लगभग 90 प्रतिशत मामलों में कुछ न कुछ प्रतिकूल तथ्य सामने आए हैं। सर्वे दलों द्वारा कृत कार्यवाही से अनुमानित 6 करोड़ की धनराशि, जिस पर लगभग 50 लाख रुपए का बिक्री-कर सम्भावित है, व्यापारियों द्वारा छिपाई गयी विदित हुई।

[श्री मधुकर दिघे]

2—विशेष सर्वे दलों का व्यापारियों द्वारा संगठित रूप से विरोध किया गया। वाराणसी में बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों को मारने-पीटने का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप वहाँ सर्वे कार्य बन्द कर देना पड़ा। इसी प्रकार आगरा और कानपुर में भी विशेष सर्वेदल के कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया। लगभग तीन सप्ताह पूर्व लखनऊ के डालीगंज क्षेत्र में विशेष सर्वे दल द्वारा एक दाल मिल का सर्वे किया जा रहा था तो वहाँ भारी संख्या में व्यापारियों ने एकत्रित होकर बिक्री-कर अधिकारियों को डराया-धमकाया। जब इस घटना की रिपोर्ट थाने में लिखाने के लिए वे जाने लगे तो व्यापारी वर्ग के कुछ लोग नारे लगाते हुए थाने तक पहुंच गये। विशेष सर्वेदल का विरोध सुव्यवस्थित और संगठित रूप से किया जाना पाया गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नामक संस्था ने पर्चे बांटे जिनमें व्यापारियों द्वारा बिक्री-कर विभाग से असहयोग करने का आवाहन किया गया। इस संस्था द्वारा व्यापारियों को उत्तेजित किया गया कि बिक्री-कर अधिकारियों को सर्वे न करने दिया जाय और उनके आने की सूचना टेलीफोन द्वारा संस्था के सदस्यों को दी जाय। मण्डल के सदस्यों के टेलीफोन नम्बरों की सूची भी व्यवस्थित रूप से बाँटी गयी और यह भी कहा गया कि मण्डल द्वारा वहिष्कार उड़न दस्ता गठित किया गया है जो बिक्री-कर विभाग के सर्वे करने वाले अधिकारियों की सूचना प्राप्त होने पर उनका विरोध करने के लिए उपस्थित होंगे।

3—दिनाँक 26 मई, 1979 को सर्वे दल द्वारा लखनऊ के अमीनाबाद व यहियागंज क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाना था। जब सर्वेदल यहियागंज बाजार में पहुंचा तो व्यापारियों ने विरोध में दुकानें बन्द कर दीं। सर्वेदल अपना कार्य पूरा किए बिना ही वापिस आ गया।

4—अमीनाबाद क्षेत्र में सर्वेदल द्वारा माताबदल पन्सारी नामक फर्म पर सर्वे का कार्य पूरा किया गया। इसी बीच लगभग 12.30 बजे कुछ व्यापारी वहाँ एकत्रित हो कर सर्वेदल का विरोध करने लगे और आस-पास की दुकानें बन्द कराने लगे। उग्र विरोध को देखकर बिक्री-कर अधिकारी अपनी सुरक्षा हेतु लगभग 1.00 बजे थाना अमीनाबाद पर आ गये। उनके पीछे लगभग 100—150 व्यापारी थाने के सामने आ गये और वहाँ भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगी। व्यापारियों ने माँग की कि सर्वेदल द्वारा लाए गये कागजात उन्हें लौटा दिये जायं तथा सर्वेदल के लोगों को भी उनके हवाले किया जाय। थाने पर उपस्थित मजिस्ट्रेट तथा थानाध्यक्ष ने भीड़ को समझा बुझाकर तितर-बितर करने का असफल प्रयास किया। भीड़ बढ़ती-बढ़ती 700—800 हो गयी। अमीनाबाद क्षेत्र के आसपास बाजार बन्द हो गया और व्यापारी वर्ग सड़क पर एकत्रित होने लगे। उग्र भीड़ ने थाने के प्रांगण मे बलात प्रवेश करने का प्रयास किया। मजिस्ट्रेट ने जीप पर खड़े होकर भीड़ को बार-बार समझाया कि कानून अपने हाथों में न लें लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी उग्र भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने थाने के सामने खड़ी बिक्रीकर विभाग की दो जीपों में आग लगा दी और थाने पर पथराव शुरू कर दिया। मजिस्ट्रेट द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने हेतु चेतावनी ही गयी और जब उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को बेंत चलाकर भीड़ को तितर-बितर करने के आदेश दिए। बेंत चार्ज से भीड़ कुछ पीछे हटी लेकिन सभी ओर से थाने पर पथराव जारी रहा। इसी बीच लाटूश रोड की ओर से, श्रीराम रोड की ओर से, गणेशगंज की ओर से व अमीनाबाद बाजार की ओर से काफी भीड़ एकत्रित हो गयी। उत्तेजित भीड़ ने थाना अमीनाबाद के टेलीफोन का तार काट दिया और लाटूश रोड की ओर से श्रीराम रोड से थाने की ओर भारी भीड़ ने थाने पर हमला किया। भीड़ नियन्त्रित करने हेतु जब मजिस्ट्रेट ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उन पर भी भारी पथराव किया गया। इसी बीच गणेशगंज की ओर एकत्रित भीड़ ने उग्र रूप धारण कर थाने पर पथराव जारी रखा और भीड़ के लोगों ने थाने के प्रांगण में पुलिस कर्मचारियों का सामान लूटने का प्रयास किया। भारी पथराव के कारण थानाध्यक्ष व उनके साथ पुलिस कर्मचारी घायल होकर सड़क पर गिर पड़े तथा भीड़ के लोगों ने उनको मार डालने का आवाहन किया। इस पर थाने पर नियुक्त सन्तरी ने मास्केट से एक

राउन्ड व एक अन्य कॉस्टेबिल ने अपनी निजी बन्दूक से दो राउन्ड गोली भीड़ पर चलाई थी क्योंकि उनका अनुमान था कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो थानाध्यक्ष व उनके साथ के लोग उग्र भीड़ द्वारा मार डाले जाते और थाना लूट लिया जाता। फायरिंग का भीड़ पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इसी बीच अतिरिक्त पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी भी वहाँ पहुंच गये और भीड़ को नियन्त्रित करने लगे। भीड़ दोनों तरफ पीछे हट कर लाटूश रोड पर तथा गणेशगंज और अमीनाबाद के मुख्य बाजार की ओर एकत्रित होने लगी। इसी बीच सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से भीड़ को कुछ पीछे हटाया। पीछे हटती हुई भीड़ ने अमीनाबाद के मुख्य बाजार से गणेशगंज की ओर जाते हुए एक मेलवैन में आग लगा दी। जब पुलिस दल आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ स्थल पर पहुंचा तो भीड़ ने फायर ब्रिगेड पर पथराव किया और आग बुझाने के कार्य में बाधा उत्पन्न की। पुलिस द्वारा इस भीड़ को खदेड़ा गया। इसी बीच गणेशगंज मार्ग की ओर से 150–200 की संख्या में व्यापारी एवं असामाजिक तत्वों ने पुलिस दल पर पीछे की ओर से पथराव शुरू कर दिया। महिला विद्यालय के पास स्थित अमीनाबाद पोस्ट आफिस के सामने रोड-वेज की एक नगर बस पर भीड़ द्वारा पथराव किया गया और आग लगाई गयी। जब चौक से फायर ब्रिगेड आ रहा था तो मौलवीगंज की ओर से उपस्थित भीड़ ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। भीड़ ने बस जलाने के बाद पोस्ट आफिस में घुसकर भारी तोड़-फोड़ की और कैशबाक्स जिसमें ताला लगा था, बाहर निकालकर उसमें भी आग लगा दी। उग्र भीड़ ने कैनरा बैंक एवं आँध्र बैंक पर भी जाकर तोड़-फोड़ की और कैनरा बैंक के कुछ अभिलेख बाहर निकाल कर उनमें आग लगाई। उसके पश्चात् भीड़ ने रेलवे पार्सल आफिस के दर-वाजों को तोड़कर उसमें आग लगा दी और रेलवे के चुंगी की एक गुमटी में आग लगा दी। लाटूश रोड से आ रही एक पुलिस उप निरीक्षक को ोककर लोगों ने मारा-पीटा और उसकी साइकिल जला दी। भीड़ के एक भाग ने निकट स्थित कैसरबाग बस स्टैण्ड पर पहुंचकर बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया और बस स्टैंड की सम्पत्ति को हानि पहुंचाई। इसके अतिरिक्त नाज सिनेमा तथा अन्य स्थानों पर भी व्यापारियों ने छुट-पुट पथराव किया और लाटूश रोड से लिए जा रहे ो अभियुक्तों को बलात् छुड़ा लिया तथा दो पुलिस कर्मचारियों को पीटा।

5—जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था कर अमीनाबाद थाना पहुंचे तो उस समय भी थाने के प्रांगण और उसके बाहर व्यापारियों की भीड़ एकत्रित थी। काफी प्रयास के बाद समझाने-बुझाने पर व्यापारियों की भीड़ धीरे-धीरे वहाँ से तितर-बितर हो गयी।

6—घटनाओं में भीड़ के 39 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 2 घायलों की स्थिति गम्भीर थी। थानाध्यक्ष सहित 35 पुलिस कर्मचारी, मजिस्ट्रेट का एक चपरासी तथा डाक विभाग के एक कर्मचारी को चोटें आयीं। थानाध्यक्ष को गम्भीर चोटें लगी थीं, अगले दिन उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। बिक्री-कर विभाग की दो जीपें, एक पोस्टल वैन, रोडवेज की एक नगर बस और एक साइकिल इन घटनाओं में जलाई गयीं तथा कैसरबाग बस स्टैंड की 22 बसें क्षतिग्रस्त की गयीं।

7—प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कुल 47 व्यक्तियों की घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारी की गयी है।

8—दिनांक 26 मई, 1979 को हुई हिंसात्मक और आगजनी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा व्यापार मण्डल के इस निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए कि 27 मई को वे विरोध जुलूस निकालकर जन-जीवन त्रस्त कर देंगे और खून का बदला खून से लेंगे, 27 मई, 1979 को प्रातः 6–00 बजे से नगर के विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू कर दिया गया। 27 मई, 1979 को कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

[श्री मधुकर दिघे]

9—प्रभावित क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा गश्त जारी है और प्रशासन सजग है। स्थिति नियन्त्रण में है।

इसके बाद जो अभी-अभी मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार, जिसके बारे में मैंने कल भी सूचना दी थी कि 3 आदमियों की स्थिति गम्भीर है। उनमें से 2 आदमियों की स्थिति में तो सुधार हुआ है लेकिन एक आदमी मर गया है। उनके परिवार के लोगों को लाश ले जाने की इजाजत दे दी है। जो सूचना मिली है उसके अनुसार उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के संरक्षण में ले जाने की इजाजत दे दी ताकि वे अपने परिवार के लोगों की सहायता से अन्तिम संस्कार कर सकें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—
श्रीमन्, समय निश्चित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—
पाँच-पाँच मिनट का समय निश्चित करता हूं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैंने माननीय मन्त्री जी के बयान को देखा। कल एक दुखद काण्ड हुआ। जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में व्यापारियों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि बिक्री-कर समाप्त होगा। समय-समय पर व्यापारियों ने अपनी माँग को दोहराया और उनका प्रतिनिधि मण्डल माननीय वित्त मन्त्री जी से मिला भी। पहले वित्त मन्त्री जी ने 12-1-78 को यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है और इसका विकल्प सोचा जा रहा है। यह भी कहा गया था पहली अप्रैल, 1979 से बिक्री-कर समाप्त कर दिया जायेगा। मेरे एक अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न के उत्तर में भी श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने उक्त घोषणा की थी। सर्वे के बारे में भी आश्वासन दिया गया था कि कोई सर्वे नहीं किया जायगा। बिक्री-कर का कोई विकल्प ढूंढने के पश्चात ही कोई कदम उठाया जायगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। मैंने सदन में फरवरी, 1979 से मार्च, 1979 की दो घटनाओं का जो आगरा में हुई जिक्र किया था जिसमें सर्वे पार्टी ने बिना सर्च वारेन्ट के व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको मारा पीटा। मैंने यहाँ सदन में कहा था कि यह चीज तेजी से घर करती जा रही है और सरकार को इस पर विचार कर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इस तरह की घटना फिर न हो।

16 फरवरी को जो घटना आगरा में हुई उसके कारण वहाँ 3 दिन बाजार बन्द रहे। 17 मार्च को जो घटना आगरा में हुई उसमें व्यापारियों को मारा-पीटा गया और उनसे कागजात माँगने के बजाय छीने गए और उन कागजात में सर्वे करने के बाद कोई कागज नं0 2 का नहीं मिला। लखनऊ की यह घटना भी उसी सन्दर्भ में है। कानपुर में भी वही घटना हुई और व्यापारियों ने हड़ताल की। सर्वे करने वाले अधिकारी व्यापारियों से महीनादारी माँगते हैं, पैसा माँगते हैं, जो नहीं देता उसे परेशान करते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम्हारी दूकान पर छापा मारेंगे। उनको तरह-तरह से तंग किया जाता है। शासन इसे अच्छी तरह से जानता भी है। शासन यह जानता था कि जो वायदा करके आए हैं उसे दो वर्ष में पूरा करना सम्भव नहीं है। जो आश्वासन दिया गया था वह इस सरकार ने पूरा नहीं किया है जिसके कारण व्यापारी वर्ग में रोष है। व्यापारी वर्ग को सर्वे न कराने का नैतिक वचन देने के बाद भी दुबारा सर्वे कराना, छापा मारना यह कहाँ तक न्याय संगत है? सेल्स टैक्स हमारी आय का सबसे बड़ा श्रोत प्रदेश में है और इस आय के श्रोत को देने वाले हैं ट्रेडर्स, व्यापारी। व्यापारी अपने आप यह बात कहता है कि साहब हमको तो बईमान ही समझा जाता है, चाहे हम कितने ही ईमानदार हों, हम कहते हैं कि हो सकता है कि हम बेईमान हों, लेकिन आपको तो मार्च, 77 के चुनाव में इन्हीं व्यापारियों

ने आपको गाड़ियाँ दीं, पैसे दिए, सब कुछ दिए, लेकिन सत्ता पक्ष में आने के बाद जिस थाली के द्वारा भोजन प्राप्त हुआ था, उसी में छेद कर रहे हैं। बजाय मीठी गोली देने के, बन्दूक की गोली दे रहे हैं।

जून, 77 के वह दिन हमें याद हैं कि एक-एक व्यापारी ने जनता पार्टी का झंडा लगाया और रुपये दिया। अगर व्यापारी बेईमान था और उसने टैक्स नहीं दिया, उसका नैतिक पतन हो गया था, तो इनका भी पतन हो गया है। तो घटना का क्रम दोनों तरफ से चला आ रहा है। पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने कहा है कि हम हड़ताल करेंगे। जन-जीवन को त्रस्त करेंगे। एक बात पूछता हूं कि प्राइवेट आर्म्स से जो व्यापारियों पर गोली चलाई गयी। जो पुलिस के पास आर्म्स थे, वह इनके प्राइवेट थे। मैं आपसे कहता हूं कि सर्वे भी करवाइए। जो टैक्स हैं, उस पर आप तरीके से काम कीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ईमानदारी से कि अगर व्यापारी बेईमान है, तो बिक्री-कर अधिकारी भी बेईमान है। तो इसलिए एक पक्षीय काम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों बेईमान हैं, तो एक पक्षीय काम न करिए। मैं इतना कहता हूं। आज प्रदेश में जन-जीवन का सीधा सम्बन्ध उन दूकानदारों से, रोज-मर्रा की चीजों को खरीदने वाले लोगों से हैं, क्योंकि उनके एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी जो माँगें हैं नहीं मानी जायेगी, तब तक हम प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। बिक्री-कर हटाने का जो आपने वायदा किया है, या तो आप उससे मुकर जाइए या आपको न्याय करना है तो व्यापारियों के हाथ आप न्याय करिए। जन-जीवन को त्रस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं है अगर यह हड़ताल जारी रहेगी, तो नैतिक आधार है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

आपने कोई मिसाल कायम की है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरे पूर्व वक्ता ने बिक्री-कर के सम्बन्ध में जो पृष्ठभूमि अदा की, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लखनऊ में जो दर्दनाक दृश्य और दुर्घटना हुई है, उसकी कुछ न कुछ सभी लोगों को जानकारी है। पुलिस के जघन्य अत्याचार और दूसरे बिक्री-कर के अधिकारियों के बारे में जानता हूं। मान्यवर, ऐसा नहीं कि सभी व्यापारी बेईमानी करते हों। अगर कोई बेईमानी करता है, तो उसे दण्ड दिया जाय। वास्तव में व्यापारी बिक्री-कर देने से नहीं घबड़ाता है। वह घबड़ाता है उससे जो उसे परेशान किया जाता है। उसके कारण उसकी माँग प्रदेश व्यापी माँग थी। उनकी समस्याओं को जानते हुए जनता पार्टी के नेताओं ने सैद्धांतिक आधार पर सोचा था कि व्यापारी वर्ग की परेशानियों को दूर करना जरूरी है और उसने अपने घोषणा-पत्र में जो ऐलान किया था कि इस बिक्री-कर को समाप्त करेंगे और इस आदरणीय सदन में भी घोषणा की थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस सरकार का जो बिक्री-कर को समाप्त करने का दृष्टिकोण था, वह बदल गया, जिससे कि व्यापारी जानबूझ कर उत्तेजित हो गये।

माननीय मन्त्री ने घोषणा की थी 20 जनवरी को, हम एक तारीख से बिक्री-कर समाप्त कर देंगे, लेकिन उसके बाद रोज-रोज कहा जाता है कि बिक्री-कर समाप्त नहीं किया जायेगा। सरकार की नियत का सवाल है। हम भी समझते हैं कि जब तक कोई विकल्प की व्यवस्था सामने न आये वह समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उस सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य थे। उसने कई प्रदेशों के जाने के बाद विकल्प के बारे में सुझाव दिया और सरकार बदलने के बाद बार-बार टोकने के बाद आज विकल्प की समस्या है तो उस कमेटी को काम करने दीजिए। मन्त्री जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है मैंने एक तरफा फैसला कर दिया है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

व्यापारी ने घोषणा की है कि वे सर्वे के खिलाफ नहीं है। सर्वे द्वारा जो शोषण होता है उसके खिलाफ हैं। जो वायदा किया है उसको पूरा कराने के लिए उनकी एक प्रक्रिया है, तरीका है। मेरा साफ आरोप है कि यह घटना सरकार और पुलिस की पूर्व सुनियोजित घटना थी।

12 बजे बिक्री-कर अधिकारी पहुंचे और पीछे पीछे मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। अगर कोई सुनियोजित घटना नहीं थी तो मजिस्ट्रेट वहाँ क्यों थे। 12 बोर की गोली इसलिए चलाई गयी कि पता न चले कि गोली चलाई है और उसके चलते ही पूरे लखनऊ में खबर फैल गई। सैकड़ों लोग घायल हुए और आज एक माँ के बीच से उसका बेटा चला गया। एक साल पहले शादी हुई थी, एक अबला के माथे का सिन्दूर ही पुछ गया। न्यायिक जाँच की माँग की जा रही है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा। प्रशासन सुधार कमीशन की स्पष्ट रिपोर्ट है कि अगर पुलिस नेकभी अन्याय किया तो न्यायिक जाँच होनी चाहिए, पूरी घटना की न्यायिक जाँच की जानी चाहिए। अगर सरकार के अधिकारियों ने अपराध किया है तो कठोर दण्ड मिलना चाहिए। इसके साथ मैं न्यायिक जाँच की बार-बार माँग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों ने नियम 56, नियम 51 के अन्तर्गत नोटिस दिया है उनको मैं टाइम दूंगा और जो लखनऊ के होंगे। श्रीमती बक्शी हैं, डी0 पी0 बोरा. . . .

(शोर)

मैंने बताया कि प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए।

(शोर)

एक सदस्य—

आपने एक व्यवस्था दे दी. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जिन लोगों की सूचनाएं हैं उनको समय दिया जायगा और जो लोग यहां के हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरों को समय न दिया जाय।

एक सदस्य—

सारे प्रदेश की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 5 मिनट का समय लें नेगी जी, ज्यादा न लें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

शासन का स्टेटमेंट है, 22 गाड़ियाँ जलाई गयीं, बैंक लूट लिया गया, रेलवे आउट एजेन्सी लूट ली गयी, तमाम मार-धाड़, हिंसा हो गयी। साइकिलें छीनी गयीं। लेटर बाक्स जलाए गए। मान्यवर, कोई भी हो, हर व्यक्ति इस बात की भर्त्सना करेगा और करना चाहिए कि किसी भी मसले पर किसी वर्ग को अधिकार नहीं है कि वह हिन्सा पर उतर कर सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान करे, चाहे कोई भी हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस तमाम हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार ह। मैं व्यापारियों को दोष नहीं देता। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो स्क्वायरली जनता सरकार दोषी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जनता सरकार पर है, दो कारणों की वजह से। पहला कारण यह है कि यह जानते हुए कि बिक्री-कर का आपके पास कोई विकल्प नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने चुनाव घोषणा-पत्र में केवल व्यापारियों को खुश करने के लिए, चन्दा हासिल करने के लिए आपने घोषणा कर दी कि हम बिक्री-कर समाप्त करेंगे 12 साल हो गए हैं आपने आश्वासन दिया था लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। व्यापारी जो रुपया लगाता है उसको सूद समेत वापस लेना चाहता है। आज वह आपसे सूद माँग रहे हैं, चूंकि आप नहीं दे रहे हैं लिहाजा यह बगावत का झंडा लेकर खड़े हो गये।

(हंसी)

दूसरी बात यह है कि मन्त्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि बाकायदा व्यापार मण्डल की तरफ से संगठित रूप से, सार्वजनिक रूप से घोषणा की गयी थी कि आपके बिक्री-कर का जो सर्वे दल है उसका हम विरोध करेंगे। उसको दुकानों के अन्दर घुसने नहीं देंगे, टेलीफोन नम्बर दिया गया था कि अगर बिक्री-कर वाले आयें तो खबर कीजिए हम आ जायेंगे। आपको सारी जानकारी थी, वाराणसी के अन्दर, आगरे के अन्दर, कानपुर के अन्दर जो हुआ वह आपको मालूम था। लखनऊ के अन्दर आपके पास पी0ए0सी0 नहीं है, पुलिस नहीं है, आपको मालूम था कि बाकायदा संगठित रूप से विरोध किया जा रहा है और लखनऊ के अन्दर किया जायगा तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने 4/5 सिपाहियों के साथ उस दस्ते को क्यों भेजा ?

श्री मधुकर दिघे—

एक भी सिपाही नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

तो और गलत किया। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि संगठित आन्दोलन था तो फिर ऐसा क्यों किया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सर्वे करने वाले अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करते तब उनको भेजने की हिम्मत करते। हुआ क्या कि जमकर पुलिस वालों की पिटाई हुई, तमाम अमीनाबाद में अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। ठीक है हमारे व्यापारी वर्ग की अगर सरकार से लड़ाई है या संघर्ष है लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि रेलवे की आउट एजन्सी को और बैंक को लूटे। दुकानों को लूटें। हुआ क्या कि जब बैंक के पास गए तो बैंक के कर्मचारी छत पर चढ़ गए और वहाँ से ईंटें, जो घुस रहे थे उनके ऊपर मारीं। लोगों में भी लड़ाई हुई क्योंकि कुछ लोग दुकानों को लूटना चाहते थे और कुछ उनकी हिफाजत करना चाहते थे। पाण्डेय जी ने कहा कि आपने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि आप तीन महीने तक यह सर्वेक्षण नहीं करायेंगे। तो उस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं की। कर-वंचना के मामले में कोई समर्थन नहीं करेगा कि वह होनी चाहिए अगर कानून में है कि सर्वे हो सकता है, किताब ली जा सकती है तो लीजिए लेकिन आपने जो वायदा किया है उसको पूरा करते। इतना बड़ा काण्ड लखनऊ में हो गया और मुख्य मन्त्री जी का कहीं पता नहीं।

एक सदस्य—

बीमार हैं।

श्री गोविंद सिंह नेगी—

लेकिन मैंने कल सुना कि वाराणसी के अन्दर ऐलान करते हैं कि बिक्री-कर समाप्त नहीं होगा। सदन बैठा है, बिक्री-कर मन्त्री बैठे हैं और सदन के अन्दर घोषणा नहीं की जाती है। क्यों, इसलिए कि हिम्मत नहीं होती है कहने की।

इसलिए मन्त्री जी इसका उत्तर दें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जब दो बड़े लोग आपस में लड़ते हैं तो छोटे आदमी को खुशी होती है क्योंकि जब दो बड़े-बड़े एक हो जाते हैं तो छोटे पर जुल्म वह करते हैं। मान्यवर, बिक्री-कर अधिकारी और व्यापारी आपस में दो बड़े-बड़े लड़ गये। बिक्री-कर अधिकारी ऐसे है जिनका वेतन 500 रुपए से 1000 रुपए है लेकिन उनके पास सम्पत्ति लाखों में है। उसी तरह बड़े व्यापारी जो है वह 4 पैसे लागत की चीज को बाजार में 40 पैसे में बेचते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्री दिघे जी इस लड़ाई को गौर से देखेंगे चूंकि यदि नकली लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ दिनों बाद वह एक हो जायेंगे अन्यथा यदि व्यापारियों को सही मानों में आप बाँधना चाहते है तो उनको आप एक दाम में बाँधे और यदि किसी चीज का उत्पादन मूल्य 4 पैसे है तो उसको वह ड्योढ़े से ज्यादा न बेचें। नहीं तो मैं समझूंगा कि यह लड़ाई दिखाने की है।

मान्यवर, जब कोई ईमानदार आदमी बेईमान की तलाशी लेने जाता है तो आदमी थोड़ा झुक जाता है लेकिन जब बेईमान आदमी बेईमान की तलाशी लेने जाता है तो आपस में वह लड़ जाते हैं और वह झुकता नहीं है। इसलिए दुकानदारों की बेईमानी को आप रोकना चाहते है लेकिन जो प्रशासन तन्त्र है वह उसकी बेइमानी को बढ़ावा देगा तो लखनऊ में जो हुआ है वह बनारस और कानपुर में होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो लखनऊ में परसों घटना घटी यह कोई एक घटना नहीं बल्कि यह पूर्व नियोजित घटना रही है। जहाँ तक सरकार ने अपने पूर्वाग्रह बना लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि सर्वे जरूर करेंगे और शेर की तरह बयान दे रहे हैं कि हम बिक्री-कर नहीं हटायेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने भी फैसला किया है कि हम किसी तरह सर्वे नहीं होने देंगे। मेरे पास एक पोस्टर है श्री लाला विशम्भर दयाल अग्रवाल (अध्यक्ष) उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, लखनऊ का कि सर्वे दल का वहिष्कार करेंगे।

सर्वे वहिष्कार सूचना मेरे पास है जिसमें लिखा है—"आप सभी बन्धुओं से अनुरोध है कि कोई भी व्यवसायी अपने यहाँ किसी भी दशा में बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा सर्वे कदापि न करायें। सर्वे दल के अधिकारियों द्वारा दबाववश किसी भी प्रकार की ज्यादती करने पर आप अपने क्षेत्र की 'सर्वे वहिष्कार कमेटी' निकटस्थ मण्डल के 'अध्यक्ष एवं सचिव' 'सर्वे वहिष्कार उड़न दस्ता' निकटस्थ किसी भी 'व्यवसायिक एवं 'उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल' के मुख्यालय को तत्काल सूचित करें। हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि सभी व्यवसायी भाई मण्डल का साथ देंगे। हम हैं आपके लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले।' पोस्टर में सर्वे अधिकारियों से अपील भी किया है कि आपसे अनुरोध है कि आप लखनऊ में किसी भी दुकान का सर्वे न करें। अगर आप मण्डल एवं समस्त व्यवसायिक संगठनों के निर्णय का उल्लंघन कर दबाववश सर्वे करते हैं तो उसके परिणामों के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।" इसके माने मान्यवर, सर्वे की जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। तो मान्यवर, शासन को अपनी नीति की कोई स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

मान्यवर, जहाँ तक मैं जान पाया हूं वह यह कि व्यापारी सर्वे के विरोधी नहीं हैं लेकिन उसके चलते जो उनका अपमान और दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने की जरूरत है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी को सोचना होगा कि किस तरह का कर प्रणाली लगायें। बुनियादी तौर पर जो कर प्रणाली है वह व्यापारी को घटाने या बढ़ाने वाली नहीं है। इसके साथ ही यदि शासन की दुतरफा नीति चलेगी तो इसी तरह के परिणाम सामने आयेंगे। इस मामले में जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने रिपोर्ट पेश की है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मुझे ऐसा आभास हुआ है कि वह एक-तरफा रिपोर्ट है। दोनों तरफ की बातें उसमें नहीं आ पाई हैं। उसी तरह से जो लखनऊ व्यापार मण्डल का पत्र शासन को मिला है, उसमें भी एक-तरफा बात मालूम होती है। तो मैं चाहूंगा कि एक हाउस की कमेटी बना दी जाय और वह विधान सभा के सदस्यों की कमेटी पूरे तथ्यों की जाँच करे और जो भी नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है, फिर उसको कड़ाई से लागू करने की कोशिश करें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

बहुत ही नपी-तुली बात, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा। मैं लखनऊ का तो न सही, लेकिन मैं सारे उत्तर प्रदेश का हूं, पूरे देश की धरती का हूं। अभी जो घटना लखनऊ में घटी है, मैं समझता हूं वह बड़े दुख की बात है। मान्यवर, एक बात तो मैं मान सकता हूं कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में, जिसका गुलाब सेहरा जी ने जिक्र किया है, बिक्री-कर को हटाने की बात या उसमें सुधार लाने की बात थी उत्पादन कर लगाने की बातें लिखी हैं। ऐसी सभी बातें उठाई हैं। लेकिन मान्यवर, मैं गुलाब सेहरा जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में. . . .मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ा है, दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र मैंने पढ़ा है, काँग्रेस का घोषणा-पत्र पढ़ा है और घोषणा-पत्रों से लड़कर ही 42 बार जेल गया हूं--तो किसी भी पार्टी के घोषणा-पत्र में लिखा रहता है कि बेकारी, भुखमरी, ज्यादती, जुल्म, बेईमानी, भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती को मिटायेंगे ? तो लिखा तो लेकिन क्या आप मिटा सके ? तो मैं किसी भी पार्टी से इस बात को पूछना चाहता हूं। तो चुनाव घोषणा-पत्र की बात किसी सदन में इस वक्त करना सिर्फ राजनैतिक प्रदर्शन करना है। सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा-पत्रों म लिखा जाता है, बेकारी, जुल्म, बेईमानी, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। परन्तु मान्यवर, अभी जनता पार्टी को केवल दो वर्ष हुए हैं शासन में आए। लेकिन जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहीं नहीं लिखा कि हम फलाँ तारीख को फलाँ मिनट पर बिक्री-कर हटा देंगे। अभी तो जनता पार्टी के लिए 3 वर्ष शेष हैं। उसके लिए केन्द्रीय सरकार तय कर रही है और वह जो तय करेगी, वह होगा।

जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मान्यवर, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर जरूर हटना चाहिए, उत्पादन कर लगाया जाना चाहिए, उचित संशोधन करना चाहिए, सही बात हम जरूर कहेंगे। हम हठधर्मी के पक्षपाती नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम तो उस पार्टी में रहे 30 वर्ष, जिसमें यह भी कहा गया है कि गोली कब चलनी चाहिए। मान्यवर, डाक्टर लोहिया ने कहा है कि जब हिंसक भीड़ जनता की जान लेने के लिए उतारू हो जाय और हिंसा करने लग जाय तो गोली चलाई जानी चाहिए। इसी प्रश्न पर हमने त्रावणकोर कोचीन सरकार छोड़ दी थी। बिक्री-कर अधिकारी गलत हो सकते हैं, यह मैं मान सकता हूं, सर्वे दल गड़बड़ी कर सकता है, यह मान सकता हूं। और अगर व्यापारियों के साथ ज्यादती होती है या किसी के साथ ज्यादती होती है, गड़बड़ी होती है, तो वह सत्याग्रह करे, जेल जाय, प्रदर्शन करे, अनशन करे, शान्तिपूर्ण ढंग से सारी चीजें करे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई हिंसक भीड़ कानून को तोड़ती है, डाकखाना जलाती है, पुलिस को मारे, मैजिस्ट्रेट की टाँग तोड़ने लग जाए और उसकी इस आदरणीय सदन में वकालत की जाय, तो यह हिंसा को स्वयं निमन्त्रण देने की बात हुई। एक तरफ तो ला-एण्ड-आर्डर ठीक करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बातें कहना, कहाँ तक उचित है ?

[श्री राधे श्याम शर्मा]

इसलिए मैं मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और सरकार को भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले की तरफ तत्परता से ध्यान दे, वे सारे काम करे कि जिससे लखनऊ की बाजारें खुल सकें, जनता के साथ हो रही गड़-बड़ी को ठीक करायें, जल्द से जल्द सामन्जस्य लाने का प्रयास किया जाय। यह केवल जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह सारी जनता का प्रश्न है, अवाम का प्रश्न है। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

यह दुर्भाग्य की बात है कि यह दुर्घटना हुई और उस क्षेत्र में हुई जो मुझसे सम्बन्धित है। जब से जनता पार्टी का शासन आया तब से उत्तर प्रदेश में 45 गोलीकाण्ड हो चुके हैं। अध्यापकों पर, विद्यार्थियों पर, श्रमिकों पर गोली काण्ड हुआ। व्यापारी लोग रह गये थे अब उनको भी भून दिया।

एक सदस्य—

इसके बाद महिलाओं का नम्बर है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बाराबंकी में उन पर भी हो चुका है। आपको मालूम होगा। यह जो गोलीकाण्ड हुआ, इससे तीन समस्याएं हैं। एक तो बिक्री-कर, दूसरा ला एण्ड आर्डर और तीसरे सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति। जहाँ तक बिक्री-कर का सम्बन्ध है मैं पिछले दो दिनों से कैसरबाग और अमीनाबाद में व्यापारियों के बीच में ही समय बिता रही हूं। पिछले दो साल से यह बात कही जा रही है कि जब चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा गया कि बिक्री-कर समाप्त कर देंगे तो हम इस आशा पर बैठे रहे। आज किस आधार पर कहते हैं कि बिक्री-कर नहीं समाप्त करेंगे। यह नैतिकता का तकाजा है और इसके लिए सरकार को कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। अगर नहीं ढूंढ पाते तो यह भी नैतिकता का तकाजा है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मैं समझती हूं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम ब्रेन सामने बैठा हुआ है। क्या वह बिक्री-कर का विकल्प नहीं ढूंढ सकते ? जिससे कि लोगों को राहत पहुंचे, उनकी तकलीफें दूर हों और आप अपने वचन को पूरा करें। अगर पूरा नहीं कर सकते तो वन, टू, थ्री, गद्दी छोड़िए।

26 तारीख को मैंने यह प्रश्न उठाया था। वित्त मन्त्री जी ने कहा कि गोलीकाण्ड का मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जादू तो सिर पर चढ़कर बोलता है। आज उन्होंने कहा कि गोली काण्ड हुआ और एक व्यक्ति मारा गया। मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, आपके दल के श्री राज नारायण जी हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। यह जो दंगा फसाद हुआ, एक घंटे के अन्दर पूरे लखनऊ के अन्दर जो आगजनी हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। उसके बारे में श्री राजनारायण जी का वक्तव्य है कि इसमें आर० एस० एस० का हाथ है। जब इतने बड़े नेता ने कहा है कि आर० एस० एस० का हाथ है तो इसकी जाँच करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। सार्वजनिक सम्पत्ति का जो नुकसान हुआ है उसका हम तहे दिल से विरोध करते हैं। हम इसके साथ नहीं है लेकिन जो घटना हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूं। माता बदल पंसारी की दुकान में जब सर्वे दल ने सर्वे किया तो उन्होंने सर्वे की कापी माता बदल पन्सारी को नहीं दी। दूसरे, जो माता बदल पन्सारी के यहाँ से वे कागजात लेकर गये, उसकी उन्होंने उनको रसीद नहीं दी, इसके ऊपर जनता में रोष उत्पन्न हुआ। यह भी गलत है कि पहले पथराव हुआ। पहले लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद गोलीकाण्ड हुआ, उसके बाद पथराव हुआ है। आप वहाँ जाकर मालूम कर लीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को जो दर्दनाक घटना लखनऊ में हुई है और जो उसका विवरण माननीय मन्त्री वित्त जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, शहर में अनेक लोगों से मिलने के बाद और बलरामपुर अस्पताल में 30–32 जो घायल लोग थे, उनसे अलग-अलग बातचीत करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो तथ्य अधिकारियों ने उनके सामने रखे हैं, वे सही नहीं हैं। उसमें भी जाँच की गुन्जाइश है। सब लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि गोलीवर्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर टैक्टफुल्ली, कुशलता से सिचुएशन को हैन्डिल किया गया होता तो गोली वर्षा की आवश्यकता न पड़ती। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी दंगे को रोकने के लिए अगर शासन गोली चलाती है तो जो निर्दोष लोग उसमें मारे जाते हैं, क्या उनका शासन से यह पूछने का हक नहीं है कि हमारी जान क्यों ली गयी? जिस व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया हो, अगर उस पर हमला किया जाय तब तो एक बार क्षम्य हो सकता है, लेकिन जो निर्दोष लोग गोली के शिकार होते हैं, उनको यह माँग करने का हक है कि तथ्य जनता के सामने लाए जायं। इसलिए अगर इस समय सारे प्रदेश में रोष व्याप्त है तो आवश्यकता है कि जनता की भावों को ठीक करने के लिए सही तथ्यों को सामने लाया जाय। इसमें कोई बुराई नहीं होगी, अगर न्यायिक जाँच करा कर हम जनता को सन्तोष प्रदान कर सकें?

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हर एक गोलीकाण्ड में, पिछले अनेक गोलीकाण्ड अगर आप देख लें तो न्यायिक जाँच हुई होगी तो मालूम पड़ेगा कि गोलीकाण्ड के बाद हिंसा की घटनाएं होती हैं, पहले गोलीकाण्ड होता है निर्दोष लोगों पर और उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसमें बहुत से असामाजिक तत्व उसका लाभ उठाकर इस प्रकार की वारदातें करते हैं जिसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करना होगा। यह कहना कि आगजनी हो रही थी, इसलिए गोली काण्ड किया गया, यह सरासर असत्य है।

दूसरी बात यह है कि बिक्री-कर के बारे में जनता पार्टी ने जो घोषणा की थी वह बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की थी और शायद हिन्दुस्तान के इतिहास को बदलने के लिए किसी इमेजिनेटर, किसी बुद्धिजीवी की आवश्यकता है जो सेल्स टैक्स जैसी काली व्यवस्था का एक आलटरनेटिव शासन और जनता को दे सके। इससे मुकरना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एक दिन आयेगा जब हम देश की जनता को इस बिक्री-कर की व्यवस्था से, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे मुक्त कर पायेंगे। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आमदनी बढ़ाई जा सकती है। यह कोई नहीं कहता कि सेल्स टैक्स द्वारा जो आमदनी होती है वह समाप्त कर दी जाय, लेकिन अगर इनकम टैक्स की आसानी से वसूली हो सकती है तो सेल्स टैक्स आसानी से वसूल क्यों नहीं हो सकता। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। इनकम टैक्स वसूल करने में गड़बड़ी नहीं हो रही है, परेशानी नहीं हो रही है तो सेल्स टैक्स वसूल करने में क्यों परेशानी हो रही है, इस बात का विचार करें। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है ताकि सारे व्यवसाय ईमानदारी से काम कर सकें।

सर्वे दल में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है, सर्वे दल के अधिकारियों को अधिक अधिकार देने से कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी यदि यह व्यवस्था कर दें कि व्यापारी सेल्स टैक्स के बारे में जो विवरण देंगे उसे स्वीकार कर लिया जायगा उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, जिसका विवरण गलत पाया जायगा उसको बाद में दण्ड दिया जायगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे सेल्स टैक्स से इनकम में वृद्धि

[श्री राम प्रकाश]
होगी और स्थिति में सुधार होगा। सेल्स टैक्स के बारे में पुन: विचार करने की आवश्यकता है। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात को अपने हठ का प्रश्न न बनायें। नियमों में परिवर्तन करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री डी0 पी0 बोरा, आप उस समय लगभग दो मिनट बोल चुके थे। तो अब आप तीन मिनट में अपनी बात कह लें।

*श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे अहम मसले पर बोलने का मौका दिया।

लखनऊ में 26 तारीख को जो घटना घटी उसके गहराई में जाने की यदि कोई कोशिश करें तो यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि 13 अप्रैल को जब उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल ने विशेष सर्वे दल का वहिष्कार करने का निर्णय ले लिया था और उसके बाद कई स्थानों में इस तरीके की घटनाएं हुई थीं तो सरकार को कोई न कोई सही निर्णय ले लेना चाहिए था। वास्तव में सर्वे दल जब माता बदल पन्सारी के यहाँ सर्वे करने के बाद उनकी किताबों को लेकर थाने की ओर गया तो लोगों ने सर्वे दल की रिपोर्ट की एक कापी की माँग की है। जब सर्वे दल द्वारा किसी दुकान की सर्वे की जाती है तो अपनी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उस दुकानदार को दी जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि माता बदल पन्सारी की दुकान पर सर्वे करने के बाद वह प्रतिलिपि उसको नहीं दी गयी जिसकी वजह से आक्रोश वहाँ उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वह स्वत: वित्त मन्त्री जी ने कही है कि मुश्किल से 100,150 आदमी थाने में इकटठे हुए थे। स्थिति का अच्छी तरह से जायजा लेकर स्थिति को इस तरह से बिगड़ने से बचाया जा सकता था।

सर्वे दल जब कभी किसी दुकान पर सर्वे करने के लिए उपस्थित होता है तो दुकानदार को दोषी के रूप में बाहर खड़ा कर देता है। जिस दुकानदार ने लाखों रुपए लगा कर दुकान खड़ी की हो, हजारों रुपए का सेल्स टैक्स देता हो, उसे दोषी होकर दुकान के बाहर खड़ा होना पड़े इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है। सर्वे दल के लोग दुकानदार को परेशान करते हैं, रुपया एठने की कोशिश करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत से आन्दोलनों में हिस्सा लेने का मौका मिला है और माननीय वित्त मन्त्री ने भी न जाने कितने विद्यार्थी आन्दोलनों मे हमारे साथ थे। हमने देखा है जब गोली चलती है उसके बाद हिंसा की आग भड़कती है उसके पहले नहीं।

जब अमीनाबाद में गोली चलाई गयी तो लोगों में भगदड़ हुई, लोग भागने लगे, उस वक्त असामाजिक तत्वों ने जगह-जगह पर इस तरीके के आतंकवादी काम किए। कोई व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं व्यापारी की स्थिति क्या होती है। यदि एक सिपाही दुकान पर जा कर खड़ा होता है तो वह थर-थर काँपने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं है। बैंक लूटने, पोस्ट आफिस लूटने की बात एक भ्रम में डालने की बात है, अधिकारियों की साजिश है जिसके तहत माननीय वित्त मन्त्री ने भी यह वक्तव्य जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि कोई गोली ही नहीं चली।

जब विधान सभा के अन्दर शून्य प्रहर के बाद इस मामले को उठाया गया और फोटो दिखाया गया सिपाहियों को गोलियाँ चलाते हुए तब वित्त मन्त्री जी का वक्तव्य आया है और तब उन्होंने कहा कि राउन्ड चलाए गए। दूध का दूध और पानी का पानी साफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जायगा अगर न्यायिक जाँच बिठा दी जाय। तब सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। वहाँ पर कोई सीनियर अधिकारी भी उस समय नहीं था जब गोली चलाई गयी थी। केवल एक सिटी मैजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको लखनऊ आये हुए 7, 8 दिन हुए थे और उनको लखनऊ की जानकारी नहीं थी। शायद जिला अधिकारी मौजूद होते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। वास्तव में न तो थाने का कोई टेलीफोन काटा गया और न जनता ने वहाँ थानाध्यक्ष को मारकर गिराया व्यापारमण्डल के प्रतिनिधि साढ़े 11 बजे से थाने में बैठे थे और शाम साढ़े 5 बजे तक बैठ रहे। कोई स्थिति गोली चलाने की उत्पन्न नहीं हुई थी। जनता सरकार की पुलिस ने निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया, मासूम बच्चों की जान ली गयी और इसके लिए इस सरकार को कोई बख्शेगा नहीं। आगे आने वाले लोग इस तरह की ज्यादती के खिलाफ अवश्य आवाज बुलन्द करेंगे। बयान भी जो दिया गया है वह झूठा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है। अब जो भी बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री डी0 पी0 बोरा--

[× × × ×]

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, जो घटना परसों घटी वह गम्भीर घटना है और उस घटना को लेकर सदन में जिस तरह की चर्चा अपेक्षित थी उस तरह की चर्चा देखने को नहीं मिली। यह सिर्फ लखनऊ की घटना नहीं थी। इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश तथा बड़े-बड़े शहरों का मसला भी जुड़ा हुआ है। कहीं यह लखनऊ की चिनगारी दूसरे शहरों न में फैल जाय। जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि गोली चली, लोग घायल हुए और अभी माननीय मन्त्री जी ने सूचना भी दी कि एक व्यक्ति मर गया तो यह बुरी बात है, इसकी निन्दा हर व्यक्ति करेगा। लेकिन दूसरा पहलू भी इसके साथ है। वह यह कि व्यापारियों की यह टेंडेंसी किसी से छिपी नहीं है कि वह टैक्स की चोरी करते हैं। एक माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि व्यापारी बाहर खड़ा कर दिया जाता है दोषी की तरह और अधिकारी अन्दर दुकान में घुस जाते हैं। उन माननीय सदस्य को यह भी पता होना चाहिए कि व्यापारी टैक्स की चोरी के लिए दोहरे खाते रखते हैं और अगर उनका समन किया जाय कि अपना हिसाब-किताब दिखाएं तो सही तस्वीर कभी सामने नहीं रखेंगे। यह भी सही है कि जहाँ व्यापारी बेईमान हैं वहाँ जो बिक्री-कर अधिकारी हैं वे भी कम बेईमान नहीं हैं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने सही बात कही कि दो बेईमानों के बीच का झगड़ा था इसलिए यह आग लगी। इसलिए गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो रिपोर्ट्स आई हैं।

एक तो माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य पढ़ा। दूसरे व्यापारी मण्डल की ओर से कुछ माननीय सदस्यों के बीच में पत्र बाँटा गया। दोनों रिपोर्टें अलग-अलग हैं। सच्चाई और ईमानदारी का तकाजा यह है कि सही स्थिति उभर कर आये। अगर व्यापारी दोषी हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जानी चाहिए और अगर पुलिस व बिक्री-कर अधिकारी दोषी हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जानी चाहिए। जिम्मेदारी किसके ऊपर थोपी

नोट—[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

जाय, इसके लिए जरूरी है कि या तो माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जाय या जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, न्यायिक जाँच की जाय। यह शान्ति व्यवस्था का सवाल है, बड़ा अहम सवाल है और पूरे प्रदेश से इसका सम्बन्ध है। इसलिए न्यायिक जाँच के लिए शासन को आदेश देने पड़ें तो कोई बुरी बात नहीं होगी क्योंकि शासन भी और विरोधी पक्ष भी यही चाहता है। मैं इस पक्ष में हूं कि इस घटना की विस्तृत जाँच होनी चाहिए और बेहतर होगा न्यायिक जाँच कराई जाय।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो घटना हुई है उसमें व्यापारिक मण्डल की तरफ से प्रचार किया गया है और पोस्टर निकाले गये हैं, उड़नदस्तों का गठन किया गया है और यहाँ तक ऐलान किया गया है कि अगर आपके यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी सर्वे के लिए आये तो अपने प्राणों तक की बाजी लगाने तक की तैयारी थी। शासन को इसका अन्दाज पहले से होना चाहिए था। मान्यवर, चीनी का दाम घटाकर जब डी-कन्ट्रोल हुआ तो वह ढाई रुपए ही रह गयी और मिठाई का दाम दस रुपए से नीचे नहीं हुआ। मान्यवर, कुछ लोग समझते हैं कि लूट की छूट उनका बुनियादी अधिकार है। दुकानदार गरीब जनता को लूटते हैं और सरकार इनसे 100 करोड़ रुपया ले रही है तो ये आग लगायेंगे, बसों को जलायेंगे, डाकखानों को और बैंक को लूटेंगे और फिर भी लोग उनका पक्ष लेंगे कि उनको ऐसा क्यों नहीं करने दिया गया। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जनता सरकार के यहाँ पर आने के बाद ही वह यह कर रही है।

मैं वित्त मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यह एक सुनियोजित योजना है शहरों के अन्दर ला एण्ड आर्डर को समाप्त करने की। यह जहाँ भी हो—नगरों में हो या देहातों में हों—जहाँ-जहाँ भी हिन्सा को भड़काने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती बरतनी होगी। यदि किसानों पर 20 रुपया बकाया रहता है तो उनको जेलों में बन्द कर दिया जाता है उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और आज उनके ऊपर करोड़ों का बकाया है उनके लिए दलील दी जाती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी गरीबों की है, किसानों की है किन्तु उसके अन्दर भी कुछ ऐसे आस्तीन के साँप हैं जिनसे आपको सजग रहना होगा।

मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जनता पार्टी में हैं जो लुटेरों का साथ दे रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम जनता पार्टी में हैं, यह मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है इसके साथ रहकर जो इसके खिलाफ बात करता है तो मैं कहता हूं कि वह इस्तीफा दे और फिर चुनाव लड़कर सामने आये। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन हिंसा भड़काने वाले लोगों को काबू कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. . . .

(व्यवधान)

श्री डी0 पी0 बोरा—

मैं ऐलान करना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मन्त्री इस्तीफा दें और मैं भी इस्तीफा देता हूं। चुनाव लड़ें तब देखते हैं कौन जीत कर आता है। फैसला हो जायगा।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

हमें भी समय दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मिलेगा ।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इस सदन में यह कहने पर कि 26 तारीख को इस प्रदेश के सबसे बड़े कस्बे लखनऊ की सड़कों में, राजधानी के अन्दर अराजकता भड़की। उसके सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस घटना को उन्हें गम्भीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि सारे देश में ऐसी घटनायें घट रही हैं जिससे लोग आन्दोलित हो रहे हैं और उसका असर प्रदेश भर में हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य वित्त मन्त्री जी की तरफ से आया। मेरी याददाश्त में अंग्रेजों की हुकूमत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिस तरह की यह घटना राजधानी में हुई और इस प्रकार की हिंसा और अराजकता हुई हो।

मान्यवर, जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में क्या वायदे किए और आज उस पर क्या असन्तोष है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल को इससे सबक मिलेगा। माननीय राधेश्याम शर्मा ने एक दलील दी कि हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा-पत्र में कुछ बातें कही जाती हैं लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही और आपने जो चीजें घोषणा-पत्र में कहीं उनको पूरा नहीं किया तो भविष्य में लोगों को किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा-पत्र में विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन आज प्रश्न यह है कि सरकार पर यहाँ की जनता के जन-जीवन की रक्षा करने की, उसके जान-माल की रक्षा करने की क्षमता रह गयी है या नहीं। मुझे आज एक दृष्टा ने अमीनाबाद की घटना के सम्बन्ध में बताया कि जिस तरह से माताबदल पन्सारी की दुकान से अधिकारी लोग गए और उनके पीछे एक काफी बड़ी भीड़ उस थाने के सामने गई और वह न केवल यह कागजात माँग रहे थे बल्कि उन अधिकारियों को भी माँग रहे थे जो कागज ले गए थे यह कह रहे थे कि इन्हें हमें वापस करो और हम इन्हें मारेंगे। तो कितना शासन का मखोल है। माननीय मन्त्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी व्यापारी वर्ग के लोग बेईमान हैं या सेल्स टैक्स विभाग के लोग सभी बेईमान हैं। लेकिन इस तरह की हिंसा करने की इजाजत दी जायगी और कर्मचारियों के काम करने में दखल-अन्दाजी की जायगी तो क्या होगा। उन कर्मचारियों और अधिकारियों से क्या दुश्मनी थी, जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए गये थे जो छापा मारने के लिए गए थे। जैसा कि मैंने कहा एक दृष्टा ने मुझे बताया कि वहाँ पर जो भीड़ थी वह माँग कर रही थी कि थाने से इन लोगों को निकालो हम इनको मारेंगे और जो गोलियाँ निकली हैं वह 32 बोर की गोलियाँ हैं जोकि पुलिस के पास नहीं होती। इसकी जाँच होनी चाहिए जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि इसके पीछे गहरी साजिश है।

मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाता। सरकार को अपनी इन्टेलीजेंस से पता लगाना चाहिए कि इसमें किन लोगों का हाथ है और किनका नहीं है। इस प्रकार की अगर जानकारी आप नहीं करते हैं तो यह आग सारे प्रदेश में फैलेगी। यह कितने विडम्बना की बात है कि लखनऊ के अन्दर अगर आप बैंकों को नहीं बचा सकते, आप रेलों को नहीं बचा सकते, आप पुलिस की हिरासत में जो मुलजिम हैं उनको नहीं बचा सकते तो फिर दूर दराज के गावों में और कस्बों में क्या होगा। राजधानी के अन्दर सारे शासन का तन्त्र रहता है। अमीनाबाद में जो घटना घटी है इसका असर सारे देश में होगा। आपने देखा होगा जो लोग घायल हुए है वह केवल लखनऊ के नहीं हैं उसमें बाहर के यात्री भी है। तो इससे सारे प्रदेश के अन्दर एक आतंक की भावना फैली हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार की जो प्रमुख जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठें।

श्री देव कुमार—
मैं माँग करता हूं कि इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—
(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)
वर्मा जी आप तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—
मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में मैंने अच्छी तरह सुना, माननीय सदस्यों को सुना और जो अखबारों में आया है, उसको भी देखा है। मैं माननीय सदस्यों के सामने इसके दो पहलुओं पर निवेदन करुंगा जो उनकी भावनायें हैं। एक तरफ तो यह है कि सेल्स टैक्स का खात्मा होना चाहिए था, जिसे सरकार ने नहीं किया। दूसरे माननीय सदस्यों और एक वरिष्ठ सदस्य राम प्रकाश ने कहा है कि सर्वे दल वहाँ गया था, उसके विरोध में यह मामला था और एक ने कहा पुलिस ने ज्यादती की, थाने पर पुलिस ने पहले ही गोली चला दी और बाद में पथराव हुआ। बिक्री-कर समाप्त हो या नहीं, बिक्री-सर्वे दल का क्या काम था और क्या नहीं, उसको हम विचार में न लायें, लेकिन जो पोस्टर यहाँ पर पढ़ा गया हैऔर जिन व्यापारियों की ओर से बड़े पैमाने पर छपवा कर बाँटा गया है, उसकी ओर में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि किसी भी व्यापारी के यहाँ यदि सर्वे दल आये तो वह उसकी सूचना हमें दे, हम अपना उड़न दस्ता ले जाकर उसका विरोध करेंगे। तो प्रश्न यह है कि क्या कोई भी संगठन इस प्रदेश में समानान्तर सरकार का गठन कर सकता है? इन व्यापारियों ने उड़न दस्ता कायम किया हुआ है और यह निश्चय किया था कि जहाँ कहीं भी यह सर्वे दल जायगा, तो उसका सख्ती से मुकाबला करके सर्वे नहीं करने दिया जायगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी, इनके पीछे बहुत बड़ा सुनियोजित षडयन्त्र है। इसमें सारी हिंसा फैलाने और आतंक का वातावरण कायम करने में इन व्यापारियों के हायर्ड किए गए बड़े-बड़े गुंडों का हाथ है। वह सरकार को आतंकित करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ सरलीकरण कमेटी बनी थी, उसी ने सर्वे दल की अनुशन्सा की थी और उसने सेल्स टैक्स के मामले में बहुत सी सहूलियतें देने की बात कही थी। उनको लागू किया गया है। माननीय वित्त मन्त्री श्री केशरी नाथ त्रिपाठी और श्रीमती सुशीला नायर जो उस समय मंत्री थी, उन्होंने सेल्स टैक्स के बारे में जो अनुशंसा की थी हमारी वर्तमान सरकार ने उन्हीं के मातहत कार्यवाही कर रही है। हमारे माननीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि आपको किसी बात का विरोध करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन उसका तरीका अहिंसात्मक है। जब सरकारी सर्वे दल वहाँ गया, तो उस समय उसके विरोध में असामाजिक तत्वों और गुण्डों तथा व्यापारियों का उड़नदस्ता उसका मुकाबला करने के लिए मौजूद था, और जब ऐसे लोग सार्वजनिक सम्पत्ति में आग लगाने लगे तो इस प्रकार का हिंसा का वातावरण कब तक बरदास्त किया जाएगा?

तहसीलों में एक-एक रुपये के लिए किसान जेल काट रहा है, यहाँ करोड़ों-करोड़ों रुपये के बकायेदार हैं, जिन्होंने गरीब जनता से बिक्री-कर वसूल किया है, उस टैक्स को अपने पास रोके रहते हैं और सब कार्यवाहियों से बचे रहते हैं यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। यह दोहरा मापदण्ड समाप्त होना चाहिए। इसमें हमारी सरकार को काफी विचार करना होगा और शान्ति व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सख्ती से सुलझाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले श्री मान सिंह आजाद और इसके बाद राघवराम जी बोलेंगे ।

*श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, हम लोग गाँधी जी के नाम से चुनाव जीत कर जनता का एक भाव लेकर इस विधान सभा में आए हैं। हमारे रामप्रकाश जी ने जनता पार्टी के घोषणा-पत्र का हवाला दिया, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब वह मंत्रिपरिषद में थे, तो उस समय उन्होंने इस सवाल को क्यों नहीं रखा ? दूसरे, मै स्वयं अमीनाबाद गया था और वहाँ थाने के सामने मैंने खुद जली हुई जीपें और थाने के दरवाजों पर बिछे हुए गुम्मे देखे । अमीनाबाद में डाक-गाड़ी फूंकी गयी और यही नहीं सरकारी रोडवेज बस को बैंक आफ बड़ौदा के सामने जला दिया गया और यहाँ तक कि कैसरबाग बस डिपो में खड़ी बसों के साथ तोड़फोड़ की गयी । हमें इन घटनाओं से और इनका पक्ष लेने से शर्म आनी चाहिए थी । शर्म आनी चाहिए इस हाउस में जो चर्चा करते हैं । हिंसा हुई । हिंसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमारे प्रेस वाले हमा` अधिकारी जो हैं, यह सब हमारे भाई हैं। अधिकारियों की गलती बताते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया जब कैबिनेट में रहे । जिसने गोली चलायी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । यह नहीं कि सरकार को हटाओ। जब मंत्रि-परिषद् में रहे तब उस समय कुछ नहीं किया । यही नहीं हमारे सामने बैठने वाले लोग गाँधी का नाम लेते हैं लेकिन अहिंसा में विश्वास नहीं करते ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं । विधान सभा में सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि हिंसा के रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं । इस विधान सभा में चर्चा कर रहे हैं। हम हिंसा को खत्म कर दें । हम जनता को आश्वासन दिलाएं कि गाँधी जी के रास्ते पर चलें । यही हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं ।

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । यह जो गोली कांड हुआ है केवल एक बात कहना चाहता हूं । अनेक सदस्यों ने यह कहा कि यह कोई साजिश है । आज मैं वित्त मंत्री जी का चेहरा देख रहा हूं । बड़े प्रसन्नचित्त हैं । एक हत्या हो गयी है । उसकी लाश जलायी गयी है । यहाँ बहस हो रही है । मुझे लगता है कि कुछ प्रसन्नता अनुभव हो रही है । मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि श्री राजनारायणजी आज कल शायद श्री बनारसी दास जी से कुछ रुष्ट हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जरूरत नहीं है, मिश्रा जी ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

यह चर्चा काहे पर चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने रोका है । आप बैठिए ।

श्री राघवराम मिश्र—

महोदय, राजनारायण जी....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मिश्रा जी उसको न कहें। (व्यवधान) बात सुनने की भी शक्ति चाहिए। मैंने पहले मना कर दिया।

श्री राघवराम मिश्र—

इस बात की जाँच करायी जाय कि क्या वह 26 तारीख को आये थे और कौन से लोगों से मिले थे ? वह जहाँ जहाँ जाते ह और जितने लोगों से मिलते हैं, इस बात की जाँच करायी जाय कि कितने सामाजिक तत्व उनमें रहते ह। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी खुली जाँच कराएं, चाहे न्यायिक जाँच कराएं, चाहे मजिस्ट्रेट की जाँच कराएं, जो उचित समझें। इस तरह से जो हत्याकाँड हुआ है, एक व्यक्ति मर गया, कितने लोग घायल पड़े हुए ह। हमारे प्रतिनिधियों ने बताया है कि ऐसा लग रहा था कि कोई सरकार के द्वारा साजिश थी। एक उग्र भीड़ वहाँ पहुंची। उसके ऊपर गोली चलायी गयी। फिर उग्र भीड़ का व्यवहार हुआ। कौन से असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा सारा काँड कर दिया। इसके पीछे निश्चित साजिश है। यह षडयन्त्र बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें निश्चित श्री राजनारायण जी का हाथ है जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।

श्री डी0 पी0 बोरा—

ऐसा लगता है कि सरकार हठवादिता की नीति अख्तियार करना चाहती है। न्यायिक जाँच को मानना नहीं चाहती है। इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री डी0 पी0 बोरा सदन त्याग कर चले गए।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने एक घंटे के बजाय डेढ़ घंटा कर दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री 6.55 पर आप अपना बयान समाप्त कर दें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको अपना बयान 6.55 पर समाप्त कर देना है। अब कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। समय डेढ़ घन्टे का कर दिया गया।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, 2–2 मिनट का समय और माननीय सदस्यों को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। एक घन्टे के स्थान पर डेढ़ घन्टा कर दिया गया अब 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के पुनः खड़े होने पर) आप लोग बैठिए। मैंने चौधरी गनेशी लाल को बुला लिया है। 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया है। इन्तजार तो करिए।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों जो घटना घटी उस घटना को कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा दाद नहीं दे सकता है। श्रीमन्, घटना जो घटी है आप देखें क्या हो रहा है, प्रदेश में विद्यार्थियों का झगड़ा, पुलिस का झगड़ा और सारा झगड़ा उतरता है हमारे माननीय मालवीय जी की बसों पर। आज सवाल इस बात का नहीं है कि झगड़ा किस प्रकार का हैं। जब व्यापारियों ने यह तय कर लिया था तो दूसरे लोग जो गवर्नमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी हैं और अपनी हड़ताल करते हैं और कोशिश करते है प्रदेश में गड़बड़ मचाने की तो उनके साथ हमारी सरकार बात करती है। तो उसी प्रकार से सरकार को उनके साथ भी बात करनी चाहिए थी, वह भी एक साजिश के अंग है। मैं नहीं कहता कि उनकी चोरी को छिपाना चाहिए। अगर वह चोर है तो उनको सजा जरूर दी जाये। आप के अधिकारी जो हैं उनको देखें। कोई आदमी टैक्स देने से नहीं कतराता है बल्कि कतराता है जबकि उनके साथ भ्रष्टाचार किया जाता है। आप उनको ब्लैक मार्केटियर कहते हैं और आपके अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, आप उसको शिष्टाचार में बदलें। जितने अधिकारी हैं और वह पब्लिक से लगे हुए है, कचेह ी का हाल देखिए, ब्लाकों का हाल देखिए वहाँ पर पब्लिक का हाल देखिए और जनता का हाल देखिए कि उसकी किस प्रकार से लुटाई होती है। आज इस वर्ग ने संघर्ष उठाया है आपके अधिकारियों द्वारा अगर उसकी लुटाई होती है और वह संघर्ष करता है तो आपको सुनना पड़ेगा।

श्री मुकीमुर्रहमान—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना पर माननीय सदस्यों ने अपन विचार व्यक्त किए। यह झगड़ा 26 तारीख का है। मैं बलरामपुर अस्पताल में उनसे मिला। मैंने उनसे पूछा और दो व्यक्तियों के अलावा जो अध्यक्ष थे किसी ने नहीं कहा कि हमारे चोट आयी है थाने के सामने। अमीनाबाद वाली सड़क पर आयी। थाने के ऊपर घेराव हुआ। अगर पुलिस होशियार रहती तो यह जो आग लगी है वह न लगती और जो नुकसान हुआ है वह न होता। मैनीफेस्टो आज राजस्थान का है, हिमाँचल प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का है लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमारा सिर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग और पैर अलग। अधिकारियों और पुलिस पर आरोप लगाया गया। अगर पुलिस की जरूरत नहीं है तो जिम्मेदारी ले लें, पुलिस बड़ी खुश होगी। मोटर जल गयी, लारी जल गयी, बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ और उसके लिए सरकार की पूरी पूरी जिम्मेदारी है। सरकार को सतर्क रहना चाहिए था, इनकी इन्टैलिजेन्स को रिपोर्ट देनी चाहिए थी सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। बाजार के अन्दर किसी का तख्ता व छप्पर तक नहीं जला। सरकार की प्रापर्टी जली, डाकखाना जला, बैंक को किस ने जलाया। मैं तो गुजारिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी को एलान कर देना चाहिए कि इसकी इन्क्वायरी होगी। अगर किसी अधिकारी पर हमारा विश्वास खत्म हो गया है। नारे लगते हैं कि यू0पी0 पुलिस चूड़ियाँ पहनें। तो इस मामले में सब लोगों को यहाँ पर पार्टी मीटिंग में तय करना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए।

हमारे सामने वाली दीर्घा में पेपर वाले बैठें है, अधिकारीगण इधर बैठते है, सूचनायें बाहर जाती हैं लेकिन उस रस्सी को न पकड़ कर जिनके बल को हमें जलाना है, किस प्रकार सें ऐंक्शन लेना है, किस प्रकार से इंडिसिप्लिन को खत्म करना है। पुलिस ने बहुत बर्दाश्त किया। मेरा अर्ज है कि हम जो बातें यहाँ पर करते है उन बातों का असर बाहर के अवाम पर भी पड़ता है। इस हादसे में 33 आदमियों को चोटें लगी, 3 आदमियों को सीरियस चोटें लगीं, 16 आदमी नार्मल थे। उन सीरियस हालत वाले लोगों में से एक की हालत खराब थी, जिसका आज देहान्त हो गया। बजाय इसके कि हम सब आदमियों को सोचना चाहिए था कि हमारे साथियों में से एक साथी अलग हो गया यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है। उस शर्म को हमें दुपट्टे से या पायजामे से नहीं ढकना चाहिए बल्कि हमें अपना लक्षण बदलना चाहिए। और हमारी सरकार और विधायकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने लक्षणों को बदलें जैसा जनता सरकार के जमाने में हुआ है, वैसे तो आज तक की परम्पराओं में हुआ ही नहीं। दोषी ठहराया जाता है कलेक्टर को, कहा जाता है कि एस0पी0 को हटाया जाय जैसे कोई भगवान के यहाँ से जन्म लेकर अधिकारी शासन करने यहाँ पर आयेंगे।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत देर से मैं सदन में हुयी बहस को सुन रहा हूं। म किसी बात को दुहराना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी यहाँ पर 2 पक्ष रखे गये है। यहाँ पर व्यापारियों की विरोध में एक वातावरण खड़ा किया जा रहा है। समाजवादी बन्धु कहते है कि जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया बकाया है, उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है लेकिन जिस गरीब किसान पर 10 रुपया तक बकाया रहता है उसे जेल भेज दिया जाता है। मैंने एक सवाल अपने माननीय बिजली मंत्री से पूछा था कि आप बिरला से 6 करोड़ रुपया कैसे वसूल करेंगे तो जबाव दिया गया कि हमारे अधिकारी मेज पर बैठ कर वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। जो समाजवाद का दम भर रहे है.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बिड़ला से मेज के ऊपर से नहीं, नीचे से होता है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

माननीय देव बहादुर सिंह जी ने जो कहा उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी। सार्वजनिक सम्पत्ति के दुर्पयोग से कम से कम साम्यवादी दल के लोगों को भी सरकारी सम्पत्ति जलाये जाने का विरोध है। मुझे इस घटना के सन्दर्भ में यह कहना है कि जहाँ हिंसा हो उसकी बुराई होना चाहिये, इस प्रकार की घटनाओं की न्यायिक जाँच भी होना चाहिय। मुझे जब यह वक्तव्य पढ़ा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई उपन्यास पढ़ा जा रहा हो। इस वक्तव्य में पृष्ठ 2 पर अंत में कहा है कि भारी पथराव के कारण थानाध्यक्ष सड़क पर गिर गये। पर कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि उनके कितनी चोटें आयीं। समाचार पत्रों में यह छपा है कि जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी अधिकारी ने गोली चलाने की आज्ञा नहीं दी। मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूं कि हर बात की न्यायिक जाँच नहीं हो सकती, मगर जहाँ गोली चले वहाँ तो जाँच होना चाहिये।

सर्वेदल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत से वे अधिकारी रखे गये हैं जो भ्रष्ट हैं (व्यवधान)। आज एक अधिकारी को 400 रुपये आप वेतन देते है और उसकी 14 हजार रुपये महीने की ऊपरी आमदनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, 26 तारीख की घटना को लेकर आज सदन में माननीय सदस्य, इधर के और उधर के, चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य बुलन्दशहर, आगरा और माननीय वर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही बातें कहीं हैं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में जबसे जनता पार्टी की सरकार आयी उसने मजदूरों, छात्रों, माइनारिटी और हरिजनों और सिक्खों पर बेशुमार गोली चलायी....

श्री उपाध्यक्ष—

इससे क्या मतलब उसका, विषय पर बोलिये।

श्री मन्जूर अहमद—

किसान और मजदूर इस सरकार को चैलन्ज नहीं कर सकता। उसको तो गिरफ्तार किया जाता है, उनकी जमीन नीलाम की जाती हैं, पर जिन पर 10–10 करोड़ रुपया बकाया है उनसे वसूली नहीं की जाती। (व्यवधान) इन बड़े-बड़े व्यापारियों के यहाँ जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी जाते हैं सर्वे के लिये तो इनको मारते हैं। पुलिस वालों को मारते हैं। फिर भी इस सरकार में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आज हिम्मत नहीं है।

(व्यवधान)

अभी क्या है कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना,
अगर अहले जर्फ के हाथों में पयमाने नहीं आते।

आप कहेंगें कि यह गोली तो पहले भी चलती थी पहली मिसाले देंगे आज आपको क्या करना है। आज पूरे प्रदेश में व्यापारियों का राजनारायण के कहन के द्वारा अगर जगह-जगह पूरे देश में जो आन्दोलन चलाया जा रहा है आर0 एस0 एस0 वालों ने चैलेंज किया कि हम तुम्हारी सरकार को उखाड़ेंगे .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम इसको समाप्त करेंगे। श्री मजूर अहमद बैठिये।

श्री मन्जूर अहमद--

आप अपने किये हुए वादों को पूरा करें। जितने वायदे किए हैं, वह एक भी पूरा नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका मतलब पूरा हो गया। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी जब उप मंत्री हम थे, उस समय किसानों की कुछ बात कही गयीं थी,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपसे अनुरोध है कि तीन मिनट लें। मुख्य बातें कहें और 3 मिनट अग्रवाल साहब और उसके बाद वित्त मंत्री जी बोलगे।

श्री छोटेलाल (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, कुछ बातें और कुछ काम गाँव के लोगों के बारे में कहीं गयीं। जो गाँव अभिमुखी योजना के बारे में उत्तर प्रदेश राजनीति का इस तरह से बदलाव हुआ, हमारा दल या घटक जिसको हमें कहना चाहिए और मेरे मित्र ने कहा जो, शायद मैं इन डिक्टेटर सरकार को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, जो मुझे अच्छी तरह पता है कि 66 के किसानो के लगान में उस समय सरकार का साथ दिया करते थे और जो राजनारायण का नाम लिया वह स्वयं विधान सभा में टैक्स का नाम लेकर पेरवाते थे और आज अटल बिहारी बाजपेयी जैसे लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं कुछ अटल बिहारी बाजपेयी या किसी के बारे में कहूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह दल में है।

श्री उपाध्यक्ष--

घटना के बारे में आप कहें।

श्री छोटे लाल--

आप किसानों और मजदूरों की बात कहते हैं और आप लोग बड़े व्यापारियों की और अच्छे घराने के लोगों की बात कहते हैं। तो यह मामला चलने वाला नहीं हैं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी व्यापार मंडल का पर्चा पढ़ रहे थे, उसको मैंने ध्यान

[श्री छोटे लाल]

से सुना। यह सरकार के प्रति चुनौती है। यह चुनौती चाहे लाठी हो या अन्य, हम यह नहीं चाहते है कि मैडम डिक्टेटर के बाद दूसरी कोई तानाशाही सरकार आये, जो उस पर विश्वास रखता है, मैं उस पर नहीं जाता। इतना जरूर चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इन्तजाम कुछ करें। रबड़ वाली गोली भी चलाई जा सकती है, लाठी घुमाई जा सकती है। लेकिन कल से मैंने भी शहर में घूम कर देखा। वास्तव में किसी व्यापारी ने अपनी दूकान पर आग लगा कर नहीं जलाया होगा, बल्कि जलाया तो मालवीय जी के विभाग को जला दिया। सार्वजनिक सम्पत्ति को जला दिया, क्योंकि उनको सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई यकीन ही नहीं है। आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और गम्भीरता के साथ गरीबों और अमीरों के बीच जो लड़ाई है, गरीब पूरा उत्तर प्रदेश का आपके साथ है। आपको उसमें घबड़ाने की कोई बात नहीं है।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि जहाँ पर कोई बुराई पैदा हो जाय, जहाँ पर असन्तोष पैदा हो जाय, वहाँ पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर सरकार ही उत्तेजना में आ गयी और सरकार के नुमाइंदे ही उत्तेजना में आ गये और बदले की भावना से काम करेंगे, तो कोई किसी से बच नहीं पायेगा। जो अमीनाबाद में घटना हुई, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ही। सरकार में ऐसी कोई एजेंसी नहीं देखा जो 240 रुपये रोज सरकार को देती है। उनको मुख्य मंत्री सरकार का फर्ज अदा करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने।

श्री सत्य प्रकाश—

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि सद्भावना का वातावरण पैदा करें और इस प्रकार के आरोप और शब्दों का प्रयोग न करें। उनकी केवल एक माँग है और उसके लिए वित्त मंत्री ने कहा कि जिनकी 5 लाख तक बिक्री है उनके यहाँ सर्वे नहीं होगा। छापे लगने से व्यापारियों में परेशानी पैदा हो जाती है। जो गड़बड़ी करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यह नहीं कि हजारों में रिश्वत लेते है और जो ईमानदारी के साथ काम करता है उनके यहाँ छापे मारे जाते है, परेशान किया जाता है। माननीय मंत्री ने कहा, पथकर समाप्त कर देंगे, समाप्त कर दिया, सरकार का या जो ट्रक चलते है उनका, नुकसान नहीं हुआ। वित्त मंत्री गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि किस प्रकार संशोधन किया जाये ताकि वह समाप्त हो सके यह मेरा निवेदन है। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई जरूरी नहीं है कि जितने माननीय सदस्य हैं, वह सब बोलें।

(श्री मधुकर दिघे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

मैंने कई बार सवाल किया है, मुझे एक बार मौका अवश्य दें.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे अपनी बात कहने का अवसर न देकर जो पक्षपात किया है उसके विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं।

(शोर)

(श्री कृष्ण स्वरूप सदन त्याग कर चले गए।)

*श्री मधुकर दिघे--

यह भ्रम नहीं रहना चाहिए व्यापारियों के मन में कि बिक्रीकर समाप्त हो जायेगा बगैर कोई विकल्प के भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में स्वीकार करने से पूर्व। दूसरी चीज यह सरासर झूठा अरोप है कि सर्वेदल समाप्त करने या खतम करने की कोई भी बात मेरे पहले वाले संस्थागत वित्त मंत्री माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी ने कभी भी कही। उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत से ज्यादा व्यापारी ईमानदार, सच्चे है और बिक्रीकर देना चाहते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो व्यापार नहीं करता लेकिन संस्था का अध्यक्ष बन कर बैठा हुआ है, बिशम्भर दयाल अग्रवाल। उसके साथ कुछ ऐसे तत्व है जो बिक्रीकर की चोरी करते है और वे नहीं चाहते कि उनकी एकान्ट्स बुक की जाँच हो।

मान्यवर, आश्चर्य होता है राम प्रकाश जी पर, जो वरिष्ठ सदस्य है, उनको मालूम है, बिक्रीकर अधिकारी, उनका नार्मस निश्चित है, किस प्रकार से जाँच होती है। यह सर्वेदल, माननीय सदस्य बाँदा, माननीय सदस्य रघुबर दयाल वर्मा, नेता, पार्लियामेंट्री दल के सचिव, राजेन्द्र कुमार गुप्त अच्छी तरह से जानते हैं। यह महाराष्ट्र गये और एक बम्बई, जिसमें 80 सर्वेदल है, लखनऊ में केवल एक है।

मान्यवर, माननीय संस्थागत वित्त मंत्री माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी ने स्वयं इस बात पर विचार किया कि जो रोजमर्रा लोगों को परेशानी होती है और भ्रष्ट व्यापारियों से मिलकर भ्रष्ट अधिकारी रुपया लूटते है, गरीब जनता से हर वस्तु पर लगने वाला टैक्स जो व्यापारियों के यहाँ जमा होता है, वह उस रुपये को खाने का काम करते है, लूटने का काम करते हैं, उनकी जाँच कुछ प्रतिशत सर्वे दल द्वारा कराके यह पता लगाया जाय कि वे चोर कौन है, वे कर अपवंचन करने वाले कौन लोग हैं। प्रदेश के उन लाखों लाख व्यापारी जो गरीब व्यापारी है, ईमानदारी से व्यापार करते हैं उनके नाम पर जो कलंक है कि वे चोरी करते हैं, उस कलंक को मिटाने के लिये, कर अपवंचना करने वाले व्यापारियों के पास सर्वे दल जाता है। माननीय राम प्रकाश और माननीय सदस्य जानते है कि सर्वेदल में 3 अधिकारी होते हैं। निहत्थे तीन साधारण अधिकारी होते हैं। वे क्या काम करते हैं, व्यापारियों को पकड़ने का काम करते हैं, क्या उनको पकड़ कर जेल ले जाने का अधिकार दिया है, नहीं। वे व्यापारी के यहाँ जाते है उनसे कहते है कि आप अपनी एकान्ट बुक दें, हम देखेंगे, वाउचर देखेंगे, स्टाक देखेंगे, ताकि हमको मालूम हो जाय कि टर्न ओवर कितना है।

हमने इस प्रदेश में कितनी सहूलियतें व्यापारियों को दी है, उन सदस्यों के रिकमेंडेशन पर दी है, जिसमें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय वर्मा जी, माननीय सदस्य बाँदा हैं। भूतपूर्व संस्थागत वित्त मंत्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने इसका निश्चय किया था। यह दल उन लोगों को सहूलियतें देते है जो ईमानदार है, जनता से वसूल किया हुआ कर सरकारी खजाने में जमा करना चाहते है। मैं कहना चाहता हूं, खोल दूं, मैं नाम पढ़ दूं कि कितने चोर पकड़ें गये। मैंने कहा था कि मान्यवर, लगभग 2,278 सर्वे किये गये जिसमें से 1,737 गलत मामले चेक हुये। सन् 78 के सितम्बर महीने से लेकर मई, 79 तक की चेकिंग में, केवल थोड़ी सी चेकिंग में 6 करोड़ रुपये टर्न ओवर का कर अपवंचन का पता लगाया जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

और 199 सर्वे मामलों में, जिनकी इज्जत है जो इज्जतदार है वह पकड़े जायें। इज्जतदार कौन है, मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी स्टेशन पर बैग लेकर जाता है, फटे हाल हाथ में बैग लेकर जाता है, चेकिंग करने वाला उसका बैग खोलकर चेक कर लेता है, उसे दिखाना पड़ता है। कोई माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूं कि क्या उनकी चेकिंग होती है। मेरी भी चेकिंग होगी अगर मैं ईमानदार हूं, मेरी चेकिंग होनी चाहिये, अगर मैं ईमानदार हूंगा तो पता लग जायगा।

(मेजो को थपथपाने की आवाजें।)

199 व्यापारी 4, 5 महीनों में निकले जिनके पास डबल एकाउन्ट थे। आप किसकी तारीफ करना चाहते हैं। 280 करोड़ रुपया माननीय अग्रवाल साहब उस गरीब जनता की मेहनत का पैसा है जो हर वस्तु पर कर देता है जो 2 साल के बाद व्यापारी को जमा करना पड़ता है, इतनी सहूलियत है। मैं माननीय केशरी नाथ जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने पिछले थोड़े से अवसर में जितनी सहूलियतें उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को दीं, मैंने केवल 3 महीने के अन्दर जितनी सहूलियतें दी हैं अगर उनको गिनकर बताऊं तो काफी समय लग जायगा। माननीय सदस्य यदि जानना चाहते है तो मैं पर्चा छपाकर बाँट दूंगा।

मान्यवर, सर्वे का नमूना बताना चाहता हूं। लखनऊ की सर्वे टीम ने 1977–78 से काम करना शुरू किया है। तो सर्वे टीम ने शाह राय एंड कम्पनी, इंडस्ट्रियल स्टेट, लखनऊ, चैम्पियन कंपनी, टिकैतराय तावाब, लखनऊ, ऐशबाग, रमेश आयरन एन्ड स्टील, कंपनी, लखनऊ, माडर्न शटर, महानगर, लखनऊ आदि-आदि फर्मों का सर्वे किया है। लिस्ट बहुत लम्बी है जिसमें काफी समय लगेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सर्वे दल जाते है। तो माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय सदस्य बाँदा जानते है कि सर्वे दल जाता है तो वह दुधारी तलवार है। यदि जाँच बिक्री कर अधिकारी व्यापारी से मिल कर एकाउन्ट बुक्स की चेकिंग करते है और ठीक से चेकिंग नहीं करते है तो हमारा स्कैवड चेक करता है और यदि व्यापारी को कर से छूट दी गयी है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होती है। इसलिये दुधारी तलवार को वह सहने के लिये तैयार रहते है। यदि सेल्स टैक्स अधिकारी ने ईमानदारी से काम किया है तो कुछ नहीं होगा। तो जैसा कहा है कि व्यापारी ईमानदार है तो अधिकारी भी इमानदार होता है। यदि व्यापारी बेईमान है तो अधिकारी भी बेईमान होता है। क्या राजनीति करने वाले सभी ईमानदार होते है, नहीं वह भी बेईमान होते है। इसलिये बेईमान को पकड़ना है, तो सर्वे दल का क्यों विरोध, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में विरोध हो लेकिन दूसरी जगहों पर विरोध क्यों नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय सदस्य बाँदा, राम प्रकाश जी जो सदन के वरिष्ठ नेता रहे हों वह आज जो कार्यवाही हो रही है उसकी तारीफ करने के बजाय विरोध कर रहे हैं।

जनता पार्टी ने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में किया है उस पर मुझे गर्व है और जनता पार्टी के शासन में रहने के लिये मैं जब अपने को अयोग्य समझूंगा और मुझे मालूम हो जायेगा कि म अपने कर्त्तव्य से हट गया हूं, अपने उद्देश्य और अपनी घोषित नीतियों के अनुसार नहीं चल रहा हूं तो उसी दिन मैं इस्तीफा देकर वापिस जाना पसन्द करूंगा। श्री बोरा जी मुझसे कह रहे हैं कि लखनऊ से चुनाव लड़ लें, चैलेन्ज दे रहे हैं, म तो कहना चाहता हूं कि मेरे पास पेट्रोल पंप तो है नहीं। मैं तो गरीबों की सेवा करना पसन्द करूंगा। तो बोरा जी आये जहाँ गरीबों की झोपड़ियाँ हैं, जहाँ किसान हैं जिनकी मैंने 35 साल सेवा किया है। वहाँ से वह लड़ लें। लेकिन वह लखनऊ से लड़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ भी उनको मौके पर बता दूंगा। मैं उनको दोष नहीं देता हूं, वह जवान है, वह ज्यादा लड़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी मुझसे मुकाबला करने के लिये उनको बहुत कुरबानियाँ देनी पड़ेगीं और जेल जाना पड़ेगा।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि एक पंसारी की दुकान पर सर्वे पार्टी गयी, वह बिना वारन्ट के जाते हैं, किसी को पकड़ते नहीं हैं। तो जहाँ सर्वे दल गया था, उसका नाम बता दिया है। उनके यहाँ पर पूरी चेकिंग हो गयी। मान्यवर, चेकिंग के होने के बाद कुछ नियम हैं। जो चेकिंग होती है, जो किताब पर दस्तखत हो जाते हैं. . . . .

श्री डी0 पी0 बोरा—

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है। मेर बारे में कहा गया ह, इसलिये मुझ भी मौका दिया जाय।

श्री मधुकर दिघे—

अरे मैंने तो आपकी तारीफ की है भाई ?

श्री डी0 पी0 बोरा—

अभी बता दूं कि 10 लाख की प्रापर्टी आपने 80,000 में कैसे ले ली ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कहा दिन भर उनको परेशान करते हैं। मैंने आदेश दे दिये हैं कि अगर किताब की जाँच करनी है, तो थोड़ी देर में नहीं करते तो जो रिपोर्ट है। दोनों पर हस्ताक्षर करके एक दूसरे को दे दें उसके बाद जनरल किताब के बारे में आफिस सें कर सकते हैं ताकि व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहो। हमनेआदेश दिये है कि किसी व्यापारी की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है चाहे भले ही वे करापवंचना करने वाले ही क्यों न हों क्योंकि मैं चोर को भी अधिकार देना चाहता हूं जब तक कि वह भागने का काम न करे। लेकिन भागने का काम करेगा, तो फिर कैसे करेंगे। अबपं सारी की दुकान की बात है। किसने किया। पड़ोस में दुकान है। वहाँ से टेलीफोन होता है। माननीय शतरुद्र प्रकाश ने पोस्टर पढ़कर सुनाया। 21 अप्रैल से घटना चल रही है। मान्यवर, जनता पार्टी ने पूरा प्रयत्न किया है कि शाँतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान किया जाय।

जो जनता पार्टी ने लोकतंत्र स्थापित किया है, उसके अनुसार जिस किसी को भी विरोध करना है, करे। अहियागंज की दूकानें बंद हुयीं। लेकिन अमीनाबाद में क्या हुआ ? पंसारी की दुकान से जैसे ही निकले, उन्होंने घेर कर फाइल छीन कर मारना शुरु कर दिया। वह दौड़ कर अमीनाबाद पुलिस स्टेशन में गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माँग रहे थे ? माँग रहे थे, कापी, कागज और एकाउन्ट्स बुक वापस कर दो। इतना ही नहीं, केवल कागज, कापी ही नहीं, उन अधिकारियों को हमारे सुपुर्द करो। और नारे लगा रहे थे कि बोटी बोटी काट दो। क्या, मान्यवर, इसको बर्दाश्त किया जायेगा ? मेरे पास कर्मचारियों का प्रस्ताव है, 7 लाख उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने पूछा है कि क्या हमारी इज्जत नहीं है। क्या हमारी जिन्दगी नहीं है। मान्यवर, डालीगंज में दाल मिल में सर्वे दल गया तो क्या हुआ ? उस निहत्थे अधिकारी के कपड़े उतार लिये।

श्री डी0 पी0 बोरा—

यह झूठ है। मैंने सारे मामले को तय कराया। ये झूठ बोलते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

फिर, मान्यवर, दाल मिल के उसी व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा कि उनके कपड़े वापस दे दो और फिर कहा कि चलिये मोटर पर थाने पर पहुंचा देता हूं। मैं माननीय बोरा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी ? मान्यवर, मुझे सूचना है कि लाखों रुपये इसीलिये वसूल किया गया है कि जहाँ भी जरूरत हो मुकाबिला किया जाय। मुकाबिला करना है तो जनता पार्टी की तरफ से मुकाबिला करिये। हमने, मान्यवर, लोकतंत्र की इजाजत दी है। लोकतंत्र में असामाजिक तत्व सर उठायेंगे; लूटमार करेंगे;

[श्री मधुकर दिघे]
करापवंचना करेंगे, शरीफ बनकर लाखों की चोरी करेंगे, तो क्या होगा ? मान्यवर, इस प्रदेश में बहुगुणा सरकार क्यों गिरी ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, हम इसका विरोध करते हैं : ये जनरलाइज कर रहे हैं। सभी व्यापारी ऐसे नहीं है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह शासन ईमानदार लोगों के साथ है। मान्यवर, यह शासन उन व्यापारियों का साथ देगा जो ईमानदारी से काम करेंगे। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारियों से हमारा किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं है। मैंने व्यापारियों की मीटिंग बुलायी।

एक सदस्य—

आपने बहुगुणा जी का नाम लिया था, वह वाक्य पूरा कर दीजिये।

श्री मधुकर दिघे—

बहुगुणा जी ने विशारद कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया तो जो लोग प्रभावित थे उन्होंने उन्हीं को गिरा दिया। लेकिन हम लोग नहीं डरते। जो जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं उसको हम किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दे सकते। बहुगुणा जी का मैं भी विरोधी रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं कि वह ईमानदारी से उस काम को करना चाहते थे। जैसा मैंने कहा मैंने व्यापारियों की मीटिंग बुलायी। सा प्रदेश के चम्बर आफ कामर्स के लोग आये लेकिन यह जो बिशम्भर दयाल अग्रवाल हैं, जो स्वयं नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी मीटिंग में नहीं आयेंगे और कहा कि हमें सरलीकरण नहीं चाहिए, हमको तो टैक्स समाप्त करने की घोषणा चाहिए तब मीटिंग में आयेंगे। मैंने उस दिन कह दिया कि मैं खत्म करने वाला नहीं हूं। बिक्री कर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि सा देश की सरकारों द्वारा कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इतने करोड़ पये प्रदेश की गरीब जनता का बकाया है। विकास का कार्य रुका हुआ है। कर घटाने या बढ़ाने से व्यापार भाग जाता है। यह बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करने वाला काम है। माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं व्यापारियों के विरुद्ध हूं इसको मस्तिष्क से निकाल दें। सेल्स टैक्स की समाप्ति के लिए मैंने भी जेल काटी है लेकिन सेल्स टैक्स की चोरी करने वालों के लिए जेल नहीं काटी।

मैं घटना का जिक्र कर रहा था। थाने पर लोग इकट्ठा हो गये और घेर कर माँग की कि इनको हमारे सुपुर्द कर दो। लगातार चार पाँच घंटे सिटी मजिस्ट्रेट कहता रहा कि अपने घर जाओ। कुछ लोग चले जाते थे। फिर आ जाते थे। मैंने अपने बयान में कहा कि थाने में घुस कर पुलिस कान्स्टेबिल के परिवार को लूटने की कोशिश की।

मैं उस हरिजन थानेदार की कद्र करता हूं जो गिरा पड़ा था और उसके सीने पर चढ़ कर जाना चाहते थे। उसने बंदूक उठायी तो पत्थर बाजी शुरू हो गयी। मैं पुलिस की तारीफ करता हूं, अधिकारियों की तारीफ करता हूं कि उन्होंने संयम से काम लिया। पी0ए0सी0 होते हुए भी राइफल की गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। इतना बड़ा कांड हो गया। इधर थाना घिरा हुआ और उधर पोस्ट आफिस जला रहे हैं। वहाँ क्या बिक्री कर अधिकारी थे। वहाँ से कैश लेकर आग लगा दी। क्या उससे बिक्री कर को जमा करना था। बैंक लूटना चाहते थे क्या इसलिए कि हमारे ऊपर जो टैक्स पड़ेगा वह सरकार को देंगे। उनको बैंक लूटने देंगे हम ? हम अपने प्रदेश में थाने लूटने देंगे ? हमने बावजूद इसके कि इतना बड़ा कांड हो गया, हमें अफसोस है कि एक नौजवान व्यापारी को पकड़कर थाने पर ले गये और पोस्टल वैन जलाने और बैंकों को लूटने का काम किया। मैं नहीं जानता कि किसकी गोली से वह मरा लेकिन

माननीय बख्शी जी ने कहा कि 4 लोग मारे गये है, यह सरासर गलत है। आज सुबह एक व्यापारी मरा है। यह लोग पोस्टल वैन और सेल्स टैक्स की गाड़ी को जलाने के लिये कैसे पहुंच गये थे? कोई व्यक्ति मरता है, मुझे दुख है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शासन ने मजबूरी की अवस्था में अनेकों लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए गोली चलाई है। परिवहन विभाग की 22 बसें जला दी गयीं, जुलूस निकाला गया, हजरतगंज भी जाना चाहते थे लेकिन व्यापारियों ने ही व्यापारियों के विरुद्ध बात की व्यापारियों ने ही व्यापारियों को मारा है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में शाँति रहे। शाँति रहेगी, अमन रहेगा तो प्रदेश का विकास होगा। जो लोग नहीं चाहते है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो वे ही ऐसी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सब से अच्छी सरकार जो देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले डेढ़ दो साल में जितने काम किये है, उतने कभी नहीं किये गये लेकिन जानबूझकर साजिश चल रही है शासन को बदनाम करने की। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं जो इस शासन को बदनाम करना चाहते है कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो 39 व्यक्ति घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं उसमें व्यापारी कितनें है और गैर व्यापारी कितनें है? दूसरे, एक पुलिस का सिपाही, जिसने प्राइवेट बन्दूक से गोली चलाई, वह प्राइवेट बंदूक लेकर ड्यूटी पर क्यों था? क्या नियमानुसार वह प्राइवेट बन्दूक लेकर ड्यूटी पर रह सकता था?

श्री मधुकर दिघे —

मान्यवर, सिपाहियों को अपने हथियार रखने का अधिकार होता है और जब उनको अपनी स्वयं की रक्षा करनी होती है तभी उनका उपयोग करते हैं। जो सिपाही थाने पर रहते है उनके पास अपनी-अपनी बन्दूकें रहती हैं। माननीय सदस्य जानते है कि गोली चलाने का आदेश देने का अधिकार केवल मैजिस्ट्रेट को होता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि पेज 2 पर एक जगह मेजिस्ट्रट छपा है उसको मस्केट पढ़ा जाए।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

जो पुलिस क लोग प्राइवेट बन्दूक लेकर चलते हैं, गोली चलाते है और बाद में कहते है कि जनता ने गोली चलाई। इस तरह का एक काँड रायबरेली में हुआ है। यह प्राइवट बन्दूक लेकर गोली चलाने का काम बिलकुल गड़बड़ काम है।

श्री मानसिंह आजाद—

जब इनकी काँग्रेस की सरकार थी, कितनी गोली चलाई है, कितने लोगों को मीसा में बन्द किया है? कितनी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है?

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे ऊपर एक आक्षेप किया है, मै आपके माध्यम से उनसे बताना चाहता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
28 मई, 1979

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29(4) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 658 पर]

न्योली चीनी मिल के श्रमिकों की प्रमुख मांगें

1—मिल द्वारा निकाले गये 23 कर्मचारियों को वापस लिया जाय।

2—यूनियन को विधिवत मान्यता दी जाय।

3—डेलीवेजेज की प्रथा बन्दकर दी जाय तथा ऐसे सीजनल कर्मचारियों को सीजनल अथवा स्थायी किया जाय।

4—सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वारिसान को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाय।

5—फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार वेतन दिया जाय।

6—केन गार्डों के डेलीवेजेज के बजाय पुरानों को फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार सीजनल अथवा स्थायी किया जाय।

7—श्री वी0 आर0दूबे, प्रधान प्रबन्धक एवं श्री पृथ्वीराज दूबे जिन्होंने दिनाँक 25-3-79 के गोली काँड में भाग लिया था उनको नौकरी से हटाया जाय।

8—श्रमिकों के अवशेष वेतन आदि तथा ग्रेच्युटी दिलायी जाय।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 667 पर]

राजकीय दर अनुबन्धन संख्या 119-ए दिनांक 21-9-77 के अनुसार मेसर्स रेलीस इन्डिया लिमिटेड, 21-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ का डायमेथियोएट 30 प्रतिशत ई0 सी0 (रोगोर) आई0 एस0 आई0 मार्क के लिये 250 मि0 ली0 पैकिंग में रुपया 48-00 प्रति लीटर की दर से स्वीकृत था। इसी दर अनुबन्धन के अनुसार वर्ष 1977-78 में कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा ने फर्म स 16,100 लीटर रसायन क्रय किया था। आई0 एस0 आई0 स्पैसिफिकेशन के अनुसार रसायन माइल्ड स्टील या लेकर्ड टीमों में ही पूर्ति करना था।

फर्म ने लगभग 800 लीटर एल्यूमीनियम पैक में तथा शेष 15,300 लीटर लेकर्ड टीन पैक में पूर्ति किया था। विषय विशेषज्ञ कृषि रक्षा, जो कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा क अधीन एक सहायक है, ने इस संबंध में कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा का ध्यान आकर्षित अवश्य किया था लेकिन उनका कथन दर अनुबन्धन के अनुकूल नहीं था अतः उस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी। रसायन का भुगतान दर अनुबन्धन क अनुसार लेकर्ड टिन पैक में रु0 48.00 प्रति लीटर के हिसाब से किया गया जो नियमानुसार है।

संसद सदस्य सेवा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 671 पर)

तारांकित प्रश्न 12 के उत्तर में उल्लिखित विवरण की तालिका

क्रम संख्या	विकास खड का नाम	उनपरिवारों की कुल संख्या, जिन्हें धन वितरित किया गया	वितरित धन की राशि	योजनायें जिनके लिए धन वितरित किया गया
1	2	3	4	5
1	बिसौली	30	96,450	बकरी, भैंसपालन, डनलप या रहड़ी घेड़ा, हथ करघा कुटीर उद्योग, गृह उद्योग आदि ।
2	इस्लामनगर	30	89,350	कपड़े सिलाई, भैंस, बकरी एवं सुअर पालन, डनलप गाड़ी, कपड़ा बुनाई आदि ।
3	वजीरगंज	30	1,03,850	तदैव
4	आसफपुर	23	94,000	बैल, डनलप, भैंस पालन, चमड़ा उद्योग आदि ।
5	सहसवान	39	1,75,000	डनलप गाड़ी, पम्पिग सेट, तथा भैंस पालन ।
6	दहगवाँ	27	95,000	तदैव
7	अम्बियापुर	30	65,300	बान उद्योग ।
8	गुन्नौर	40	1,79,500	डनलप गाड़ी, बान कार्य, रिक्सा चालन, सुअर पालन, भैंस पालन, सिलाई मशीन आदि
9	जुनवई	29	1,15,000	दुग्ध विकास, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग ।
10	रजपुरा	29	81,500	भैंस, बकरी, सुअर पालन, भैंस बुग्गी बान उद्योग आदि ।
11	दातागंज	28	1,19,000	भैंस, बकरी, सुअर पालन ।
12	समरेर	27	1,14,500	आटो रिक्शा एवं रेहड़ गाड़ी हेतु ।
13	म्याऊं	40	1,14,450	तदैव कुटीर उद्योग
14	उसवाँ	30	70,050	तदैव
15	सलारपुर	25	1,05,000	तदैव
16	जगत	29	1,60,500	तदैव
17	बादरचौक	54	1,83,500	तदैव
18	उझयानी	35	86,500	तदैव
	योग	585	20,48,450	

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 678 पर)

वर्ष 1977–78 में निर्माणाधीन सड़कें की सूची

क्रम संख्या	नाम सड़क	कार्य की स्थिति
1	भराई मिट्टी सड़क जाने बीकापुर कि0 मी0 1 से 3	कार्य पूर्ण हो गया।
2	,, ,, रसूलाबाद तारुन कि0 मी0 2	,,
3	,, ,, तारुनन्सार (कंकड़ अंश के बाद)	,,
4	,, , पटकौली आस्तीकन कि0 मी0 2	,,
5	,, ,, महरुआरेउना कि0 मी0 5	,,
6	,, ,, हैदरगंज कुड़ेभार कि0 मी0 1	,,
7	,, ,, रसूलाबाद एमी तृतीय कि0 मी0 का अंश	,,
8	,, ,, पटकौली आस्तीकन कि0 मी0 1	,,
9	,, ,, जहाँगीर गंज माहरमऊ प्रथम कि0 मी0 1	,,
10	,, ,, नेवरी राम नगर–चहेड़ा कि0 मी0 4	,,
11	,, ,, हैदरगंज भोपा कि0 मी0 1 से 3	,,
12	,, ,, अकबरपुर गौहनिया 4 कि0 मी0	कार्य अपूर्ण है।
13	,, ,, खण्डासा अमानीगंज कि0 मी0 1	कार्य पूर्ण हो गया।
14	,, ,, महबूबगंज शेखा कि0 मी0 1 से 3	,,
15	,, ,, सुचित्रासेन कुचेरा प्रथम कि0 मी0	,,
16	,, ,, मिझौड़ा नरायनपुर कि0 मी0 1 से 5	,,
17	,, ,, बरिपावन मुबारकपुर कि0 मी0 1	कार्य अपूर्ण है।
18	,, ,, नन्साभीटी 2–5 कि0 मी0	कार्य पूर्ण हो गया।
19	,, ,, रानी बाजार शाहगंज कि0 मी0 1	,,
20	,, ,, रानी बाजार शाहगंज कि0 मी0 2	कार्य अपूर्ण है।
21	,, ,, (मरम्मत) तारुन तिवारीपुर (अहरौली–चौराहा से तिवारीपुर)।	,,
22	,, ,, विकगजोतपुर महरुआ कि0 मी0 1 व 2	कार्य पूर्ण हो गया।
23	,, ,, जाने बीकापुर कि0 मी0 1	,,
24	,, ,, चौरे निधियावां कि0 मी0 1	कार्य अपूर्ण है।
25	,, ,, (मरम्मत) भरतकुण्डी मुकीमपुर कि0 मी0 2 से 4।	,,
26	,, ,, रानी बाजार उसौली	,,
27	,, ,, गोसाईगंज दिलासीगंज मील 1	कार्य पूर्ण हो गया।
28	,, ,, महरुआ रेउना प्रथम कि0 मी0 (पुरानी पटाई के बाद)।	,,
29	भराई हुई मिट्टी सड़क हरिग्टनगंज भुलईपुर कि0 मी0 1	कार्य पूर्ण हो गया।
30	कुटाई कंकड़ व मरम्मत पट्टी सड़क भरतकुण्डी मुकीमपुर कि0 मी0 1।	,,

क्रम संख्या	नाम सड़क		कार्य की स्थिति
31	गोसाईगंज दिलासीगंज	मील 2	कार्य पूर्ण हो गया।
32	निर्माण सड़क	जहागीरगंज खम्हरिया प्रथम कि0मी0	कार्य अपूर्ण है।
33	" "	घाटमपुर भीखनपुर	"
34	बिछवाई ईट सड़क	दरगाह रसूलपुर किछौछा	कार्य पूर्ण हो गया।
35	मरम्मत सड़क	रामपुर भगन तारुन मील 1	"
36	" "	अमोला गोविन्द साहब	"
37	निर्माण सड़क भीटी महरुआ प्रथम कि0 मी0		कार्य अपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 681 पर)

जांच रिपोर्ट का विवरण

1—माह जनवरी, 1977 में जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिये गये निरीक्षण रिपोर्ट के अन्तर्गत श्री अमर सिंह, सहायक विकास अधिकारी, कृषि के स्थानान्तरण का कोई सुझाव नहीं दिया गया था, ना ही जिला विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी, गोंडा के स्तर से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार इस कार्यालय से इनके स्थानान्तरण के बारे में कोई कार्यवाही की जाती।

2—श्री अमर सिंह इस जनपद में जून, 1971 में योगदान किये थे तथा इनकी नियुक्ति बेलसर बीज भण्डार पर 25-6-71 से हुई। श्री उदयशंकर मिश्र, सहायक कृषि निरीक्षक 22-6-65 से 21-8-71 तक डिकसिर बीज भण्डार पर नियुक्त रहे। इनके कार्यकाल में गम्भीर अपहरण का मामला ज्ञात हुआ। श्री अमर सिंह ने दिनाँक 7 व 8 अगस्त 1971 को डिकिसर बीज भण्डार का निरीक्षण किया, और प्राप्त अनियमितताओं की रिपोर्ट की। इस प्रकार श्री उदय शंकर मिश्र के सम्पूर्ण 6 वर्ष के कार्यकाल में श्री अमर सिंह का कार्यकाल केवल 3 मास का था जो बहुत ही सूक्ष्म कार्य काल है। भण्डार का चार्ज भी श्री आर0 एन0 चौरसिया ने प्राप्त किया था, न कि श्री अमर सिंह ने, फिर भी समस्त पर्यवेक्षीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण माँगा गया था। पर्यवेक्षीय अधिकारियों के जाँच हेतु अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये निदेशालय से उप निदेशक, कृषि, फैजाबाद को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री उदय शंकर मिश्र के विरुद्ध निलम्बन आदेश दिनाँक 22-8-71 को पारित किये गये थे और पुलिस में दिनाँक 28-9-71 को मामला दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना चल रही है। विभाग से श्री मिश्र को डिसमिस किया जा चुका है। अस्तु इस थोड़े से कार्यकाल के लिये श्री अमर सिंह के विरुद्ध सम्पूर्ण दोष का भार देना न्यायसंगत नहीं है।

3—तिलहन सम्बन्धी वाउचरों का सत्यापन श्री अमर सिंह, सहायक विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि श्री राम कृपाल सिंह ग्राम आदमपुर का नाम प्रदर्शन लिस्ट में नहीं था। श्री भगवत प्रसाद सिंह, भू0 पू0 खं0 वि0 अधिकारी ने प्रभारी, बीज भण्डार ऊमरी बेगम गंज से बिना मुख्यालय से स्वीकृति लिये ही 100-00 (एक सौ) रुपये का स्टाक दिला दिया था। इसलिये वे ही उसके लिये उत्तरदायी हैं जिनसे वसूली की कार्यवाही अलग से की जा रही है।

4—इस प्रस्तर में वर्णित विषय तथ्यहीन एवं निराधार है। श्री अमर सिंह सहायक विकास अधिकारी का अवकाश दिनाँक 15-1-77 से 10-2-77 तक जन पद शल्यक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी, बेलसर की संस्तुति के अनुसार ही मुख्यालय से स्वीकृत किया गया है।

5—प्रस्ताव में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच के दौरान यह पाया गया कि श्री अमर सिंह, सहायक विकास खण्ड कार्यालय में रक्खी गई भ्रमण पंजिका के अनुसार नियमानुसार किया गया।

6—इस प्रस्तर में अंकित तथ्यों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि विकास खण्ड कार्यालय में पाँच गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु अनुदान का आहरण श्री अमर सिंह, सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं श्री भगवत प्रसाद सिंह, भू0 पू0 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने पर किया गया। किन्तु अथक प्रयास करने के बावजूद भी दो संयंत्र पूर्ण नहीं हो पाये, इसलिये उससे सम्बन्धित अनुदान पुनः कोषागार में वापस कर दिया गया। इस कार्य हेतु श्री अमर सिंह सहायक विकास अधिकारी दोषी नहीं पाये जाते।

7—जहाँ तक इस प्रस्तर में अंकित हार्ल्टीकल्चर की नर्सरी न लगाने का सन्दर्भ है, इस क्रम में मौके पर जाँच करने से ज्ञात हुआ कि वाँछित नर्सरी लगाई गई थी किन्तु धनाभाव के कारण उसके रख-रखाव की व्यवस्था न हो पाने से नर्सरी सूख गई। इस पर किये व्यय का वाउचर खण्ड कार्यालय में उपलब्ध पाया गया। उसमें श्री अमर सिंह द्वारा गबन करने का कोई आभास नहीं पाया गया।

8—धान की नर्सरी हेतु दिये गये अनुदान से सम्बन्धित अभिलेख देखे गये तथा जाँच अधिकारी द्वारा अधिकाँश कृषकों से लिखित बयान भी लिया गया, जिसके आधार पर अनुदान का वितरण सही पाया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 683 पर)

सूची

क्रम सं0	योजना का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम
1	सम्पर्क मार्ग	लोहरौली से तरेता मार्ग
2	,,	गाँधीनगर सें दुबोला मार्ग
3	,,	मूड़घाट–गनेशपुर मार्ग
4	,,	बोदवल से देउभी होते हुए इटहर मार्ग
5	,,	मैनसिर से मोलनापुर मार्ग
6	,,	महुली से झिगुरापार होते हुए लोहराडाँडी मार्ग
7	,,	वारीडीहा से मूड़ाडीहा घाट मार्ग
8	,,	सुपौली से राजघाट मार्ग
9	,,	मजोरा मार्ग
10	,,	नेतारी मार्ग
11	,,	बहादुरपुर से कचेर घाट मार्ग
12	,,	अमिलहा मार्ग
13	,,	बभनियाँव से करहली मार्ग
14	,,	मिठवल-बरगदी मार्ग
15	,,	पथरा–सेहरी मार्ग
16	,,	महोखवा-रमवापुर दूबे मार्ग
17	,,	नउवांगाँव-पेंदाघाट मार्ग
18	,,	मनवापुर-मन्नीजोत मार्ग
19	,,	चौखड़ा-गौरा मार्ग
20	,,	हथियाँव से रसूलपुर मार्ग
21	,,	परसरामपुर से बुबौना होते हुए सलेमपुर मार्ग
22	,,	श्रीनगर, बनगंवा, घुरघाजंगल मार्ग
23	,,	परसरामपुर से नागपुर पड़री मार्ग
24	,,	वेलवा-महादेवा होते हुए घुसरी कोड़ राग्रान्ट मार्ग
25	,,	वरगदवा–चनरगड्डी मार्ग
26	,,	नत्हीपुर–रामगढ़ मार्ग
27	,,	महनुआ–दसिया मार्ग
28	,,	आमा–अजगयंवा मार्ग
29	,,	गोठवा–पोखरा मार्ग
30	,,	फरखती घाट से चिलमा मार्ग
31	,,	महराजगंज से भरुघाट मार्ग
32	,,	मुरादीपुर स श्रृंगीनारी मार्ग
33	,,	संसारीपुर से पैकोलिया मार्ग
34	,,	राजकीय मार्ग से बड़हरकलाँ तक
35	,,	सर्रेया से नौवागाँव होते हुए बाघनगर मार्ग

अनुवाद संस्था

क्रम सं0	योजना का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम
36	सम्पर्क मार्ग	विगराभीर से अगया मार्ग
37	,,	बाघनगर–भंगुरा मार्ग
38	,,	उकड़ा से शंकरपुर मार्ग
39	,,	पड़री से करमा वाया कुसमा–कुसोना मार्ग
40	,,	पढ़िनाघाट से डुमरियाबाबू मार्ग
41	,,	सोनोरा–विसौआ मार्ग
42	,,	सूपा से तारा गुजरौलिया मार्ग
43	,,	नवेला से असोगवा मार्ग
44	,,	केसवापुर से गुनवा खार होते हुए वरगदवा मार्ग
45	,,	भगौसा–लोहारी होते हुए अमरडोभा मार्ग
46	,,	हरैया–मुसहरा–गनवारिया मार्ग
47	,,	बढ़नी–डेढ़उल से परसोहियागाँव तक
48	,,	भड़नी से ढेकहरी मार्ग
49	,,	खैरहनियाँ–तिरछहवा घाट मार्ग
50	,,	बखिरा–दुर्गजोत मार्ग
51	,,	चौरी वनकसिया होते हुए पचपोखरी मार्ग
52	,,	बखिरा–खजुरकोल मार्ग
53	,,	हैंसर बाजार से चपरा पूर्वी मार्ग
54	,,	उस्का बाजार से सौहाँस–परसाबुजुर्ग मार्ग
55	,,	उस्का राजा से भठिया बाजार मार्ग
56	,,	उस्का-धानी मार्ग से करमागाँव तक
57	,,	दूल्हा जनूबी के टोला दलदलहा होते हुए दूल्हा कोठी तक
58	,,	दूल्हा कोठी से कठबतिया होते हुए एतिला मार्ग
59	,,	सैदवार–पकड़ी चन्दा मार्ग
60	,,	दलेलगंज–चिलौना मार्ग
61	,,	मझेवा–खुनियाँव मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 683 पर)

वर्ष 1977–78 में दिये गये विज्ञापनों का विवरण (जुलाई, 1977 से)

	गैर मान्यता प्राप्त	मान्यता प्राप्त
1—युग विवेक, लखनऊ	275–00	
2—पंचमित्र, फैजाबाद	125–00	
3—अमृत प्रभात, प्रयाग	259–20	
4—जनमोर्चा, फैजाबाद		750–00
5—अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ..	125–00	
6—मण्डलीय शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी स्मारिका, फैजाबाद।	250–00	
7—एन0 वाई0 एस0 एस0, उ0 प्र0, फैजाबाद	125–00	
8—पाँचवा हिन्दी एवं उर्दू साहित्य अवार्ड, लखनऊ	300–00	
योग ..	1,459–20	750–00
कुल योग ..	2,209–20	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1978–79 में (9–2–1979 तक) दिये गये विज्ञापनों का विवरण

	गैर मान्यता प्राप्त	मान्यता प्राप्त
1—सत्य भारत, फैजाबाद	335–00	
2—गणतंत्र, भारत फैजाबाद ..	180–00	
3—सरयू मेल, फैजाबाद	300–00	
4—प्रेरणा सूचक, फैजाबाद	100–00	
5—साकेत दर्पण, फैजाबाद	75–00	
6—हम आप, फैजाबाद	100–00	
7—अयोध्या दर्पण, फैजाबाद ..	600–00	
8—अवध अर्चना, फैजाबाद	500–00	
9—वेदशक्ति, फैजाबाद	250–00	
10—स्वप्नरेखा, फैजाबाद	200–00	
11—प्रेसयुग, फैजाबाद	200–00	
12—विचार सूचक, फैजाबाद ..	100–00	
13—जनविजय, लखनऊ	1,040–00	
14—शान्ति दीप, सीतापुर	450–00	
15—विश्वकेतु, रायबरेली	390–00	
16—करंट, बम्बई	700–00	
17—दलित चेतना, लखनऊ	300–00	
18—जनवार्ता, वाराणसी	250–00	
19—दैनिक भारत, प्रयाग	508–80	
20—युग विवेक, लखनऊ	300–00	
21—नवजीवन, लखनऊ	200–00	
22—युगगति, फैजाबाद	..	100–00
23—कानपुर एसोसियशन आफ दीडेफ ..	300–00	
24—भारत चिति, इलाहाबाद ..	500–00	
योग ..	7,878–80	100–00
कुल योग ..	7,978–80	

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 685 पर)

वित्तीय स्थिति

		प्रस्तावित परिव्यय	व्यय
(क)	लघु सिंचाई ..	2,69,789	17,603
(ख)	भूमि सुधार ..	1,61,600	26,369
(ग)	बीज और अन्य कृषि निवेश	40,250	7,548
(घ)	कृषि संयंत्र ..	5,280	—
(ङ)	उद्यान विकास ..	3,100	620
(च)	पशुधन विकास ..	99,000	30,600
(छ)	बंधन जमीन को छुड़ाना ..	16,000	9,355
(ज)	ग्राम उद्योग ..	49,500	1,800

भौतिक प्रगति

	लक्ष्य	उपलब्धि
सार्वजनिक बंधी	2	1
व्यक्तिगत बंधी	9	3
दो हार्स पावर के पम्प वाले कूप ..	16	9
सार्वजनिक पम्प सुविधा	7	2
भूमि सुधार	202 एकड़	27.74 एकड़
कृषि निवेश	350 एकड़	2.45 एकड़
कृषि संयंत्र	62	—
उद्यान विकास ईकाइयाँ	100	108
पशुधन विकास		
खेती के लिए बेल	100	105
दुधारु गाय भैंस	90	—
बकरी इकाईयाँ	8	—
बंधक जमीन की मुक्ति	—	24.25 एकड़
ग्रामीण उद्योग		
जूतों का इकाईयाँ	2	—
खाद और हड्डी ईकाइयाँ	1	—
बढ़ई इकाईयाँ	3	—
अन्य	4	—
दर्जी की दुकान	1	1

परिशिष्ट 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 689 पर)

व्यावसायिक बैंकों जिला परिषद द्वारा ब्लाक वाइज वितरित धनराशि का विवरण

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम		वितरित धनराशि (रु0)
1	बीकापुर	..	1,50,000-00
2	जलालपुर	..	1,21,679-50
3	मसौधा	..	1,69,921-84
4	मीटी	..	33,766-06
5	टाण्डा	..	43,714-00
6	बसखारी	..	30,220-00
7	अकबरपुर	..	1,35,400-00
8	अमानीगंज	..	22,500-00
9	पूराबाजार	..	1,23,121-68
10	कटेहरी	..	38,827-25
11	मिल्कीपुर	..	37,830-00
12	तारुन	..	4,000-00
13	हरिगटनगंज	..	1,23,300-00
14	माया बाजार	..	43,500-00
15	सोहावल	..	98,078-00
16	जहांगीरगंज	..	10,000-00
17	मियाँव	..	76,800-00
18	राज नगर	..	76,800-00
		योग ..	12,62,658-33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 690 पर)

तालिका

विकास खण्ड का नाम	मार्गों का नाम	मार्ग की स्वीकृति लम्बाई (कि0 मी0) में	पूर्ण किए गए मार्ग की लम्बाई (कि0 मी0) में	अवशेष मार्ग की लम्बाई (कि0 मी0) में	कार्य पूर्ण न होने का कारण
1—मायाबाजार	(1) महबूबगंज—ऊंचगाँव	2.00	2.00	शून्य	
	(2) टण्डौली—नेवनवीरपुर	2.00	2.00	शून्य	
	(3) लालपुर—हरवी	2.00	2.00	शून्य	
	(4) बरौली—वाचिवपुर	4.00	2.00	2.00	भूमि न उपलब्ध होने के कारण कार्य शेष रह गया है।
	(5) गोसाईगंज—शेरवाघाट	7.00	7.00	शून्य	
2—कटेहरी	(1) पहितीपुर—खजूरडीह—मंशीपुर	4.00	3.50	0.50	माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बैन्च में दायर दो याचिकाओं के निर्णय पर निर्भर करेगा।
	(2) महरुआ—नारायनपुर	7.00	7.00	शून्य	
	(3) गैहनिया—अकबरपुर	1.50	1.50	शून्य	
3—भीटी	(1) भीटी—बौरे	6.00	7.00	शून्य	
	(2) सेनपुर—बेला	6.00	3.50	2.50	भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है।
	(3) चपरा—मीठापुर	6.00	2.00	4.00	संबंधित किसानो से भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 692 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।

अधिकारी

सर्वश्री

1—हरगोविन्द विश्नोई
2—एस० सी० हिंगोरानी
3—राम बहाल
4—के० एस० भटनागर
5—नन्द किशोर भट्ट

कर्मचारी

सर्वश्री

1—कन्हैया लाल श्रीवास्तव
2—दयाशंकर द्विवेदी
3—नरसिंह सिंह
4—दयाकृष्ण भट्ट
5—प्यारे लाल शर्मा
6—श्रीराम शर्मा
7—जगदीश चन्द्र जोशी
8—हीरा वल्लभ जोशी
9—निर्मल कुमार बनर्जी
10—वरुणेन्द्र कुमार
11—हरी कृष्ण पवार
12—के० सी० मैनाली
13—मुमताज अली
14—मोहन सिंह ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिए नत्थी 'ठ' पीछे पृष्ठ 710 पर)

प्रश्न

1—क्या गन्ना मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समितियाँ संघ लि0, लखनऊ में कार्य करने वाले लिपिक एवं टंकक (क्लर्क एवं टाइपिस्ट) की उ0 प्र0 गन्ना सहकारी सेवा नियमावली, (यू0पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन 1975) के अनुसार शैक्षिक योग्यतायें क्या हैं? क्या दिनाँक 1 जुलाई, 1976 से 30 अप्रैल, 1979 की अवधि में उक्त प्रतिष्ठान में नियुक्त लिपिक एवं टंकक (क्लर्क एण्ड टाइपिस्ट) की शैक्षिक योग्यतायें सन्दर्भित सेवा नियमावली में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यू0 पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन्स 1975 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ में कार्य करने वाले लिपिकों एवं टंककों की निर्धारित शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट है। दिनाँक 1 जुलाई, 1976 से 30 अप्रैल, 1979 तक की अवधि में उक्त प्रतिष्ठान में नियुक्त हुये लिपिकों एवं टंककों में से केवल दो को छोड़कर शेष सभी की शैक्षिक योग्यता उक्त सन्दर्भित सेवा नियमावली के अनुसार है। उक्त दो लिपिकों की शैक्षिक योग्यता मात्र हाई स्कूल है। इनमें से एक लिपिक उक्त सन्दर्भित सेवा नियमावली के लागू होने के पूर्व से ही अल्प-कालिक, लिपिक के पद पर कार्यरत था, जबकि लिपिक पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी उसकी गत सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दिनाँक 18 नवम्बर, 1976 को नियमित (रेगुलर) लिपिक पद पर नियुक्त करते समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता से छूट दे दी गयी। दूसरे लिपिक की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी रूप से दिनाँक 20 जुलाई, 1976 को इस शर्त पर की गयी थी कि वह निर्धारित शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र दाखिल कर देगा। किन्तु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र दाखिल न किये जाने के कारण उसे सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया।

शिव मंगल सिंह,
गन्ना विकास मन्त्री।

पी0एस0यू0पी0—एल 229 विधान सभा (362)—1980—835।